रक्षा मंत्रालय
भारत सरकार

सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट
2002–2003

वार्षिक रिपोर्ट
2002-2003

मिग-29 प्रशिक्षक

विषय सूची

1. सुरक्षा परिवेश 1
2. रक्षा मंत्रालय के संगठन और उनके कार्य 11
3. भारतीय सेना 18
4. भारतीय नौसेना 25
5. भारतीय वायुसेना 30
6. तटरक्षक 35
7. रक्षा उत्पादन एवं पूर्ति 40
8. रक्षा अनुसंधान तथा विकास 57
9. अंतर-सेवा संगठन 69
10. भर्ती एवं प्रशिक्षण 78
11. भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास एवं कल्याण 93
12. सशस्त्र सेनाओं तथा सिविल प्राधिकारियों के बीच सहयोग 105
13. राष्ट्रीय कैडेट कोर 109
14. सामान्य 115
15. सतर्कता यूनिटों के कार्यकलाप और उपलब्धियां 126
16. महिलाओं का सशक्तिकरण एवं कल्याण 127

परिशिष्ट-1 130

परिशिष्ट-2 133

मुख पृष्ठः बहु-बैरल ऍकेट प्रक्षेपण प्रणाली पिनाक

1

सुरक्षा परिवेश

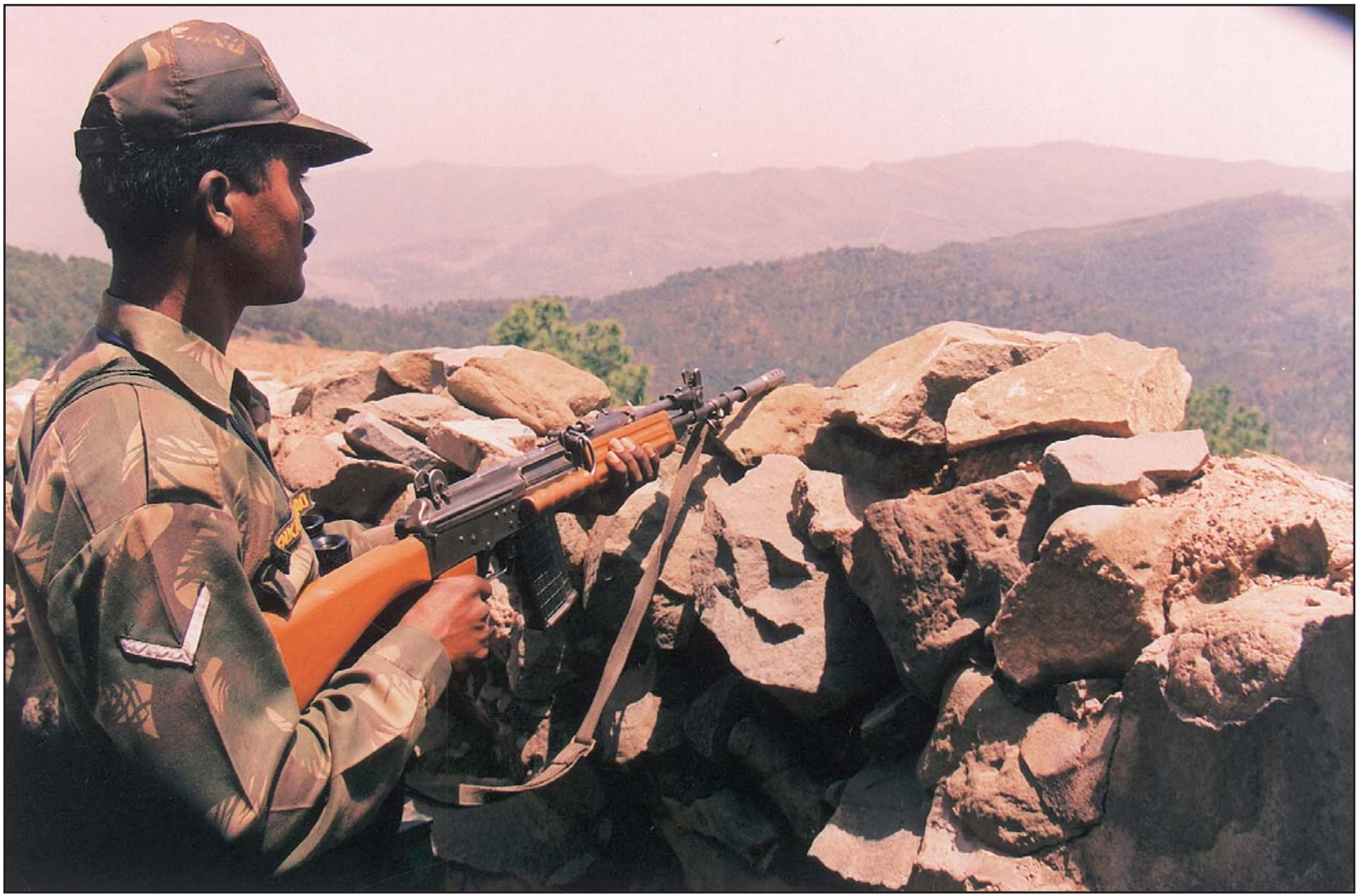

निगरानी करते हुए

1.1 भारत की सुरक्षा चिंताओं के मूल में बदलता हुआ विश्व सुरक्षा परिवेश तथा यह अवधारणा कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र विश्व सुरक्षा के नजरिए से विशेष रुचि का क्षेत्र बन गया है, भारत के पड़ोस में आतंकवादियों और कट्टरपंथियों की लगातार उपस्थिति के कारण उसे अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए उच्च स्तरीय रक्षा चौकसी तथा तैयारी बनाए रखने के लिए मजबूर होना पड़ा है।

1.2 भारत जिन सुरक्षा चुनौतियां का सामना कर रहा है वे भिन्न-भिन्न प्रकार की तथा जटिल हैं। यह देश लगातार जनजातीय, जातिगत तथा वामपंथी आंदोलनों तथा विचारधाराओं से पैदा हुए कम तीव्रता वाले संघर्षों तथा आतंकवाद के माध्यम से पाकिस्तान और विभिन्न उग्र जेहादी गुटों द्वारा जारी छद्म युद्ध का सामना कर रहा है। भारत दवाओं की तस्करी तथा लघु शस्त्रों के प्रसार से त्रस्त है और इस तथ्य से भी प्रभावित है कि वह परमाणु शस्त्र और प्रक्षेपास्त्र रखने वाले ऐसे दो पड़ोसी देशों से घिरा है जिनका पूर्व में आक्रमणों और युद्ध का इतिहास रहा है। पाकिस्तान में व्यापक संहार वाले हथियारों के विद्रोही उग्र कट्टरपंथियों के हाथ लगने की सदैव संभावना बनी हुई है। इस देश को कारगिल में अघोषित युद्ध के अलावा चार बड़े परम्परागत सीमा युद्धों का सामना करना पड़ा है। इन खतरों और चुनौतियों के प्रति भारत का रवैया संतुलित, सुविचारित और विनम्र रहा है जो एक शांतिप्रिय देश के रूप में इसकी शांति पूर्ण दृष्टिकोण तथा ख्याति के अनुरूप है।

राष्ट्रीय सुरक्षा लक्ष्य

1.3 भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा लक्ष्य लोकतंत्र, धर्म-निरपेक्षता तथा शांतिपूर्व सह-अस्तित्व के अपने मूल मंत्रों तथा सामाजिक और आर्थिक विकास के राष्ट्रीय लक्ष्य की पृष्ठभूमि में विकसित हुए हैं। ये लक्ष्य हैं :

- विधि द्वारा निर्धारित तथा संविधान में यथा-प्रतिष्ठापित देश की सीमाओं की रक्षा करना;
- युद्धों, आतंकवाद, परमाणु खतरों और उग्रवादी गतिविधियों से अपने नागरिकों के जीवन तथा संपत्ति की रक्षा करना;
- अस्थिरता तथा पड़ोसी देशों से संचालित कट्टरवाद और अतिवाद के धार्मिक तथा अन्य स्वरूपों से देश की रक्षा करना;
- देश को व्यापक विनाश के हथियारों के प्रयोग अथवा प्रयोग की धमकी से सुरक्षा करना;
- देश की रक्षा तैयारियों के लिए, अन्य बातों के साथ, इन मदों के हस्तांतरण पर लगे प्रतिबंध का सामना करने के लिए तथा भारतीय सुरक्षा, विशेषकर रक्षा तैयारी पर प्रभाव डालने वाली सामग्री, उपस्कर तथा प्रौद्योगिकियों का स्वदेशी अनुसंधान, विकास तथा उत्पादन के द्वारा विकास करना;
- पड़ोसी देशों के साथ सहयोग तथा समझ-बूझ को आगे बढ़ाना तथा आपस में सम्मत, विश्वास पैदा करने वाले उपायों का क्रियान्वयन करना; तथा
- प्रमुख शक्तियों तथा मुख्य सहयोगियों के साथ सुरक्षा तथा सामरिक वार्ता जारी रखना।

सुरक्षा परिवेश की प्रमुख विशेषताएं

1.4 महाद्वीपीय एशिया और हिन्द महासागर क्षेत्र दोनों की दृष्टि से भारत की सामरिक अवस्थिति महत्वपूर्ण है। भारत की, विशेषकर इसकी सीमाओं पर, इसकी भौगोलिक तथा स्थलाकृतिक विविधता, उपस्कर तथा प्रशिक्षण दोनों के लिए हमारे सशस्त्र बलों के समक्ष चुनौती पैदा करती है।

1.5 प्रायद्वीपीय आकार होने के कारण इसका समुद्र तट लगभग 7600 कि.मी. लम्बा है तथा 2 मिलियन वर्ग कि.मी. से अधिक का विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र है। पूर्व में इसके द्वीपीय भू-भाग से 1,300 कि.मी. दूर हैं जो दक्षिण-पूर्व एशिया के अधिक निकट हैं। प्रायद्वीपीय भारत स्वेज नहर तथा फारस की खाड़ी से मलक्का जलडमरूमध्य तक फैले एक अति महत्वपूर्ण समुद्र मार्ग से लगा हुआ है, जिसके माध्यम से खाड़ी क्षेत्र से अधिकतर तेल भेजा जाता है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसने विगत में महाशक्तियों की प्रतिस्पर्द्धा को आकर्षित किया है तथा वर्तमान विश्व सुरक्षा चिंताओं के कारण लगातार बाहरी नौसेनाओं की बढ़ी हुई गतिविधियों का क्षेत्र बना हुआ है।

1.6 भारत का आकार, सामरिक अवस्थिति, व्यापार हित तथा इसके सुरक्षा परिवेश का पश्चिम में फारस की खाड़ी से लेकर पूर्व में मलक्का जलडमरूमधय तक तथा उत्तर में मध्य एशियाई गणराज्यों से दक्षिण में भूमध्य रेखा के निकट तक फैला होना भारत की सुरक्षा संबंधी प्रतिक्रिया का निर्धारण करता है। इसके सामरिक विस्तार के मद्देनजर इसके सुरक्षा हितों की रक्षा के लिए विश्वसनीय जमीनी, वायु तथा समुद्री बल तैयार रखना देश के लिए अनिवार्य है।

क्षेत्रीय परिवेश

1.7 यद्यपि अफगानिस्तान तथा श्रीलंका में माहौल में सार्थक सुधार आया है, तथापि अपने पड़ोस तथा चारों

ओर के क्षेत्र पर गहरी नजर डालने पर चिन्ताजनक तस्वीर सामने आती है। कई देश आंतरिक अस्थिरता का सामना कर रहे हैं जो उनकी आर्थिक उन्नति तथा शांति के लिए खतरा है। तथापि, इस क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता के लिए सबसे-बड़ा एकमात्र खतरा पाकिस्तान द्वारा अपने सामरिक उद्देश्यों के लिए पोषित आतंकवाद तथा भारत के प्रति पाकिस्तानी सेना की गहरी तथा दुराग्रहपूर्ण शत्रुता से प्रेरित दु:साहस से है। वस्तुत: आज विश्व में कहीं भी होने वाली प्रत्येक आतंकवादी कार्यवाही पर कहीं न कहीं पाकिस्तानी छाप अवश्य है। यह इस क्षेत्र में तथा इसके बाहर अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की जड़ और केन्द्र है।

1.8 अफगानिस्तान, पाकिस्तान द्वारा निर्मित प्रतिक्रियावादी, पुरातनपंथी तथा कट्टरवादी शासन के अंधेरे से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के हस्तक्षेप से हाल ही में उबर पाया है। यद्यपि नई सरकार को अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है लेकिन पुनर्निर्माण और संस्थाओं की पुन: स्थापनाओं का कार्य अत्यन्त कठित है। पाकिस्तान का स्वार्थ एक कमजोर, अस्थिर, अशांत अफगानिस्तान में निहित है, जो इसे इसे देश के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी करने के लिए अवसर उपलब्ध कराता है, ताकि यह भारत और मध्य एशिया के मुकाबले सामरिक मजबूती प्राप्त करने के अपने मंतव्य में सहायक हो सके। भारत के खिलाफ आतंकवाद और छद्म युद्ध के साथ जेहादियों की सांठ-गांठ को देखते हुए पाकिस्तान द्वारा समर्थित जेहादी गतिविधियों का पुन: शुरू होना भारत के लिए प्रत्यक्षत: सुरक्षा-चिन्ता का विषय है। भारत, अफगानिस्तान में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग जारी रहने के प्रति भी प्रतिबद्ध है, ताकि पाकिस्तान इस क्षेत्र में जेहादी राजनीति और प्रशिक्षण प्रायोजित करने हेतु अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय की उपेक्षा और असावधानी का फायदा न उठा सके, जैसाकि इसने अफगानिस्तान से सोवियत संघ की वापसी के पश्चात् किया था।

1.9 पाकिस्तान में, कट्टरवादी राजनीतिक दलों ने पूर्वनियोजित चुनावों से लाभ उठाकर जिनमें दो अति लोकप्रिय राजनीतिक नेताओं के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई थी, दो प्रांतीय सरकारों की सत्ता हथिया ली तथा केन्द्र में मिली-जुली सरकार में भी हिस्सा पा लिया। रिपोर्टें और साक्ष्य परमाणु शस्त्र प्रौद्योगिकियों के भीतरी और बाह्य प्रसार की ओर इशारा करते हैं। पाकिस्तान भारत के विरुद्ध सीमापार से आतंकवाद को रोकने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय से किए गए सु-प्रचारित वायदे को भी नहीं निभा पाया और उसने अन्तर्राष्ट्रीय दबाव के तहत वर्ष के आरंभ में कट्टरवादी संगठनों के विरुद्ध उठाए गए नाम-मात्र के कदमों से भी किनारा कर लिया। इससे भी खराब स्थिति यह है कि समय-समय पर पाकिस्तानी परमाणु धमकी, छिपी तथा खुली, की अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने कोई भर्त्सना नहीं की।

1.10 बांग्लादेश में भी अब संकीर्ण, दक्षिणपंथी, धार्मिक-कट्टर राजनीतिक दलों की मिली-जुली सरकार में स्थान मिल गया है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल में भारत के विरुद्ध आईएसआई की गतिविधियों तथा कट्टरवादी विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए बांग्लादेश में अनुकूल वातावरण तथा नेपाल में कमजोर सरकार का निरंतर लाभ उठा रहा है। श्रीलंका में लिट्टे और सरकार के बीच युद्ध-विराम एक सकारात्मक प्रगति है, यद्यपि लिट्टे एक शक्तिशाली गैर-सरकारी सैन्य बल बना हुआ है जो स्वयं को लगातार हथियारबंद कर रहा है, जिसके कारण राजनीतिक प्रक्रिया में गतिरोध आने का खतरा बना हुआ है। म्यांमार में लोकतांत्रिक शक्तियों और सैन्य सरकार के बीच संघर्ष जारी है।

1.11 इस क्षेत्र से आगे पश्चिम में इराक के विरुद्ध अमरीका के नेतृत्व में लड़ाई से भारत के लिए बहुत-सी सुरक्षा चिंताएं पैदा हो गई हैं, जो विशेषकर वहां रहने वाले भारतीय समुदाय तथा तेल व ऊर्जा आपूर्तियों की सुरक्षा के संबंध में हैं। एक काफी वास्तविक जोखिम यह भी है कि इराक में अमरीका के नेतृत्व में संयुक्त युद्ध से इसके पड़ोसी देशों, विशेषकर भारत और अफगानिस्तान में पाकिस्तानी कारनामों से ध्यान हटेगा, जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान इस क्षेत्र में अपनी दु:साहसपूर्ण गतिविधियों को बढ़ाने के लिए करेगा, जैसाकि इसने अफगानिस्तान से सोवियत सेनाओं की वापसी के समय किया था। इस स्थिति में जनरल मुशर्रफ को इराक में अमरीकी नेतृत्व की कार्रवाई के विरुद्ध कट्टर पंथी इस्लामी भावनाओं को भारत के विरुद्ध इस्तेमाल करने का अवसर मिलेगा, जैसाकि उसने अफगानिस्तान से रूस के प्रस्थान के समय किया था। इराक के विरुद्ध युद्ध से मुस्लिम और गैर-मुस्लिम विश्व के बीच की दरार और बढ़ सकती है।

1.12 इस पृष्ठभूमि में भारत रक्षा तैयारियों तथा एकपक्षीय संयम, विश्वासोत्पादक उपायों तथा बातचीत तथा द्विपक्षीय तालमेल बढ़ाने के माध्यम से अपने पड़ोसियों के साथ शांति बनाये रखने तथा इस क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने के लिए पूर्णतया वचनबद्ध है।

1.13 रक्षा तैयारी के क्षेत्र में भारत ने उच्च रक्षा प्रबंधन में सुधार किया है तथा अधिप्राप्ति प्रक्रियाओं को सुप्रवाही

बनाया है। हमारी रक्षा नीति तथा बल सिद्धांत का रूख रक्षात्मक है, जबकि हमारी परमाणु नीति की विशेषता 'पहले वार नहीं' के प्रति वचनबद्धता, परमाणु परीक्षण अधिस्थगन, न्यूनतम विश्वसनीय परमाणु निवारण तथा हथियारों की दौड़ अथवा संकल्पना तथा शीत युद्ध काल के सिद्धांत को अस्वीकार करना है।

पाकिस्तान

1.14 पाकिस्तान की राजव्यवस्था पर उसकी सेना द्वारा बार-बार कब्जा किया जाता रहा है और भारत के साथ तनाव बनाए रखने में उसके निहित स्वार्थ हैं, क्योंकि इससे पाकिस्तान की शक्ति व्यवस्था पर उनकी पकड़ और मजबूती होती है। गत वर्ष में पाकिस्तानी राजव्यवस्था में अप्रैल, 2002 के 'जनमत संग्रह', अगस्त के लीगल फ्रेमवर्क आदेश, पाकिस्तान की पुनर्गठित राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में सेना की संवर्धित तथा संस्थागत भूमिका तथा पूरी तरह धांधली से कराए गए अक्तूबर के चुनावों के माध्यम से सेना, विशेषकर जनरल मुशर्रफ की भूमिका में बढ़ोत्तरी हुई है। कट्टरपंथी एमएमए के उत्थान सहित इन घटनाओं से भारत की सुरक्षा के लिए शुभ संकेत नहीं मिलते।

1.15 भारत को पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद का इस्तेमाल करके पहले पंजाब में और तत्पश्चात् जम्मू-कश्मीर व अन्यत्र भारत के विरुद्ध कई दशकों से अपनाई जा रही छद्म युद्ध नीति का सामना करना पड़ रहा है। 13 दिसंबर, 2001 को संसद पर आक्रमण के साथ ही पाकिस्तानी उकसावा एक खतरनाक बिंदु पर पहुंच गया, जिसका अधिक शक्तिशाली जवाब देना आवश्यक हो गया। भारत के आतंकवादियों की और अधिक घुसपैठ को रोकने के लिए अतिरिक्त सैन्य टुकड़ियों को नियंत्रण रेखा तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैयार अवस्था में तैनात किया गया।

1.16 इन उपायों तथा अंतर्राष्ट्रीय दबाव से विवश होकर पाकिस्तानी राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ ने 12 जनवरी, 2002 के अपने भाषण में घोषणा की कि 'पाकिस्तान विश्व में किसी भी स्थान पर आतंकवादी गतिविधियों के लिए अपनी भूमि के इस्तेमाल की अनुमति नहीं देगा', 'किसी भी संगठन को कश्मीर के नाम पर आतंकवाद में संलिप्त होने की अनुमति नहीं दी जाएगी' तथा 'आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।' पाकिस्तान में आतंकवादियों के विरुद्ध अस्थायी तौर पर कार्रवाई हुई थी। जैश-ए-मोहम्मद तथा लश्कर-ए-तोयबा जैसे आतंकवादी दलों पर प्रतिबंध लगाया गया था तथा उनकी कुछ वित्तीय परिसंपत्तियां जब्त की गई थीं। कुछ आतंकवादी नेताओं को घर में ही बंदी बनाया गया था तथा आतंकवादी संगठनों के निचले स्तर के लगभग 2000 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया था।

1.17 जनवरी-मार्च, 2002 में सीमापार घुसपैठ तथा आतंकवादी हिंसा में अस्थायी तौर पर कमी आई थी, जबकि 'जेहादी' कार्यकर्त्ताओं को चुप पड़े रहने की सलाह दी गई थी। तथापि, समय के साथ-साथ उपायों में ढील देने पर सीमापार घुसपैठ तथा आतंकवादी हिंसा जारी हो गई तथा इनमें वृद्धि हुई। 14 मई, 2002 को आतंकवादियों ने कालुचक, जम्मू-कश्मीर में सेना के एक कैंप में स्थित पारिवारिक आवासों पर आक्रमण किया जिसमें 11 महिलाओं तथा 11 बच्चों सहित 32 सिविलियन मारे गए। 18 मई, 2002 को भारत सरकार ने पाकिस्तान द्वारा सीमापार आतंकवाद की सहायता जारी रखने के कारण नई दिल्ली स्थित उनके उच्चायुक्त को वापिस बुलाने के लिए कहा। दबाव में आकर एक बार फिर जनरल मुशर्रफ ने 27 मई, 2002 के अपने भाषण में सीमापार घुसपैठ तथा आतंकवाद को स्थायी रूप से रोकने का वचन दिया।

1.18 जनरल परवेज़ मुशर्रफ के वचन के बावजूद जुलाई, 2002 से सीमापार घुसपैठ तथा आतंकवादी हिंसा में वृद्धि हुई। 13 जुलाई, 2002 को पाकिस्तान आधारित आतंकवादियों ने कासिम नगर में एक निर्धन बस्ती पर आक्रमण किया। भावनाएं भड़काने के उद्देश्य से सुलभ लक्ष्यों पर आक्रमण जारी है, जिसमें अक्षरधाम तथा जम्मू में मंदिरों पर आक्रमण, जम्मू-कश्मीर में महिलाओं पर आक्रमण शामिल हैं। हाल ही में 20 मार्च, 2003 को जम्मू स्थित नंदीमार्ग में रह रहे कश्मीरी हिन्दू लक्ष्य बनाए गए थे, जिसमें 11 महिलाओं तथा 2 बच्चों सहित 22 पंडितों की नृशंस हत्या की गई। इन हादसों से एक बार फिर यह सिद्ध होता है कि पाकिस्तान ने आतंकवादियों को समर्थन देने में कमी नहीं की है। इससे स्थायी तौर पर घुसपैठ को समाप्त करने के लिए पाकिस्तान द्वारा निर्णायक कदम उठाए जाने तथा आतंकवाद में सहायक अन्य मूलभूत ढांचे को समाप्त करने की जरूरत भी रेखांकित होती है।

1.19 सीमापार से घुसपैठ तथा सम्बद्ध आतंकवादी हिंसा में जम्मू-कश्मीर विधान सभा चुनाव के दौरान तेजी आई। तथापि, आतंकवादी धमकियों तथा भय के माहौल में मतदाताओं की 43.70% भागीदारी के साथ जम्मू-कश्मीर विधान सभा चुनावों के सफल संचालन तथा संतोषजनक परिणाम को जम्मू-कश्मीर

के लोगों की शांति की इच्छा की जीत तथा चुनावों की विश्वसनीयता के रूप में देखा जा रहा है।

1.20 16 अक्तूबर, 2002 को सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात अपनी सेनाओं को अन्यत्र तैनात करने का निर्णय लिया, क्योंकि यह माना गया था कि सशस्त्र सेनाओं को सौंपे गए तात्कालिक उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया गया है। यह भी निर्णय लिया गया था कि जम्मू-कश्मीर में चौकसी में कोई कमी न की जाए।

1.21 भारत शिमला समझौता तथा लाहौर घोषणा के अनुरूप बातचीत तथा सहमति के लिए पूरी तरह वचनबद्ध है तथा बार-बार पाकिस्तान को कहता रहा है कि वह भारत में आतंकवाद को समर्थन देना बंद करे, ताकि द्विपक्षीय बातचीत शुरू करने के लिए उचित माहौल तैयार हो सके। यदि पाकिस्तान सीमापार आतंकवाद को मिटाने की दिशा में सार्थक प्रयास करे तो भारत मतभेदों को दूर करने तथा आपसी सहयोग में वृद्धि के लिए द्विपक्षीय वार्ता शुरू करने के लिए तैयार होगा। यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत ने ही लाहौर तथा आगरा में दो साहसिक तथा सार्थक पहलें की हैं।

चीन

1.22 भारत का सबसे बड़ा पड़ोसी देश चीन यथासंभव कम से कम समय में महाशक्ति की हैसियत प्राप्त करने के उद्देश्य से द्रुत आर्थिक विकास तथा आधुनिकीकरण के चरण से गुजर रहा है। चीन के साथ भारत की सीमा लगभग 3500 कि.मी. लम्बी है। चीन भारतीय क्षेत्र के, मुख्य रूप से अक्साई चीन क्षेत्र में, लगभग 38,000 वर्ग कि.मी. पर कब्जा किए हुए है तथा पूर्वी सेक्टर में अन्य 90,000 वर्ग कि.मी. पर दावा करता है। इसके अलावा, वर्ष 1963 में पाकिस्तान द्वारा उत्तरी कश्मीर में पाक कब्जे वाले 5,180 वर्ग कि.मी. को अवैध ढंग से चीन को सौंप दिया गया था। (यद्यपि चीन के साथ कई दौर की सीमा वार्ताएं की जा चुकी हैं, तथापि अभी भी कई विवादित भू-खंड रह गए हैं।)

1.23 चीन अपनी सशस्त्र सेनाओं का तीव्रता से आधुनिकीकरण कर रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा पर हाल ही में जारी अपने श्वेत पत्र में चीन ने अंतर्राष्ट्रीय स्थायित्व तथा वैश्विक सामरिक संतुलन बनाए रखने के महत्व तथा साथ ही अंतर्राष्ट्रीय हथियार नियंत्रण तथा निरस्त्रीकरण के लिए एक वैधानिक व्यवस्था पर भी जोर दिया है, ताकि उस अंतर्राष्ट्रीय स्थिति से निपटा जा सके जिसमें गंभीर परिवर्तन आ रहे हैं तथा जिसमें विशेषकर विकसित तथा विकासशील देशों के बीच सैन्य शक्ति संतुलन में गंभीर असमानता आ रही है। नवंबर, 2002 के दौरान 16वीं राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को प्रस्तुत रिपोर्ट में चीन की सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करना 'चीन के आधुनिकीकरण अभियान में सामरिक कार्य' बताया है।

1.24 जहां तक भारत का संबंध है, इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है कि भारत का हर प्रमुख शहर चीनी प्रक्षेपास्त्रों की पहुंच में है तथा सब-मैरीन लांच्ड मिसाइलों को शामिल करने के लिए इस क्षमता को और बढ़ाया जा रहा है। परमाणु शक्तियों से संबंधित विषमता चीन के पक्ष में है और इसमें अमरीकी प्रक्षेपास्त्र रक्षा कार्यक्रम का मुकाबला करने के लिए चीन की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप और भी तेजी आने की संभावना है। पाकिस्तान के साथ चीन के गहरे रक्षा संबंध, भारत के विरुद्ध पाकिस्तान के ज्ञात विद्वेष और शत्रुता तथा परमाणु परिसम्पत्तियों की इसकी अधिप्राप्ति के कारण एक अलग तरह का समीकरण बनाते हैं।

1.25 भारत इन चिंताओं के होते हुए भी पंचशील सिद्धांतों तथा एक-दूसरे के सरोकारों के प्रति संवेदनशीलता तथा समानता के लिए पारस्परिक समझ के आधार पर चीन के साथ दीर्घावधि तथा स्थायी संबंध बनाने के लिए प्रयासरत है तथा सभी बाकी मतभेदों को हल करने के लिए विचार-विमर्श की प्रक्रिया के प्रति वचनबद्ध है। कुछ विश्वासोत्पादक उपाय शुरू किए गए हैं तथा इनके धीरे-धीरे बेहतर परिणाम निकल रहे हैं, परंतु इसमें प्रगति संतोषजनक स्तर से कम रही है। हाल के वर्षों में कई उच्च स्तरीय दौरे हुए हैं। भारत के राष्ट्रपति ने वर्ष 2000 में चीन की यात्रा की थी। इसके बाद श्री ली. पेंग जनवरी, 2001 में भारत आए थे। इन उच्च स्तरीय दौरों से द्विपक्षीय संबंधों और एक-दूसरे की समझ के नजरिए में सुधार हुआ है, जिससे तनाव में और कमी आई है।

1.26 वर्ष 2002-03 में भारत-चीन संबंधों में प्रगति संबंधी गतिविधियों में सीधी दिल्ली-बीजिंग उड़ान शुरू करना, प्रति-आतंकवाद पर भारत-चीन वार्ता तंत्र की प्रथम बैठक, मध्य सैक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा के स्पष्टीकरण के लिए नक्शों के आदान-प्रदान की प्रक्रिया का पूरा होना, ब्रह्मपूत्र के ऊपरी क्षेत्रों के संबंध में जलविज्ञान आकड़ों के आदान-प्रदान पर समझौता ज्ञापन (प्रधानमंत्री झू की यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए गए) का कार्यान्वयन होना तथा चीन द्वारा भारत को 'अनुमोदित पर्यटन स्थल हैसियत' प्रदान किया जाना शामिल हैं। सीमा के प्रश्न से संबंधित संयुक्त कार्य दल नवंबर, 2002

में अपने 14वें सत्र के लिए मिला। यूएनजीए के दौरान सितंबर, 2002 में प्रथम विदेश मंत्री स्तरीय अनौपचारिक भारत-चीन-रूस वार्ता हुई। अन्य सहमत वार्ता तंत्रों के स्तर पर भी बातचीत जारी है।

1.27 भारत ने पिछले दिनों, चीन की सशस्त्र सेनाओं के साथ कुछ सहयोग शुरू किया है। दोनों ही देशों के नौसेना पोत एक-दूसरे देश का दौरा कर रहे हैं और भारत के मध्यम स्तर के अफसर चीन के संस्थानों के पाठ्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। वर्ष 2002-03 के दौरान उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडलों ने एक-दूसरे के देशों का दौरा किया।

अन्य पड़ोसी देश

बांग्लादेश

1.28 भारत और बांग्लादेश के संबंधों की विशेषता एक ओर घनिष्ठता तथा दूसरी ओर कभी कभार उत्पन्न होने वाला मनमुटाव दोनों ही हैं। मुख्य सुरक्षा चिंताएं हैं, 4000 कि.मी. की साझी-रेखा के पार से अनियंत्रित प्रवास की समस्या, जिसे बांग्लादेश मानने से इंकार करता है, भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र से विद्रोही दलों तथा नेताओं की बांग्लादेश की भूमि पर उपस्थिति तथा उनकी गतिविधियां, जिसे बांग्लादेश स्वीकार नहीं करता, बांग्लादेश नेशनल पार्टी के नेतृत्व वाली साझी सरकार के अंदर तथा बाहर कट्टर तथा अतिवादी मुस्लिम रूख वाले राजनैतिक दलों तथा संगठनों का बढ़ता प्रभाव, सीमांकन तथा सीमा प्रबंधन संबंधी समस्याएं जो समय-समय पर अप्रिय घटनाओं को जन्म देती हैं। तस्करी, अवैध प्रवास, विद्रोह, महिलाओं और बच्चों का अवैध व्यापार तथा सीमा संबंधी ढांचों के निर्माण, मरम्मत तथा रखरखाव जैसी सीमा प्रबंधन समस्याओं का समाधान सीमा सुरक्षा बल तथा बांग्लादेश राइफल के बीच सीमा समन्वय कान्फ्रेंसों के माध्यम से तथा एन्क्लेवों की अदला-बदली तथा प्रतिकूल कब्जों का समाधान इस प्रयोजनार्थ गठित संयुक्त सीमा कार्य समूहों के माध्यम से किया जाता है। चुनावों के बाद, भारत ने अपने पूर्वी पड़ोसी के साथ सीधे-सपाट ढंग से सभी मुद्दों पर लगातार बातचीत करने की नीति जारी रखी है।

नेपाल

1.29 भारत और नेपाल के बीच लगातार व्यापक और गहरे संबंध रहे हैं जिनमें दो राष्ट्रों के बीच ऐतिहासिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक और भाषायी संपर्क प्रतिबिंबित होता है। इन निकट संबंधों को ध्यान में रखते हुए भारत और नेपाल के बीच अनेक उच्च स्तरीय वार्ताएं हुईं। रक्षा संबंध भी पारंपरिक रूप से गहरे रहे हैं।

1.30 वर्ष के दौरान एक ओर नेपाल राजनीतिक और संवैधानिक संकट से गुजर रहा था और दूसरी ओर माओवादियों की बढ़ती विद्रोही गतिविधियों और हिंसा से घिरा हुआ था, जो नेपाल के मुख्य क्षेत्रों के रूप में मध्य पश्चिम से पश्चिमी जिलों के साथ लगभग सभी जिलों में फैल गई थी।

1.31 सुरक्षा संबंधी चिंता बढ़ने का दूसरा क्षेत्र नेपाल में पाक आईएसआई और नेपाल के मुस्लिम अल्पसंख्यकों के बीच आतंकवादी संगठनों की बढ़ती गतिविधियां हैं।

श्रीलंका

1.32 वर्षों से श्रीलंका में जातीय संघर्ष ने भारत की राजनीति तथा सुरक्षा को आंतरिक तथा बाह्य रूप में गंभीर रूप से प्रभावित किया है, जिसके कारण आतंकवादी कार्रवाई में पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या हुई तथा स्थिति को संभालने के प्रयास में भारतीय सशस्त्र सेनाओं को गंभीर नुकसान उठाना पड़ा। इससे भारत के शत्रु या अमित्र देशों के लिए वैमनस्यपूर्ण ढंग से भारत के सुरक्षा हितों के विरुद्ध एक आधार खड़ा करने की संभावना उत्पन्न हो गई है। भारत में लिट्टे को एक आतंकवादी संगठन के रूप में अभिनिषिद्ध किया गया है तथा इसके नेताओं को कानून के अंतर्गत घोषित अपराधी माना गया है।

1.33 श्रीलंका में जातीय संघर्ष के बारे में भारत सरकार की नीति का मील का पत्थर श्रीलंका की एकता, संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता के प्रति दृढ़ वचनबद्धता है तथा श्रीलंका के समाज के सभी वर्गों की न्यायोचित भावनाओं को पूरा करने वाली स्थायी शांति की स्थापना शांतिपूर्ण बातचीत के माध्यम से हो। राजनीतिक मोर्चे पर भारत श्रीलंका की सरकार की शांति प्रक्रिया संबंधी गतिविधियों का समर्थन जारी रखता है। भारत सरकार ने यह कहते हुए युद्ध विराम समझौते का स्वागत किया कि इससे दोनों पक्षों को जातीय संघर्ष का बातचीत के जरिए राजनीतिक समाधान निकालने के लिए सार्थक बातचीत का अवसर मिलेगा।

म्यांमार

1.34 म्यांमार न केवल उन पूर्वोत्तर विद्रोही गुटों की गतिविधियों के कारण भारत के सुरक्षा हित का क्षेत्र रहा है, जिन्होंने भारतीय सीमा के पार कैंप बनाए हैं, बल्कि भारत की कानूनी सुरक्षा चिंताओं के विरुद्ध काम करने वाले देशों की गतिविधियों और इन हितों पर लोकतांत्रिक और सैनिक सरकार की सेनाओं के बीच संघर्ष की प्रतिक्रियाओं के कारण भी हैं। भारत म्यांमार के अपने बाह्य संबंधों में अधिक खुलेपन

और आंतरिक रूप से राजनीतिक समाधान की तरफ बढ़ने का स्वागत करता है।

भूटान

1.35 भारत के संबंध भूटान के साथ घनिष्ठ मित्रता, अच्छे पड़ोसी और आपसी विश्वास पर आधारित हैं, जिनकी आधारशिला आर्थिक और सामाजिक विकास के क्षेत्र और उच्च स्तरीय यात्राओं की परंपरा में मजबूत और विविध आपसी हित की भागीदारी पर टिकी हुई है।

1.36 परंपरागत रूप से भूटान भारत की सुरक्षा चिंताओं के प्रति संवेदनशील तथा विवेकपूर्ण रहा है। दोनों देश समान रूप से दक्षिणी भूटान में उल्फा-बोडो आतंकवादियों की उपस्थिति के मुद्दे पर एक-दूसरे के निकट संपर्क में रहे हैं।

अफगानिस्तान

1.37 भारत अफगानिस्तान में बदलते परिदृश्य पर कड़ी नज़र रख रहा है, क्योंकि इसका प्रभाव जम्मू-कश्मीर राज्य सहित इस क्षेत्र और देश के सुरक्षा परिवेश पर पड़ता है। भारत यह नहीं देखना चाहेगा कि अफगानिस्तान एक बार फिर आतंकवाद की जन्मभूमि बने अथवा उसके सीमापार से प्रायोजित आतंकवाद का शिकार बन जाए। भारत काबुल में रक्षा अताशे की नियुक्ति करने वाले पहले देशों में से था। वर्ष के दौरान भारत-अफगानिस्तान के संबंध बढ़े हैं और उनमें सुदृढ़ता आई है।

1.38 सामान्यत: अफगानिस्तान की स्थिति में सुधार हुआ है, तथापि अफगानिस्तान के महत्वपूर्ण हिस्सों में सुरक्षा स्थिति अभी तक स्थिर नहीं हुई है। दो वरिष्ठ मंत्रियों की हत्या कर दी गई है। उत्तरी और पश्चिमी अफगानिस्तान में भिन्न-भिन्न समूहों के बीच सशस्त्र झड़पें हुई हैं। परन्तु तालिबान और अलकायदा के बचे-खुचे लोगों और दक्षिणी तथा पूर्वी अफगानिस्तान में गुलबुद्दीन हिकमतयार की सेनाओं का पुन: इकट्ठा होना विशेष चिंता का कारण है।

मध्य एशियाई गणराज्य

1.39 मध्य एशिया के सामरिक मानचित्र में पूर्ववर्ती सोवियत संघ के विघटन से लगभग अकल्पित परिवर्तन हुए हैं। शीत युद्ध के बाद से यह न केवल अपनी अवस्थिति बल्कि अपने प्राकृतिक संसाधनों, बेशुमार तेल और प्राकृतिक गैस के कारण भी नया 'बड़ा खेल' का मंच बन गया है। 9/11 से इसने क्षेत्र की मध्यवर्ती सुरक्षा चिंता अर्थात् अपने स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक पहलुओं में आतंकवाद की तुलना में इसके पुराने बिन्दु के कारण सामरिक हित का नया रूप भी अर्जित कर लिया है। आईएसआई सहित पाकिस्तानी हरावलों की मध्य एशियाई गणराज्यों में कट्टरवादी तत्वों को भर्ती करने और उन्हें प्रशिक्षण देने तथा उग्रवादी आंदोलनों को प्रोत्साहित करने जैसी अस्थिरता पैदा करने वाली गतिविधियों को व्यापक तौर पर देखा गया है। इसके इस क्षेत्र में प्रभाव डालने और भारत विरोधी गतिविधियां बढ़ाने के लिए दोहरे उद्देश्य हैं। बड़े खिलाड़ी (देश) अपने-अपने हित साधने के लिए रक्षा कूटनीति का सक्रिय रूप से इस्तेमाल कर रहे हैं।

1.40 मध्य एशिया का क्षेत्र भारत के लिए न केवल इसकी भौगोलिक समीपता और ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक संबंधों के कारण अत्यधिक महत्वपूर्ण है, बल्कि जेहादी आतंकवाद से उत्पन्न आम चुनौती के कारण भी अत्यधिक महत्व रखता है। खुले और प्रगतिशील समाज, धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्र के लिए आपसी वचनबद्धता पर आधारित संबंधों में आतंकवाद के विरुद्ध लड़ने में वैचारिक साम्यता पर बल दिया गया है। भारत और मध्य एशिया के देश भी नशीले पदार्थों की तस्करी की जांच करने के संबंध में विचारों का आदान-प्रदान करते हैं।

1.41 मध्य एशियाई देशों के साथ संबंध परस्पर हितों और चहुंमुखी वृद्धि को प्रतिध्वनित करते हैं। आर्थिक संबंधों में धीरे-धीरे सुधार आ रहा है। रक्षा मंत्री ने अप्रैल, 2002 में तजाकिस्तान की और फरवरी, 2003 में उज्बेकिस्तान की यात्रा की। वरिष्ठ स्तर के अन्य अधिकारियों ने भी यात्राएं कीं। रक्षा के क्षेत्र में सुरक्षा संवाद और सशस्त्र सेना कार्मिकों के प्रशिक्षण के रूप में सहयोग हुआ, जिनमें से बहुत से इस समय भारतीय रक्षा प्रशिक्षण स्थापनाओं द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों में भाग ले रहे हैं।

एशिया प्रशांत

1.42 धार्मिक रूढ़िवाद और आतंकवाद की प्रतिध्वनि दक्षिण-पूर्व एशिया के भागों विशेष रूप से इन्डोनेशिया में भी सुनाई दी थी जहां अक्तूबर, 2002 में बाली में हुए एक बम विस्फोट में तकरीबन एक सौ पर्यटक मारे गए थे। बाली बम विस्फोट की घटनाओं ने दक्षिण-पूर्व एशिया को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का प्रमुख स्थान बना दिया और इसने इस्लामिक आतंकवाद की उभरती हुई धुरी के रूप में अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का ध्यान केन्द्रित किया। सहयोगात्मक सुरक्षा से पहले विवादास्पद कब्जा करने के सिद्धांतों के कारण बढ़ते हुए आतंकवाद की समस्या का वैकल्पिक हल खोजने की दृष्टि से इस क्षेत्र की सहायता जैसे

कारणों ने अमरीका को इस क्षेत्र में अपनी सेना भेजने के लिए प्रेरित किया। आगे डी पी आर के परमाणु कार्यक्रम की बाबत गतिरोध से डी पी आर के परमाणु इरादों और परमाणु प्रौद्योगिकी के कुछ संसाधनों से एशिया से अन्यत्र भी खतरे के संकेत व्याप्त हो गए हैं।

1.43 भारत एशिया प्रशांत की परिधि में और दक्षिण-पूर्व एशिया के कुछ देशों की समुद्री सीमाओं में हिस्सेदार होना भारत के लिए महत्वपूर्ण बात है। इसे ध्यान में रखते हुए भारत ने आतंकवाद और तत्संबंधी मसलों जैसे कि नशीले पदार्थों की तस्करी, लोगों की अवैध आवा-जाही, छोटे हथियारों के सीमापार से किए जा रहे धन्धे, समुद्री डकैती आदि के बारे में संबंधित सरकारों के साथ विचार-विमर्श शुरू किया है। नवंबर, 2002 में नोमपेन्ह में हुई भारत-एशियान शिखर वार्ता में प्रधान मंत्री ने आतंकवाद पर एशियान घोषणा-पत्र में अंशदान करने के निर्णय से अवगत कराया था और इस क्षेत्र में भारत-एशियाई सहयोग पर इसी तरह की घोषणा करने की इच्छा भी व्यक्त की थी।

1.44 दक्षिण-पूर्व एशिया और प्रशांत देशों के साथ धीरे-धीरे रक्षा सहयोग संबंध बढ़ रहे हैं। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से उच्च स्तर पर द्विपक्षीय दौरे करना, सामरिक बातचीत करना, प्रोटोकॉल, परस्पर प्रशिक्षण और कुछ रक्षा उपस्करों के स्रोतों में सहयोग करना शामिल है। इनके आगे विकास की संभावनाएं अच्छी हैं। मलेशिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, आस्ट्रेलिया और लाओस के साथ रक्षा सहयोग के लिए कार्यतंत्र पहले से ही विद्यमान है और इनमें से अधिकांश प्रक्रिया समापन पर हैं। मलेशिया-भारत रक्षा समिति की चौथी बैठक सितंबर, 2002 में और भारत-आस्ट्रेलिया सामरिक बातचीत मार्च, 2003 में आयोजित की गई थी, जिनमें सुरक्षा मामलों में अभिसारी और सहयोग के नए क्षेत्रों की खोज करने के अवसर प्रदान किए गए। भारत और जापान के बीच रक्षा आदान-प्रदानों और आर ओ के में भी परस्पर मान्यता को प्रदर्शित किया गया कि दोनों देशों के बीच शांति और स्थिरता के अनुरक्षण के वास्ते यह सार्थक कारक था।

पश्चिम एशिया/खाड़ी देश

1.45 भारत का सुरक्षा परिवेश निकटवर्ती पश्चिम एशिया क्षेत्र के सुरक्षा परिवेश के साथ सुदृढ़तापूर्वक जुड़ा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्य के रूप में भारत हिंसा और प्रतिहिंसा के कुचक्र और पश्चिम एशिया में बिगड़ती गंभीर सुरक्षा स्थिति के परिणामस्वरूप गंभीरता से चिंतित है और बार-बार तनाव को समाप्त करने की बात कहता है।

1.46 फारस की खाड़ी में अमरीका और इराक के बीच बढ़ते तनाव का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के तत्वावधान में राजनयिक प्रयासों की विफलता के साथ अंतत: 20 मार्च, 2003 को युद्ध के रूप में विस्फोट हो गया। संपूर्ण राजनीतिक तथा सुरक्षा संबंधी जटिलताएं अभी भी अनसुलझी हैं तथा इनका मूल्यांकन करने में समय लगेगा, परंतु यह मानना सुरक्षित होगा कि उनका सामरिक प्रभाव निकट भविष्य में नहीं पड़ेगा।

यूरोप

1.47 भारत के यूरोपीय संघ और संबंधित सदस्य देशों के साथ रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में संबंधों में प्रशिक्षण आदान-प्रदान, संयुक्त अभ्यास और रक्षा अधिप्राप्ति, उत्पादन और अनुसंधान तथा विकास सहित बड़े पैमाने पर कार्यकलाप शामिल हैं। फ्रांस के साथ उच्चतम कार्यपालक स्तरों पर सुरक्षा संबंधी बातचीत करने के लिए एक कार्यतंत्र विद्यमान है। इंग्लैंड और इटली के साथ रक्षा सहयोग के लिए कार्यतंत्र भी मौजूद है। संवर्धित स्तर के सहयोग की व्यवस्था करने वाले रक्षा सहयोग संबंधी नए करारों पर इटली और पोलैंड के साथ इटली के रक्षा मंत्री और पोलैंड के प्रधान मंत्री की फरवरी, 2003 में भारत यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे। यूरोप में जर्मनी, चैक गणराज्य, उक्रेन और बेलारूस जैसे अन्य देशों के साथ रक्षा संबंधी आदान-प्रदान भी बढ़ाया जा रहा है। रक्षा अधिप्राप्ति और उत्पादन के संबंध में यूरोप के साथ सहयोग अभी बड़ा हो सकता है, यदि ऐसा कार्यतंत्र न हो जिससे संविदाओं को पूरा करने में और बाह्य राजनीतिक धरातल पर संबंध में अनिश्चितता आ जाए। फ्रांस के साथ बढ़ते हुए संबंध यह दर्शाते हैं कि फ्रांस के प्रधान मंत्री की फरवरी, 2003 में बेंगलूर के एयरो इंडिया हवाई प्रदर्शन में शिरकत इस बात का प्रतीक है कि बिना किसी भेदभाव के उत्तर-दक्षिण संबंधों के सामान्य दौर से उन्नत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में रक्षा औद्योगिक संबंधों के नए अध्याय को शुरू करने की अच्छी संभावनाएं हैं।

रूस

1.48 भारत रूस के संबंध वर्ष के दौरान सामरिक, राजनीतिक, रक्षा, सुरक्षा तथा आर्थिक क्षेत्रों में स्थिर, सर्वतोन्मुखी एवं दूरगामी बने रहे। दोनों पक्षों ने सामरिक और आपसी सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं पर गहन विचार-विमर्श जारी रखा।

1.49 द्विपक्षीय सहयोग को कई बैठकों तथा दोनों देशों के उच्चाधिकारियों की यात्राओं के जरिए मजबूती प्रदान की गई। रक्षा मंत्री ने 10-13 अप्रैल, 2002 तक रूसी संघ का दौरा किया। सैन्य तकनीकी सहयोग संबंधी अंतर-सरकारी आयोग का तीसरा सत्र जनवरी, 2003 में मास्को में आयोजित किया गया, जिसकी सह-अध्यक्षता रक्षा मंत्री एवं रूसी संघ के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा उद्योग मंत्री श्री इया क्लेबनोब ने की। उक्त सत्र में अधिप्राप्ति, लाइसेंसशुदा उत्पादन, अनुसंधान एवं विकास, उत्पाद सहायता एवं रक्षा क्षेत्र में सहयोग के नये क्षेत्रों एवं स्वरूपों पर चर्चा हुई।

संयुक्त राज्य अमेरिका

1.50 शीत युद्ध के अंत एवं बदलते अंतर्राष्ट्रीय परिवेश की वजह से भारत-अमरीकी संबंधों में गुणात्मक परिवर्तन आ रहा है। सहयोग एवं विचार-विमर्श काफी व्यापक और विस्तृत हुए हैं। दोनों देशों ने माना है कि भारत-रूस के बीच गहन संबंध इस क्षेत्र की स्थिरता तथा वैश्विक मामलों के लिए एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक बात होगी।

1.51 गत वर्ष के दौरान भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच रक्षा और सुरक्षा संबंधों में काफी प्रगति हुई है। इन मामलों पर वर्धित द्विपक्षीय कार्रवाई के एक हिस्से के रूप में, पाकिस्तान द्वारा जारी सीमापार के आतंकवाद तथा सामरिक संबंध स्थापित करने के समान लक्ष्य का अनुसरण करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण द्विपक्षीय दौरे और बैठकें हुई हैं। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग की गति को और तेज करने के लिए शीर्ष स्तरीय रक्षा नीति समूह जिसका पुनरारंभ दिसंबर, 2001 में हुआ था, की दूसरी बैठक मई 2002 में हुई। रक्षा नीति समूह के अतिरिक्त सेना, नौसेना एवं वायु सेना के द्विपक्षीय कार्यकारी संचालन समूह, सुरक्षा सहयोग समूह (रक्षा आपूर्ति संबंध को बढ़ाने के लिए) तथा संयुक्त तकनीकी समूह (रक्षा क्षेत्र में रक्षा अनुसंधाान एवं विकास के सहयोग को बढ़ाने के लिए) बैठकें भी आयोजित की गई हैं अथवा किए जाने का कार्यक्रम हैं। भारत और अमेरिका ने प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आदान-प्रदान में वृद्धि करने के अलावा एक-दूसरे के यहां परस्पर लाभकारी संयुक्त अभ्यास भी किए हैं।

1.52 11 सितंबर, 2001 को अमेरिका पर तथा 13 दिसंबर, 2001 को संसद पर हुए आतंकवादी हमलों के कारण अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत और अमेरिका के बीच सहयोग गहरा हुआ है।

आतंकवाद

1.53 11 सितंबर, 2001 को पश्चिमी देशों के आतंकवाद की भयानक वास्तविकता से अवगत होने से काफी पहले से ही भारत कई दशकों से आतंकवाद का शिकार रहा है। जम्मू-कश्मीर में व्याप्त आतंकवाद

नाभिकीय, जैविक, रासायनिक युद्ध के प्रति सुरक्षा गियर से लैस

की जड़ें पाकिस्तान में हैं और पाकिस्तान की सरकार तथा वहां की संस्थाएं धन तथा सामान देकर इनकी सहायता करती हैं। भारतीय सशस्त्र सेनाओं ने सीमापार से आतंकवाद की समस्या का एक बहु-आयामी रणनीति से मुकाबला किया है, जिसमें मनोवैज्ञानिक युद्ध पद्धति, नवीन सैन्य रणनीतियां तथा प्रति आसूचना पद्धतियां शामिल हैं। ये प्रयास काफी हद तक सफल हुए हैं किंतु यह एक लंबी चलने वाली लड़ाई है। भारत का आतंकवाद से निपटने का लंबा अनुभव उन देशों, जो इस समय इसी प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, के लिए काफी सहायक हो सकता है।

1.54 किसी भी आतंकवादी मुहिम को रोकने के लिए सरकार का संकल्प तथा सशस्त्र बलों की दृढ़ता आवश्यक है। आतंकवाद के विरुद्ध भारत की लड़ाई लंबी और कठिन रही है तथा भारतीय सशस्त्र सेनाएं भविष्य में उत्पन्न होने वाली किसी भी समस्या का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। राज्य द्वारा किसी भी प्रकार के आतंकवाद को समर्थन दिया जाना बंद होना आवश्यक है। आतंकवादी संगठनों के हाथ बहुत लंबे हैं तथा उनकी पहुंच पूरे विश्व में है। अत: इस विपत्ति को दुनिया से समाप्त करने के लिए विश्व को संसाधनों को एकत्रित करके एक संयुक्त लड़ाई लड़नी होगी।

भारत की परमाणु नीति

1.55 भारत सामान्य तथा संपूर्ण नि:शस्त्रीकरण का दृढ़ तथा स्थायी प्रस्तावक रहा है तथा वैश्विक परमाणु नि:शस्त्रीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। भारत की नि:शस्त्रीकरण नीति में विश्व में होने वाले परिवर्तनों, विशेषकर 1990 के दशक में हुए परिवर्तनों का ध्यान रखा गया है। मई, 1998 के परमाणु परीक्षणों से इस उद्देश्य के प्रति भारत की प्रतिबद्धता में कोई कमी नहीं आई है। परमाणु हथियार संपन्न देश के रूप में भारत इस संबंध में अपनी जिम्मेदारी के प्रति और अधिक सचेत है तथा पहले की तरह वैश्विक परमाणु नि:शस्त्रीकरण के लिए भारत एकल तथा सामूहिक–दोनों रूप से प्रयास जारी रखे हुए है। परीक्षणों के बाद घोषित कदमों तथा भारत के उसके बाद किए गए प्रयासों ने इस प्रतिबद्धता को और सुदृढ़ किया है।

1.56 भारत की परमाणु हथियार क्षमता केवल आत्म-रक्षा के लिए तथा केवल यह सुनिश्चित करने के लिए है कि भारत की सुरक्षा, स्वतंत्रता और अखंडता को भविष्य में कोई खतरा न हो। भारत की परमाणु हथियारों की दौड़ में कोई रुचि नहीं है। भारत की परमाणु नीति के दो आधारों अर्थात् 'न्यूनतम निवारक' तथा 'पहले इस्तेमाल नहीं' के पीछे यही मूलाधार है। सटीक एवं परिशुद्ध डिलीवरी सिस्टम सहित इस निवारक की रूपरेखा का निर्धारण एक प्रमुख जिम्मेवारी है।

1.57 मई, 1998 को की गई परीक्षण श्रृंखला के समापन के बाद भारत ने आगे से भूमिगत परमाणु परीक्षण विस्फोट करने के संबंध में स्वैच्छिक स्थगन की घोषणा की है। इस स्थगन की घोषणा में भारत ने परीक्षण रोक की मूल अनिवार्यता स्वीकार की है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की परीक्षणों को बंद करने से संबंधित आम इच्छा को भी माना है। प्रत्येक देश को व्यापक परमाणु परीक्षण रोक संधि (सीटीबीटी) के तहत प्रदत्त सर्वोच्च राष्ट्रीय हितों के प्रावधान के अधीन यह स्थगन जारी है। भारत ने भी इस स्वैच्छिक वचनबद्धता को विधि-सम्मत रूप देने की दिशा में आगे बढ़ने के प्रति अपनी इच्छा की घोषणा की है।

नियोजन संबंधी विचार

1.58 ऊपर बताए गए सुरक्षा परिवेश से चार महत्वपूर्ण कारक स्पष्ट रूप से सामने आते हैं, जो हमारे सुरक्षा नियोजन के महत्वपूर्ण कारक हैं। ये हैं :–

(क) भारतीय सशस्त्र बलों पर द्विमुखी दायित्व है, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें पाकिस्तान तथा चीन से अपनी सीमाओं की सुरक्षा करनी है;

(ख) भारत किसी भी सैन्य गुट अथवा सामरिक समूह का सदस्य नहीं है तथा यह हमारी नीतियों के अनुरूप भी नहीं है, अत: एक सुनिश्चित स्वतंत्र निवारक क्षमता रखनी आवश्यक है;

(ग) बाहरी उकसावे के कारण भारत के सुरक्षा बलों को अपेक्षाकृत सामान्य से काफी बड़े पैमाने पर आंतरिक सुरक्षा कार्यों में लगे रहना पड़ता है, जिसके लिए एक ऐसा बल ढांचा होना आवश्यक है जो इस अपेक्षा की पूर्ति कर सके; और

(घ) उत्तरी हिन्द महासागर में हमारे हितों तथा हमारे विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र और द्वीपीय क्षेत्रों की सुरक्षा के मद्देनज़र हमें अपनी जिम्मेदारियों के अनुरूप समुद्री क्षमता बनाए रखने की जरूरत है।

2

रक्षा मंत्रालय के संगठन और उनके कार्य

गणतंत्र दिवस परेड, 2003 में प्रदर्शन हेतु टी-90 एस टैंक

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

2.1 1776 में, ईस्ट इण्डिया कम्पनी की गवर्नमेंट के तहत कलकत्ता में एक मिलिट्री डिपार्टमेंट का सृजन किया गया था। इसका मुख्य कार्य ईस्ट इण्डिया कम्पनी सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा जारी किए गए सेना से संबंधित आदेशों की जांच करके उनको रिकार्ड करना था। प्रारंभ में, मिलिट्री डिपार्टमेंट, पब्लिक डिपार्टमेंट की एक शाखा के रूप में कार्य करता था और सेना कार्मिकों की एक सूची तैयार करके रखता था।

2.2 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा ईस्ट इण्डिया कम्पनी सरकार के सचिवालय का सैन्य विभाग सहित चार विभागों में पुनर्गठन किया गया और प्रत्येक विभाग का प्रमुख, सरकार के एक सचिव को बनाया गया। अप्रैल, 1895 में एकीकृत भारतीय सेना के रूप में गठन किए जाने तक बंगाल, मुंबई और मद्रास प्रेसीडेंसियों की सेना संबंधित प्रेसीडेंसी आर्मी के ही रूप में कार्य करती रही। प्रशासनिक सुविधा के लिए इसे चार कमानों अर्थात् पंजाब (पश्चिमोत्तर सीमावर्त्ती क्षेत्र सहित), बंगाल, मद्रास (बर्मा सहित) और मुम्बई (सिंध, क्वेटा और अदन सहित) में विभाजित किया गया था।

2.3 भारतीय सेना का सर्वोच्च प्राधिकारी इंग्लैंड के राजा के नियंत्रण के अधीन गवर्नर जनरल-इन-काउंसिल होता था, जिसका इस्तेमाल भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा किया जाता था। काउंसिल में सैन्य कार्यों के लिए दो सदस्य उत्तरदायी होते थे। जिनमें से एक सैन्य सदस्य होता था जो सभी प्रशासनिक और वित्तीय मामलों का पर्यवेक्षण करता था। दूसरा सदस्य कमांडर-इन-चीफ होता था जो सभी संक्रियात्मक मामलों के लिए उत्तरदायी होता था। मिलिट्री डिपार्टमेंट को मार्च, 1906 में समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर दो विभाग, आर्मी डिपार्टमेंट और मिलिट्री सप्लाई डिपार्टमेंट बना दिए गए। अप्रैल, 1909 में मिलिट्री सप्लाई डिपार्टमेंट को समाप्त कर दिया गया था और उसके कार्यों को आर्मी डिपार्टमेंट द्वारा ले लिया गया था। आर्मी डिपार्टमेंट का जनवरी, 1938 में डिफेंस डिपार्टमेंट के रूप में पुनः नामकरण किया गया। 1947 में डिफेंस डिपार्टमेंट एक कैबिनेट मंत्री के अधीन रक्षा मंत्रालय बन गया।

स्वातंत्रयोत्तर संगठनात्मक गठन और कार्य

2.4 15 अगस्त, 1947 को, प्रत्येक सेना को उसके अपने कमांडर-इन-चीफ के अधीन रखा गया। संविधान के अंतर्गत, सशस्त्र सेनाओं की सर्वोच्च कमान राष्ट्रपति में निहित की गई। 1955 में कमांडर-इन-चीफ की उपाधि समाप्त कर दी गई थी और तीनों सेनाध्यक्षों के पदनाम सेनाध्यक्ष, नौसेनाध्यक्ष तथा वायुसेनाध्यक्ष रखे गये थे। नवंबर 1962 में रक्षा उपस्करों के अनुसंधान विकास तथा उत्पादन संबंधी कार्य के लिए रक्षा उत्पादन विभाग का गठन किया गया था। नवंबर, 1965 में रक्षा प्रयोजनों के लिए आयात आवश्यकताओं के प्रतिस्थापन के लिए योजनाएं बनाने तथा उनके कार्यान्वयन के लिए पूर्ति विभाग बनाया गया था। बाद में इन दोनों विभागों को मिलाकर रक्षा उत्पादन तथा पूर्ति विभाग बना दिया गया। रक्षा सेनाओं द्वारा प्रयुक्त सैन्य उपस्करों, अनुसंधान तथा उपस्करों के डिजाइन से संबंधित वैज्ञानिक पहलुओं के संबंध में रक्षा मंत्री को सलाह देने के लिए एक वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। 1980 में रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग बनाया गया।

2.5 सशस्त्र सेनाओं का मुख्य दायित्व राष्ट्र की प्रादेशिक अखण्डता को सुनिश्चित करना है। रक्षा मंत्रालय देश की रक्षा के संदर्भ में नीतिगत ढांचा तैयार करता है और सशस्त्र सेनाओं के लिए साधन जुटाता है ताकि वे अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर सकें।

विभाग

2.6 रक्षा मंत्रालय में तीन विभाग अर्थात् रक्षा विभाग, रक्षा उत्पादन एवं पूर्ति विभाग और रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग हैं। रक्षा सचिव, रक्षा विभाग के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं और इसके अलावा, मंत्रालय के तीनों विभागों के कार्यों में समन्वय बनाए रखते हैं। इन विभागों के प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं :-

(i) रक्षा विभाग तीनों सेनाओं और विभिन्न अंतर-सेवा संगठनों से संबंधित कार्य करता है। यह विभाग रक्षा बजट, स्थापना मामलों, रक्षा नीति, संसदीय मामलों, अन्य देशों के साथ रक्षा सहयोग और इन सभी कार्यकलापों के समन्वय संबंधी कार्य के लिए उत्तरदायी है।

(ii) रक्षा उत्पादन तथा पूर्ति विभाग के प्रमुख एक सचिव है और यह विभाग रक्षा उत्पादन कार्यों, आयात किए जाने वाले सामान, उपस्करों और कल पुर्जों के देशीकरण, आयुध निर्माणी बोर्ड

और रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों की विभागीय उत्पादन इकाइयों के बारे में योजना तैयार करने तथा उस पर नियंत्रण रखने से संबंधित कार्य करता है।

(iii) रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग के प्रमुख एक सचिव हैं जो रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार भी हैं। इनका कार्य सैन्य उपस्करों और संभारतंत्र से संबंधित वैज्ञानिक पहलुओं पर सरकार को सलाह देना और तीनों सेनाओं के इस्तेमाल में आने वाले साज-सामान के अनुसंधान, डिजाइन और विकास कार्यों के लिए योजनाएं तैयार करना है।

2.7 रक्षा मंत्रालय के वित्त विभाग के प्रमुख सचिव, रक्षा (वित्त) हैं। उनका कार्य रक्षा बजट से किए जाने वाले खर्च से संबंधित प्रस्तावों पर वित्तीय नियंत्रण रखना होता है और आंतरिक लेखा परीक्षा और रक्षा व्यय का हिसाब-किताब रखना भी उनका दायित्व है। बाद वाले काम के लिए रक्षा लेखा महानियंत्रक उनकी सहायता करते हैं।

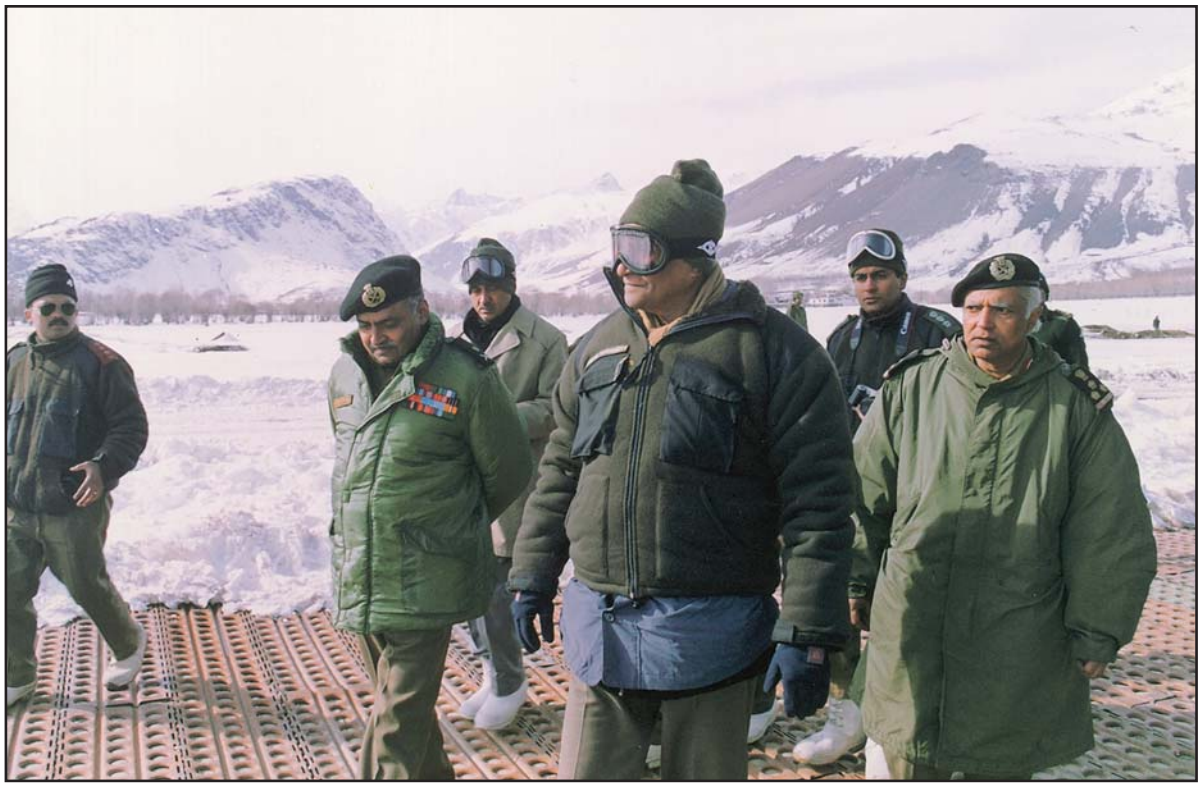

रक्षा मंत्री अग्रिम क्षेत्र में

समितियां

2.8 रक्षा संबंधी क्रियाकलापों से जुड़ी कई समितियां रक्षा मंत्री की सहायता करती हैं। रक्षा मंत्री साप्ताहिक बैठकें बुलाते हैं जिसमें रक्षा सचिव, सचिव, रक्षा उत्पादन तथा पूर्ति, रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार, सचिव, रक्षा (वित्त), प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिव, विदेश सचिव और तीनों सेनाओं के अध्यक्ष भाग लेते हैं। इन बैठकों में राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण गतिविधियों की समीक्षा की जाती है और इन पर विचार-विमर्श किया जाता है।

2.9 सेनाध्यक्षों की समिति ऐसा मंच है जिसमें तीनों सेनाध्यक्ष, सेनाओं के कार्यकलापों को प्रभावित करने वाले मामालों पर विचार करते हैं और इस संबंध में मंत्रालय को सलाह देते हैं। सेनाध्यक्ष के रूप में सबसे अधिक सेवा वाला अधिकारी इस समिति का अध्यक्ष बनता है और इस तरह बारी-बारी से तीनों सेनाओं के अध्यक्ष समिति के अध्यक्ष बनते हैं। सेनाध्यक्षों की समिति का कार्य सुविधाजनक बनाने के लिए कई उप समितियों का गठन किया गया है।

2.10 इस मंत्रालय का मुख्य काम रक्षा और सुरक्षा सभी मामलों में सरकार से नीति-निर्देशन प्राप्त करना और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए तीनों सेना मुख्यालयों, अंतर-सेवा संगठनों, उत्पादन स्थापनाओं और अनुसंधान तथा विकास संगठनों को भेजना है। मंत्रालय को यह भी सुनिश्चित करना होता है कि सरकार के नीति-निर्देशों को प्रभावी रूप से कार्यान्वित किया जाए और अनुमोदित कार्यक्रमों का निष्पादन आवंटित संसाधनों के अंतर्गत किया जाए। रक्षा मंत्रालय के

विभागों द्वारा किए जाने वाले कार्यों की सूची परिशिष्ट-I में दी गई है।

2.11 तीनों सेना मुख्यालयों अर्थात् सेना मुख्यालय, नौसेना मुख्यालय और वायुसेना मुख्यालय क्रमशः सेनाध्यक्ष, नौसेनाध्यक्ष और वायुसेनाध्यक्ष के अधीन कार्य करते हैं। संबंधित सेना मुख्यालयों में प्रधान स्टॉफ अफसर उनकी सहायता करते हैं। रक्षा विभाग के अधीनस्थ अंतर-सेवा संगठन, तीनों सेनाओं की सामान्य जरूरतों जैसे चिकित्सा सुविधा, जन संपर्क, सेना मुख्यालयों में रक्षा सिविलियनों का कार्मिक प्रबंध, आदि को पूरा करने के लिए उत्तरदायी हैं।

2.12 पहली अप्रैल, 2002 से रक्षा मंत्रालय के मंत्रियों, तीनों सेनाध्यक्षों और मंत्रालयों के तीनों विभागों के सचिवों और सचिव, रक्षा (वित्त) के पदों पर कार्यरत अधिकारियों से संबंधित सूचना परिशिष्ट-II में दी गई है।

रक्षा प्रबंधन में सुधार

2.13 तेजी से बदल रहे भू-सामरिक सुरक्षा परिवेश में राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति अनेक प्रकार की मौजूदा और संभावित दोनों ही चुनौतियों हमारी सुरक्षा प्रक्रियाओं की समय-समय पर पुनर्मूल्यांकन की मांग करती हैं ताकि उनका मुकाबला किया जा सके। सरकार ने इसे दृष्टिगत रखते हुए स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार समग्र राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली की व्यापक समीक्षा करवाई थी। यह समीक्षा 17 अप्रैल, 2000 को गठित एक मंत्री-समूह द्वारा की गई थी। मंत्री समूह में गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और वित्त मंत्री शामिल थे। मंत्री समूह ने (i) आंतरिक सुरक्षा (ii) सीमा प्रबंधन (iii) आसूचना उपकरण और (iv) रक्षा प्रबंधन के क्षेत्रों में से प्रत्येक में एक-एक अर्थात् कुल चार कार्य-दल गठित किए थे, जो प्रकृतितः बहु-विषयक थे और उनमें जाने-माने विशेषज्ञ शामिल थे ताकि इनके कार्य को सुचारु बनाया जा सके। मंत्री-समूह की सिफारिशें, जिनका उद्देश्य सिविल और सैन्य संघटकों का एकीकरण करना और सशस्त्र सेनाओं में 'एकजुटता' एवं 'सहक्रिया' सुनिश्चित करना है, सरकार द्वारा 11 मई, 2001 को अनुमोदित की गई।

2.14 मंत्रीसमूह की रिपोर्ट में, जहां तक 'रक्षा प्रबंधन' का संबंध है, अन्य उपायों के साथ-साथ एक रक्षा स्टाफ प्रमुख का सृजन करना, एक रक्षा अधिप्राप्ति बोर्ड का सृजन करना, एक रक्षा अनुसंधान एवं विकास बोर्ड का सृजन करना, 15-20 वर्षों के लिए एक संपूर्ण एवं एकीकृत रक्षा परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करना, एक राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना करना, प्रभावी मीडिया प्रबंधन करना, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह कमान एवं सामरिक बल कमान की स्थापना करना, सेना मुख्यालयों का रक्षा मंत्रालय के साथ एकीकरण करना और सेनाओं को और अधिक प्रशासनिक व वित्तीय शक्तियां प्रत्यायोजित करना शामिल थे।

2.15 मंत्री समूह द्वारा रक्षा सुधारों के बारे में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की प्रक्रिया 2001 में आरंभ की गई। इन सुधारों से सिविल और सैन्य संघटकों के एकीकरण के वास्ते संगठनों, संरचनाओं और प्रक्रियाओं में सुधार हुआ है। कुछ बड़े सुधारों का ब्यौरा निम्नलिखित पैराओं में दिया गया है।

2.16 **एकीकृत रक्षा स्टाफ :** रक्षा स्टाफ प्रमुख के सृजन के लिए मंत्री-समूह की सिफारिश के बारे में सरकार द्वारा अभी तक निर्णय नहीं लिया गया है और इस संबंध में राजनीतिक दलों के साथ विचार-विमर्श किया जाना है। तथापि, सरकार ने सेनाओं में अधिक एकजुटता सुनिश्चित करने और अंतरसेना एवं अंतः सेना प्राथमिकता तय करने के लिए सेनाध्यक्षों की समिति के अध्यक्ष के एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख की अध्यक्षता में एक एकीकृत रक्षा स्टाफ का गठन किया है ताकि सेनाध्यक्षों की समिति और इसके अध्यक्ष को उनकी भूमिकाओं और कार्यों के इष्टतम कार्य-निष्पादन में सहायता दी जा सके। सेनाध्यक्षों की समिति के अध्यक्ष के एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख, एकीकृत रक्षा स्टाफ का पर्यवेक्षण तथा सभी बहुसेना निकायों और रक्षा संकट प्रबंधन समूह की अध्यक्षता करते हैं। वे एकीकृत सेना मुख्यालय के साथ परामर्श एवं समन्वय करके तीनों सेनाओं के लिए दीर्घावधि योजनाओं, पंचवर्षीय योजनाओं तथा वार्षिक बजटीय प्रस्तावों के समन्वय-कार्य के लिए भी उत्तरदायी हैं। सेनाध्यक्षों की समिति के अध्यक्ष के एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख पुनर्रचना प्रस्तावों के माध्यम से बल स्तरों और क्षमताओं के विकास के प्राथमिकीकरण पर सरकार को सलाह देते हैं। समग्र राष्ट्रीय क्षमता का विशुद्ध आकलन करते हैं, सेना मुख्यालयों से परामर्श करके संयुक्त सिद्धांत बनाते हैं, रक्षा सेवाओं के कार्मिकों के लिए संयुक्त योजना तथा सैन्य शिक्षा संबंधी नीति और कार्यक्रमों की संकल्पना करते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति गैर-परंपरागत एवं अपरंपरागत खबरों की बाबत प्रत्युत्तर का विकास करने के लिए सलाह देते हैं और सशस्त्र सेनाओं में

अपेक्षित एकजुटता सुनिश्चित करने के लिए किए जाने वाले उपायों तथा अंत:सेवा एवं अन्तर-सेवा प्राथमिकताकरण के जरिए आयोजना की कार्यकुशलता का प्रभाव को बढ़ाने के सुझाव देते हैं।

2.17 **रक्षा आसूचना एजेंसी :** सरकार ने सेनाओं के आसूचना स्कंधों में समन्वय एवं सहक्रिया के लिए महानिदेशक, रक्षा आसूचना एजेंसी के तहत रक्षा आसूचना एजेंसी की भी स्थापना की है। रक्षा आसूचना एजेंसी की रक्षा प्रबंधन के उच्च पदाधिकारियों को एकीकृत आसूचना जानकारी उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी है।

2.18 **रक्षा अधिप्राप्ति परिषद :** सरकार ने समग्र नई योजना प्रक्रिया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ दीर्घावधि परिप्रेक्ष्य योजना की पूंजीगत अधिप्राप्तियों के लिए सैद्धांतिक रूप में अनुमोदन देना और प्रत्येक पूंजीगत अधिप्राप्ति कार्यक्रम के लिए सैद्धांतिक रूप में अनुमोदन देना शामिल है, के संबंध में निर्णय लेने के लिए रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में एक रक्षा अधि प्राप्ति परिषद का गठन किया है। रक्षा अधिप्राप्ति परिषद के निर्णय निम्नलिखित तीन बोर्डों द्वारा कार्यान्वित किए जाने हैं :-

(i) रक्षा सचिव की अध्यक्षता में रक्षा अधिप्राप्ति बोर्ड;

(ii) सचिव (रक्षा उत्पादन एवं आपूर्ति) की अध्यक्षता में रक्षा उत्पादन बोर्ड; और

(iii) सचिव (रक्षा उत्पादन तथा विकास) की अध्यक्षता में रक्षा अनुसंधान तथा विकास बोर्ड

इन बोर्डों को विशिष्ट कार्य सौंपे गए हैं। विशेष सचिव (अधिप्राप्ति) की अध्यक्षता में एक रक्षा अधिप्राप्ति स्कंध का भी रक्षा अधिप्राप्ति बोर्ड के कार्य में सहायता देने के लिए सृजन किया गया है।

2.19 इन नई संरचनाओं से तीनों सेनाओं के लिए अधिप्राप्तियों से संबंधित क्षेत्रों में एकीकृत रूप से तेजी से निर्णय लेने में सुविधा होगी और इसके साथ-साथ इनसे उपस्करों शस्त्रास्त्रों तथा शस्त्रास्त्र प्रणालियों की अधिप्राप्तियों की प्रक्रिया में उच्चतर दर्जे की पारदर्शिता तथा लागत प्रभावकारिता आएगी।

2.20 **रक्षा प्रौद्योगिकी परिषद :** सरकार द्वारा रक्षा प्रौद्योगिकियों से संबंधित अनुसंधान, विकास और उत्पादन को बढ़ावा देने और उसके विकास के लिए मार्गदर्शन तथा पर्यवेक्षण उपलब्ध कराने के प्रयोजन से रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में रक्षा प्रौद्योगिकी परिषद का गठन किया गया है। रक्षा प्रौद्योगिकी परिषद दीर्घावधि परिप्रेक्ष्य योजनाओं और पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित विशिष्ट रक्षा परियोजनाओं के बारे में संपूर्ण निर्णय लेने में रक्षा अधिप्राप्ति परिषद की सहायता करेगा।

2.21 **अंडमान तथा निकोबार कमान :** अंडमान तथा निकोबार में अक्टूबर, 2001 में कमांडर-इन-चीफ के अधीन पहली त्रिसेना संयुक्त कमान स्थापित की गई थी, जो अंडमान निकोबार में स्थित तीनों सेनाओं तथा तटरक्षक के सभी बल संघटकों का नियंत्रण करता है। कमांडर-इन-चीफ, अंडमान तथा निकोबार कमान सेनाध्यक्षों की समिति के अध्यक्ष को रिपोर्ट करता है।

2.22 **सामरिक परिसंपत्तियों का प्रबंधन :** हमारे सुरक्षा परिवेश के नाभिकीय, रासायनिक और जैविक आयामों को दृष्टिगत रखते हुए और सामरिक परिसंपत्तियों का पहले इस्तेमाल न करने की हमारी वचनबद्धता का अनुसरण करते हुए सरकार ने सामरिक परिसम्पत्तियों को प्रशासित करने के लिए अपेक्षित संरचनाओं की स्थापना को अनुमोदित कर दिया है और सामरिक बल कमान भी स्थापित की है।

2.23 **प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन:** एकीकृत सेना मुख्यालयों को उनके कार्य में और अधिक स्वायत्ता प्रदान करने के लिए उन्हें विभिन्न प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियां प्रत्यायोजित की गई है। निर्णय लेने की शक्तियों के विकेन्द्रीयकरण से सेनाओं का निर्णय लेने वाला तंत्र सुदृढ़ हुआ है और उसका स्तरोन्नयन हुआ है। उच्चतर वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन, अधिक दक्षता और जवाबदेही सहित लागत-प्रभावकारिता से रक्षा संबंधी व्यय प्रणाली में वांछित पारदर्शिता आई है।

रक्षा व्यय

2.24 इस अध्याय के दो चार्टों में वर्ष 2000-01, 2001-02, 2002-03 (संशोधित आकलन) और 2003-04 (बजट आकलन) के लिए रक्षा व्यय के सेना/विभागवार ब्यौरे कुल रक्षा व्यय के प्रतिशत के रूप में सेना/विभागवार ब्यौरे दिए गए हैं।

रक्षा व्यय का सेना/विभाग-वार ब्यौरा

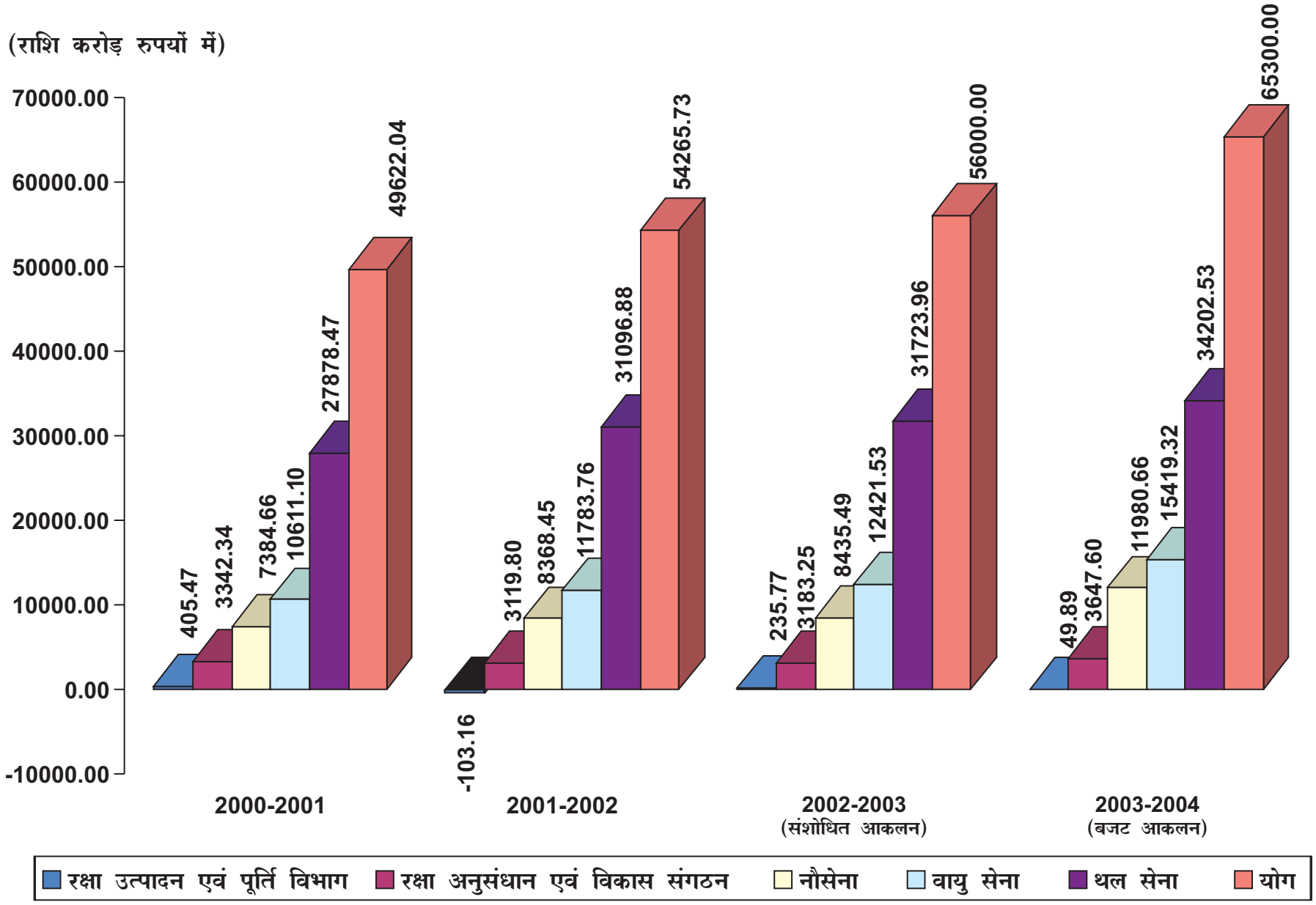

कुल रक्षा व्यय 2003-04 (बजट आकलन) की प्रतिशतता के रूप में सेना/विभाग-वार व्यय

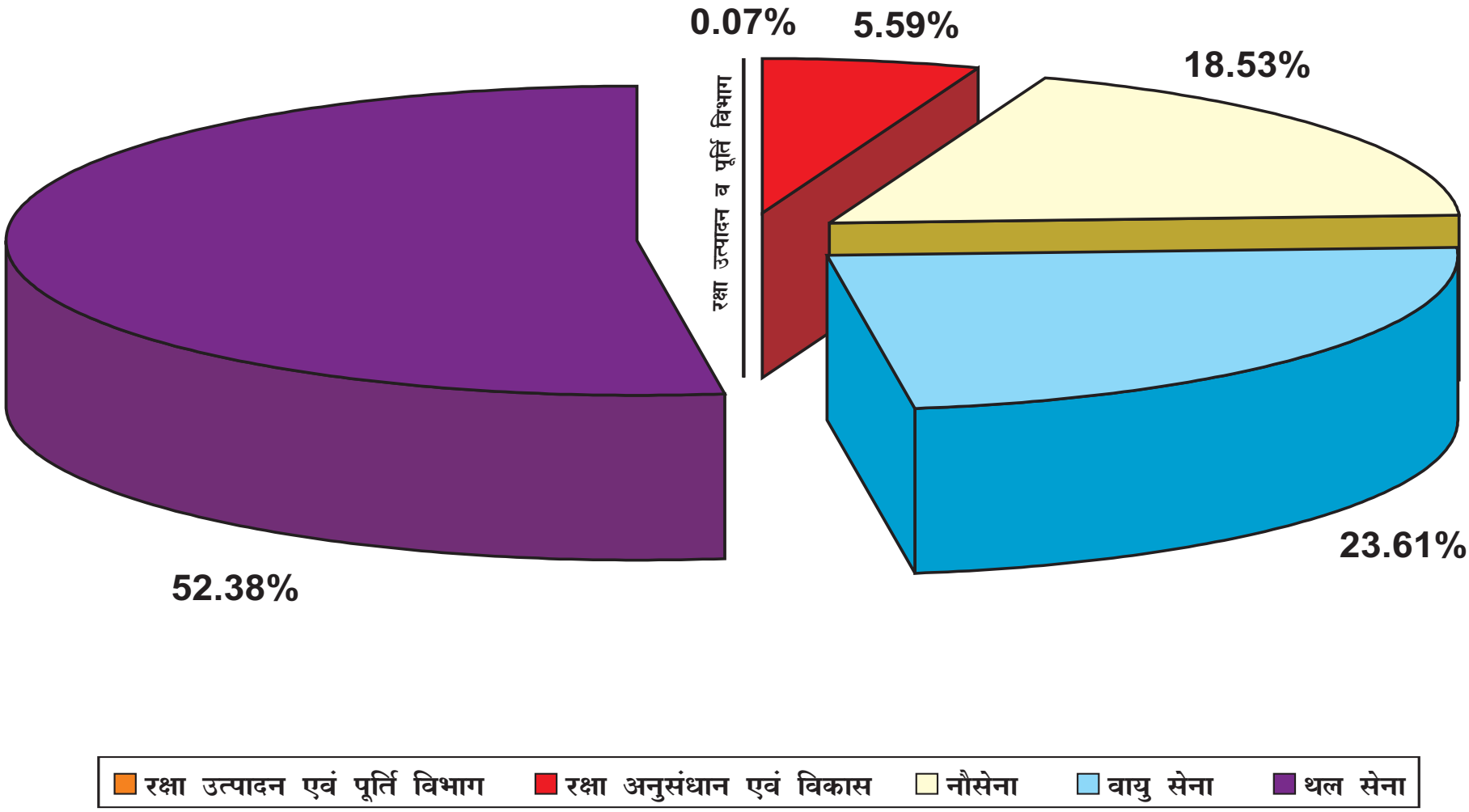

3

भारतीय सेना

इंफैंट्री और शस्त्रास्त्र - एक घातक संयोजन

3.1 सेना का मुख्य कार्य देश की बाहरी आक्रमण से रक्षा करना और उसकी प्रभुसत्ता और प्रादेशिक अखंडता बनाए रखना है। हमारी सेनाओं को हमारी प्रादेशिक अखंडता बनाए रखने का कार्य सौंपा गया है। इसके अतिरिक्त सेना को आवश्यकतानुसार देश के भीतर उपद्रवों के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि बाढ़, भूकंप, चक्रवात इत्यादि के दौरान राहत कार्य करने के लिए भी बुलाया जाता है। अपनी बहुउद्देशीय भूमिकाओं को निभाने के लिए सेना को निरंतर आधुनिक उपयुक्त संरचना, शस्त्रों से सुसज्जित और प्रशिक्षित रखना होगा।

ऑपरेशन पराक्रम

3.2 सशस्त्र सेनाओं को पाकिस्तान द्वारा सीमापार से सक्रिय आतंकवादी गतिविधियों को विफल करने के लिए दिसम्बर 2001 में लामबन्द किया गया था। सशस्त्र सेनाओं की इस कामयाबी के बाद उन्हें किसी भी आपातकाल से निर्णायक ढंग से निपटने के लिए उनकी क्षमता में कमी किए बिना और जम्मू-कश्मीर की चौकसी कम किए बिना अक्टूबर 2002 में पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय बार्डर से हटा लिया था।

भारतीय सेना की शस्त्र प्रणालियों और उपस्करों का आधुनिकीकरण

3.3 वर्ष के दौरान सेना के शस्त्रों और शस्त्र प्रणालियों को उनकी समाघात क्षमता बढ़ाने और आधुनिक युद्ध की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनके आधुनिकीकरण और अपग्रेड करने के विभिन्न उपाय तथा परियोजनाएं कार्यान्वित की गयीं। इनके विषय में परवर्ती पैराग्राफों में बताया गया है।

(i) **आर्मर्ड कोर :** टी-90 टैंक का समावेश किया गया । ये टैंक अत्याधुनिक हैं, इनमें रात में हमला करने की क्षमता है और ये उन्नत आर्मर सुरक्षा से लैस हैं। मौजूदा टी-72 टैंकों को इन सभी विशेषताओं से सुसज्जित करने के लिए थर्मल इमेजरी आधारित साइटिंग और फायर कंट्रोल सिस्टम का ट्रायल किया गया। मौजूदा टी-55 टैंकों का भी इमेज इंटेसिफायर नाइट विजन डिवाइसेस के लिए ट्रॉयल किया गया।

(ii) **आर्टिलरी :** नयी श्रेणी की मल्टी बैरल राकेट लांचिंग प्रणाली का समावेश किया गया। मौजूदा 130 मि.मी. फील्ड गनों को 155 मि. मी. में अपग्रेडेड किया जा रहा है। रेडारों का पता लगाने वाले शस्त्रों की नयी श्रेणी के लिए भी अनुबंध किया गया और विभिन्न प्रकार के अत्यंत परिशुद्ध टर्मिनली गाइडेड एम्युनिशन और प्रोजेक्टाइलों का समावेश किया गया।

(iii) **इंफैन्ट्री :** लड़ाकू सैनिकों का इष्टतम उपयोग करने और समाघात क्षमता बढ़ाने की दृष्टि से इन्फैन्ट्री बटालियन को पुनर्गठित करने के लिए एक बहुत बड़ा प्रयास किया गया। इन्फैन्ट्री यूनिटों को विभिन्न प्रकार के उन्नत हथगोलों और राकेट लांचर के साथ-साथ ग्राउंड पोजिशन रिसीवर सिस्टम मुहैया करायी गयी।

(iv) **एयर डिफेंस आर्टिलरी :** सेना ने स्वयं ही सिमुलेटर सिस्टम 'द्रोण' का सफलतापूर्वक विकास किया जिसका विभिन्न शस्त्रों पर लक्ष्यभेदन में सुधार करने के लिए सैनिकों को सेना में ही लागत प्रभावी ढंग से प्रशिक्षित करने के लिए प्रयोग किया जाएगा।

(v) **सिगनल :** विशेष बल इस बात पर दिया गया कि सेनाओं को विशेषकर जवाबी विद्रोही ऑपरेशनों के लिए अद्यतन, उपयुक्त और प्रभावी संचार सिस्टम से सुसज्जित किया जाए। इन उपस्करों में फ्रीक्वेंसी होपिंग और एनक्रिप्शन सुविधा वाले रेडियो सेट तथा मैकेनाइज्ड फोरसेज और इन्फैन्ट्री के लिए उच्च आवृत्ति और अत्युच्च आवृत्ति सेट तथा एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचार के लिए वाइड बैंड रेडियो रिले सेट शामिल हैं। अग्रवर्ती क्षेत्रों में विश्वस्त और स्थायी संचार के लिए अत्यंत छोटे अपर्चर टर्मिनल वाला सुरक्षित नेटवर्क शुरू किया गया। सेना स्थैतिक संचार नेटवर्क फेस-3 का शुभारंभ किया गया जिसे आगे कश्मीर घाटी और उत्तर-पूर्व में लागू करने की योजना है।

(vi) **इंजीनियर्स :** अब तक निर्यात किये जाने वाले आक्रमण पुलों का निर्माण अब रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के मार्गनिर्देशन और मदद से देश में ही किया जा रहा है। देश में निर्मित 'सर्वत्र' पुल आयातित ए एम-50 पुल सेट से

कार्रवाई करते हुए टी-72 टैंक

गुणवत्ता में श्रेष्ठ है। आतंकवादियों और राष्ट्रविरोधी तत्वों द्वारा इस्तेमाल किये जा रहे उच्च किस्म के उन्नत विस्फोटक यंत्रों (आई ई डी), विशेषकर घुसपैठ वाले क्षेत्रों में, से निपटने के लिए अत्यंत आधुनिक प्रतिकारक उन्नत विस्फोटक यंत्र प्राप्त किये जा रहे हैं और इन क्षेत्रों में तैनात यूनिटों को इन्हें जारी किया जा रहा है।

प्रतिविद्रोही संक्रियाएं

जम्मू और कश्मीर

3.4 जम्मू और कश्मीर में सेना और राष्ट्रीय राइफल्स अन्य सुरक्षा बलों के साथ मिलकर प्रतिविद्रोही संक्रियाओं के निरंतर दबाव से राज्य में सुरक्षा स्थिति को और अधिक बिगड़ने से रोकने में काफी कामयाब रही है। सेना की मुख्य रणनीति नियंत्रण रेखा की पूर्ण हिफाजत करते हुए नियंत्रण रेखा के पार से आतंकवादियों की घुसपैठ को कम से कम करना है। निस्संदेह नियंत्रण रेखा के पार से घुसपैठ में कमी आई है, विशेषकर वर्ष के शुरू के छः महीनों में किंतु वर्ष के बाद के छः महीनों में घुसपैठ में फिर तेजी आई है, विशेषकर जम्मू और कश्मीर चुनावों से पहले और चुनावों के दौरान। आतंकवादी नियंत्रण रेखा के पार से घुसपैठ का निरंतर प्रयास कर रहे हैं और सेना ने ऐसे प्रयासों को निष्फल कर दिया है। भीतरी प्रदेशों में सेना अन्य सुरक्षा बलों के साथ मिलकर घुसपैठियों की गतिविधियों को नियंत्रित करने में सक्षम रही है। सेना और अन्य सुरक्षा बलों की संक्रियाओं का असर जम्मू और कश्मीर में चुनावों के सफल संचालन में स्पष्ट दिखाई पड़ता है, चुनावों का सफल संचालन आतंकवादियों की हिंसा फैलाने की धमकियों और जम्मू और कश्मीर के लोगों को डराने और चुनाव प्रक्रिया रोकने, जिनमें चुनाव रैलियों पर हमले करना और राजनेताओं की हत्या करना शामिल है, के गंभीर और नियमित प्रयासों के बावजूद संभव हुआ है। 54वें गणतंत्र दिवस समारोह में भी कश्मीर घाटी समेत पूरे जिला स्तर तक राज्य के लोगों ने पूरे जोश के साथ हिस्सा लिया।

उत्तर-पूर्व

3.5 उत्तर-पूर्व में दशाब्दी पुरानी विद्रोही स्थिति की गंभीरता में काफी कमी आई है। नागालैण्ड में शांति और अमन चैन के स्पष्ट संकेत नागालैण्ड राष्ट्रीय समाजवादी परिषद (एन एस सी एन), उत्तर-पूर्व में सबसे पुराने प्रतिविद्रोही दल के दोनों गुटों के साथ युद्धविराम का सीधा परिणाम है। इसके साथ ही बोडो लिबरेशन टाइगर्स (बी एल टी) के साथ शांतिवार्ताओं से इस क्षेत्र में आशा की किरण जगी है। इस क्षेत्र में अन्य विद्रोही दलों के विरुद्ध सुरक्षा बलों की कार्रवाई ने इस दल की गतिविधियों को काफी हद तक सीमित कर दिया है।

3.6 उत्तर-पूर्व में विद्यमान सुरक्षा वातावरण के मुख्य पहलुओं को संक्षेप में नीचे दिया जा रहा है :-

(क) **असम :** असम में एकीकृत मुख्यालय के तत्वावधान में सुरक्षा बलों द्वारा चलाए गए गहन सैन्य संक्रियाओं ने यूनाइटेड लिब्रेशन

पेड़ की चोटी से चौकसी - नागालैण्ड

फ्रन्ट ऑफ असम (उल्फा) और नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैण्ड (एन डी एफ बी), दोनों की गतिविधियों को काफी हद तक सीमित कर दिया है। सुरक्षा बलों द्वारा उल्फा कैडरों पर भारी गोलाबारी की गई।

(ख) **नागालैण्ड :** नागालैण्ड राष्ट्रीय समाजवादी परिषद (आई एम) के साथ अगस्त 1997 से लागू युद्ध विराम को एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। सरकार ने भी अप्रैल 2001 से एन एस सी एन (के) के साथ युद्धविराम समझौता किया है। एन एस सी एन के दो गुटों द्वारा गैर-कानूनी गतिविधियों की छिटपुट घटनाओं के बावजूद राज्य में सामान्य स्थिति शांतिपूर्ण है।

(ग) **मणिपुर :** राज्य में स्थिति सामान्यत: नियंत्रण में है और घाटी स्थित विद्रोही दलों की गतिविधियां भी निम्नतम हैं। किन्तु विभिन्न गुटों, मुख्यत: यू एन एल एफ - एन एस सी एन (के) संयुक्त और एन एस सी एन (आई एम) के बीच टर्फ वार लगातार जारी है।

(घ) **त्रिपुरा :** त्रिपुरा में सुरक्षा बलों द्वारा चलाए गए ऑपरेशनों से नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स का बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण संभव हो सका है। इन ऑपरशेनों के कारण दोनों गुटों की गतिविधियां काफी नियंत्रित हो गई हैं।

संयुक्त राष्ट्र की शांति स्थापना ऑपरेशन

3.7 संयुक्त राष्ट्र के समूचे तत्वावधान में शांति स्थापना ऑपरेशन की प्रासंगिकता और महत्व बढ़ गया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के शांति स्थापना मिशनों के लिए सेना और सामग्री का सबसे अधिक योगदान दिया है। भारतीय सेना के अफसर और सैन्य दल लेबनान, इथियोपिया - इरिट्रिया, कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य, अंगोला और कुवैत में शांति स्थापना मिशनों ने नीचे दिए अनुसार सक्रिय रूप से शामिल हुए हैं।

(क) **लेबनान :** एक भारतीय इन्फैन्ट्री बटालियन ग्रुप के अलावा 651 कार्मिकों के स्टाफ कार्मिकों को लेबनान (यू एन आई एफ आई एल) के संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में शांति बनाए रखने के लिए तैनात किया गया है। इस मिशन का सेना कमांडर भारतीय सेना अफसर है।

(ख) **इथोपिया - इरिट्रिया :** इथोपिया और इरिट्रिया (यू एन एम ई ई) में शांति बनाए रखने की संक्रियाओं के लिए भारतीय दल को तैनात किया गया है जिसमें इन्फैन्ट्री बटालियन, यंत्रीकृत कंपनी, इंजीनियर कंपनी, सिगनल कोर, सेना चिकित्सा कोर, वैद्युत और यांत्रिक इंजीनियर तथा सेना शिक्षा कोर के कार्मिक शामिल हैं। इस मिशन में भारतीय सेना का 1548 कार्मिकों वाला सबसे बड़ा सहयोगी दल है। इंजीनियरी निर्माण कंपनी ने यू एन एम ई ई के दायित्व वाले संपूर्ण क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों को सराहनीय ढंग से पूरा किया है। यू एन आई एफ आई एल और यू एन एम ई ई दोनों में ही भारतीय दल स्थानीय लोगों को मानवीय और चिकित्सा सहायता प्रदान कर रहा है जिसके कारण इसे अत्यधिक ख्याति और अंतरराष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हो रहा है।

(ग) **डी आर सी (कांगो) :** डी आर सी (कांगो) (एम ओ एन यू सी) के यू एन मिशन में भारतीय सेना के 40 अफसर सैन्य प्रेक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं।

(घ) **कुवैत :** संयुक्त राष्ट्र इराक कुवैत प्रेक्षक मिशन (यू एन आई के ओ एम) में फरवरी तक भारतीय सेना के आठ अफसर सैन्य प्रेक्षक के रूप में कार्य कर रहे थे।

राष्ट्रीय राइफल्स

3.8 सेना के संक्रियात्मक नियंत्रणाधीन एक पैरा मिलिट्री दल राष्ट्रीय राइफल्स वर्ष 1990 में अपनी स्थापना के बाद से ही जम्मू और कश्मीर के परोक्ष युद्ध और विद्रोहिता के प्रति जवाबी लड़ाई में मुख्य विशेषीकृत बल के रूप में शामिल हो गया है। इस वर्ष राष्ट्रीय राइफल्स में छ: और बटालियन शामिल करने की मंजूरी दी गई जिससे इसकी नफरी बढ़कर 54 बटालियनों की हो गई है। टूपों के उच्च प्रेरणा स्तर और अच्छे प्रशासन के कारण राष्ट्रीय राइफलों का संक्रियात्मक कार्यनिष्पादन असाधारण रहा है। लेकिन परोक्ष युद्ध और विद्रोह के खिलाफ जवाबी लड़ाई में सफलता बिना मूल्य चुकाए प्राप्त नहीं हुई, इसके लिए राष्ट्रीय राइफल्स के कई बहादुर अफसरों और कार्मिकों ने अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए अपने जीवन की आहुति दी है।

3.9 राष्ट्रीय राइफल्स टूपों ने अपने संबंधित क्षेत्रों के अनेक सद्भावना मिशनों को अपने हाथ में लिया। इसमें स्कूल चलाना, चिकित्सा सहायता प्रदान करना और सेना तथा स्थानीय लोगों के बीच मैत्रीपूर्ण मैच

आयोजित करना शामिल है। ऐसे कार्यक्रमों में सिविल जनता से आशातीत सहयोग प्राप्त हुआ जिससे राष्ट्रीय राइफल्स ट्रुपों की ख्याति और अधिक बढ़ गई।

प्रादेशिक सेना

3.10 प्रादेशिक सेना (टी ए) की कुल 35 यूनिटों को 'ऑपरेशन पराक्रम' के लिए संघटित किया गया। इसमें प्रादेशिक सेना की 31 गैर विभागीय और चार विभागीय यूनिटें शामिल थीं।

3.11 प्रादेशिक सेना के साथ-साथ प्रादेशिक सेना के प्रबंध के संबंध में कार्य बल की संवीक्षा के लिए सरकार ने एक समिति गठित की जिसने अपनी सिफारिशें भेज दी हैं।

प्रशिक्षण

3.12 सेना के जूनियर कमीशनप्राप्त अफसरों और गैर-कमीशनप्राप्त अफसरों को प्रशिक्षण देने के लिए इस वर्ष एक जूनियर लीडर्स अकादमी, सेना के लिए दूसरा ऐसा संस्थान, रामगढ़ में स्थापित करने की मंजूरी दी गई। इस अकादमी को अंत में स्थायी रूप से आनंदपुर साहिब, पंजाब में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

ऑपरेशन पराक्रम के दौरान जवानों से मिलते हुए रक्षा मंत्री

साहसिक और खेल-कूद गतिविधियां

3.13 **विमानवाहित अफ्रीका - 2002 :** अभ्यास विमानवाहित अफ्रीका - 2002, नाम से एक अंतरराष्ट्रीय विमानवाहित समाघात तैयारी प्रतियोगिता 1 जून से 15 जून, 2002 तक बोत्सवाना में आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में विभिन्न महाद्वीपों से 12 देशों का प्रतिनिधित्व करने वाली कुल 28 टीमों ने भाग लिया। 10 पैरा (विशेष बल) से दो टीमों ने भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व किया। प्रतियोगिता कार्यक्रम थका देने वाला था जिसमें टीमों को कालाहारी मरुस्थल के उत्तरी भाग में 80 कि.मी. से अधिक की दूरी तीन दिन में तय करनी थी और इसके साथ ही इसमें अन्य गतिविधियां जैसे सहनशक्ति परीक्षा मार्च, क्रॉसकंट्री नेवीगेशन, हताहतों की निकासी, होम रन और समाघात निशानेबाजी शामिल थीं। सहनशक्ति परीक्षा मार्च प्रतियोगिता में दोनों भारतीय टीमों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रथम और द्वितीय स्थान हासिल किया और इसी प्रकार की अन्य प्रतिस्पर्धाओं में भी शीर्ष सम्मान हासिल किए।

3.14 **पाल नौका दौड़ 2002 :** ''सेल दि गल्फ'' प्रतियोगिता एक प्रतिष्ठित प्रतियोगिता है जिसका आयोजन दोहा पाल नौकायान संघ के तत्वावधान में दोहा में किया गया। पाल नौका दौड़ प्रतियोगिता 2002 में विश्वभर के 21 देशों का प्रतिनिधित्व करने वाली 100 नौकाओं ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में वैद्युत और यांत्रिक इंजीनियरी कोर के नायब सूबेदार राजेश चौधरी ने भारत का प्रतिनिधित्व लेजर क्लास सेल बोट प्रतियोगिता में किया। भारत ने यह खिताब और अन्य सात दौड़ों में से पांच दौड़ जीतकर अपनी श्रेष्ठता का प्रदर्शन किया।

3.15 **अंटार्कटिका अभियान :** इस अभियान में सेना की भागीदारी 1982-83 के द्वितीय अभियान से आरंभ हुई जब इसके तीन अफसरों के एक छोटे दल को, जिसमें एक चिकित्सा अफसर भी था, इस अभियान का अंग बनाया गया। तब से आज तक सेना हर वर्ष इन अभियानों के आयोजन में हिस्सा ले रही है। इन अभियानों में सेना की भागीदारी मुख्य रूप से समुद्र विकास विभाग की सहायता करने में रही है। इसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्य शामिल हैं :

(क) स्थायी स्टेशनों का निर्माण।

(ख) स्टेशनों की मरम्मत, रख-रखाव और प्रसार।

(ग) स्टेशन में सभी जीवन सहायता प्रणालियों का संचालन करना और उनका रख-रखाव।

(घ) अंटार्कटिका में सैनिकों और सामग्री का स्थल मार्ग से परिवहन।

3.16 **संयुक्त भारत-बंगलादेश व्हाइट-वाटर राफ्टिंग अभियान :** भारतीय राफ्टिंग दल और बंगलादेश के सैन्य कार्मिकों का एक संयुक्त अभियान मध्य नवम्बर 2002 में सफलतापूर्वक पूरा किया गया। इस दल ने 10 नवम्बर से 14 नवम्बर, 2002 के बीच गंगा नदी में कर्णप्रयाग से ऋषिकेश तक नीचे आते हुए राफ्टिंग की।

3.17 **संयुक्त भारत-भूटान मोटर साइकिल अभियान:** 14 अक्तूबर 2002 से 20 अक्तूबर 2002 तक एक संयुक्त मोटर साइकिल अभियान आयोजित किया गया। भूटान के गृह-मंत्री श्री ल्योन्पो थिनले ग्याम्त्शो ने 14 अक्तूबर 2002 को थिम्फू से हरी झंडी दिखाकर इस अभियान दल को रवाना किया। इस दल ने आठ मुख्य दर्रों को पार करते हुए कुल 1380 किमी. दूरी तय की, इन दर्रों में से सबसे ऊंचा दर्रा 3988 मीटर की ऊंचाई पर था। यह अभियान 20 अक्तूबर 2002 को हा में भूटान के प्रधानमंत्री ही ल्यान्पो (डॉ.) किन्जैंग डोरजी के झंडा दिखाने के साथ संपन्न हो गया।

3.18 **भारतीय सेना के निशानेबाज :** महू स्थित सेना निशानेबाजी यूनिट का राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी के क्षेत्र में प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा। 24 जुलाई 2002 से 4 अगस्त 2002 तक मेनचेस्टर में हुए सतरहवें राष्ट्रमंडल खेलों में सेना निशानेबाजी यूनिट के प्रशिक्षित निशानेबाजों ने देश के लिए अनेक पदक जीते। निशानेबाजी की प्रतिस्पर्धा में, भारतीय सैन्यदलों द्वारा जीते गए कुल 14 स्वर्ण, 7 रजत और 3 कांस्य पदकों में से सेना के छह निशानेबाजों ने 6 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते।

3.19 **अन्नपूर्णा-1 पर्वतारोहण अभियान :** 6 मई, 2002 को सेना के चार पर्वतारोहियों ने हिमालय की 8091 मीटर ऊंची अन्नपूर्णा 1 चोटी पर चढ़ाई पूरी कर भारतीय पर्वतारोहण के इतिहास में एक और गौरवपूर्ण अध्याय जोड़ दिया। यह चोटी संसार की सर्वाधिक ऊंची चोटियों में से एक है। इस चोटी की चढ़ाई अत्यधिक खड़ी और खतरनाक होने के कारण अब तक बहुत कम पर्वतारोही इस पर चढ़ने में सफल हुए हैं।

कल्याण कार्य

3.20 15 अगस्त 1947 से 30 अप्रैल 1999 के बीच युद्ध में शहीद हुए जवानों के निकट संबंधियों को राष्ट्रीय रक्षा निधि और सेना केन्द्रीय कल्याण निधि में से एकमुश्त पचास-पचास हजार रुपए दिए गए हैं। 15 अगस्त 1949 से 30 अप्रैल 1999 के बीच (ऑपरेशन विजय कारगिल के अतिरिक्त) सेना से निकाले गए अशक्त सैनिकों को सेना केन्द्रीय कल्याण निधि में से एकमुश्त एक लाख रुपये दिए गए।

3.21 सेना केन्द्रीय कल्याण निधि एक निकाय के रूप में स्थापित की गई है जिसके लिए जनता और विभिन्न संगठनों/कॉर्पोरेट हाउसों ने उदारतापूर्वक चंदा दिया है। इस निधि निकाय की वार्षिक आय का इस्तेमाल शहीदों के परिवारों और युद्ध में अशक्त हुए सैनिकों के पुनर्वास और कल्याण कार्यों के लिए किया जाता है।

3.22 **सेना शिक्षा केन्द्र (ए सी ई) :** सैन्य कार्मिकों के आश्रितों को शिक्षा प्रदान करने के लिए पंचमढ़ी स्थित ए ई सी प्रशिक्षण कॉलेज और केन्द्र में सेना कल्याण शिक्षा सोसाइटी के अधीन सेना शिक्षा केन्द्र की स्थापना की गई। सेना स्कूल, सेना पब्लिक स्कूल और व्यावसायिक संस्थान प्रबंध, इंजीनियरी, कानून, दंत विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी इत्यादि के क्षेत्र में बेहतर शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। सैन्य कार्मिकों के शारीरिक और मानसिक रूप से अविकसित बच्चों को शिक्षा देने के लिए 27 स्कूल भी चलाए जा रहे हैं।

3.23 **युद्ध में शहीद सैनिकों की विधवाओं के बच्चों के लिए होस्टल :** युद्ध में शहीद सैनिकों की विधवाओं के बच्चों को आवास सुविधा मुहैया कराने के लिए 36 होस्टल स्थापित किए जा चुके हैं और 6 अन्य होस्टल तैयार किए जा रहे हैं।

3.24 **शहीदों की विधवाओं के लिए कल्याणकारी योजनाएं :** शहीदों की विधवाओं को आर्थिक सहायता देने, रोजगार के अवसर मुहैया कराने इत्यादि के लिए आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और गोवा के एरिया मुख्यालय, सभी सब एरिया और स्टेशन मुख्यालयों में विधवा कल्याण कार्य सेल स्थापित किए गए हैं।

3.25 **नेपाल के लिए चिकित्सा कल्याण दल :** इस वित्त वर्ष के दौरान नेपाल में रहने वाले भारतीय सेना में कार्यरत कार्मिकों के आश्रितों तथा भूतपूर्व सैनिकों का उपचार करने के लिए 15 चिकित्सा कल्याण दल तैयार किए गए हैं जिन्हें नेपाल भेजा जाएगा।

3.26 **सेना कल्याण समिति :** कल्याण परियोजनाओं को कार्यरूप देने के लिए जून 1998 में यह समिति गठित और पंजीकृत की गयी। सेना द्वारा कई छावनियों में अशक्त बच्चों के लिए 28 व्यावसायिक - पुनर्वास प्रशिक्षण स्कूल चलाए जा रहे हैं। इन स्कूलों को चलाने के लिए आर्थिक व्यवस्था सरकार द्वारा की जाती है।

3.27 **अफसरों का चयन और अन्य रैंकों के लिए भर्त्ती :** इस वर्ष के दौरान भर्त्ती किए गए अफसरों और रंगरूटों की संख्या इस प्रकार है :-

(क) **अफसरों का चयन**

(i) एन डी ए	-	615
(ii) आई एम ए	-	335
(iii) ओ टी ए	-	445
(iv) तकनीकी भर्त्तियां	-	368
(v) महिला अफसर	-	118

कार्रवाई करते हुए जवान

(ख) रंगरूट - 1,10,660 (चालू वर्ष में 30 जून 2002 तक भर्त्ती 13850 रंगरूटों सहित)

3.28 **सेना में नफरी की स्थिति (अफसर रैंक से नीचे के कार्मिक) :** सेना में अफसर रैंक से नीचे के कार्मिकों की नफरी की स्थिति काफी संतोषजनक है। इनकी नफरी में 5 प्रतिशत की कमी है, इस कमी को यथाशीघ्र पूरा करने के सभी संभव उपाय किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, इस कमी को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे लगभग एक लाख रंगरूटों को यूनिटों में तैनात किया गया है।

4

भारतीय नौसेना

जलीय-थलीय संक्रियाएं

4.1 पिछला एक वर्ष नौसेना के लिए उपद्रवों से भरा वर्ष रहा है। हिंद महासागर क्षेत्र विशेषत: उत्तरी अरब सागर में अप्रत्याशित नौसैनिक गतिविधियां हुईं। कई अतिरिक्त क्षेत्रीय शक्तियां उस क्षेत्र में सक्रिय थीं। वैश्विक आतंकवाद से लड़ने के लिए तैनात उत्तरी अरब सागर में बहुराष्ट्रीय समुद्री बलों की मौजूदगी अप्रत्याशित थी। भारतीय नौसेना को अपने तट के बिल्कुल समीप हो रहे इन घटनाक्रमों पर निगाह रखनी पड़ती थी।

4.2 इस वर्ष प्रशिक्षण, अभ्यास और संक्रियाओं के क्षेत्र में मित्र देशों के साथ नौसेना सहयोग में निरंतर प्रगति हुई है। यह अपनी दिलचस्पी के क्षेत्रों में घटनाओं को प्रभावित करने की अपनी योग्यता को कायम रखने की नौसेना की दीर्घकालिक दृष्टि के अनुरूप है।

4.3 इस वर्ष के दौरान दो नौसेना पोतों नामत: प्रबल (प्रक्षेपास्त्र नौका) तथा गज (समुद्रगामी टग) का जलावतरण किया गया था। स्वदेश में विकसित इन पोतों का जलावतरण रक्षा शिपयार्डों की बहुमुखी विशेषज्ञता और हमारी नौसेना डिजाइनिंग की परिपक्वता एवं निर्माण विशेषज्ञता को सही मायने में दर्शाता है।

मुख्य संक्रियाएं और अभ्यास

4.4 **मलाका जलडमरूमध्य (एस ओ एम) मार्गरक्षण संक्रिया ऑपरेशन सेजिटेरियस :** ऑपरेशन ''इंडयूरिंग फ्रीडम'' के लिए भारत-अमेरिका सैनिक सहयोग के एक हिस्से के रूप में मलाका जलडमरूमध्य मार्ग से ''हाई वैल्यू शिपिंग'' के मार्गरक्षण में भारतीय नौसेना की भागीदारी ''ऑपरेशन सेजिटेरियस'' के कूटनाम से अप्रैल, 2002 से शुरू हुई। भारतीय नौसेना पोतों ने 16 सितंबर, 2002 को संक्रिया समाप्त करने से पहले मलाका जलडमरूमध्य मार्ग से 24 ''हाई वैल्यू वैसल्ज'' का मार्ग दर्शन किया।

4.5 **निम्न तीव्रता समुद्री संक्रियाएं (लिमो) :** नौसेना पूर्व और पश्चिम तट पर निम्न तीव्रता की समुद्री संक्रियाओं में लगी हुई है। पूर्वी तट पर ''पाक बे'' में चल रहे ''ऑपरेशन ताशा'' का उद्देश्य तमिलनाडु तट के साथ हथियारों/नशीले पदार्थों की तस्करी और शरणार्थियों के आगमन को रोकना है। पश्चिमी तट पर चल रहे ''ऑपरेशन स्वान'' का उद्देश्य गुजरात और महाराष्ट्र तट पर विस्फोटक और अन्य वर्जित सामग्री को उतारने से रोकना है। महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय क्षेत्रों की तटरक्षक और स्थानीय सिविल प्रशासन के साथ मिलकर कार्य करते हुए नौसेना की नौ टुकड़ियां गठित करके लगातार निगरानी की जाती है।

खोज एवं बचाव संक्रियाएं/गोताखोरी सहायता

4.6 **हताहतों की निकासी :** 12 जुलाई, 2002 को कोच्चि के दक्षिण-पश्चिम में लगभग 280 मील दूर एम वी ईगल से एक रोगी को एयरलिफ्ट किया गया।

4.7 **गोताखोरी सहायता :** नौसेना के गोताखोरों ने सात अलग-अलग अवसरों पर विभिन्न राज्य सरकारों को गोताखोरी सहायता मुहैया करायी।

अभ्यास

4.8 **एम्फेक्स-01 :** 03 अक्टूबर से 10 नवंबर, 2002 तक अंडमान और निकोबार द्वीपसमूहों में एक त्रि-सेना जल-स्थलीय अभ्यास ''एम्फैक्स 1'' का आयोजन किया गया। इस अभ्यास में तीनों सेनाओं और तटरक्षक बल की बहुत सी परिसंपत्तियों ने भाग लिया।

4.9 **गोवा रक्षा अभ्यास :** 19 से 23 नवंबर, 2002 तक मध्य अरब सागर में ''गोवा रक्षा अभ्यास'' (डी जी एक्स-01) का आयोजन किया गया। इस अभ्यास में पश्चिम नौसेना कमान से सत्रह पोतों और पनडुब्बियों, तटरक्षक बल से एक पोत और नौसेना, वायुसेना और तटरक्षक बल के वायुयानों ने भाग लिया।

4.10 **स्प्रिंगेक्स-02 :** 05 से 25 फरवरी, 2002 तक पश्चिमी तट पर एक बड़े सामरिक अभ्यास ''स्प्रिंगेक्स 2'' का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल के पोतों और वायुयानों, वायुसेना तथा सेना के वायुयानों ने भाग लिया।

भारतीय पोतों की समुद्रपार तैनाती

4.11 पहली प्रशिक्षण स्क्वाड्रन :

(क) **मलाका जलडमरूमध्य :** भारतीय नौसेना पोत तीर, कृष्णा और तरंगिणी की प्रशिक्षण स्क्वाड्रन मार्च 2002 के दौरान मलाका जलडमरूमध्य में तैनात की गई। पोतों ने पेनांग, मलेशिया (21-23 मार्च, 2002) और फुकट, मलेशिया (25-27 मार्च, 2002) में प्रवेश किया।

(ख) **फारस की खाड़ी :** अक्टूबर, 2002 में भारतीय नौसेना पोत तीर और सुजाता की प्रशिक्षण स्क्वाड्रन फारस की खाड़ी में तैनात की गई। तैनाती के दौरान इन पोतों ने कुवैत (14-17 अक्टूबर, 2002) और सलालाह (23-26 अक्टूबर, 2002) में प्रवेश किया।

4.12 **पूर्वी बेड़ा :** भारतीय नौसेना पोत रणजीत, शक्ति और खंजर से बना पूर्वी बेड़ा अगस्त, 2002 के दौरान मलाका जलडमरूमध्य में तैनात किया गया। इस तैनाती के दौरान बेड़े ने 20-23 अगस्त, 2002 में सिंगापुर में प्रवेश किया।

4.13 **पश्चिमी बेड़ा :**

(क) उत्तर अरब सागर : विराट, दिल्ली, विध्यंगिरि, रणविजय, गोदावरी, मैसूर ज्योति और शक्ति से युक्त पश्चिमी बेड़ा मार्च/अप्रैल 2002 के दौरान उत्तर अरब सागर में तैनात किया गया। तैनाती के दौरान पोतों ने निम्नलिखित पत्तनों का दौरा किया :-

(i) **मस्कट :** दिल्ली, विंध्यगिरि और रणविजय ने 25 से 28 मार्च, 2002 तक मस्कट का दौरा किया।

(ii) **अल जुबाइल :** मैसूर और गोदावरी ने 25 से 28 मार्च, 2002 तक अल जुबाइल, सउदी अरब में प्रवेश किया।

(iii) **अबू धाबी :** विराट और शक्ति ने 30 मार्च से 2 अप्रैल, 2002 तक अबू धाबी, यू ए ई का दौरा किया।

(ख) **दक्षिण हिन्द महासागर :** भा नौ पो दिल्ली, भा नौ पो रणविजय, भा नौ पो आदित्य और भा नौ पो गोदावरी से युक्त पश्चिमी बेड़ा अगस्त 2002 के दौरान दक्षिणी हिन्द महासागर और अफ्रीका के पूर्वी तट पर तैनात किया गया और ये पोत मारिशस, सैशल्स, केन्या और तन्जानिया के पत्तनों पर गए।

4.14 **प्रशिक्षण समुद्रयात्रा-समुद्रयात्रा प्रशिक्षण पोत ''तरंगिणी'' :** भारतीय नौसेना पोत तरंगिणी ने 2003-2004 के लिए आयोजित की जा रही विश्व समुद्रयात्रा की तैयारी में 25 जुलाई से 18 सितंबर 2002 तक प्रशिक्षण समुद्रयात्रा की। सैशल्स से दो अफसरों ने पोर्ट विक्टोरिया-माले चरण में प्रशिक्षण के लिए पोतारोहण किया।

4.15 **अंतरराष्ट्रीय बेड़ा निरीक्षण - टोक्यो :** 09-15 अक्टूबर, 2002 तक टोक्यो में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय बेड़ा निरीक्षण (आई एफ आर) में भारतीय नौसेना पोत मैसूर को भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए तैनात किया गया। ''आई एफ आर'' की समाप्ति पर उसने बहुराष्ट्रीय खोज और बचाव अभ्यास में भाग लिया।

4.16 **मोनाको में अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफीय बैठक :** भारतीय नौसेना पोत ''दर्शक'' ने अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफीय बैठक के दौरान भारत का प्रतिनिधित्व करने क लिए 17 से 19 अप्रैल, 2002 तक मोनाको का दौरा किया।

विदेशों के साथ सहयोग

4.17 विदेशी गणमान्य व्यक्तियों के दौरे :

क्रम सं.	देश	नाम	तारीखें
(क)	सिंगापुर	रियर एडमिरल लुई टक यिऊ	3-6 मार्च, 2002
(ख)	फ्रांस	एडमिरल जे एल बैलेट	1-5 मई, 2002
(ग)	इजराइल	येदिदिया याआरि	मध्य दिसंबर, 2002

विदेशी नौसेनाओं के साथ अभ्यास/संयुक्त संक्रियाएं

4.18 **वरुण 2-1 :** द्वितीय भारत-फ्रांस अभ्यास वरुण 2-1, 14 मई, 2002 को गोवा से दूर किया गया। फ्रांस की ओर से अणुशक्ति चालित वाहक, एफ एन एस चार्ल्स डी गॉल और एफ एन एस कैसर्ड, एक टाइप एफ 70 निर्देशित मिसाइल ध्वंसक और भारत की ओर से भारतीय नौसेना पोत गोदावरी और भारतीय नौसेना पोत रणविजय ने इस अभ्यास में भाग लिया। ऐसा पहली बार हुआ है कि फ्रांस के वायुयान वाहक पोत ने भारतीय नौसेना के साथ संयुक्त अभ्यास में भाग लिया है।

4.19 **मैक्सिको के समुद्रयात्रा प्रशिक्षण पोत का मार्गरक्षण :** मैक्सिको के समुद्रयात्रा प्रशिक्षण पोत कॉहटेमॉक ने सिंगापुर जाते हुए मार्ग में मलाका जलडमरूमध्य में मार्गरक्षण का अनुरोध किया था। भारतीय नौसेना पोत सुकन्या ने 16 से 19 जुलाई, 2002 तक ऑफ ऐसेह से ऑफ सिंगापुर तक मैक्सिको पोत का मार्गरक्षण किया।

4.20 **मालाबार 2002 :** चौथा भारत-अमेरिका द्विपक्षीय अभ्यास पांच वर्षों के अंतराल के बाद 29 सितंबर से 2 अक्टूबर 2002 तक कोच्चि से दूर समुद्र में आयोजित किया गया था। भारतीय नौसेना पोत

फ्रांसीसी नौसेना के साथ संक्रिया करते हुए

दिल्ली, गोमती, शंकुल और आदित्य और अमेरिकी पोत चांसलरविले और पॉल एफ फोस्टर ने इसमें भाग लिया। पी 3 सी ओरियन और डोरनियर वायुयानों में भी भाग लिया।

4.21 **पासेक्स :** भारतीय नौसेना ने निम्न प्रकार पासेक्स अभ्यास (पासेक्स) किए –

(क) **फ्रांसीसी नौसेना :** भारतीय नौसेना पोत ब्रह्मपुत्र ने फ्रांसीसी नौसेना पोत डी ग्रासे और जूल्स वेर्ने के साथ 15 अप्रैल, 2002 को मुंबई के निकट समुद्र में।

(ख) **जर्मन नौसेना :** भारतीय नौसेना पोत शारदा ने जर्मन पोत मेकलनबर्ग वोपरम्मन के साथ 30 जुलाई 2002 को कोच्चि के निकट समुद्र में।

(ग) **मारीशस तटरक्षक :** भारतीय नौसेना पोत दिल्ली और भारतीय नौसेना पोत रणविजय ने मारीशस तटरक्षक पोतों के साथ 17 अगस्त, 2002 का पोर्ट लुइस के पास समुद्र में।

(घ) **सैशेल्स पीपुल्स डिफेंस फोर्स :** भारतीय नौसेना पोत आदित्य और भारतीय नौसेना पोत गोदावरी ने सैशेल्स डिफेंस फोर्स पोतों के साथ 17 अगस्त, 2002 को पोर्ट विक्टोरिया के निकट समुद्र में। नौका मरम्मत कार्यशाला की स्थापना के लिए सैशेल्स तटरक्षक को 35.5 लाख रुपए की वस्तुएं उपहार में दी गईं।

सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रगति

4.22 **बीजलिखित सूचना भंडारण सॉफ्टवेयर :** ''सैनिक'' (कम्प्यूटर पर नौसेना सूचना के लिए सुरक्षित वातावरण) नाम का एक बीजलेखन उपकरण विकसित और वितरित किया गया है। यह बीजलेखन सॉफ्टवेयर जो किसी मेमोरी डिवाइस जैसे फ्लॉपी, हार्ड डिस्क ड्राइव या सॉफ्टवेयर के किसी मैग्नेटिक मीडिया में सूचना के संग्रहण में मदद करता है, कुंजी या मैग्नेटिक मीडिया के बीजलेखन की व्यवस्था भी करता है। यह सॉफ्टवेयर ''की एस्क्रो मैकेनिज्म'' का भी कार्य करता है। यह सॉफ्टवेयर नौसेना में परिचालित किया गया है ताकि सभी मशीनें बीजलिखित रूप में सूचना स्टोर कर सकें।

4.23 **अपनाए गए सुरक्षा उपाय :** नौसेना में इस्तेमाल के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हासिल किया गया और नौसेना में बांटा गया। इसके साथ-साथ ''डिसास्टर रिकवरी मैकेनिज्म'' और ''लेपटॉप सिक्योरिटी'' पर नीति-निर्देश भी जारी किए जा चुके हैं।

4.24 **सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण :** सभी नौसेना कार्मिकों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और भारतीय नौसेना द्वारा इसे आगे बढ़ाया जा रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण के क्षेत्र में मुख्य पहल विशेष रूप से आई टी प्रशासन, नेटवर्किंग डेटाबेस और सुरक्षा के क्षेत्र में उच्च उद्देश्य वाले आई टी कोर्सों के लिए प्रगतिशील परिकलन विकास केन्द्र (सी डी ए सी) के जरिए नौसेना कार्मिकों के प्रशिक्षण हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना है।

4.25 **नेवल एंटरप्राइज वाइड नेटवर्क (एन ई डब्ल्यु एन) :** नौसेना ने एक एंटरप्राइज वाइड नेटवर्क स्थापित किया है जो समस्त देश के 22 नौसेना ठिकानों को जोड़ता है। यह इंट्रानेट वाइडर एरिया नेटवर्क (डब्ल्यु ए एन) पर फ्रेम-रिले नेटवर्क पर और वाणी एवं आंकड़े सुविधा सहित लोकल एरिया नेटवर्क (लेन) पर इथरनेट पर आधारित है। एन ई डब्ल्यु एन को अब चरणबद्ध रूप में कमान मुख्यालय के लोकल एरिया नेटवर्क के साथ एकीकृत किया जा रहा है। इससे नौसेना मुख्यालय और कमानों के बीच आपस में सूचना का आदान-प्रदान हो सकेगा।

4.26 नौसेना मुख्यालय अब तक वित्तीय वर्ष 2002-2003 में 26 अफसरों/नौसैनिकों को विदेश में कोर्सों के लिए प्रतिनियुक्त कर चुका है। इस वर्ष जिन नए कोर्सों का लाभ उठाया गया है, वे इस प्रकार हैं –

(क) यू एस मिडशिपमैन एक्सचेंज प्रोग्राम
(ख) फ्रेंच नेवी के साथ संबद्धता
(ग) राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, चीन
(घ) जर्मनी में स्टाफ कोर्स
(ड.) इंडोनेशियाई नौसेना कमान और स्टाफ कालेज कोर्स, जकार्ता
(च) फ्रांस में कालेज इंटरमेष डि डिफेंस (सी आई डी) कोर्स
(छ) यू एस ए/यू के में विजिटिंग फेलोशिप प्रोग्राम
(ज) बेल्जियम में अंतर्राष्ट्रीय बारूदी सुरंग युद्धपद्धति स्टाफ अफसर कोर्स
(झ) अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ योग्यता-क्रम अनुदेशक (मिसाइल) कोर्स, यूके
(ञ) संयुक्त जल-थलीय संक्रिया योजना कोर्स, यूके
(ट) आसूचना एवं अंतरराष्ट्रीय संबंध कोर्स, यूके
(ठ) यूएसए में कोर्स : अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय सैन्य शिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत यू एस ए में पहली बार/लंबे अंतराल के बाद निम्नलिखित कोर्सों को लाभ लिया गया है :-
  (i) राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय अंतरराष्ट्रीय फेलो कार्यक्रम।
  (ii) वरिष्ठ अंतर्राष्ट्रीय अफसर आपूर्ति प्रबंधन कोर्स।
  (iii) सतही युद्ध पद्धति अफसर/उन्नत पोत संचालन कोर्स।
  (iv) अधोजलीय ध्वंस/सील डॉक्ट्रिन/सील प्रशिक्षण बुनियादी कोर्स।
  (v) वरिष्ठ अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रबंधन कोर्स।
  (vi) जल-थलीय युद्धपद्धति स्कूल कोर्स।
  (vii) नाविकों के लिए हल अनुरक्षण तकनीशियन कोर्स।

4.27 **विदेशी नौसेना कार्मिकों का प्रशिक्षण :** वर्तमान में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत नौसेना प्रशिक्षण स्थापनाओं में प्रशिक्षणरत विदेशी नौसेना कार्मिकों की संख्या इस प्रकार है –

क्रम सं.	देश	अफसर	सेलर
(क)	बंगलादेश	06	00
(ख)	नाइजीरिया	04	01
(ग)	मालदीव	04	07
(घ)	श्रीलंका	18	38
(ड.)	मारीशस	04	00
(च)	मलेशिया	09	00
(छ)	कंबोडिया	00	02

खेलकूद और साहसिक कार्य

4.28 **राष्ट्रमंडल खेल :** निम्नलिखित नौसेना कार्मिकों न जुलाई-अगस्त, 2002 में मेनचेस्टर में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीते :-

क्रम सं.	नाम	रैंक	नं.	खेल
(क)	मुकेश कुमार	एमसीपीओ आईआईयूसी 3	177485-ए	शूटिंग
(ख)	सीपीआर सुधीर कुमार	सीपीओ	128439-एच	वेट लिफ्टिंग

4.29 **एशियाई खेल :** 9 सितंबर से 14 अक्टूबर, 2002 तक बूसान (दक्षिण कोरिया) में आयोजित चौदहवें एशियाई खेलों में लेफ्टिनेंट कमांडर महेश रामचंद्रन ने याचिंग में कांस्य पदक जीता।

4.30 नौसेना कार्मिकों के लिए निम्नलिखित साहसिक कार्यकलापों का आयोजन किया गया :-

(क) **पर्वतारोहण (माउंटेनियरिंग) :** नौसेना ने नौसेना कार्मिकों का एक नौ सदस्यीय दल भेजा, जिसने अपने पहले ही प्रयास में कुमाऊं हिमालय की एक अब तक अनछुई चोटी पर चढ़ने में कामयाबी हासिल की।

(ख) **हरसिल से हर की दून (गढ़वाल) तक ट्रेकिंग :** नौ नौसेना कार्मिकों के एक दल ने गढ़वाल में हरसिल से हर की दून तक ल्हाम खागा दर्रे (5280 मी.) और बरासू दर्रे (5450 मी. से होते हुए एक हाई एल्टिट्यूड ट्रेक किया।

गणतंत्र दिवस परेड में नौसेना का दस्ता

5

भारतीय वायुसेना

एस यू-30 एम के-1

5.1 भारतीय वायुसेना बहुविध दायित्व निभाती है, जिनका दायरा युद्ध के दौरान राष्ट्र की हवाई रक्षा से लेकर टोह लेने, युद्ध भूमि में हवाई प्रहार करने और जवाबी हवाई संक्रियाएं करने तक फैला हुआ है। दक्षिण एशिया का सुरक्षा परिवेश उत्तर और पश्चिम से खतरे के विरुद्ध विश्वसनीय निवारक क्षमता का निर्माण करके उसे बनाए रखने की मांग करता है। समसामयिक युद्धों/लड़ाइयों में किसी भी संक्रिया से पहले हवाई ताकत का प्रयोग करना होगा। अत: किसी भी जमीनी अथवा समुद्री लड़ाई में सफलता के लिए हवाई प्राबल्य एक अनिवार्य पूर्वापेक्षा है। इन जिम्मेदारियों के अलावा, भारतीय वायुसेना प्राकृतिक आपदाओं के दौरान सिविल प्रशासन को सहायता देने और कानून तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्मिकों के परिवहन जैसी शांतिकालीन कार्रवाइयां भी करती है। यह हिमालय की उच्च पर्वत श्रेणियों, राजस्थान के रेगिस्तान और उत्तर-पूर्व के दुर्गम क्षेत्रों में स्थित सीमा-चौकियों की रक्षा कर रहे सैनिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति भी करती है।

5.2 भविष्य की प्रौद्योगिकी प्रधान युद्ध-पद्धति की चुनौतियों तथा संसाधनों के अधिकतम उपयोग की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, भारतीय वायुसेना ने नई वायुयान प्रणालियों और फोर्स मल्टीप्लायरों को शामिल करके तथा पुराने वायुयानों और शस्त्र प्रणाली को उन्नत बनाकर आधुनिकीकरण कार्यक्रम शुरू कर दिया है जिससे वह नई प्रौद्योगिकी के साथ-साथ चल सके। इसने अपने उपस्करों का समुचित रख-रखाव और उच्च व्यावसायिक स्तर कायम रखा है।

5.3 शीघ्र ही हल्के लड़ाकू वायुयान (एल सी ए) के शामिल होने की आशा है। उन्नत मिग-21 बिस वायुयान (बिसन) घातक प्रहार के साथ भारतीय वायु सेना में शामिल किया गया है। भारतीय वायु सेना में मिग-21 बिस यू पी जी वायुयान स्क्वाड्रन को शामिल किया गया है और यह प्रचालन में है। एस यू-30 एम के-I वायुयान का विकास कार्य पूरा किया जा चुका है और प्रथम चरण के सभी वायुयानों की डिलीवरी मिल चुकी है। माननीय रक्षामंत्री जी ने दिनांक 27 सितंबर, 2002 को विधिवत् एस यू-30 एम के I वायुयान को भारतीय वायु सेना में शामिल किया है।

5.4 जगुआर नेवीगेशन एण्ड वेपन एमिंग सब-सिस्टम (एन ए वी डब्ल्यु ए एस एस) वायुयान को आगामी वर्ष तक उन्नत करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मिग-29 बेड़े को उन्नत करने के प्रस्ताव संबंधी ब्यौरे पर काम चल रहा है। रक्षा वैमानिकी अनुसंधान स्थापना (डी ए आर ई) बेंगलूर, हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एच ए एल) तथा अन्य देशज एजेंसियां इनमें से अधिकांश परियोजनाओं पर कार्य कर रही हैं। उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर (ए एल एच) को भारतीय वायुसेना में शामिल कर लिया गया है। एच एस-748 को उन्नत करने का प्रयास किया जा रहा है और बाकी के वायुयानों के रूपांतरण का काम भी अंतिम चरण में है।

तकनीकी श्रेष्ठता प्राप्त करना

5.5 भारतीय वायुसेना में सभी वायुयानों को बेसिक इलैक्ट्रॉनिकी युद्ध पद्धति (ई डब्ल्यु) की सुविधाएं उपलब्ध कराने की प्रक्रिया चल रही है। इलैक्ट्रॉनिकी

मिशन से वापस आता मिराज-2000

युद्ध पद्धति के उपस्करों का स्वदेशी विकास कार्य भी चल रहा है। मिराज-2000 की क्षमता को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त सहायक उपस्करों की प्राप्ति का कार्य प्रगति पर है। एम आई-35 हेलीकॉप्टर की समग्र क्षमता को बढ़ाने के लिए उसको उन्नत करने का कार्य क्रमबद्ध ढंग से चल रहा है।

उड़ान संरक्षा

5.6 विस्तारित स्थानीय उड़ान क्षेत्रों में पक्षियों के क्रियाकलापों का सर्वेक्षण करने के लिए कई स्ट्रीक शैडो माइक्रो लाइट वायुयानों को शामिल किया गया है। झाड़-झंखाड़ की सफाई और पक्षी-रोधी उपायों को मुस्तैदी से अंजाम दिया जा रहा है। उड़ान संरक्षा निदेशालय द्वारा सभी मुख्य एयरबेसों और बेस मरम्मत डिपुओं (बी आर डी) में ऑपरेशनल सेफ्टी मैनेजमेंट वर्कशॉप चलाई जा रही है ताकि सभी ब्रांचों के वायु कर्मियों और अफसरों को इनमें सक्रिय रूप से भाग लेने व मानव त्रुटियों से होने वाली दुर्घटनाओं को कम करने की जानकारी दी जा सके।

फोर्स मल्टीप्लायर्स

5.7 फोर्स मल्टीप्लायर्स, जैसे एयर-एयर रीफ्युलर्स (ए ए आर) को शामिल किया जा रहा है ताकि स्ट्राइक वायुयानों के कार्रवाई क्षेत्र (आर ओ ए) और वायु रक्षा (ए डी) वायुयानों के उड़ान समय को बढ़ाया जा सके।

सूचना युद्ध-पद्धति

5.8 **अंतरिक्ष अनुप्रयोग** – किसी देश की युद्ध लड़ने की क्षमता के लिए अंतरिक्ष और अंतरिक्ष-सम्पत्ति एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारतीय वायुसेना ने संचार, निगरानी और टोह लेने व खोज और बचाव के क्षेत्र में अंतरिक्ष तकनीक का प्रयोग कर महत्वपूर्ण प्रगति की है। आई आर एस टी ई एस के प्रक्षेपण से भारत ने प्रतिबिम्ब लेने की क्षमता को बढ़ाया है। इनसैट श्रृंखला के उपग्रहों का प्रयोग जहां संचार के क्षेत्र में किया जा रहा है वहीं आई आर एस श्रृंखला का प्रयोग प्रतिबिम्ब लेने के लिए किया जा रहा है।

निगरानी एवं पूर्व चेतावनी (अर्ली वार्निंग)

5.9 **एरोस्टैट बेस्ड सरवेलेंस सिस्टम** – पश्चिमी और दक्षिणी सेक्टरों में अंतराल रहित कम ऊंचाई रेडार कवरेज देने के लिए एरोस्टैट आधारित निगरानी प्रणाली शामिल की जा रही है।

एसटी-68 (यू) - तैनात किया गया कम ऊंचाई वाला राडार

5.10 **एयर रूट सरवेलेंस रेडार** – मौजूदा रेडार को बदलने के लिए एक एयर रूट निगरानी रेडार प्राप्त करने के लिए एक संविदा की गई है।

5.11 **मानव रहित एरियल व्हीकल (यू ए वी)** – भारतीय वायुसेना में अब यू ए वी अपने बेसों पर कार्यरत हैं। इन मानव रहित एरियल व्हीकल्स ने ऑपरेशन पराक्रम में भी हिस्सा लिया।

5.12 **प्रतिबिम्ब** – उपग्रह प्रतिबिम्ब के गुणात्मक विश्लेषण के लिए आधुनिक उपस्करों को शामिल करने से प्रतिबिम्ब लेने की क्षमता में वृद्धि हुई है। इन सुविधाओं को तेजी से बढ़ाया जा रहा है।

5.13 **मीडिया का उपयोग** – किसी संगठन की अपेक्षित छवि को चित्रित करने में मीडिया महत्वपूर्ण कारक है। भारतीय वायुसेना ने अपनी तथा अपने कार्यकलापों की सही छवि प्रस्तुत करने के लिए कदम उठाए हैं। वर्ष 2001-02 में 'आकाश योद्धा' नाम की फिल्म का निर्माण किया गया। भारतीय वायुसेना में कैरियर के बारे में जागरूकता लाने के लिए, वायुसेना कैरियर वेबसाइट **www.carreerairforce.nic.in** काम कर रही है। तब से भारतीय वायुसेना में नौकरी के लिए आवेदन करने वाले वार्लंटियरों की संख्या में वर्ष 2002 में 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है।

मौसम-विज्ञान

5.14 भारतीय वायुसेना ने जून से अगस्त तक भारतीय जलवायु अनुसंधान कार्यक्रम के हिस्से के रूप में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रायोजित अरब सागर मानसून परीक्षण (आरमेक्स) में भाग लिया। प्रेक्षण आंकड़ों का रूटीन निर्धारित समय में नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वैदर फारकास्ट (एन सी एम आर डब्ल्यु एफ), नई दिल्ली को भेजा गया। भारतीय वायुसेना ने इस परीक्षण के लिए दो रूपांतरित ए एन-32 वायुयान उपलब्ध कराए। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान (आई आई टी एम), पुणे से भारतीय वायुसेना मौसम विज्ञान कार्मिकों और वैज्ञाकिों के एक दल ने वायुमंडलीय मानदंडों जैसे ताप प्रोफाइल, वायु प्रोफाइल, एरोसॉल संयोजन, वायु की वैद्युत चालकता और मेघ प्रतिबिम्ब के वीडियो मानचित्र को रिकार्ड करने के हर मिशन में उड़ान भरी। ऐसे बीस मिशनों में 87 घंटे की उड़ान भरी गई।

प्रशिक्षण

5.15 **प्रशिक्षण/कोर्स की मान्यता** – नागरिक उड्डयन के महानिदेशक (डी जी सी ए) ने भारतीय

वायुसेना की चुनिंदा उड़ान स्थापनाओं के पायलटों को वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस जारी करने संबंधी मान्यता प्रदान की है। डी जी सी ए द्वारा अनुरक्षण कार्मिकों (अफसरों और एयरमेन दोनों) के प्रशिक्षण की मान्यता से संबंधित मामला भी प्रगति पर है। इसी प्रकार, भारतीय वायुसेना में दिए गए तकनीकी प्रशिक्षण को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए आई सी टी ई) द्वारा विधिवत् मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्रदान करने से संबंधित मामला भी विचाराधीन है।

5.16 **विदेशी कार्मिकों को प्रशिक्षण** – भारतीय वायुसेना प्रशिक्षण स्थापनाओं में विदेशी छात्र प्रशिक्षण का लाभ उठा रहे हैं। इस वर्ष के दौरान भारत में विभिन्न प्रशिक्षण स्थापनाओं में बांग्लादेश, बोत्स्वाना, कम्बोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, मॉरीशस, मालदीव, म्यांमार और श्रीलंका से अफसर और वायुसैनिक प्रशिक्षण ले चुके हैं।

5.17 **राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रारंभिक पायलट प्रशिक्षण में सुधार** – राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एन डी ए) ने वायुसेना कैडेटों के प्रशिक्षण के लिए सुपर डायमोना मोटर ग्लाइडर प्राप्त किए हैं।

शस्त्रास्त्र सहित मिग-29

रक्षा सहयोग

5.18 भारत और अन्य देशों के बीच संबंधों को बढ़ाते हुए, भारतीय वायु सेना ने विभिन्न संयुक्त अभ्यासों में भाग लिया है। इन अभ्यासों से हमारे कार्मिकों की विमानन के क्षेत्र में नवीनतम उन्नति से खुद को परिचित कराने के साथ-साथ एक-दूसरे की कार्यविधि को जानने-समझने तथा सद्भावना बढ़ाने में सहायता मिली है। जिन अभ्यासों में भारतीय वायु सेना ने भाग लिया है, उनका ब्यौरा नीचे दिया गया है।

5.19 **अभ्यास ''बैलेंस इरोक्यूइस''** – संयुक्त राज्य की स्पेशल फोर्स के साथ 7 मई से 27 मई, 2002 तक अन्तर 'संक्रियात्मक क्षमता' विकसित करने के लिए आगरा में एक संयुक्त वायु परिवहन अभ्यास 'बैलेंस इरोक्यूइस'' संचालित किया गया।

5.20 **वायुवाहित अभ्यास गेरोनीमो थ्रस्ट 02-1** – एग्जिक्यूटिव स्टियरिंग ग्रुप ई एस जी (सेना) की बैठक में हुई आपसी सहमति के अनुसार ''गैरोनीमो थ्रस्ट 02-1'' संयुक्त राज्य की सेना के साथ एक प्लाटून स्तरीय वायुवाहित अभ्यास था। यह 28 सितम्बर से 11 अक्टूबर, 2002 तक फोर्ट रिचर्डसन, अलास्का में संचालित किया गया। इस अभ्यास में भारतीय सेना की 50(1) पैरा ब्रिगेड/भारतीय वायु सेना और संयुक्त राज्य सेना पेसिफिक (यू एस ए आर पी ए सी) के पैराशूट इन्फैन्ट्री रेजिमेंट की एक बटालियन 501 ने भाग लिया। भारतीय वायु सेना टुकड़ी में चार प्रेक्षक और भारतीय टुकड़ी के परिवहन के लिए कर्मीदल सहित एक आई एल-76 वायुयान शामिल था। यह पहला अवसर था जब इस अभ्यास में भाग लेने के लिए भारतीय वायु सेना से आई एल-76 यू एस ए में उतारा गया।

एम आई-35 — मिशन से पूर्व निरीक्षण

5.21 **अभ्यास ''कोप इंडिया''** – वायुसेना स्टेशन आगरा में 21 अक्टूबर से 26 अक्टूबर, 2002 तक अभ्यास ''कोप इंडिया'' का संचालन किया गया। इसमें भाग लेने वाली सेनाओं में संयुक्त राज्य वायुसेना (यू एस ए एफ) के पांच सी-130 वायुयान, कंटीजेन्सी रिस्पोंस स्क्वाड्रन (सी आर एस) और 150-वायु/भू कर्मी थे। इस अभ्यास में भारतीय वायु सेना के एक आई एल-76 तथा सात ए एन-32 वायुयानों ने भाग लिया था।

5.22 **अभ्यास ''कोप थंडर''** – भारतीय वायु सेना के प्रेक्षकों ने अलास्का में 11 जुलाई से 27 जुलाई, 2002 तक अभ्यास ''कोप थंडर'' में भाग लिया।

5.23 **अभ्यास ''गरुड़''** – इंडो-फ्रेंच रक्षा सहयोग योजना के अंतर्गत विभिन्न आदान-प्रदान दौरे किए गए। फरवरी 2003 में ग्वालियर में एक संयुक्त अभ्यास ''गरुड़'' का आयोजन किया गया।

खेलकूद और साहसिक कार्य

5.24 **हवाई करतब** – भारतीय वायु सेना कार्मिकों ने ड्यूटी समय के बाद समय-समय पर साहसिक कार्यों का प्रदर्शन किया है। ग्रुप कैप्टन टी के रथ, विंग कमांडर संजय थापर, स्क्वाड्रन लीडर आर सी त्रिपाठी और फ्लाइट लेफ्टिनेंट जयकिशन ने औसत समुद्र तल (ए एम एस एल) से 17,000 फुट की ऊंचाई से स्काई-डाइविंग जंप करते हुए औसत समुद्र तल से 4,100 फुट पर अवतरण किया। यह उच्चतम ड्रॉप जोन है जहां जंप की गई। फ्लाइट लेफ्टिनेंट कमल सिंह ओबरह उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों दोनों में स्काई-डाइविंग जंप करने वाले प्रथम भारतीय हैं।

5.25 **पैरासेलिंग** – श्री आलोक यादव, अवर श्रेणी लिपिक, वायुसेना के प्रथम सिविलियन पैरासेलिंग अनुदेशक बने।

6

तटरक्षक

तटरक्षक का होवरक्राफ्ट

6.1 तटरक्षक संघ का एक सशस्त्र बल है जिसकी स्थापना 1978 में हमारे अनन्य आर्थिक क्षेत्र के संरक्षण के लिए की गई थी। तटरक्षक भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र की नियमित चौकसी रखने के लिए उत्तरदायी है ताकि अवैध मत्स्य शिकार/तस्करी और दूसरी गैर-कानूनी गतिविधियां रोकी जा सकें। तटरक्षक की ड्यूटी में समुद्र में प्रदूषण-नियंत्रण, खोज एवं बचाव तथा समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा का कार्य भी शामिल है।

संगठन

6.2 तटरक्षक की कमान तथा नियंत्रण तटरक्षक महानिदेशक द्वारा तटरक्षक मुख्यालय, नई दिल्ली से किया जाता है। इसकी तीन क्षेत्रीय कमान हैं, जिनमें क्षेत्रीय मुख्यालय क्रमशः मुम्बई, चेन्नई तथा पोर्टब्लेयर में स्थित हैं। भारत की पूरी तटीय रेखा तथा समुद्री क्षेत्रों को तीन क्षेत्रों में बांटा गया है। इन क्षेत्रों को आगे तटरक्षक जिलों में बांटा गया है तथा प्रत्येक जिला एक तटीय प्रांत का प्रतिनिधित्व करता है, जिसकी कमान, जिला कमांडर के हाथ में होती है। दो वायु स्टेशन, दमन तथा चेन्नई और चार वायु इन्कलेव गोवा, कोलकाता तथा पोर्टब्लेयर में स्थित हैं।

नौकाओं/यूनिटों की कमीशनिंग/सक्रियण

6.3 (क) **कमीशनिंग :** तटरक्षक सेवा में दो अंतर्रोधी नौकाएं-सी-141 तथा सी-142 और एक होवरक्राफ्ट एच-186 की कमीशनिंग की गयी।

(ख) **सक्रियण :** निम्नलिखित यूनिटों को सक्रिय किया गया :-

(i) 01 अप्रैल 2002 से चेन्नई में तटरक्षक वैमानिकी निरीक्षण सेवा।

(ii) 22.4.2002 से कोची में डोरनियर स्क्वाड्रन-747 (सीजी)।

(ग) **तटरक्षक यूनिटों का संक्रियात्मक नियंत्रण:** ''अभियान पराक्रम'' के दौरान सभी तटरक्षक यूनिटों का संक्रियात्मक नियंत्रण नौसेना को दिया गया था। तटरक्षक यूनिटों की पुनर्तैनाती नौसेना प्राधिकारियों द्वारा संबंधित तटरक्षक क्षेत्रीय कमांडरों के परामर्श से की गई थी।

तटरक्षक योजना

6.4 **तटरक्षक विकास योजना 2002-07 (सी जी डी पी-2002-07)**

तटरक्षक विकास योजना (कामथ योजना) तथा पंचवर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना (1985-2000) की 2001-2002 में समीक्षा की गई तथा तटरक्षक की बढ़ोतरी के लिए नई पंद्रह वर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना (2002-2017) तैयार की गई है। इस परिप्रेक्ष्य योजना के आधार पर पंचवर्षीय विकास योजना (सी जी डी पी-2002-07) बनाई गई है।

मुख्य कार्यकलाप, महत्वपूर्ण योगदान एवं उपलब्धियां

6.5 **उपलब्धियां :**

(क)	पकड़ी गई अवैध मत्स्य शिकारी नौकाएं	- 17
(ख)	पकड़े गये तस्करी पोत	- 05
(ग)	जब्त निषिद्ध माल	- 1.8 करोड़ रुपए मूल्य
(घ)	समुद्र में बचाये गये व्यक्ति	- 87

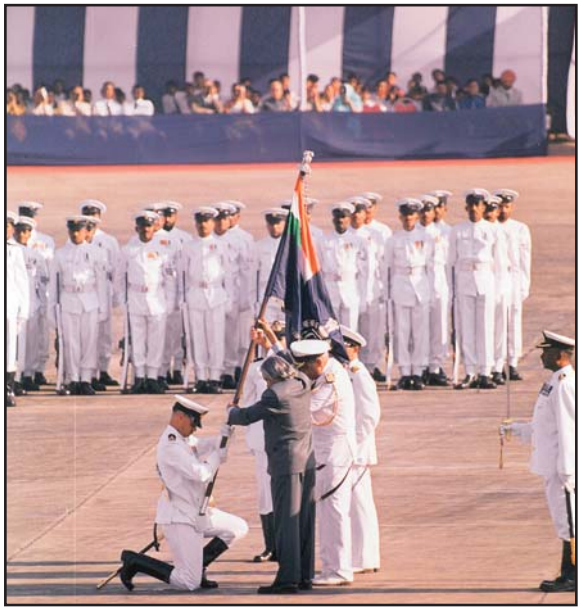

राष्ट्रपति तटरक्षक को ध्वज भेंट करते हुए

(च)	पोत, जिनकी संकट में रक्षा की गई	- 117
(छ)	टाले गये समुद्री प्रदूषण	- 04
(ज)	समुद्री प्रदूषण नियंत्रण	- 02

संयुक्त अभ्यास

6.6 तीसरा भारत-जापान तटरक्षक संयुक्त खोज एवं बचाव अभ्यास 9 नवंबर, 2002 को चेन्नई के समुद्रतट/अपतट पर आयोजित किया गया, जिसमें दौरे पर आए जापानी तटरक्षक गश्ती जलयान याशिमा ने अपने हेलिकाप्टर और एक ए ओ पी वी, एक ओ पी वी सहित, भारतीय तटरक्षक के एक हेलिकाप्टर तथा शिपिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया के एक टैंकर ने भाग लिया। इस अभ्यास का उद्देश्य और आदर्श 'सहयोग के माध्यम से सुरक्षित समुद्र' था। जिसे इस अभ्यास के दौरान व्यापक रूप से प्राप्त किया गया और प्रदर्शित किया गया।

अभियान

6.7 (क) **अभियान ''ताशा'' :** आतंकवादियों की घुसपैठ के विरुद्ध तमिलनाडु तट की सुरक्षा का दायित्व भारतीय नौसेना तथा तटरक्षक को सौंपा गया। चेन्नई से एक तटरक्षक पोत तथा मण्डपम से एक अंतर्रोधी नौका/अंतर्रोधी क्राफ्ट (आई बी/आई सी) पाक की खाड़ी में लगातार गश्त लगाते रहते हैं। चेन्नई से एक डोरनियर वायुयान भी पाक की खाड़ी तथा मन्नार की खाड़ी में हवाई निगरानी करता रहता है।

तटरक्षक द्वारा मार्च पास्ट

(ख) **अभियान ''श्वान'' :** वर्ष 1993 में मुम्बई में लगातार हुए बम धमाकों के बाद महाराष्ट्र तथा गुजरात तटों से लगे समुद्र से भारी मात्रा में हथियार तथा विस्फोटक सामग्री की तस्करी करने की सूचना मिली थी। इसका सामना करने के लिए अप्रैल 1993 में नौसेना के सहयोग से अभियान ''श्वान'' चलाया गया, ताकि पश्चिमी तट के पास के संवेदनशील क्षेत्रों की गश्त की जा सके। इन अभियानों से स्थिति पर काफी हद तक काबू पाया गया।

(ग) **अभियान ''नाकाबंदी'' :** श्रीलंका में युद्धस्थिति का बढ़ना तथा तमिल शरणार्थियों का आगमन पुन: शुरू हो गया है। स्थानीय मछुवारों ने डीजल तथा बारूद बनाने वाले सामान की तस्करी करनी शुरू कर दी है। शरणार्थियों का आगमन रोकने तथा पाक की खाड़ी तथा मन्नार की खाड़ी में गुप्त गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए 13 अगस्त 1996 को अभियान ''नाकाबंदी'' चलाया गया और यह अब भी जारी है।

(घ) **तस्करी-रोधी अभियान :** सीमाशुल्क तथा राजस्व आसूचना निदेशालय (डी आर आई) से प्राप्त आसूचना के आधार पर तटरक्षक तस्करी-रोधी अभियान चलाता है। इसके अलावा, आकस्मिक (अप्रत्याशित) तस्करी-रोधी गश्त भी की जाती हैं। तटरक्षक की गश्त के कारण निषिद्ध माल की तस्करी की घटनाएं पर्याप्त मात्रा में कम हुई हैं।

(ङ) **खोज एवं बचाव अभियान :** तटरक्षक पोतों तथा वायुयानों ने विभिन्न खोज एवं बचाव अभियान चलाये तथा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सहयोग केन्द्र, बंगलौर से संकट संदेश प्राप्त होने पर समुद्र में 87 व्यक्तियों के प्राण बचाने में सहायता की। इससे नये विश्वस्तरीय सागर संकट पद्धति अभियान के अधीन भारतीय समुद्र में खोज एवं बचाव कार्य को बल मिला है। मुख्य खोज एवं बचाव अभियान नीचे उद्धृत हैं:-

(i) **एमटी मारियों की खोज एवं बचाव सहायता :** तटरक्षक के एक पोत ने सिएरा लियॉन पंजीकृत मोटर टैंकर-एम टी मारियो की सहायता की जो अगस्त, 2002 में तमिलनाडु के कालिमेरे प्वाइंट के पूर्व में 180 मील की स्थिति में डूबने वाला था।

(ii) **वाणिज्यिक पोत (एम वी) जैसमाइन के लिए खोज एवं बचाव अभियान का समन्वय :** जब जलयान - एम वी जैसमाइन के मालिक ने तटरक्षक गार्ड स्टेशन, चेन्नई को यह सूचित किया कि उपर्युक्त जलयान के पेटे में दरार पड़ने के कारण उसमें पानी भर रहा था तो तटरक्षक ने खोज एवं बचाव समन्वय के लिए तत्काल एक डोरनियर विमान तैनात किया। डोरनियर विमान ने दूसरे नजदीकी पोत एम पी एक्सप्रेस रिजोल्व को सहायता उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया जिसने एम वी जैसमाइन के कर्मीदल के सभी 25 सदस्यों को बचा लिया।

(iii) **कर्मीदल का बचाव - एफ वी कालीचरण :** एक लापता मत्स्य नौका, कालीचरण-I का पता लगाने के लिए कोलकाता से भेजे गए तटरक्षक के एक विमान ने तटरक्षक पोत सुचेता कृपलानी को सूचना दी, जिसने कर्मीदल के 9 सदस्यों को बचाया और उनकी सहायता की तथा उन्हें सुन्दरवन डेल्टा से हल्दिया लाया गया।

(iv) **खोज एवं बचाव नूर-उल-बेहर :** तटरक्षक पोत कमलादेवी ने लापता नौका ''नूर-उल-बेहर'' के खोज एवं बचाव के लिए कन्नानूर के दक्षिण की ओर नौचालन किया।

अवैध मत्स्य शिकार के विरुद्ध अभियान

6.8 भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र में नियमित आधार पर अवैध मत्स्य शिकार के विरुद्ध अभियान चलाए गए। तटरक्षक पोतों ने 17 मछुवाही पोतों को गिरफ्तार किया है। मुख्य मत्स्य शिकार-रोधी अभियानों का ब्यौरा इस प्रकार है :-

(क) तटरक्षक पोत संग्राम ने मिथा पोर्ट लाइट से 28 समुद्री मील की स्थिति में पाकिस्तानी मछुवाही नौका-अल-अजीज/15270 बी तथा अल-जुकारिया 14725 बी को प्रत्येक के छह कर्मियों के साथ पकड़ा।

(ख) तटरक्षक पोत ताराबाई ने विजिनजम लाइट के पश्चिम में 80 समुद्री मील की स्थिति में दो श्रीलंकाई मछुवाही पोत पुष्पारानी तथा दानुषखपुता को उनके 06-06 कर्मियों के साथ पकड़ा।

(ग) तटरक्षक पोत वज्र ने अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में दो थाई मछुवाही पोतों, नव उदॉमसप-2 को 21 कर्मियों (04 थाई एवं 17 म्यांमारी) और नव उदॉमसप-3 को 17 कर्मियों (05 थाई तथा 12 म्यांमारी) के साथ पकड़ कर पोर्टब्लेयर में स्थानीय पुलिस को सौंप दिया।

(घ) तटरक्षक होवरक्राफ्ट ने हुगली नदी में एक बंगलादेशी मछुवाही पोत ''एफ बी हाशिम'' को उसके 12 कर्मियों के साथ पकड़ा। पोत को कर्मियों के साथ हल्दिया में स्थानीय पुलिस को सौंप दिया गया।

अन्य अभियान

6.9 ओलॉइव रिडले कच्छुओं की संकटग्रस्त प्रजातियों की सुरक्षा के विचार से उड़ीसा के तट के पास ''ओलॉइव'' कूटनाम का अभियान चलाया गया। कच्छुओं की सुरक्षा के लिए प्रतिवर्ष नवम्बर से मई तक तटरक्षक पोत तथा वायुयान लगातार तैनात किये जा रहे हैं। तटरक्षक पोतों द्वारा गहन गश्त के परिणामस्वरूप इस प्रतिबंधित क्षेत्र में मछली पकड़ने की गतिविधियों में काफी कमी आई है।

6.10 **इधर-उधर बह रहे वाणिज्यिक पोत का अवरोधन :** वाणिज्यिक पोत ''अल-मुर्तदा'' 03 जुलाई, 2002 को रत्नागिरि के पास असहाय बहता बताया गया। एक तटरक्षक डोरनियर तथा एक पोत को तत्काल उसकी पहचान तथा परिवीक्षण करने के लिए भेजा गया। इस कार्य पर लगाये गये वायुयान ने सूचित किया कि पोत इधर-उधर बह रहा है तथा इसके महाराष्ट्र तट पर भूग्रस्त होने की संभावना है। तटरक्षक, कांडला सीमा-शुल्क और अप्रवास प्राधिकारियों ने इस जलयान का अन्तर्रोधन किया और इस पोत तथा इसके कर्मीदल के सदस्यों को सिंधदुर्ग, महाराष्ट्र के जिला मजिस्ट्रेट के हवाले कर दिया।

6.11 **इंडोनेशियन मोटर टैंकर एम टी तिर्ता की सहायता :** गहरे समुद्र में असहाय तैर रहे पामोलिन तेल के कार्गो के साथ इंडोनेशिया पंजीकृत मोटर टैंकर की सहायता के लिए तटरक्षक पोत प्रियदर्शनी और जीजाबाई को पारादीप बंदरगाह से भेजा गया था। प्रतिकूल समुद्री परिस्थितियों के बावजूद इंडोनेशिया जलयान के कर्मीदल के 24 सदस्यों को बचा लिया गया और तटरक्षक पोत जीजाबाई द्वारा उसे सुरक्षित खींच कर लाया गया।

6.12 **बांग्लादेशी नौका (बार्ज) का बचाव अभियान :** बांग्लादेशी नौका (बार्ज) 4 बी-416 जिस पर 872 मीट्रिक टन पुल की निर्माण सामग्री लदी हुई थी तथा टग ई एन ई एन ए फॉर्च्यून द्वारा खींचा जा रहा था, की 06 मई 2002 से लापता होने की सूचना मिली। तटरक्षक पोत जीजाबाई ने इधर-उधर बह रही नौका (बार्ज) को ढूंढने तथा खींचने के लिए पारादीप से नौचालन किया। बार्ज से पूर्वी तट के समुद्र में संचालित पोतों के लिए जोखिम पैदा हो गया था। नौका (बार्ज) को सुरक्षित लाया गया तथा स्थानीय एजेंट को सौंप दिया गया।

अन्य कार्यकलाप

6.13 **तेल के कुओं की समुद्री सुरक्षा :** तटरक्षक पोत तथा वायुयान, मुम्बई तथा तमिलनाडु तट के पास स्थित तेल के कुओं को समुद्री सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए अपतटीय क्षेत्र में नियमित गश्त लगाते हैं। तटरक्षक महानिदेशक अपतटीय सुरक्षा समन्वय समिति के अध्यक्ष हैं, जो कि तिमाही में एक बार तेल के कुओं की सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन पर चर्चा करती है। तटरक्षक महाराष्ट्र तट के पास निम्नलिखित सुरक्षा तथा समुद्री कानूनों के कार्यान्वयन की गतिविधियों का संचालन करता है :-

(क) **''अभियान ट्रॉमस्केन'' :** तटरक्षक भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (बी ए आर सी) - ट्रॉम्बे को समुद्री सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए इस अभियान को चला रहा है। इस अभियान में तटरक्षक अंतर्रोधी नौकाएं तथा वायुयान तैनात किये गये हैं।

(ख) **राष्ट्रीय सागर प्रौद्योगिकी संस्थान का राष्ट्रीय डाटा बुऑय कार्यक्रम :** तटरक्षक पोत तथा वायुयान, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में सागर विकास विभाग द्वारा समुद्र-विज्ञान संबंधी आंकड़े एकत्र करने तथा उनका परिवीक्षण करने के लिए तैनात राष्ट्रीय डाटा बुयॉय के लिए सुरक्षा उपलब्ध कराते हैं।

6.14 **चिकित्सा के लिए ले जाना :** मोटर टैंकर पोर्ट अर्थूर जो कि सिंगापुर से फुजीराह, संयुक्त अरब अमीरात (यू ए ई) की यात्रा पर था, ने तटरक्षक, गोवा से सहायता के लिए संपर्क किया और अनुरोध किया कि उनका एक कर्मी सदस्य श्री पीटर मरिएन जो कि डेक पर गिर जाने के कारण सिर की चोट से घायल है, को चिकित्सा के लिए ले जाएं। एक तटरक्षक पोत ने प्रतिकूल मौसम की स्थिति में भी पोत का पीछा किया और घायल को पोत पर लेकर तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई, उसके बाद रोगी को आपातकालीन उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती करा दिया गया।

समुदाय से परस्पर-व्यवहार

6.15 जहां तटरक्षक अपने कर्त्तव्यों को शासपत्र (चार्टर) के अनुसार निभाता है, वहीं विकास तथा व्यापक लोकहित के लिए राष्ट्रीय लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में समस्त संगठनों के कुछ अलिखित अपेक्षाओं को भी पूरा करता है। इसे ध्यान से रखते हुए तटरक्षक ने मछुवाही एवं तटीय समुदायों और स्कूली बच्चों के साथ एक सामुदायिक संपर्क कार्यक्रम शुरू किया है। मछुआरों को समुद्र में सुरक्षा, संकट में की जाने वाली कार्यवाही, जीवन रक्षण जैकेटों के उपयोग तथा उनके ट्रांजिस्टरों पर रेडियो आवृत्तियों, मार्ग के नियमों आदि के संबंध में बताया जाता है। इसके अलावा, वॉलीबाल अथवा रस्साकशी तथा अंतर-ग्रामीण खेलों के जैसे कुछ खेल-कूद कार्यक्रमों की व्यवस्था की जा रही है। स्कूली छात्रों को समुद्र, नौचालन परिस्थिति तथा समुद्रीय जानकारी के बारे में बताया जाता है। दमन में एक सी कैडेट कोर स्टेशन आरम्भ किया गया है, जिसका अनुसरण, बाद में तूतीकोरिन, मण्डपम, न्यू-मंगलौर तथा पारादीप जैसी छोटी जगहों में स्थित यूनिटों द्वारा किया जाएगा। तट रक्षक पोतों ने लक्षद्वीप के एक-एक द्वीप को अपना लिया है जहां चिकित्सक कुछ घंटों के लिए बहिरंग रोगी विभाग (ओ पी डी) भी संचालित करते हैं।

हिन्दी का प्रयोग

6.16 तटरक्षक मुख्यालय, कार्यालय के काम-काज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देता है और वर्ष के दौरान टिप्पण/आलेखन हिन्दी में करने पर बल दिया गया। सभी तटरक्षक बुलेटिन तथा तटरक्षक आदेश हिन्दी में प्रकाशित किए जाते हैं। सरकार द्वारा लागू की गई प्रोत्साहन योजना भी कार्यान्वित की गई है और तटरक्षक कार्मिकों को 20,000 शब्द हिन्दी में लिखने के लिए नकद पुरस्कार प्रदान किए गए थे। 16-27 सितम्बर, 2002 तक हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया जिसमें निबन्ध लेखन, टिप्पण और आलेखन, अनुवाद, श्रुतलेख, प्रश्नमंच आदि जैसी विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था।

तटरक्षक (संशोधन) अधिनियम, 2002

6.17 कार्मिक मामलों से संबंधित विभिन्न धाराओं में संशोधन करने के लिए तटरक्षक (संशोधन) विधेयक 2002 संसद के मानसून सत्र - 2002 में लाया गया था। इस विधेयक को संसद ने पारित कर दिया है और राष्ट्रपति ने ''तटरक्षक (संशोधन) अधिनियम संख्या 44, 2002'' के रूप में इस पर अपनी अनुमति प्रदान कर दी है।

तटरक्षक कार्मिक गोताखोरी कार्रवाई करते हुए

7

रक्षा उत्पादन एवं पूर्ति

एयरो इंडिया शो-2003

7.1 रक्षा उत्पादन विभाग की स्थापना सन् 1962 में चीनी आक्रमण के पश्चात् की गई थी। इसकी स्थापना का उद्देश्य एक मजबूत आत्मनिर्भर स्वदेशी रक्षा आधार स्थापित करना था। सिविल उद्योगों तथा रक्षा उत्पादन इकाइयों के बीच आपसी तालमेल स्थापित करने के लिए नवंबर, 1965 में रक्षा आपूर्ति विभाग का गठन किया गया था। दिसंबर, 1984 में इन दोनों विभागों को मिलाकर रक्षा उत्पादन एवं पूर्ति विभाग बना दिया गया था।

7.2 1962 से 16 नई आयुध निर्माणियां स्थापित की जा चुकी हैं। सशस्त्र सेनाओं की उभरती हुई मांगों को ध्यान में रखते हुए चुनिंदा आधार पर उनकी क्षमताओं को बढ़ाया गया है तथा उनका आधुनिकीकरण किया गया है। सभी आयुध निर्माणियां सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम रक्षा सेनाओं के लिए उपस्करों और अन्य साज-सामान के विनिर्माण के कार्य में लगे हुए हैं। एक और आयुध निर्माणी, नालंदा बिहार में स्थापित की जा रही है। इसके अतिरिक्त, इस कार्य में सिविल क्षेत्र में उपलब्ध क्षमताओं का भी उपयोग किया जाता है। रक्षा उत्पादन एवं पूर्ति विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत निम्नलिखित सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम कार्य कर रहे हैं :-

(i) हिंदुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड
(ii) भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
(iii) भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड
(iv) माझगांव डॉक लिमिटेड
(v) गोवा शिपयार्ड लिमिटेड
(vi) गार्डनरीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड
(vii) भारत डायनामिक्स लिमिटेड
(viii) मिश्र धातु निगम लिमिटेड

7.3 इसके अतिरिक्त रक्षा उत्पादन एवं पूर्ति विभाग के तकनीकी सहयोग के लिए निम्नलिखित संगठन भी इससे संबद्ध हैं :-

(i) गुणता आश्वासन महानिदेशालय
(ii) मानकीकरण निदेशालय
(iii) वैमानिकी गुणता आश्वासन महानिदेशालय
(iv) योजना एवं समन्वय निदेशालय
(v) रक्षा प्रदर्शनी संगठन

7.4 रक्षा उत्पादन संबंधी ये इकाइयां धीरे-धीरे आत्मनिर्भर हो गई हैं। अतिरिक्त क्षमताएं सृजित की गई हैं और इनमें नई मदों का उत्पादन शुरू हुआ है जिनमें मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन, उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर तथा 155 मि.मी. गोलाबारूद की रेंज शामिल हैं।

7.5 विगत तीन वर्षों के दौरान आयुध निर्माणियों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों द्वारा जारी की गई मदों का कुल मूल्य इस प्रकार है :-

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	**आयुध निर्माणियां**	**सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम**	
	कुल बिक्री	**कुल बिक्री**	**कुल योग**
2000-2001	5522.00	7666.58	13188.58
2001-2002	6105.00	7666.32	13771.32
2002-2003 (लक्ष्य)	6725.00	9042.27	15767.27
उपलब्धियां (दिसंबर, 2002 तक)	2836.22	7831.65	10667.87

7.6 सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों तथा आयुध निर्माणियों ने वर्ष 2002-2003 के लिए रखे गए 232.63 करोड़ रुपए के वार्षिक लक्ष्य की तुलना में 31 दिसंबर, 2002 तक 114.05 करोड़ रुपए की मदों का निर्यात किया है।

पूर्ति शाखा

7.7 महत्वपूर्ण रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए विभाग का प्रयास रहा है कि जहां प्रौद्योगिकी की दृष्टि से संभाव्य हो तथा आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य हो, रक्षा उपस्करों का स्वदेशीकरण किया जाए। सार्वजनिक क्षेत्र और सिविल ट्रेड-दोनों में परिष्कृत तथा जटिल उपस्करों के लिए विस्तृत स्वदेशी आपूर्ति स्रोतों का पता लगाना और उनका विकास करना हमारे स्वदेशीकरण के प्रयास का हिस्सा रहा है। स्वदेशीकरण के क्षेत्र में निजी क्षेत्र/सिविल ट्रेड की भूमिका में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है अर्थात् कच्चे माल, संघटकों तथा उपप्रणालियों की आपूर्तिकर्ता की भूमिका निभाने के बजाय अब वे संपूर्ण रक्षा उपस्कर/प्रणालियों के निर्माण में सहयोगी हो गए हैं। रक्षा उद्योग क्षेत्र जो अभी तक सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित था, अब भारतीय निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए खोल दिया गया है। अब भारतीय कंपनियां सभी प्रकार के रक्षा उपस्करों का उत्पादन करने के लिए रक्षा उद्योग स्थापित करने हेतु लाइसेंस के लिए आवेदन करने की पात्र हो गयी हैं। ऐसी कंपनियों में इक्विटी के 26 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी हो सकेगा। रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में यह एक उल्लेखनीय घटना है। औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग ने लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदनों पर विचार करने की प्रक्रिया निर्धारित करते हुए विस्तृत

दिशा-निर्देश जारी किए हैं। वर्ष के दौरान विभाग ने आशय-पत्र प्रदान करने के लिए निजी क्षेत्र से बारह आवेदन-पत्रों पर विचार किया है।

7.8 रक्षा उपस्करों के हिस्से-पुर्जों के स्वदेशीकरण हेतु आठ तकनीकी समितियों के रूप में एक संस्थागत ढांचा मौजूद है जिसमें गुणता आश्वासन महानिदेशालय के अधिकारी शामिल हैं। प्रत्येक समिति का प्रमुख मेजर जनरल/ब्रिगेडियर अथवा समतुल्य रैंक का तकनीकी अधिकारी होता है। ये तकनीकी समितियां सर्वेक्षण तथा क्षमताओं का आकलन करके रक्षा उपस्कर/सामान का स्वदेश में ही उत्पादन करने में सक्षम सिविल उद्योग का संक्षिप्त ब्यौरा रखती हैं। ये समितियां प्रयोक्ता सेवाओं से विचार-विमर्श करके स्वदेशीकरण हेतु मदों की पहचान करने के पश्चात तथा वाणिज्यिक व्यवहार्यता एवं सामरिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए स्वदेशीकरण संबंधी कार्यकलाप शुरू करती हैं और रक्षा उपस्कर/सामान की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करती हैं। सरकार ने फरवरी, 2002 में यह निर्णय लिया है कि भविष्य में स्वदेशीकरण कार्य की जिम्मेवारी उत्पादन एजेंसियों जैसे आयुध निर्माणियों, सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों तथा सेना मुख्यालयों की होगी।

7.9 रक्षा सामान का स्वदेश में ही विकास करने के लिए सिविल उद्योग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वर्ष 1993-94 में स्वदेशी उत्पादन में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार देने की एक योजना शुरू की गई थी। रक्षा उपस्कर और रक्षा सामान की प्रतिस्थापन मदें तैयार करने के लिए उद्योग द्वारा किए गए प्रयास का विभाग पूर्ण सम्मान करता है तथा पात्र यूनिटों को उपयुक्त पुरस्कार दिए जाते हैं।

7.10 सिविल क्षेत्र को सशस्त्र सेनाओं की जरूरतों से अवगत कराने में सहायता करने के लिए, चार महानगरों में स्थायी नमूना-कक्ष संचालित किए जाते हैं। सिविल उद्योग के साथ विस्तार से तथा सार्थक बातचीत सुनिश्चित करने के लिए सिविल उद्योग के सहयोग से समय-समय पर सम्मेलन/प्रदर्शनियां आयोजित की जाती हैं। वर्ष 2002-2003 (दिसंबर, 2002 तक) देश भर में विभिन्न स्थानों पर छः प्रदर्शनियां आयोजित की गईं।

7.11 वर्ष 2001-2002 में, 4 प्रणालियों/उप प्रणलियों सहित 1405 मदों के आदितः विकास के लिए आपूर्ति आर्डर दिए गए। वर्ष 2002-2003 के दौरान 31 दिसंबर, 2002 तक 778 मदों को विकास हेतु हाथ में लिया गया।

आयुध निर्माणियां

7.12 आयुध निर्माणियां रक्षा हार्डवेयर तथा उपस्करों का स्वदेश में उत्पादन करने का एक सुसम्बद्ध आधार हैं। ये निर्माणियां रक्षा उत्पादन एवं पूर्ति विभाग के अंतर्गत कार्य करती हैं। रक्षा उत्पादन अत्यधिक विशिष्टतायुक्त जटिल तथा अद्वितीय चुनौती भरा क्षेत्र है। इसमें उत्पादों का सुरक्षित, विश्वसनीय, गुणता संगत तथा विभिन्न तरह के भूभागों एवं जलवायु में तथा उत्कट परिस्थितियों में कार्य करने योग्य होना आवश्यक है। तदनुसार, इसमें प्रयुक्त प्रौद्योगिकियों, जिनमें इंजीनियरी, धातु विज्ञान, रासायनिक, वस्त्र, चमड़ा तथा आप्टिकल प्रौद्योगिकियों जैसी अनेक प्रौद्योगिकियां शामिल हैं, में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के मूल उद्देश्य के अतिरिक्त उच्च गुणता तथा उत्पादकता सुनिश्चित की जानी अपेक्षित है। सशस्त्र बलों को आयुधों की पूर्ति करने के अतिरिक्त, आयुध निर्माणियों के पास जहां भी पर्याप्त क्षमताएं उपलब्ध हैं, वहां वे अर्ध सैन्य तथा पुलिस बलों/गृह मंत्रालय की शस्त्रों, गोलाबारूद तथा वस्त्रादि की आवश्यकताओं की भी पूर्ति करती हैं। इस तरह, आयुध निर्माणियों का प्रयास रहता है कि वे न केवल रक्षाबलों से कार्यभार प्राप्त करके अपितु गैर-रक्षा ग्राहकों तथा निर्यात के लिए अपने उत्पादन का विविधीकरण करने के निरंतर प्रयासों से अपने क्षमता-उपयोग को बढ़ाएं।

7.13 भारतीय आयुध निर्माणी संगठन ने 18 मार्च, 2002 को अपनी स्थापना के 200 वर्ष पूरे किए। आयुध निर्माणी संगठन पुरानी तथा अत्याधुनिक निर्माणियों का एक सुंदर मिश्रण है जिसमें पहली आयुध निर्माणी सन् 1801 में कोलकाता के पास कोशीपुर में स्थापित की गई थी और 40वीं निर्माणी बाई-मौड्यूलर चार्जों के उत्पादन हेतु अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ नालंदा, बिहार में स्थापित की जा रही है। ये 40 आयुध निर्माणियां भौगोलिक दृष्टि से देशभर में 25 विभिन्न स्थानों में अवस्थित हैं। स्वतंत्रता से पूर्व की आयुध निर्माणियों में क्षमताएं केवल आवश्यक तैयार सामग्रियों के उत्पादन के लिए सृजित नहीं की गई थी अपितु उनमें मूल तथा मध्यवर्ती सामग्रियों की आपूर्ति के लिए पश्चवर्ती एकीकृत आंतरिक सुविधाएं भी थीं जिनके लिए सिविल क्षेत्र में स्वदेशी औद्योगिक बुनियादी सुविधाएं पर्याप्त नहीं थीं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्थापित की गई निर्माणियों के मामले में जबकि सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में सिविल औद्योगिक आधारभूत ढांचे का क्रमिक आर्विभाव तथा विकास हो गया था, पश्चवर्ती एकीकरण की संकल्पना को धीरे-धीरे छोड़ दिया गया और यथा-व्यवहार्य सीमा तक सिविल क्षेत्र से कच्चे माल, संघटकों और अर्ध-निर्मित सामान की आपूर्ति प्राप्त करके मूल मध्यवर्ती सामान के उत्पादन के बजाय निर्मित सामान के उत्पादन पर अधिक जोर दिया गया।

7.14 **संगठन –** विशेषज्ञतायुक्त और उच्च अधिकार प्राप्त समिति (राज्याध्यक्ष समिति) की सिफारिशों के आधार पर आयुध निर्माणी संगठन में सुदृढ़ता, प्रभावकारिता तथा समुचित कार्य प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए उसके ढांचे में 1979 में परिवर्तन किया गया था। आयुध निर्माणी बोर्ड का तदनुसार गठन किया गया था जिसमें अध्यक्ष के रूप में आयुध निर्माणी महानिदेशक तथा अपर महानिदेशक, रैंक के 9 सदस्य जिनमें वित्त विभाग का एक सदस्य भी शामिल था।

7.15 इस समय, आयुध निर्माणियों को मुख्य उत्पादों निहित प्रौद्योगिकियों के आधार पर 5 कार्यकारी समूहों/डिवीजनों में विभाजित किया गया है, जो इस प्रकार हैं :-

- गोलाबारूद और विस्फोटक
- शस्त्र, वाहन और उपस्कर
- सामग्री और संघटक
- कवचित वाहन और
- आयुध उपस्कर समूह की निर्माणियां

7.16 उपर्युक्त निर्माणी समूह में से प्रत्येक का प्रमुख एक सदस्य/अपर महानिदेशक, आयुध निर्माणी होता है। शेष चार सदस्य विभागीय कार्यों जैसे कार्मिक वित्त, आयोजना एवं सामग्री प्रबंधन, परियोजनाओं एवं इंजीनियरी तथा तकनीकी सेवाओं के लिए जिम्मेवार हैं।

7.17 विशेष/विस्तारित आयुध निर्माणी बोर्ड में सेना, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन तथा रक्षा मंत्रालय को प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है। संसाधनों की आयोजना के लिए समुचित सूचनाएं तथा सापेक्ष महत्व प्रस्तुत करने, उत्पादों एवं प्रक्रियाओं के प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा आयुध निर्माणी बोर्ड के कुशलतापूर्ण कार्य-संचालन के लिए आवश्यक विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार करने के लिए समय-समय पर विशेष बोर्ड बैठकें आयोजित की जाती हैं।

7.18 **उत्पाद-ब्यौरा तथा प्रौद्योगिकी :** रक्षा सेनाओं की उभरती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आयुध निर्माणियां अपने उत्पादों तथा विनिर्माण प्रौद्योगिकियों का निरंतर उन्नयन करती रहती हैं। आयुध निर्माणियों में सृजित सुविधाओं और क्षमताओं से सेना के इन्फैन्ट्री, आर्टिलरी तथा कवचित कोरों, नौसेना और वायुसेना के लिए अनेक प्रकार के शस्त्रों तथा गोलाबारूदों का उत्पादन किया जाता है। निर्माणियों में सैन्य परिवहन वाहनों, इन्फैन्ट्री युद्धक वाहनों, कवचित वाहनों, ऑप्टिकल तथा ऑप्टो-इलेक्ट्रानिक उपकरणों, गर्मियों तथा सर्दियों के लिए वर्दियों, पैराशूटों, चमड़े के विविध सामान तथा सामान्य मदों आदि का उत्पादन किया जाता है। शस्त्रों तथा गोलाबारूद के उत्पादन में कैप्टिव प्रयोग हेतु विशेष प्रयोजन वाले मशीन औजारों के डिजाइन तथा निर्माण के लिए भी सुविधाएं मौजूद हैं।

7.19 आयुध निर्माणियों में ईष्टतम क्षमता उपयोग पर अधिक जोर दिया जा रहा है और यह कार्य न केवल रक्षा बलों से अधिक कार्यभार प्राप्त करके अपितु गैर-रक्षा ग्राहकों

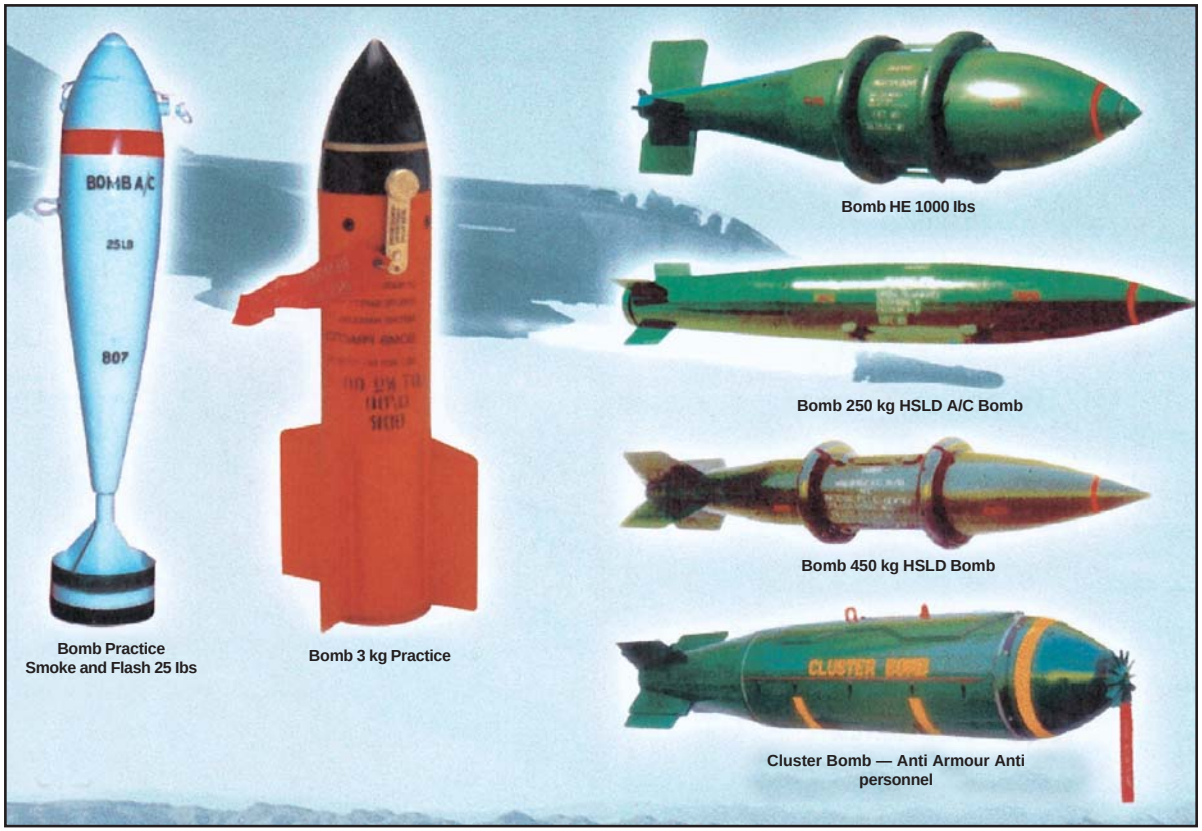

आयुध निर्माणियों द्वारा निर्मित आकाशीय बम

और निर्यात के लिए अपने उत्पादों के विविधीकरण के निरंतर प्रयासों के जरिए भी किया जा रहा है।

7.20 **वृद्धि** – पिछले कई वर्षों में आयुध निर्माणियों की बिक्री में लगातार वृद्धि हुई है। वर्ष 2001-02 के दौरान कुल 6105 करोड़ रुपए की रिकार्ड बिक्री की गई जो पिछले वर्ष की 5608 करोड़ रुपए की बिक्री की तुलना में 8.9 प्रतिशत अधिक रही। वर्ष 2002-2003 में आयुध निर्माणियों की बिक्री बढ़कर 6502 करोड़ रुपए होने की संभावना है। आयुध निर्माणियों ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के माध्यम से अथवा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के जरिए प्रौद्योगिकी का लगातार अद्यतन/उन्नयन करके शस्त्रों, गोलाबारूद तथा अन्य उपस्करों के विकास में अपनी गति बनाए रखने के प्रयास किए हैं।

7.21 आयुध निर्माणियों ने निर्यात सहित गैर-रक्षा ग्राहकों को अपनी बिक्री में भी निरंतर वृद्धि की है। वर्ष 2001-02 के दौरान, आयुध निर्माणियों की कुल बिक्री की 12.4 प्रतिशत बिक्री (756 करोड़ रुपए) गैर-रक्षा ग्राहकों को की गई। यह बिक्री गैर-रक्षा ग्राहकों को पिछले वर्ष की गई कुल बिक्री (604 करोड़ रुपए) से 25.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी को दर्शाती है। वर्ष 2002-03 में, गैर-रक्षा ग्राहकों को बिक्री काफी अधिक, 874 करोड़ रुपए तक होने की संभावना है।

7.22 **प्रमुख उपलब्धियां :** पिछले कुछ वर्षों के दौरान आयुध निर्माणियों की कुछ प्रमुख उपलब्धियां इस प्रकार हैं :-

(i) सभी 39 आयुध निर्माणियों (40वीं स्थापित की जा रही है) को गुणता प्रबंधन प्रणाली (आईएसओ 9002:9004) प्रमाणन, पांच आयुध निर्माणियों को भी आईएस/आईएसओ 9001:2000 गुणता प्रणाली प्रमाणन प्रदान किए गए हैं जो उन्नयित रूपांतर हैं तथा जिसमें ग्राहक संतुष्टि तथा गुणता एवं प्रक्रिया नियंत्रण में निरंतर सुधार पर विशेष ध्यान दिया जाता है। पांच आयुध निर्माणियों को पहले ही आईएस/आईएसओ 9001:2000 प्रमाणन दिए जाने के अतिरिक्त दो और आयुध निर्माणियों की आई एस/आई एस ओ 9001:2000 प्रमाणन हेतु सिफारिश की गई है।

(ii) क्षमता उपयोग में बढ़ोतरी होने से कीमतों में आई कमी से रक्षा सेनाओं को लाभ मिला है। वर्ष 2001-2002 में आयुध निर्माणियों के औसत भारित मूल्य में 3.00% की कमी आई। वर्ष 2002-2003 के दौरान औसत भारित मूल्य में 1.01% की और कमी आई।

(iii) आयुध निर्माणी परियोजना, मेडक ने कैरिअर मोर्टार ट्रैक वाहनों के प्रूफ फायरिंग का नया तरीका स्थापित किया है। इससे प्रूफ फायरिंग क्षमता में तीन गुना वृद्धि होगी।

(iv) राइफल निर्माणी, ईशापुर ने व्यक्तिगत सुरक्षा के एक नए अत्याधुनिक हथियार 0.22'' रिवाल्वर विकसित करके उसका उत्पादन शुरू किया है। इस रिवाल्वर का विकास तथा उत्पादन एक वर्ष से भी कम अवधि में पूरा किया गया था और औपचारिक रूप से इस रिवाल्वर का सूत्रपात 17.6.2002 को किया गया था।

(v) मौजूदा उपस्करों का उन्नयन करने की अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्ति के अनुरूप, आयुध निर्माणियां सेना के लिए 155 मि.मी. के उन्नयित उपस्करों के उत्पादन की प्रक्रिया में लगी हुई हैं। क्योंकि उपस्करों का इस तरह का उन्नयन कि वह नए उपस्कर के समकक्ष हो जाए, किफायती होता है।

(vi) आयुध निर्माणियां हैवी कैलिबर तोप बैरलों के उत्पादन के लिए रेडियल फोर्जिंग सुविधाएं स्थापित कर रही हैं। यह अत्याधुनिक संयंत्र हैं जो कुछेक देशों में ही उपलब्ध हैं।

(vii) ऑप्टो इलेक्ट्रानिक्स निर्माणी, देहरादून ने अपनी ऑप्टिकल अंशांकन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड से प्रत्यायन प्राप्त किया है।

(viii) आयुध निर्माणी, नालंदा एक नई परियोजना है जो 155 मि.मी. शस्त्र प्रणालियों के लिए प्रोपेलेंट चार्जों के निर्माण हेतु बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में लगाई जा रही है। 2700 एकड़ क्षेत्र अधिग्रहित कर लिया गया है और स्थल पर सिविल कार्य शुरू कर दिए गए हैं।

(ix) टी-90 मुख्य युद्धक टैंकों को भारतीय सेना में शामिल कर लिया गया है और आयुध निर्माणियों में इसके स्वदेशी उत्पादन की योजना बनाई गई है। स्वदेशी उत्पादन स्थापित करने संबंधी कार्य-कलाप पूरे जोरों पर हैं तथा स्वदेशी तौर पर निर्मित पहले टी-90 टैंक के वर्ष 2003-2004 में रोल-आउट हो जाने की संभावना है। टी-90 टैंकों के सेना में शामिल कर दिए जाने से भारतीय सेना की मारक क्षमता में वृद्धि होने की संभावना है।

7.23 **आयुध निर्माणियों में स्व-प्रमाणन** - गुणता के प्रति समर्पण के चलते तथा देश और देश से बाहर दोनों में उद्योग में प्रचलित प्रक्रियाओं के अनुरूप, आयुध निर्माणियों ने 1.4.2002 से स्व-प्रमाणन शुरू किया है जिसके फलस्वरूप रक्षा सेनाओं को जारी किए गए उत्पादों की गारंटी दी जाती है। फिलहाल, स्व-प्रमाणन सात तेजी से बदलती वस्त्र तथा सामान्य भंडार मदों तक लागू किया गया है जो आयुध उपस्कर समूह की निर्माणियों के कुल कारोबार का लगभग 20% है। यथा समय अन्य मदों को भी स्व-प्रमाणन के अंतर्गत लाया जाएगा।

7.24 **आंतरिक अनुसंधान एवं विकास संबंधी कार्यकलाप –** आयुध निर्माणियों में उत्पाद एवं प्रक्रिया सुधार के संबंध में आंतरिक अनुसंधान एवं विकास कार्यों पर काफी ध्यान दिया जा रहा है। रक्षा सामानों के डिजाइन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ठोस अभिकल्पन तथा संवेदनशीलता विश्लेषण की तकनीकें अपनाई गई हैं। आंतरिक अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में कुछ प्रमुख उपलब्धियां इस प्रकार हैं :-

(i) 155 मि.मी. प्रदीप्त 18 कि.मी. एम आई आर ए गोले के संघटकों तथा उप-एसेंबलियों के स्वदेशी प्रतिस्थापनों का विकास।

(ii) नियंत्रित विस्तारित टी-76351 स्थिति में हल्के लड़ाकू विमान के लिए एल्यूमीनियम मिश्रधातु 7010 फ्लैट का विकास।

(iii) टी डी पी के-I (अग्नि नियंत्रण प्रणाली सहित लेजर रेंजिंग फाइंडर) के लिए स्वदेशी संघारित्र यूनिट का विकास।

(iv) टी पी डी के-I के लिए स्वदेशी प्रज्ज्वलन यूनिट का विकास।

(v) टी डी पी के-I के 'डी' ब्लाक के लिए संशोधित प्रज्ज्वलन यूनिट सहित स्वदेशी फोटो संसूचक एसेंबली का विकास।

(vi) ए के-47 जैसी सक्षम प्रहार राइफल का विकास। यह राइफल गृह मंत्रालय की यूनिटों को परीक्षणों के लिए प्रस्तुत की गई है।

7.25 **सिविल ट्रेड तथा निर्यात के क्षेत्रों में विविधीकरण –** आयुध निर्माणियां सिविल क्षेत्र के उद्योगों के वाणिज्यिक उपयोग के लिए विभिन्न प्रकार के रसायनों का उत्पादन करती हैं। ये सिविल क्षेत्र के लिए विविध प्रकार के वस्त्र, चमड़े से बनी वस्तुएं तथा स्पोर्टिंग शस्त्र और गोलाबारूद का भी निर्माण करती हैं। वर्ष 2001-02 के दौरान सिविल ट्रेड में कुल बिक्री 271 करोड़ रुपए रही जबकि गत वर्ष यह 218 करोड़ रुपए थी अर्थात् इसमें 24% की वृद्धि हुई। वर्ष 2001-02 के दौरान 32'' रिवाल्वरों तथा पिस्तौलों का उत्पादन बढ़कर 19,000 रिवाल्वर तथा 4300 पिस्तौल हो गया जबकि गत वर्ष यह 10,500 रिवाल्वर तथा 1600 पिस्तौल था। इससे वर्ष 2001-02 के दौरान 103 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया गया। 32'' पिस्तौल के मामले में एक्स-सैल्फ स्थिति प्राप्त कर ली गई है। वर्ष 2000-01 के दौरान स्पोर्टिंग शस्त्रों तथा गोलाबारूद से 167 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया गया जबकि गत वर्ष यह 118 करोड़ रुपए था। इसमें 41.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

7.26 आयुध निर्माणियों ने विश्वभर के 30 देशों को शस्त्रों एवं गोलाबारूद, हथियारों के हिस्से-पुर्जों, रसायनों और विस्फोटकों, चमड़ा तथा वस्त्र मदों का निर्यात किया है। आयुध निर्माणियां देश विदेश में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लेकर, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में विज्ञापन के द्वारा उत्पादों को बढ़ावा देकर, लक्षित देशों के प्रतिनिधिमंडलों के साथ वार्तालाप करके, भारत तथा भारत से बाहर एजेंटों तथा क्रेता प्रतिनिधियों के जरिए निर्यात बढ़ाने के लिए सशक्त विपणन का प्रयास कर रही हैं। क्रेताओं को वांछित सूचना तत्काल सुलभ कराने के लिए ई-मेल योग्य तथा प्रिंट योग्य उत्पादन सूची कम्पैक्ट डिस्क तैयार की गई हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी तरह की जानकारी मांगे जाने पर वह कुछ ही घंटों में उपलब्ध कराई जा सके, ऑनलाइन इंटरनेट आई डी स्थापित की गई है। आयुध निर्माणियां इस तरह के तीव्र विपणन प्रयास से 31.10.2002 तक 62 करोड़ रुपए के आर्डर प्राप्त करने में सफल रहीं।

7.27 यद्यपि आयुध निर्माणी बोर्ड नेपाल, थाइलैंड, मलेशिया, अल्जीरिया, तुर्की तथा बोत्सवाना के परंपरागत बाजारों में अपनी पैठ बनाए हुए है, उसने इस वर्ष अमेरिका, स्वाजीलैंड, न्यूजीलैंड आदि से भी आर्डर प्राप्त किए हैं। वर्ष 2001-02 के दौरान आयुध निर्माणियों ने 35.3 करोड़ रुपए मूल्य का निर्यात किया। वर्ष 2002-03 के दौरान 60 करोड़ रुपए मूल्य तक का निर्यात किए जाने की अपेक्षा है।

आयुध निर्माणियों का आधुनिकीकरण

7.28 सरकार ने सभी आयुध निर्माणियों के आधुनिकीकरण की योजना को अंतिम रूप दे दिया है। इस योजना में प्रौद्योगिकी उन्नयन, क्षमता संवर्धन तथा पुरानी/अप्रचलित प्रौद्योगिकियों और उत्पादन सुविधाओं का आधुनिक प्रौद्योगिकी के संयंत्र और मशीनरी से प्रतिस्थापन किया जाना शामिल है। अंतिम उत्पाद की मात्रात्मक और गुणात्मक मांगों को पूरा करने हेतु संयंत्र एवं मशीनरी को अद्यतन बनाने के लिए आयुध निर्माणियों में अवसंरचनाओं का आधुनिकीकरण तथा स्वप्रचालन किया जा रहा है। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के दौरान उत्पाद प्रौद्योगिकी तथा प्रक्रिया आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है। जिन प्रौद्योगिकियों तथा मशीनों को लगाए जाने की योजना है, वे लचीली होंगी और उनमें उत्पादों की व्यापक रेंज को समाहित करने की क्षमता होगी। 10वीं योजना अवधि के दौरान आधुनिकीकरण योजना के लिए 1786 करोड़ रुपए के निवेश की परिकल्पना की गई है।

ऊर्जा की बचत

7.29 आयुध निर्माणी में ऊर्जा की बचत के प्रयास निरंतर रूप से किए जाते हैं। ऊर्जा की बचत के प्रयासों में कार्यकलापों के सभी क्षेत्र शामिल होते हैं। आयुध निर्माणियों द्वारा अपनाए गए ऊर्जा की बचत के

उपायों के फलस्वरूप उत्पादन लागत के संदर्भ में ऊर्जा खपत की लागत में कमी आई है। बेहतर दक्षता, समुपयोग में वृद्धि तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन के द्वारा ऊर्जा की खपत में किफायत बरती जाती है। वर्ष 2001-02 के दौरान ऊर्जा की खपत कुल उत्पादन मूल्य का 3.38% थी जबकि इस वर्ष के लिए 4.2% का लक्ष्य रखा गया था।

सुरक्षा

7.30 आयुध निर्माणियों में कड़े सुरक्षा मानक स्थापित करने, सुरक्षा संबंधी जागरूकता लाने तथा सतर्कता बरते जाने के लिए 1996 के दौरान कारपोरेट सुरक्षा नीति की पुनरीक्षा की गई थी। सुरक्षा मैनुअल तथा स्थायी अनुदेश सुरक्षा नीतियों में अनुपूरक भूमिका अदा करते हैं। आकस्मिक उपायों के तौर पर दुर्घटना नियंत्रण योजना भी बनाई गई है तथा सुरक्षा समितियों (केन्द्रीय तथा शॉप स्तर) का गठन किया गया है। दुर्घटना-संभावित एवं खतरनाक क्षेत्रों पर विशेष ध्यान की आवश्यकता है।

7.31 एक तीन स्तरीय सुरक्षा संबधी परीक्षा तथा मॉनीटरी प्रणाली से निर्धारित सुरक्षा मानकों का सख्त कार्यान्वयन सुनिश्चित होता है। सुरक्षा परीक्षा पहले स्तर में निर्माणी द्वारा मासिक आधार पर, दूसरे स्तर में अन्य निर्माणियों के सुरक्षा अधिकारी दल द्वारा छमाही आधार पर तथा तीसरे स्तर में क्षेत्रीय सुरक्षा नियंत्रणालय द्वारा किया जाता है। परीक्षा में बताये गये विचलनों में किए गए सुधार को संबंधित क्षेत्रीय सुरक्षा नियंत्रणालय तथा कारपोरेट स्तर पर सुरक्षा नियंत्रक आयुध निर्माणी बोर्ड द्वारा गहन मॉनीटर किया जाता है।

7.32 सुरक्षा से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा तथा विचार विमर्श करने, सुरक्षा सजगता को सुनिश्चित करने, निवारणात्मक रणनीति विकसित करने तथा कार्य योजना बनाने के लिए आयुध निर्माणी स्टाफ कॉलेज द्वारा 20 अक्तूबर, 2002 को पुणे में एक दिवसीय सुरक्षा संगोष्ठी आयोजित की गई थी।

प्रदूषण नियंत्रण

7.33 आयुध निर्माणियों में प्रदूषण नियंत्रण कार्यों को महत्व दिया गया है। निर्माणियां तरल कचरा तथा गैसीय उत्सर्जकों को बहाने के लिए, संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों से वैधानिक सहमति प्राप्त करती हैं तथा इनके पास पूर्ण रूप से कार्य करने वाले कचरा उपचार प्लांट हैं। निर्माणियां, संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्धारित प्रपत्र में पर्यावरण संबंधी वार्षिक विवरण भी प्रस्तुत करती हैं।

पर्यावरणीय प्रदूषण

7.34 पर्यावरण को बचाए रखने के लिए सरकारी नीति के अनुरूप सभी आयुध निर्माणियों में सतत् रूप से वृक्षारोपण कार्य चल रहा है। वर्ष 2002-2003 में 41,25,025 नए वृक्ष लगाने की योजना है जिसमें 21,32,041 वृक्ष दिनांक 31.10.2002 तक लगा दिए गए हैं।

उत्पादकता बोनस

7.35 रक्षा उत्पादन स्थापना की सिविल कर्मचारियों को उत्पादकता संबद्ध बोनस के भुगतान संबंधी नियम में संशोधन किया गया है। वर्ष 2001-02 में संशोधित नियम के आधार पर पात्र कर्मचारियों को 41 दिनों के बराबर वेतन का उत्पादकता संबद्ध बोनस दिया गया।

आयुध निर्माणियों में कम्प्यूटरीकरण

7.36 सभी स्तरों पर निर्णय सहायता प्रणालियों के लिए प्रबंधन सूचना उपलब्ध करवाने के लिए, डिजाइन क्षमता में सुधार लाने के लिए, गणना तथा विश्लेषण में सुधार लाने के लिए तथा कागजी कार्य कम करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी पर मुख्यत: ध्यान दिया जा रहा है।

7.37 आयुध निर्माणी बोर्ड तथा सभी आयुध निर्माणियों में निम्नलिखित क्षेत्रों में कम्प्यूटरीकृत उपयोग लागू कर दिए गए हैं:-

- ऑन लाइन उत्पादन योजना तथा नियंत्रण
- वेतन भुगतान
- कार्मिक सूचना प्रणाली

7.38 आयुध निर्माणियों के सभी कर्मचारियों के लिए कम्प्यूटरीकृत व्यक्तिगत सूचना प्रणाली तथा उत्पादन मॉनीटरिंग प्रणाली का आयुध निर्माणी बोर्ड, कोलकाता में रखरखाव किया जाता है। आयुध निर्माणियों, क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों, आयुध निर्माणी स्टॉफ कॉलेज तथा आयुध निर्माणी बोर्ड में लोकल एरिया नेटवर्क स्थापित किया गया है। वॉयस तथा डाटा कम्यूनिकेशन से आयुध निर्माणियां तथा आयुध निर्माणी बोर्ड को जोड़ने के लिए सेटलाइट आधारित वाइड एरिया नेटवर्क की स्थापना की गई है। 5 स्थानों पर वीडियो कांफ्रैंसिंग सुविधा भी उपलब्ध है। बोर्ड स्तर पर लैन तथा वैन एकीकरण तथा कम्प्यूटरीकृत एम आई एस की एक परियोजना प्रगति पर है। आयुध निर्माणी बोर्ड की वेबसाइट **www.ofbindia.com** पर उत्पादन, सेवा तथा अन्य संबद्ध मामलों की अद्यतन सूचना उपलब्ध है।

गुणता प्रबंधन

7.39 आयुध निर्माणियों की गुणता में सुधार लाना एक सतत् प्रक्रिया है तथा यह उत्पादन प्रणाली में समाहित है।

सभी आयुध निर्माणियों में पूर्ण गुणता प्रबंधन सिद्धांतों को लागू करने पर बहुत महत्व दिया गया है। आई एस ओ 9000:2000 में निहित गुणता प्रबंधन सिद्धांतों को सभी आयुध निर्माणियों में समाहित किया जा रहा है। आई एस ओ 9001:2000 प्रमाणन के अनुरूप दिसंबर 2003 की निर्धारित समय-सीमा के काफी पहले गुणता प्रक्रिया में समाहित करने के लिए आई एस ओ (दिसंबर-2000) स्तर के अनुसार मापने योग्य अनुक्रमणिकाओं का विकास किया जा रहा है। 19 आयुध निर्माणियां अपनी प्रयोगशालाओं के लिए प्रयोगशालाओं से संबंधित राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड से प्रत्यायन पहले ही प्राप्त कर चुकी हैं।

ग्राहक की संतुष्टि

7.40 आयुध निर्माणियों के दल ग्राहकों से उनकी संतुष्टि जानने के लिए ग्राहकों की शिकायतों को दूर करने, प्रयोक्ताओं के समक्ष आने वाली समस्याओं को समझने और उत्पादों से जुड़ी हुई उनकी उम्मीदों से अवगत होने के लिए नियमित रूप से डिपुओं और अग्रवर्ती क्षेत्रों का दौरा करते हैं। आयुध निर्माणी बोर्ड और गुणता आश्वासन महानिदेशालय के अधिकारियों से बने संयुक्त दल भी मदों की गुणवत्ता में सुधार करने के उद्देश्य से प्रयोक्ता की मर्जी जानने के लिए अग्रवर्ती क्षेत्रों का दौरा करते हैं।

राजभाषा

7.41 आयुध निर्माणियों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को समुचित महत्व दिया गया है। प्रत्येक यूनिट में स्वतंत्र राजभाषा कार्यान्वयन समिति कार्य कर रही है। विभिन्न यूनिटों तथा आयुध निर्माणी बोर्ड में राजभाषा की प्रगति की पुनरीक्षा करने के लिए त्रैमासिक बैठक का आयोजन किया जाता है।

7.42 आयुध निर्माणी बोर्ड मुख्यालय में कार्मिकों के लिए हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया था। रोजमर्रा के कार्यालयी कार्य में हिन्दी के इस्तेमाल को समझने के लिए प्रतिभागियों को अवसर देना इस कार्यशाला का उद्देश्य था। सभी आयुध निर्माणियों और आयुध निर्माणी बोर्ड मुख्यालय में राजभाषा प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थीं। इनमें हिन्दी निबंध, टंकण, टिप्पण तथा मसौदा लेखन आदि शामिल थे। हिन्दी दिवस/पखवाड़े के अवसर पर 14 सितंबर 2002 को आयोजित कार्यक्रमों में इन प्रतियोगिता के विजेताओं को उपयुक्त पुरस्कार दिए गए। अधिकांश कम्प्यूटरों में द्विभाषी सॉफ्टवेयर उपलब्ध करवाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

7.43 8 सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों के उत्पादन एवं बिक्री, निवेश तथा लाभ आदि परिशिष्ट-I से III में दिए गए हैं।

हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड

7.44 अक्टूबर 1964 में हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड तथा एयरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड को मिलाकर हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड को बनाया गया था। इस कंपनी की छह राज्यों में 12 डिवीजनें हैं।

7.45 हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड एशिया में एक व्यापक वैमानिकी परिसर के रूप में विकसित हो चुका है। इसने लड़ाकू विमानों, प्रशिक्षण विमानों, हेलिकाप्टरों, परिवहन विमानों, इंजनों, वैमानिकी और प्रणाली उपस्करों के डिजायन, विनिर्माण तथा ओवरहाल में व्यापक दक्षता हासिल कर ली है। इसकी उत्पादन शृंखला में आंतरिक अनुसंधान एवं विकास वाले 11 किस्म के विमान एवं 13 किस्म के लाइसेंस उत्पादन जिसमें 8 किस्म के एयरो इंजन और 1000 से भी अधिक विमान प्रणाली उपस्करों (वैमानिकी, यांत्रिक और विद्युत) के मद शामिल हैं।

7.46 हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड की अधिकतर आपूर्तियां/सेवाएं भारतीय वायुसेना, नौसेना, सेना तटरक्षक बल तथा सीमा सुरक्षा बल के लिए होती है। अतिरिक्त उत्पादन के अनुरूप इस संस्थान के परिवहन तथा हेलिकॉप्टरों की विमान सेवाओं तथा राज्य सरकारों को आपूर्ति की जाती है। हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड आई एस आर ओ के अंतरिक्ष विमान कार्यक्रम में पूरी तरह से सहयोग भी दे रहा है तथा मिसाइल विकास और निर्माण कार्यक्रमों में भाग ले रहा है।

7.47 इस समय हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अपने आपको बहु वैमानिकी परिसर के रूप में विकसित कर लिया है। 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने के लिए कम्पनी का पुनः निर्धारित लक्ष्य निम्नलिखित है :-

"हवाई क्षेत्र रक्षा उपस्करों के डिजाइन, निर्माण और अनुरक्षण में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के एक साधन के रूप में कार्य करते हुए हवाई क्षेत्र उद्योग में विश्वस्तरीय प्रतियोगी बनना तथा संबद्ध क्षेत्रों में विविधता लाना, बढ़ते हुए प्रतिस्पर्धात्मक परिवेश में वाणिज्यिक स्तर पर व्यवसाय चलाना।"

7.48 शोध तथा डिजायन कार्यकलापों को सुदृढ़ करने के लिए उदारीकरण के पश्चात् के चरण में तात्कालिक आवश्यकता महसूस करते हुए इसे विभिन्न पृथक तथा कार्यात्मक शोध तथा डिजाइन केन्द्रों के रूप में पुनः संगठित किया गया है और साथ-साथ कार्य

करने के लिए संबद्ध निर्माण डिवीजनों के साथ रखा गया है।

7.49 इस वर्ष के दौरान एच ए एल की महत्वपूर्ण उपलब्धियां निम्नलिखित हैं :-

(i) एच ए एल ने मिग-21 बिस, मिग-27 एम, जगुआर और एच एस-748 जैसे कई उन्नयन कार्यक्रमों के अलावा उन्नत हल्के हेलिकाप्टरों की उत्पादन शृंखलाओं, सुखोई-30, एम के-I का लाइसेंस के तहत उत्पादन, इंटरमीडियट जेट प्रशिक्षण विमानों का विकास, हल्के लड़ाकू विमानों की सीमित उत्पादन शृंखलाओं जैसी कई नई परियोजनाएं शुरू की हैं।

एचपीटी-32

(ii) वर्ष 2002-03 के दौरान 5775 मदों के स्वदेशीकरण की योजना है जिससे चालू मूल्य स्तर पर प्रतिवर्ष 31.00 करोड़ रुपए की बचत होने का अनुमान है। अप्रैल-दिसंबर 2002 की अवधि के दौरान 4174 मदों का स्वदेशीकरण किया गया जिससे प्रतिवर्ष 24.61 करोड़ रुपए की पूर्वानुमानित विदेशी मुद्रा की बचत होगी।

(iii) इस कम्पनी को सार्वजनिक क्षेत्र प्रबंधन-संस्थागत श्रेणी 1998-99 में उत्कृष्ट तथा असाधारण योगदान के लिए लोक उद्यमों के स्थाई सम्मेलन की ''गोल्ड ट्रॉफी'' प्राप्त की है तथा वर्ष 1999-2000 के लिए लोक उद्यम विभाग द्वारा ''दस श्रेष्ठ समझौता ज्ञापन'' पुरस्कार मिला है।

(iv) इस कम्पनी ने ''इंजीनियरी परामर्श, प्रौद्योगिकी संबंधी जानकारी और अन्य इंजीनियरी सेवा'' श्रेणी में उत्कृष्ट कार्य निष्पादन के लिए वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित लगातार 9 वर्षों के लिए इंजीनियरी निर्यात प्रोत्साहन परिषद का पुरस्कार प्राप्त किया है।

(v) एच ए एल के सभी विनिर्माण और ओवरहाल डिवीजन गुणता प्रणालियों को आई एस ओ 9001/9002 मानकों के लिए प्रमाणित किया गया है। आई एस ओ 14001 पर्यावरण प्रबंध न प्रणालियों के लिए 5 डिवीजन भी प्रमाणित किए गए हैं।

(vi) गुणता सुधार योजनाओं के भाग के रूप में कई गुणता तथा सुरक्षा सुधारों के कार्यान्वयन के परिणाम स्वरूप ग्राहकों की शिकायतों तथा एच ए एल उत्पादों की समय पूर्व वापसी में काफी कमी आई है।

(vii) एच ए एल डिवीजन एच ए एल में निर्मित/ओवर हाल किए गए उत्पादों के कारगर उपयोग के लिए ग्राहकों द्वारा अपेक्षित संपूर्ण सहायता (तकनीकी और संभारिकी दोनों) मुहैया करवा रहे हैं तथा ग्राहक के लक्ष्य को पूरा करने के लिए विमानों, इंजनों और उपस्करों को फिट रखते हैं।

(viii) एच ए एल द्वारा पहली बार सेना, नौसेना, वायुसेना और सिविल उपयोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उच्च कोटि की मिश्रित और उन्नत प्रौद्योगिकी विशेषताओं से युक्त पांच टन श्रेणी के विश्व स्तरीय बहु भूमिका वाले बहुलक्षीय किफायती उन्नत हल्के हेलिकाप्टरों का विकास किया गया है। वर्ष 2001-02 में सेना को 4, नौसेना को 1, वायुसेना को 1 और तटरक्षक बल को 1 हेलिकाप्टर दिए गए हैं तथा वर्ष 2002-03 में 11 हेलिकाप्टरों की सुपुर्दगी किए जाने की योजना है।

(ix) हल्के लड़ाकू विमान परियोजना में मुख्य सहभागी होने के कारण एच ए एल ने संरचनात्मक डिजाइन, प्रणाली डिजाइन और एकीकरण, आदिरूप के विकास और भारी संख्या में इलैक्ट्रिकल, हाइड्रो मैकेनिकल और उन्नत वैमानिक मदों के डिजाइन और विकास के माध्यम से योगदान किया है।

(x) एच ए एल ने नए इंटरमीडिएट जेट प्रशिक्षण विमान (एच जे टी-36) का विकास करने के लिए परियोजना शुरू की है। इस विमान में कम वजन और कम प्रचालन लागत सहित उत्कृष्ट कार्य निष्पादन और युक्तिचालन, युद्ध सामग्री ले जाने की उच्च क्षमता और आधुनिक प्रणाली और वैमानिकी होगी।

(xi) इस कम्पनी द्वारा विमान के दिशा निर्देशन प्रणाली और शस्त्र द्वारा लक्ष्य साधने के कार्य में सुधार करने के लिए नवीनतम वैमानिकी प्रणाली लगाने हेतु सीधे आपूरित जगुआर नवास विमानों का उन्नयन कार्य शुरू किया है। परीक्षण विमान पर प्रणाली एकीकरण और

विकास कार्य 2003-04 तक पूरा हो जाने की संभावना है तथा इसके बाद शृंखलाबद्ध विमानों का उन्नयन किया जाएगा।

(xii) चालक रहित लक्ष्यभेदी विमानों पर उपयोग किए जाने के लिए पीटीएई-7 इंजनों का विकास कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। वैमानिकी विकास स्थापना के अनुरोध पर फाइन ट्यूनिंग का कार्य किया जा रहा है।

(xiii) मिग-21 बिस का उन्नयन कार्य एच ए एल में शुरू किया गया है और उन्नयन के लिए 123 विमानों में से दिसंबर, 2002 तक 21 विमानों पर उन्नयन कार्य पूरा कर लिया गया है।

भारत इलैक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड

7.50 बेंगलूर में अपने निगमित कार्यालय के साथ 1954 में स्थापित भारत इलैक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की देश में 9 इकाइयां हैं। यह रक्षा सेनाओं, अर्ध-सैन्य बल संगठनों और आकाशवाणी, दूरदर्शन, दूर-संचार विभाग, पुलिस वायरलेस, मौसम विभाग आदि जैसे अन्य सरकारी प्रयोक्ताओं के इस्तेमाल के लिए नवीनतम आधुनिक इलैक्ट्रॉनिक्स उपस्करों/संघटकों के डिजाइन, विकास तथा निर्माण कार्यों में लगा हुआ है। भारत इलैक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड उपलब्ध अत्याधुनिक विनिर्माण तथा परीक्षण सुविधाओं का इस्तेमाल करके कम्पनी के लिए महत्वपूर्ण व्यवसाय जुटाने के लिए कम्पनी में अनुसंधान तथा विकास कार्यों पर केन्द्रित कर रही है। सामग्री प्रबंधन अत्याधुनिक परीक्षण सुविधाओं के लिए ऑन लाइन कम्प्यूटरीकरण, पर्यावरण और विश्वसनीयता जांच संबंधी सुविधाओं, इलैक्ट्रो मैग्नेटिक इंटरफेरेंस/इलैक्ट्रो मैग्नेटिक अनुकूलता परीक्षण सुविधा, ऐंटिना परीक्षण सुविधा, मानकीकरण, तकनीकी सूचना और प्रलेखन से सहायता और कम्प्यूटर युक्त डिजाइन और निर्माण से भारत इलैक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एक आधुनिक व्यवसायिक इलैक्ट्रॉनिक कम्पनी बन गई है।

7.51 वर्ष के दौरान भारत इलैक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की महत्वपूर्ण उपलब्धियां निम्नलिखित हैं :-

(i) भारत इलैक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के कुल उत्पादन का लगभग 72 प्रतिशत हिस्सा रक्षा सेनाओं के लिए रहा है तथा सेना के लिए ए आर ई एन योजना, वायुसेना के लिए ए डी जी ई एस योजना जैसे कार्यक्रमों तथा नौसेना के आधुनिकीकरण कार्यक्रमों में सेवाओं के लिए उसका योगदान काफी महत्वपूर्ण रहा है। भारत इलैक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड लाइफ टाइम उत्पाद सहायता के आश्वासन सहित रेडारों, सोनारों, संचार उपस्करों और प्रणालियों, सैट कॉम, टैंक इलैक्ट्रॉनिक्स, इलैक्ट्रॉनिक युद्ध पद्धति उपस्कर आदि के क्षेत्र में कड़े रक्षा विनिर्दिष्टयों को पूरा करने के लिए सेवाओं की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करती है।

(ii) भारत इलैक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड देश की सिविलियन व्यावसायिक इलैक्ट्रॉनिकी के क्षेत्र में विशेषकर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के लिए स्टूडियो उपस्कर, ट्रांसमीटर सैटेलाइट संपर्क, ओबी वैन जैसे रेडियो तथा दूरदर्शन प्रसारण को इसकी आधारभूत आवश्यकताओं के लिए थोक में आपूर्ति करके एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। दूर-संचार के क्षेत्र में विशेषकर ट्रांसमिशन उपस्कर के क्षेत्र में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। जहां इसने भारत संचार निगम लिमिटेड की पर्याप्त आवश्यकताओं को पूरा किया था भारत इलैक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को प्राथमिक/द्वितीय निगरानी रेडारों की आपूर्ति करके हवाई अड्डों के आधनिकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सिविल क्षेत्र में भारत इलैक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के उत्पादों में एकीकृत मत्स्य खोजी तथा नौचालन दिशा निर्देशन प्रणाली, सोलर ट्रैफिक सिग्नल, कम्प्यूटर के लिए मदर बोर्ड, आंध्र प्रदेश के लिए सैटेलाइट संचार नेटवर्क, इलैक्ट्रॉनिक मतदान मशीन आदि शामिल हैं।

(iii) भारत इलैक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने इलैक्ट्रान ट्यूबों (उपभोक्ता इलैक्ट्रॉनिक्स उद्योग के लिए टी वी पिक्चर ट्यूबों, आकाशवाणी/दूरदर्शन के लिए ट्रांसमिटिंग ट्यूबों तथा औद्योगिक जरूरतों के लिए माइक्रोवेव ट्यूबों, एक्स-रे ट्यूबों, वेक्यूम इंटरप्टरों आदि) सेमीकंडक्टर उपकरणों, एकीकृत सर्किटों, हाइब्रिड माइक्रो सर्किटों, लिक्विड क्रिस्टल डिसप्ले, सोलर सेलों तथा प्रणालियों, क्रिस्टलों तथा कैपसिटरों और पैसिव संघटकों का निर्माण करके देश में इलैक्ट्रॉनिक संघटक उद्योग के विकास का मार्ग प्रशस्त किया।

(iv) भारत इलैक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की अनुसंधान तथा विकास यूनिटें प्रत्येक वर्ष कई नए उत्पादों का विकास करती हैं। ये नए उत्पाद सफल वाणिज्यिकरण के माध्यम से उत्पादन में योगदान करते हैं। अनुसंधान तथा विकास के प्रयासों के फलस्वरूप पिछले वर्षों में आयात प्रतिस्थापन और स्वदेशीकरण के माध्यम से विदेशी मुद्रा की पर्याप्त बचत हुई है। व्यावसायिक इलैक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में राष्ट्र की कई सामरिक आवश्यकताओं का विकास अनुसंधान तथा विकास प्रयासों के माध्यम से

कर लिया गया है। अनुसंधान तथा विकास यूनिटों के द्वारा विकसित कुछ उत्पादों को विश्व बाजार में भी स्थान मिला है। भारत इलैक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की अनुसंधान तथा विकास यूनिटें नियमित रूप से राष्ट्रीय अनुसंधान तथा विकास पुरस्कार प्राप्त करती रही हैं।

(v) भारत इलैक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को अनुसंधान तथा विकास परियोजना रेडार तथा रिपोर्टर रेडार के लिए वीडियो जनरेटर तथा सिमुलेशन सिनेरियो जनरेटर के लिए इलैक्ट्रानिक्स उद्योग क्षेत्र के तहत यूनिटों में अनुसंधान तथा विकास प्रयासों के लिए डी एस आई आर राष्ट्रीय अनुसंधान तथा विकास पुरस्कार दिया गया है।

(vi) भारत इलैक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की सभी यूनिटें आई एस ओ-9001/9002 के लिए प्रमाणित हैं। वर्ष 2001-02 के दौरान आई एस ओ 9000:2000 में उन्नत करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है तथा आई एस ओ 9000:2000 के लिए 5 डिवीजनें प्रमाणित की जा चुकी हैं।

(vii) समीक्षाधीन अवधि के लिए समझौता ज्ञापन का मूल्यांकन उत्कृष्ट रहा है।

भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड

7.52 भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड की स्थापना मई 1964 में हुई थी और उसने जनवरी 1965 से कार्य करना आरंभ कर दिया था। सरकार ने भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के शेयरों का विनिवेश मार्च, 2002 के अंत तक किया परंतु कंपनी के 61.23 प्रतिशत से अधिक इक्विटी शेयर अपने पास रखे हैं और वह इस कंपनी की अभी भी सबसे बड़ी शेयरधारक है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड की निर्माण डिवीजनें बेंगलूर, कोलार गोल्ड फील्ड और मैसूर में हैं।

7.53 भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड की सभी इकाइयां अतिरिक्त हैवी ड्यूटी मशीनों, सीएनसी मशीनों, ग्लीसन डिजाइन की सीएनसी बेवल जनरेटिंग प्रणाली, नमनीय निर्माण प्रणली, भारी तथा व्यापक फैबिक्रेशन सुविधा, वेल्डिंग रोबोट आदि जैसे आवश्यक सामान्य उद्देश्य तथा विशेष उद्देश्य वाली मशीनों से पूरी तरह से सज्जित हैं जिससे वे ट्रांसमिशन तथा एक्सलों, हाइड्रौलिक कंट्रोल वाल्वों, सिलेंडरों और पंपों, डीजल इंजनों, रेल कोचों, रेल बसों, रेल वैगनों, आल्टरिंग करंट इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिटों, सभी भू-भागों के लिए हैवी ड्यूटी वाले मल्टी एक्सल ट्रकों, अर्थ मूविंग मशीनरी तथा कवचित रिकवरी वाहनों जैसे ट्रैक्ड मिलिट्री वाहनों, स्व-प्रणोदित तोपों, टैंकों तथा हैवी ड्यूटी वाहनों जैसे अन्य सैन्य वाहनों, पुल बिछाने वाले टैंकों, ट्रक आधारित चल पुल प्रणाली, ट्रक चेसिसों पर लगी तोप प्रणाली और राकेट लांचर प्रणाली आदि का निर्माण करती हैं।

7.54 वर्ष के दौरान भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड की महत्वूर्ण उपलब्धियां :-

(i) अनुसंधान तथा विकास कार्यकलापों पर निरंतर जोर दिया जाता है ताकि कम्पनी अर्थमूविंग उद्योग में अपनी प्रमुखता को बनाए रख सके। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए कम्पनी ने बी ई 1600 हाइड्रौलिक एक्सकेवेटर, बी जी 605ए आर्टिकुलेटिड मोटर ग्रेडर तथा बी एल 10 सी साइट डिस्चार्ज लोडर का सफलतापूर्वक उत्पादन किया है।

(ii) इस समय विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग की प्रौद्योगिकी सूचना, पूर्वानुमान तथा आकलन परिषद की वित्तीय सहायता से भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड की अनुसंधान तथा विकास विंग विध्वंसक प्रबंधन उपस्करों के डिजाइन तथा विकास पर कार्य कर रही है। इस परियोजना में विध्वंस प्रभावित क्षेत्रों में मलबा हटाने में इस्तेमाल करने और जोखिमपूर्ण कार्यों में तैनाती के लिए रेडियो नियंत्रित डोजर के लिए 30 टन क्लास एक्सकेवेटरों पर विशेष रूप से लगाने के स्थान बनाने हेतु डिजाइन में परिवर्तन की परिकल्पना की गई है।

(iii) भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के उत्पादन यू.के, मध्य-पूर्व , श्रीलंका, बांग्लादेश और अफ्रीकी देशों को निर्यात किए जाते हैं। दिसंबर, 2002 तक 10.36 करोड़ रुपए का निर्यात किया गया।

(iv) भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड की सभी निर्माण इकाइयां आई एस ओ-9001 प्रमाण-पत्र धारक हैं।

माझगांव डॉक लिमिटेड

7.55 सरकार ने माझगांव डॉक लिमिटेड का मई, 1960 में अधिग्रहण किया था। यह देश का अग्रणी शिपयार्ड है तथा रक्षा व सिविल सेक्टरों के लिए कई किस्म की तोपों का निर्माण करता है। यह रक्षा क्षेत्र के लिए विध्वंसकों, फ्रिगेटों, प्रक्षेपास्त्र नौकाओं, कार्बेटों, पनडुब्बियों तथा सिविल क्षेत्र के लिए व्यापारिक जलयानों, ड्रेजरों आदि का निर्माण करती है। माझगांव डॉक लिमिटेड ने तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के लिए कूपशीर्ष प्लेटफॉर्मों का उत्पादन तथा संस्थापन करके तेल खोज के क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी उत्पादन-शृंखला का विविधीकरण भी किया है।

7.56 वर्ष के दौरान कम्पनी की उल्लेखनीय उपलब्धियां इस प्रकार रही हैं :-

(i) भारतीय नौसेना को प्रक्षेपास्त्र नौका ''भारतीय नौसेना पोत प्रबल'' सुपुर्द करना।

(ii) सीमा सुरक्षा बल के लिए प्रथम बार्डर आउटपोस्ट सीमा प्रहरी द्वारका बनाना।

(iii) सीमा सुरक्षा बल के लिए बार्डर आउटपोस्ट और भारतीय नौसेना के लिए पी-17 परियोजना के द्वितीय युद्धपोत के पहले, दूसरे तथा तीसरे चरण का कार्य शुरू करना।

गार्डनरीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड

7.57 भारत सरकार ने गार्डनरीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड को रक्षा मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के रूप में 1960 में अधिगृहित किया था। यह कंपनी नौसेना और तटरक्षक बल के लिए युद्धपोतों तथा सहायक जलयानों के निर्माण व मरम्मत का कार्य करती है। इसके उत्पादों में फ्रिगेट, कार्बेट, तेल टैंकर, गश्ती जलयान, प्रहारक यान, उच्च प्रौद्योगिकी युक्त पोतवाहित उपस्कर, इस्पात से बने पोर्टेबल बेलीपुल, कृषि क्षेत्र के लिए टरबाइन पंप, समुद्री मलजल उपचार संयंत्र, डीजल इंजन आदि शामिल हैं।

7.58 वर्ष के दौरान कम्पनी की उल्लेखनीय उपलब्धियां निम्नलिखित रही हैं :-

(i) भारतीय नौसेना को इस शृंखला के तृतीय तथा चतुर्थ तीव्र आक्रामक यान सुपुर्द किए गए थे।

(ii) पी-25ए शृंखलाओं का तीसरा फालो-आन कार्बेट भारतीय नौसेना को दिया गया था।

(iii) छह होवरक्राफ्टों (एच-186) की अंतिम शृंखला तटरक्षक के सुपुर्द की थी।

(iv) दक्षिण-पूर्व एशियाई फर्म के वास्ते 25 लाख रुपए (54,000 अमरीकी डालर) का एक निर्यात आर्डर सफलातपूर्वक पूरा किया गया था।

गोवा शिपयार्ड लिमिटेड

7.59 भारत सरकार द्वारा 1967 में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड का रक्षा मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में अधिग्रहण किया गया था। यह कंपनी रक्षा तथा सिविल क्षेत्रों के लिए विभिन्न मध्यम आकार के तथा विशेष प्रयोजन पोत बनाती है। इसके उत्पादन क्षेत्र में सर्वेक्षण जलयान, प्रक्षेपास्त्रयुक्त नौकाएं, गश्ती जलयान, सामुद्रिक, आपूर्ति जलयान, तेल वाहक टैंकर, यात्री वाहक नौकाएं, कर्षनौकाएं तथा नौकाएं आदि शामिल हैं।

7.60 इस वर्ष के दौरान कंपनी की महत्वपूर्ण उपलब्धियां निम्नवत् रही हैं :-

(i) भारतीय तटरक्षक को नवंबर 2002 में एक तीव्रगामी गश्ती जलयान सुपुर्द किया गया था।

(ii) समुद्री और नौसैनिक जलयानों के लिए मरम्मत और पोत-निर्माण के बड़े आर्डर लेने के उद्देश्य से दो स्लिपवेज का पुररुद्धार और आधुनिकीकरण करके इस कंपनी ने अपनी पोत मरम्मत सुविधाओं का संवर्धन किया है।

(iii) कंपनी को ''विभिन्न प्रकार के पोतों और यानों के डिजाइन, निर्माण और मरम्मत'' के लिए आई एस ओ 9001 प्रमाणन दिया गया है। इस कंपनी ने वर्ष 2002-2003 में आई एस ओ 9000-2000 प्राप्त करने के लिए भी प्रयास प्रारंभ किए।

(iv) इस कंपनी ने विश्व भर में निविदाओं के लिए बोली लगाने और विदेश में प्रदर्शनियों, सेमिनारों, और कंपनी की पोत निर्माण क्षमताओं से संबंधित प्रदर्शनों में भाग लेकर निर्यात संवर्धन अभियान को बढ़ावा दिया है।

भारत डायनॉमिक्स लिमिटेड

7.61 भारत डायनॉमिक्स लिमिटेड की स्थापना निर्देशित प्रक्षेपास्त्रों के विनिर्माण के लिए 1970 में की गई थी। यह उन सामरिक उद्योगों में से एक है जो उन्नत निर्देशित प्रक्षेपास्त्र प्रणालियों का उत्पादन करने की क्षमता रखती है। यह कंपनी एकीकृत प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम के तहत अन्य प्रक्षेपास्त्रों की प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के साथ मिलकर कार्य कर रही है।

7.62 वर्ष के दौरान भारत डायनॉमिक्स लिमिटेड के कार्य-निष्पादन की मुख्य बातें इस प्रकार हैं :-

(i) वर्ष 2001-2002 के दौरान भारत डायनॉमिक्स लिमिटेड की चौथी डिवीजन अर्थात् सूचना प्रौद्योगिकी डिवीजन ने भी आई एस ओ-9001 प्रत्यायन प्राप्त किया।

(ii) भारत डायनॉमिक्स लिमिटेड उपभोक्ता संतुष्टि को सर्वाधिक महत्व देता है। प्रयोक्ता द्वारा आयोजित फील्ड गोलाबारी में कंपनी ने नियमित रूप से भाग लिया है।

(iii) भारत डायनॉमिक्स लिमिटेड ने विनिर्माण प्रक्रिया और निरीक्षण प्रक्रियाओं में विभिन्न सुधार-कार्य किए। कम्प्यूटरीकरण के माध्यम से इस प्रक्रिया की दक्षता में और वृद्धि हुई है। इनके परिणामस्वरूप प्रति कर्मचारी मूल्यांकन में अनवरत वृद्धि हुई है।

(iv) भारत डायनॉमिक्स लिमिटेड ने रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन द्वारा विकसित हल्के भार वाले तारपीडो का विनिर्माण भी प्रारंभ कर दिया है जिन्हें सतही जलयानों से हेलीकाप्टरों तक लांच किया जा सकता है।

मिश्र धातु निगम लिमिटेड (मिधानि)

7.63 वैमानिकी, अंतरिक्ष, शस्त्रास्त्र, परमाणु ऊर्जा, नौसेना जैसे सामरिक क्षेत्रों के लिए सुपर एलॉय, टिटेनियम एलॉय के क्षेत्रों और विशेष उत्पादों जैसे कि मोलिब्डेनम तारों और प्लेटों, टिटेनियम और स्टेनलेस स्टील ट्यूबों, साफ्ट मेगनेटिक एलॉयों, कंट्रोल्ड एक्सपांशन एलॉयों और रेसिस्टेंस एलॉयों जैसी विद्युत और वैद्युत उपयोग की एलॉयों में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 1973 में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में मिश्र धातु निगम लिमिटेड की हैदराबाद में संस्थापना की गई थी।

7.64 इस वर्ष में मिश्र धातु निगम लिमिटेड की महत्वपूर्ण उपलब्धियों के विवरण निम्नानुसार हैं :-

(i) मिधानि ने महत्वपूर्ण अंतरिक्ष अनुप्रयोग के लिए अपेक्षित अत्याधुनिक नियोबियम एलॉय बनाने की प्रौद्योगिकी सक्षमता का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया।

(ii) मूल्यवान उत्पादों की ओर अग्रसर होने के कंपनी के सामरिक प्रयास के एक हिस्से के रूप में विशेष स्टेनलेस स्टील की जटिल आकार की फोर्जिंगों को सफलतापूर्वक बनाया।

(iii) देश में पहली बार हाई-प्रेशर ''गैस बोतलों'' के फैब्रिकेशन के लिए टिटेनियम एलॉय की मोटी प्लेटों की हॉट रोलिंग का कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया।

(iv) कम कीमत के आयात प्रतिस्थापन के रूप में टिटेनियम के बने बढ़िया किस्म के बायो मेडिकल इम्प्लांटों की बड़ी रेंज सफलतापूर्वक बनाई है और वाणिज्यिक स्तर पर उसे लांच करने की अवस्था प्राप्त कर ली है।

(v) एल सी ए, पी एस एल वी/जी एस एल वी, रक्षा वैमानिकी, अंतरिक्ष एवं परमाणु ऊर्जा क्षेत्रों में शस्त्रास्त्रों जैसे राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रमों में मिधानि में निरंतर विशेष सामग्री सहायता को बढ़ाया है।

(vi) टिटेनियम एलॉय (टी आई-6 ए आई-4 वी) की बड़ी आकार की प्लेटों/स्लैबों के लिए निर्यात आर्डर निष्पादित किया।

(vii) मिधानि ने सफलतापूर्वक फिलर वायर बनाए और उन्हें विशेष रूप दिया तथा बाद में उनका आवश्यकतानुसार ए बी 2 पी के फोर्जिंगों को ढकने के लिए इस्तेमाल किया।

(viii) मिधानि ने दिसम्बर, 2002 तक मुख्यत: मोलिब्डेनम और टिटेनियम वाले उत्पादों के 64.84 लाख रुपए के सामान का निर्यात नीदरलैंड, ताईवान, वियतनाम, जापान और संयुक्त राज्य अमरीका को किया।

(ix) मिधानि ने सुपर प्लास्टिक फार्मिंग, जोकि उन्नत प्रौद्योगिकी है, के माध्यम से टिटेनियम एलॉय गोलार्ध बनाने के लिए विनिर्माण प्रक्रिया का विकास किया है। कीमती वस्तुएं बनाने के लिए विशेषीकृत टंगस्टन इनर्ट गैस सुविधा चालू कर दी गई है। वेल्ड कूपनों की वेल्डिंग और टेस्टिंग कार्य चल रहा है।

(x) इस वर्ष में मिधानि गुणता प्रणाली को आई एस/आई एस ओ 9002, 1994 के प्रमाणन के लिए भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निगरानी लेखापरीक्षा का कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया गया है।

(xi) मिधानि ने अपने उत्पादों के वास्ते निम्नलिखित से गुणता प्रमाणन ले लिया है :-

- सी-17 कार्यक्रम और एम डी श्रृंखलाओं के लिए टिटेनियम और टिटेनियम एलॉय के वास्ते मेसर्स बोइंग एयरक्राफ्ट कंपनी, संयुक्त राज्य अमेरिका।
- मेसर्स जनरल इलेक्ट्रिक एयरो इंजन, संयुक्त राज्य अमरीका; और
- डी जी सी ए, डी जी ए क्यू ए, डी जी क्यू ए और वी एस एस सी जैसे ग्राहक।

रक्षा उत्पादन तथा पूर्ति विभाग में अन्य संगठन

गुणता आश्वासन महानिदेशालय

7.65 गुणता आश्वासन महानिदेशालय रक्षा उत्पादन तथा पूर्ति विभाग के अधीन कार्यरत एक अंतर सेवा संगठन है। यह सेना, नौसेना (नौसेना शस्त्रास्त्रों को छोड़कर) के आयातित और स्वदेशी दोनों प्रकार के तथा वायुसेना के वास्ते सामान्य उपयोग की सभी वस्तुओं के पूर्ण रक्षा भंडारों और उपस्करों के गुणता आश्वासन के लिए उत्तरदायी है। अतएव देश की रक्षा तैयारियों में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है।

7.66 यह संगठन सात तकनीकी निदेशालयों में बंटा हुआ है। जिनमें से प्रत्येक समिति उपस्करों की विशिष्ट श्रेणियों के लिए जिम्मेदार है। यह तकनीकी निदेशालय अपने संबंधित नियंत्रणालयों, फील्ड गुणता आश्वासन स्थापनाओं और प्रूफ स्थापनाओं (केवल शस्त्रास्त्र शाखा के लिए) के तीन स्तरीय सीधे नियंत्रण के अंतर्गत कार्य करते हैं। इन तीन स्तरों के कार्य एक-दूसरे के लिए पूरक तथा अनुकूल हैं और अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के लिए एक-दूसरे से जुड़े होते हैं।

7.67 **सामान का निरीक्षण :** गुणता आश्वासन महानिदेशालय यह सुनिश्चित करता है कि स्वीकृत किए गए सामान का निरीक्षण निर्धारित विनिर्देशनों और निष्पादन मानदण्डों के साथ कड़ाई से किया गया है। गुणता आश्वासन महानिदेशालय द्वारा गत तीन वर्ष में निरीक्षित और स्वीकृत सामान का मूल्य इस प्रकार है :-

वर्ष	मूल्य (करोड़ रुपए में) निरीक्षित
2000-2001	11837
2001-2002	12808
2002-2003 (दिसंबर, 2002 तक)	9695

7.68 **आयातित उपस्करों का गुणता आश्वासन :** गुणता आश्वासन महानिदेशालय सशस्त्र सेनाओं द्वारा अधि प्राप्त किए जा रहे आयातित उपस्करों और शस्त्र प्रणालियों के निरीक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। विगत 3 वर्षों में गुणता आश्वासन महानिदेशलय द्वारा 2500 करोड़ रुपए (लगभग) मूल्य की विदेशी स्रोतों से ली गई गोलाबारूद, प्रक्षेपास्त्रों शस्त्रों और कपड़ा मदों का निरीक्षण किया गया है।

7.69 **स्व-प्रमाणन :** गुणता आश्वासन महानिदेशालय संगठन गुणता के प्रति जागरूक उन फर्मों/विनिर्माताओं, जो गुणता प्रबंध प्रणाली के क्षेत्र में सुस्थापित हैं और जिन्होंने रक्षा सप्लाई आर्डरों के अनुवर्ती निष्पादन में निरंतर उत्पाद गुणता का प्रदर्शन किया है, स्व-प्रमाणन दर्जा अवार्ड करता है। अब तक 30 फर्मों को स्व-प्रमाणन दर्जा दिया गया है।

7.70 **प्रदर्शनी :** इस वर्ष गुणता आश्वासन महानिदेशालय ने पूरे देश में आठ अलग-अलग स्थानों पर एस एस आई विभाग के साथ मिलकर 8 प्रदर्शनियों का आयोजन किया। विभिन्न तकनीकी निदेशालयों द्वारा नमूनों का प्रदर्शन करने के अलावा रक्षा गुणता आश्वासन संस्थान बेंगलूर ने विक्रेता जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए।

वैमानिकी गुणता आश्वासन महानिदेशालय

7.71 वैमानिकी गुणता आश्वासन महानिदेशालय का मुख्यालय नई दिल्ली में है जिसकी स्थानिक निरीक्षण स्थापनाएं देश के विभिन्न उत्पादन केन्द्रों में फैली हुई हैं। इसके मुख्य कार्यों के साथ-साथ डिजाइन/विकास के दौरान गुणता आश्वासन, उत्पादन, सैन्य वायुयानों और सहायक उपस्करों की संपूर्ण मरम्मत और रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन के साथ तकनीकी संगम, वैमानिकी सामान के उत्पादन के लिए स्वेदशी हिस्से-पुर्जों की स्थापना आदि शामिल है।

एएमएच ध्रुव

7.72 वर्ष 2002-2003 के दौरान (दिसंबर, 2002 तक) वैमानिकी गुणता आश्वासन महानिदेशालय ने 1260.00 करोड़ रुपए के मूल्य के वैमानिकी सामान का निरीक्षण किया है। वैमानिकी गुणता आश्वासन महानिदेशालय ने पृथ्वी/आकाश/त्रिशूल प्रक्षेपास्त्रों जैसी एकीकृत निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम और गैर एकीकृत निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम परियोजनाओं में भी अधिकांश प्रणालियों के लिए समग्र प्रमुख एजेंसी और गुणता आश्वासन एजेंसी दोनों के रूप में सक्रिय रूप से भाग लिया है।

मानकीकरण निदेशालय

7.73 रक्षा सेवाओं के भीतर तरह-तरह की मदों को नियंत्रित किए जाने के लिए मानकीकरण निदेशालय का गठन वर्ष 1962 में किया गया था। मानकीकरण से संबंधित कार्य-कलापों को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख स्टेशनों पर नौ मानकीकरण सेल और छह डिटैचमैंट बनाए गए हैं। मानकीकरण निदेशालय का मुख्य उद्देश्य तीनों सेनाओं के बीच उपस्करों और संघटकों में समानता स्थापित करना है ताकि रक्षा सेनाओं की समग्र सामान सूची को कम करके न्यूनतम किया जा सके। निम्नलिखित के माध्यम से इस उद्देश्य को प्राप्त किया जाना अपेक्षित है:-

(i) संयुक्त सेना विनिर्देशों, संयुक्त सैन्य अधिमान्यता रेंजों, संयुक्त सैन्य युक्तियुक्त सूचियों, संयुक्त सैन्य दिशा-निर्देशों, संयुक्त सैन्य नीति विवरणों और संयुक्त सैन्य गुणात्मक आवश्यकता जैसे मानकीकरण दस्तावेज तैयार करना।

(ii) रक्षा से संबंधित सामान-सूची को कूटबद्ध करना और सूचना बनाना, तथा

(iii) प्रवेश-नियंत्रण।

7.74 मानकीकरण कार्यकलाप 13 मानकीकरण उप-समितियों, इन समितियों के तहत पैनलों/कार्यदलों और अनेक विशेषज्ञ तकनीकी पैनलों के माध्यम से किए जाते हैं।

7.75 वर्ष के दौरान इसकी बड़ी उपलब्धियां इस प्रकार हैं:-

(i) 408 मानक दस्तावेजों को, जो 5 वर्ष पूरे कर चुके हैं, संशोधित किया जा चुका है।

(ii) 690 मानक दस्तावेज बनाए गए हैं।

(iii) वर्ष 2001-02 के दौरान 21 संयुक्त सैन्य युक्तियुक्त सूचियों के तहत मदों की श्रेणियों में कटौती किए जाने के लिए 486 मदों पर विचार किया गया था। इस मात्रा को कम करके 115 मदें की गई थीं। इस प्रकार मदों की श्रेणियों में 23.40 प्रतिशत तक कटौती की गई थी।

7.76 **कूटबद्ध करना तथा सूची बनाना :**कूटबद्ध करने के कार्य को तेज करने की प्रक्रिया के अनुक्रम में वर्ष 2001-2002 के दौरान 1.13 लाख मदें कूटबद्ध की गई थीं जिसके द्वारा 31 मार्च, 2002 की स्थिति के अनुसार 21.95 लाख का संचय हुआ। मुख्य उपस्करों/उप-समन्वायोजनों और संघटकों के बारे में वर्ष के दौरान 2308 सूचियां प्रकाशित की जा चुकी हैं।

7.77 **नेटवर्क और वेबसाइट :** मानकीकरण निदेशालय की वेबसाइट पर डिजाइन, विकास, विनिर्माण और रक्षा सामान-सूची की बेंच मार्किंग के लिए उत्तरदायी संगठनों के वास्ते विभिन्न मानकों की अत्यधिक मात्रा का भार आ गया है। कूटबद्ध करने और सूची बनाने, प्रशासन, मानकीकरण और तकनीकी सहायता तथा सूचना प्रौद्योगिकी समूह के लिए 4 विभागीय सर्वर स्थापित किए गए हैं। सर्वर की कुल क्षमता अब 409.5 जी बी है। वेबसाइट पर विभिन्न भारतीय और विदेशी मानक उपलब्ध हैं।

7.78 मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क बनाया गया है ताकि कूटबद्ध करने का कार्य और मानकीकरण डाटाबेस विभिन्न रक्षा मानकीकरण सैल नेटवर्कों पर प्रदर्शित किया जा सके। जबलपुर, आवडी, पुणे, ईशापुर, हैदरबाद और बेंगलूर स्थित मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क में इस निदेशालय के नेटवर्क के साथ संपर्क स्थापित किया गया है। विभिन्न प्रयोक्ता इस सेवा का उपयोग कर रहे हैं।

7.79 मानकीकरण निदेशालय और पुणे स्थित इसके मानक प्रशिक्षण संगठन को अंतरराष्ट्रीय मानक संगठन 9000 प्रमाणन दिया गया है। यह प्रमाणन संगठनों के लिए मानकीकरण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गई तकनीकी सहायता और सेवा के लिए मार्च 2002 में दिया गया था।

योजना तथा समन्वय निदेशालय

7.80 योजना तथा समन्वय निदेशालय को देश में रक्षा उपस्करों के उत्पादन के लिए समग्र योजनाएं तैयार करने के उद्देश्य से वर्ष 1964 में स्थापित किया गया था। यह निदेशालय प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण तथा आयुध निर्माणी बोर्ड की आधुनिकीकरण योजना को सुकर बनाते हुए उत्पादन संगठन, प्रयोक्ताओं, अनुसंधान तथा विकास एजेंसियों और गुणता आश्वासन संगठनों के बीच सक्रिय संबंध जोड़कर उत्पादन के प्रयासों में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। निदेशालय अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जनरल स्टाफ उपस्कर नीति समिति, अनुसंधान तथा विकास पैनलों और मानकीकरण समितियों में रक्षा उत्पादन तथा पूर्ति विभाग का प्रतिनिधित्व करता है। यह निदेशालय यह सुनिश्चित करने के लिए भी उद्योग मंत्रालय की लाइसेंस प्रदान करने वाली समिति की बैठकों में रक्षा उत्पादन तथा पूर्ति विभाग का प्रतिनिधित्व करता है कि अन्यत्र तथा रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत सृजित उत्पादन क्षमताओं में पुनरावृत्ति न हो। यह निदेशालय देश में हरे-भरे स्थानों पर आयुध निर्माणियां स्थापित किए जाने के लिए मामलों पर विचार करने तथा रक्षा बलों के लिए इलैक्ट्रॉनिकी से संबंधित परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए भी उत्तरदायी है। यह निदेशालय रक्षा उत्पादन तथा रक्षा निर्यात संबंधी अंतरराष्ट्रीय सहयोग विभाग का प्रमुख केन्द्र है।

रक्षा प्रदर्शनी संगठन

7.81 वर्ष 1981 में स्थापित रक्षा प्रदर्शनी संगठन भारत तथा विदेश में रक्षा प्रदर्शनियों के आयोजन तथा समन्वय के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। यह प्रगति मैदान, नई दिल्ली में स्थायी रक्षा प्रदर्शनी पैविलियनों का रखरखाव करता है। रक्षा प्रदर्शनी में आयुध निर्माणी बोर्ड, सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, गुणता आश्वासन महानिदेशालय, तीनों सेनाएं, तटरक्षक बल तथा राष्ट्रीय कैडट कोर प्रतिनिधित्व करते हैं। आयुध निर्माणी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों द्वारा निर्मित उत्पादन इन पैविलियनों में प्रदर्शित किए जाते हैं। यह पैविलियन देश में रक्षा से संबंधित बुनियादी सुविधाओं के व्यापक क्षेत्र की एक झलक प्रस्तुत करता है। यह पैविलियन प्रत्येक वर्ष नवंबर में आयोजित किए जाने वाले भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में नियमित रूप से भाग लेता रहा है।

7.82 यह संगठन गुणता आश्वासन महानिदेशालय के सहयोग से विक्रेता जागरूकता तथा उत्पादन यूनिटों के विकास कार्यक्रम में रक्षा उत्पदन तथा पूर्ति विभाग की सहायता भी करता है।

7.83 निर्यात को बढ़ाने के एक हिस्से के रूप में रक्षा प्रदर्शनी संगठन प्रत्येक वर्ष चुनिंदा अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों में सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों और आयुध निर्माणी बोर्ड की सहभागिता का समन्वय करता है। वर्ष 2002-03 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों, आयुध निर्माणी बोर्ड तथा रक्षा प्रदर्शनी संगठन ने 1-5

अक्टूबर, 2002 के दौरान एथेंस में आयोजित डेफेंडरी इंटरनेशनल 2002 प्रदर्शनी में भाग लिया।

अंतरराष्ट्रीय भू तथा नौसैनिक प्रणाली प्रदर्शनी डेफएक्सपो इंडिया-2002

7.84 डेफएक्सपो भारत 1999 की सफलता के बाद जिसे भू तथा नौसैनिक प्रणालियों की प्रदर्शनी के लिए एक विश्वस्तरीय मंच के रूप में स्वीकृति मिल चुकी है, 19-23 फरवरी, 2002 के दौरान प्रगति मैदान, नई दिल्ली में दूसरी भू तथा नौसैनिक प्रदर्शनी ''डेफएक्सपो भारत-2002'' आयोजित करने का निर्णय लिया गया। यह प्रदर्शनी रक्षा उत्पादन तथा पूर्ति विभाग, रक्षा मंत्रालय, के सहयोग से भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित की गई थी। इस प्रदर्शनी में इंग्लैंड, रूस, दक्षिण अफ्रीका, इजराइल, फ्रांस और पोलैंड जैसे देशों ने अपने-अपने राष्ट्रीय पैविलियन बनाए थे।

एयरो इण्डिया 2003

7.85 वायुसेना स्टेशन, येलहंका, बेंगलूर में 5 से 9 फरवरी, 2003 तक आयोजित एयरो इंडिया 2003 का उद्घाटन रक्षा मंत्री ने 5 फरवरी, 2003 को किया था। इस समारोह की अध्यक्षता कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने की।

7.86 एयरो इण्डिया 2003 भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकण की पृष्ठभूमि में आयोजित किया गया था। निरंतर सुधार प्रक्रिया के एक हिस्से के रूप में रक्षा क्षेत्र में 26 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सहित सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी का अब स्वागत किया जाता है। इस प्रदर्शनी ने प्रदर्शनकर्त्ताओं के वास्ते अपने उत्पाद उद्योग प्रमुखों को दर्शाने का उत्कृष्ट अवसर प्रदान किया ताकि सार्थक सहयोग के लिए संभावनाओं का मार्ग खुल सके।

7.87 यह प्रदर्शनी रक्षा और सिविल क्षेत्रों दोनों के लिए वायुयानों के डिजाइन, विकास और उत्पादन तथा भू-प्रणालियों में भारतीय और विदेशी कंपनियों की क्षमताओं को दर्शाने के लिए आदर्श मंच था। पांच दिन की इस लंबी प्रदर्शनी में 22 देशों की 176 अंतराष्ट्रीय कंपनियों ने भाग लिया। इसके अलावा, 75 भारतीय कंपनियों ने भी भाग लिया। उन्होंने अनेक प्रकार की वायुयान सामग्री, प्रणालियां विनिर्माण और प्रणालियां समाकलन और बड़े सिविल और सैन्य इंजन तथा वायुयान समाकलन पेश किए। इस प्रदर्शनी में ए टी आर-42 एम पी, हॉक हेलीकाप्टर बी ई एल-407, फाल्कन 900 ई एक्स, फाल्कन 2000 सी जे, लीगेसी 103, ट्रांसल सी-160, हेरॉन यूएवी, एएन-140, मिग-29 एम 2 और मिग ए टी कुछ प्रमुख विदेशी वायुयान थे। स्वदेशी रूप से विकसित जिन मुख्य वायुयानों का प्रदर्शन किया गया था उनमें सूर्य किरण, उन्नत हल्के हेलीकाप्टर और हल्के युद्धक वायुयानों की सलामी थी। रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन ने ''अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियां - विकास और कार्ययोजनाएं'' नामक विषय पर एक संगोष्ठी आयोजित की थी। मानव की पहली उड़ान की 100वीं वर्षगांठ मनाने के लिए संगोष्ठी के दौरान दो पूर्ण सत्र आयोजित किए गए थे जिनमें से पहला विश्व विमानन और दूसरा भारतीय विमानन पर था।

7.88 इस प्रदर्शनी में 24 देशों के वायुसेना अध्यक्षों/वरिष्ठ रक्षा अधिकारियों सहित रक्षा मंत्री स्तर के उच्च स्तरीय रक्षा प्रतिनिधिमंडल आए थे। फ्रांस के प्रधानमंत्री भी 6 फरवरी, 2003 को एयरो इंडिया 2003 में आए थे। पांचवीं अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रदर्शनी एयरो इंडिया 2005, 9 फरवरी से 13 फरवरी 2005 तक आयोजित की जाएगी।

परिशिष्ट-1

निवेश

(करोड़ रुपए में)

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	2000-2001		2001-2002		2002-2003 (अनुमानित)	
	इक्विटी	सरकारी ऋण	इक्विटी	सरकारी ऋण	इक्विटी	सरकारी ऋण
एचएएल	12.50	-	120.50	-	120.50	-
बीईएल	80.00	-	80.00	-	80.00	-
बीईएमल	36.87	-	36.87	-	36.87	-
एम डी एल	199.20	-	199.20	-	199.20	-
जीआरएसई	239.02	-	12384	-	123.84	-
जीएसएल	19.40	-	19.40	-	19.40	-
बीडीएल	115.40	-	115.00	-	115.00	-
मिधानि	115.00	-	115.00	-	115.00	-
योग	**809.99**	**-**	**694.81**	**-**	**694.81**	**-**

परिशिष्ट-2

कार्यकारी परिणाम
उत्पादन तथा बिक्री का मूल्य

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम 2001-2002	2001-2002		2002-2003 (दिसंबर, 2002 तक)			
	उत्पादन मूल्य	बिक्री मूल्य	उत्पादन मूल्य	बिक्री मूल्य	उत्पादन मूल्य	बिक्री मूल्य
एचएएल	2603.26	2446.55	2963.44	2774.81	1981.00	1709.00
बीईएल	1787.57	1715.33	2029.98	1941.99	1427.19	1296.00
बीईएमएल	1343.17	1347.40	1436.10	1424.15	1021.64	864.67
एम डी एल	711.59	1517.59	582.65	737.83	310.69	504.94
जीआरएसई	491.06	229.17	498.44	298.46	369.74	70.57
जीएसएल	190.00	133.67	153.50	101.42	141.81	321.82
बीडीएल	218.61	164.26	251.44	283.36	173.10	169.54
मिधानि	113.87	112.61	107.17	104.30	54.21	58.89
योग	**7559.13**	**7666.58**	**8022.72**	**7666.32**	**5479.38**	**4995.43**

परिशिष्ट-3

टैक्स के बाद लाभ

(करोड़ रुपए में)

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	2000-2001	2001-2002
एचएएल	243.65	344.78
बीईएल	155.21	199.68
बीईएमल	6.00	5.35
एम डी एल	(-) 18.36	(-)14.58
जीआरएसई	31.42	13.02
जीएसएल	4.93	14.37
बीडीएल	48.99	72.55
मिधानि	0.24	0.08
योग	**472.08**	**635.25**

8

रक्षा अनुसंधान तथा विकास

त्रिआयामी केन्द्रीय अधिग्रहण राडार

8.1 रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन (डीआरडीओ) 1958 में तब पहले से ही चल रहे भारतीय सेना को तकनीकी विकास प्रतिष्ठानों (टी डी ई) और तकनीकी विकास तथा उत्पादन निदेशालय (डीटीडीपी) एवं रक्षा विज्ञान संगठन (डीएसओ) के एकीकरण से बना था। आज रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन (डीआरडीओ) के पास 49 प्रयोगशालाएं हैं जो कि रक्षा प्रौद्योगिकी के विकास में लगी हैं एवं कई विशेषज्ञताएं जैसे कि वैमानिकी, आयुध, इलेक्ट्रॉनिक्स, संग्राम वाहन, अभियांत्रिकी प्रणालियां, यंत्र प्रक्षेपास्त्र, उन्नत संगणन एवं सिमुलेशन, विशेष पदार्थ, नौसेना प्रणालियां, जैव विज्ञान प्रशिक्षण, सूचना प्रणालियां एवं कृषि में कार्यरत हैं। रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन (डी आर डी ओ) में 5,000 से अधिक वैज्ञानिक एवं लगभग 25,000 से अधिक वैज्ञानिक और तकनीकी कार्मिक कार्यरत हैं।

मिशन

8.2 रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग जो कि 1980 में बनाया गया था, रक्षा प्रणालियों में एवं नवीनतम रक्षा प्रौद्योगिकियों में सतत् आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के मिशन में समर्पित है। इस मिशन को प्राप्त करने के लिए एक मिशन-मोड की संरचना है जिसके प्रमुख रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार हैं जो कि रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग के सचिव हैं एवं अनुसंधान तथा विकास के महानिदेशक हैं।

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन का सशस्त्र सेनाओं के प्रति योगदान

8.3 इस संगठन ने बहुत प्रगति की है जिससे कि सशस्त्र सेनाओं को सख्त हथियार निर्यात नियंत्रणों जिसे कि उन्नत राष्ट्रों ने लगाए हैं, से अलग किया है। परन्तु, समाघात प्रभाविता को नवीनतम स्वदेशी रक्षा प्रणालियों के शामिल करने से सतत् बढ़ाया है। रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन ने बहुत संख्या में रक्षा प्रणालियां एवं उपकरण सशस्त्र सेनाओं की आवश्यकतानुसार विकसित किए हैं जिससे कि पिछले पांच वर्षों में उत्पादन हुआ है, इनमें शामिल हैं :-

- सतह-से-सतह सामरिक युद्धक्षेत्र प्रक्षेपास्त्र - पृथ्वी - थल सेना के लिए
- सतह-से-सतह सामरिक युद्धक्षेत्र प्रक्षेपास्त्र - पृथ्वी - थल सेना के लिए
- दीर्घ परास सतह-से-सतह प्रक्षेपास्त्र, अग्नि-II
- मुख्य युद्धक टैंक - अर्जुन
- चालकरहित लक्ष्य वायुयान - लक्ष्य
- वायुसेना के लिए इलेक्ट्रॉनिकी युद्ध पद्धति प्रणाली
- 105 मिली मीटर हल्की फील्ड बंदूक
- 5.56 मिली मीटर भारतीय लघु आयुध प्रणाली (आई एन एस ए एस) (राइफल, हल्की मशीनगन एवं गोला-बारूद)
- 125 मिली मीटर फिन स्थायीकृत गोला-बारूद को छेदने वाला व्याज्य साबो (एफएसएपीडीएस)
- टी-72 टैंक के लिए नरम कोड गोला-बारूद
- वाहन मॉटर अनुसरण (सी एम टी) - एक विशेषज्ञ भूमिका अदा करने वाला बी एम पी-II पर वाहन
- पृथ्वी पर गतिमान चालकों के लिए कवचित जल-पथ डोजर (ए ए डी)
- कवचित इंजीनियर टोही वाहन (ए ई आर वी) - जलीय अवरोधों की टोह लेने हेतु
- टी-72 चैसिस पर पुल लेयर टैंक
- पुल प्रहार यांत्रिकीकृत प्रमोचित - सर्वत्रा
- जमीन पर चटाई सतहीकरण
- गतिशील विसंदूषिकरण प्रणाली कार्मिकों को परमाणु, जैविक तथा रासायनिक (एन बी सी) एजेण्टों से विसंदूषिकरण करने के लिए
- ग्राहक की तरफ बात करने वाला गुप्त टेलीफोन - सैकटेल

- दूरस्थ नियंत्रित विध्वंसक युक्ति को निष्क्रिय करने हेतु म्यूटिंग प्रणाली - सफारी (एम के-I)
- थोक गुप्त प्रणाली उच्च ग्रेड डिजिटल गुप्तता सहित - संसार
- विमानवाहित सिगनल आसूचना प्रणाली - कैच
- संचार आसूचना/इलेक्ट्रॉनिकी आसूचना प्रणाली - कवाइन - ए/बी
- हमसा अवधान घायल को पहचानने हेतु : हल के ऊपर आच्छादित सोनार प्रणाली
- पनडुब्बी सोनार - पंचेन्द्रिय एवं इसके व्युत्पन्नक - यू एस एच यू एस
- विमानरोधी नाका, विभिन्न प्रकार के पैराशूट
- विमान हथियार ट्रॉली - भीम
- तुरंत खाने योग्य भोजन (एम आर ई एस)
- निगरानी (परा/बहुत अधिक उच्च आवृत्ति) संबाधन वाहन - एस यू जे ए वी
- पुनः स्थान निर्धारित करने वाली बैलून बैरेज प्रणाली
- तोपखाना युद्ध कमान नियंत्रण प्रणाली
- 155 मिली मीटर प्रमोचित बंदूक प्रणाली

- कई बैरलों वाली रॉकेट प्रणाली - पिनाका, एक क्षेत्र प्रणाली जो कि वर्तमान तोपखाना बंदूकों को 30 किलोमीटर से अधिक परास पर संपूरक करेगा, जिसका शीघ्र प्रतिक्रिया समय एवं दागने की अधिक दर होगी जो कि प्रयोग करने वाली सेना द्वारा बहुत अधिक परीक्षणों के उपरांत स्वीकृत की गई है।

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन का प्रबंधन

8.4 रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन मुख्यालय जो कि रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग के अंतर्गत है, 9 तकनीकी निदेशालयों एवं 9 कॉर्पोरेट निदेशालयों में व्यवस्थित है। तकनीकी निदेशालय 'एक खिड़की' की तरह कार्य करते हैं जिससे कि प्रयोगशालाओं को उनके कार्यक्षेत्र में विभिन्न स्वीकृतियां प्राप्त हो सकें एवं सूचना का प्रयोगशालाओं तथा मुख्यालय से समन्वय हो सके। कॉर्पोरेट निदेशालयों जैसे कि कार्मिक निदेशालय, जनशक्ति निदेशालय, सामग्री प्रबंध, योजना तथा समन्वय, प्रबंध सेवा तथा राजभाषा, बजट-वित्त एवं लेखा, सुरक्षा तथा सतर्कता, सिविल कार्य तथा संपदा एवं एक्स्ट्राम्यूरल शोध और बौद्धिक संपत्ति अधिकार प्रयोगशालाओं को स्वीकृतियां तथा सुविधाएं संबंधित क्षेत्रों में प्रदान करते हैं। भर्त्ती तथा मूल्यांकन केन्द्र (आर ए सी) एवं कार्मिक मूल्यांकन केन्द्र नई नियुक्तियां तथा पदोन्नतियां प्रयोगशालाओं एवं मुख्यालय के अधिकारियों के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास सेवा एवं रक्षा अनुसंधान तकनीकी कैडर के लिए की जाती है।

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन प्रयोगशालाओं का नेटवर्क

8.5 कार्यक्रम/परियोजनाएं, जो कि विभाग द्वारा ली जाती हैं, का निष्पादन एक अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशालाओं/प्रतिष्ठानों एवं सैन्य उड्डयन एवं प्रमाणीकरण केन्द्र (सेमिलेक) के नेटवर्क द्वारा किया जाता है। यह प्रयोगशालाएं/प्रतिष्ठान पूरे राष्ट्र में पूर्व में तेजपुर से पश्चिम में जोधपुर तथा उत्तर में लेह से दक्षिण में कोच्चि तक स्थित हैं।

8.6 कार्यक्रमों/परियोजनाओं का निष्पादन उपभोक्ता सशस्त्र सेनाएं, रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, शैक्षणिक संस्थानों, राष्ट्रीय शोध प्रयोगशालाओं एवं निजी उद्यमों की निकट भागीदारी से निष्पादन किया जाता है, जिससे कि सर्वश्रेष्ठ उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों तथा विशेषज्ञता का सर्वश्रेष्ठ प्रयोग हो सके एवं प्रौद्योगिकी जो कि उन्नत राष्ट्रों ने देने से मना किया है, के डर से हुई आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। 'कनकरेन्ट अभियांत्रिकी' तरीका जो कि उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में अपनाया जा रहा है जिससे कि अभिकल्पन, विकास एवं उत्पादन में समय में देरी कम की जा सके।

समीक्षा प्रक्रिया

8.7 कई संस्थागत कार्यक्रम/परियोजनाएं मॉनीटरिंग एवं रिव्यू प्रक्रियाएं विभाग में हैं। एक अंतर्गृह सर्वोच्च बॉडी जिसको रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन परिषद कहते हैं जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार करते हैं, सभी प्रयोगशालाओं की मुख्य परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करती है। इसके अतिरिक्त कॉर्पोरेट समीक्षाएं जिसमें कि तकनीकी/प्रशासनिकी मुद्दों को भी उच्चस्तरीय कमेटी द्वारा समीक्षा की जाती है। थलसेना के लिए स्टॉफ परियोजनाओं की समीक्षा सह थल सेनाध्यक्ष द्वारा वर्ष में दो बार की जाती है। सभी मुख्य कार्यक्रमों/परियोजनाओं के लिए कई स्तरीय कार्यक्रम प्रबंधन बोर्ड हैं जिसमें कि सशस्त्र सेनाएं, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन की प्रयोगशालाएं/स्थापनाएं, उत्पादन संस्थान, गुणवत्ता आश्वासन संस्थान एवं कुछ मामलों में शैक्षिक संस्थानों एवं अन्य राष्ट्रीय शोध प्रयोगशालाएं भागीदार होती हैं जो कि समय-समय पर कार्यक्रमों की मॉनीटरिंग समीक्षा करती हैं एवं कुछ में ही बीच मार्ग में दिशा-निर्देश प्रदान करती हैं।

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित मदें जो कि उत्पादन स्तर तक पहुंची

8.8 चालक रहित लक्ष्य विमान (पी टी ए) जिसका नाम लक्ष्य रखा गया है, एक पुन: प्रयोग में आने वाली हवाई लक्ष्य प्रणाली है। यह तीनों सेनाओं के तोप और प्रक्षेपास्त्र कर्मीदल तथा हवाई रक्षा पायलटों के प्रशिक्षण के लिए हवाई लक्ष्य उपलब्ध कराने हेतु जमीन से चलाई जाने वाली दूरचालित प्रणाली है। वर्ष 2001-2002 में वायु सेना के लिए 26 प्रचालन उड़ानें सहित 5 लक्ष्य प्रणालियों की सुपुर्दगी कर दी गई हैं। लक्ष्य का प्रथम बैच पहले ही नौसेना को वितरित किया जा चुका है। तीन वायुयान जमीन से नियंत्रण एवं अवलंब प्रणाली सहित सुपुर्द किए जा चुके हैं और चार प्रचालन उड़ानें की जा चुकी हैं। थलसेना के लिए चरण-I के वितरण की शीघ्र ही योजना है।

8.9 ''फालकन'' परियोजना के अंतर्गत - एक दूरस्थ पायलट वाहन (आर पी वी) ''निशांत'' को थलसेना की सामान्य स्टाफ गुणात्मक आवश्यकताओं के अनुसार विकसित किया गया है। परियोजना के उद्देश्यों से युद्धक्षेत्र निगरानी, टोह लेना, लक्ष्यों को तोपखाना आग के द्वारा वास्तविक समय में फंसाना एवं विनाश का मूल्यांकन शामिल हैं। आर पी वी विकसित की गई है जिससे कि वह विद्युत-प्रकाशीय भारयोग को विमान में निगरानी, लक्ष्य को हासिल

करने एवं लक्ष्य की निगरानी करने में उठा सके। निशांत प्रणाली के क्षेत्र विन्यास में वैमानिकी वाहनों, जमीन नियंत्रक स्टेशन, एनटेना टोही प्रणाली, प्रमोचक एवं मिशन अवलंब वाहन शामिल हैं। आज की तारीख तक 84 विकास उड़ानें भरी जा चुकी हैं। इनमें से 70 उड़ानें वायुवाहन के उड़ान एवं हैंडलिंग विशिष्टताओं के मान्यकरण हेतु और उड़ान नियंत्रण एवं मार्ग निर्देशन प्रणालियों को सिद्ध करने हेतु थीं। थलसेना ने सीमित स्तर पर उत्पादन का निशांत को शामिल करने का निर्णय लिया है। गर्मी के परीक्षण थल सेना के मूल्यांकन हेतु रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिए गए हैं। इनमें दो शेक डाउन उड़ानें एवं 12 प्रायोजक परीक्षण उड़ानें वास्तविक संक्रियात्मक परिस्थितियों में पोखरन में शामिल हैं। सीमित स्तर पर उत्पादन जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा।

8.10 बंड विस्फोट प्रणाली, जो कि महर बंड की ऊंचाई कम कर सकें जिससे कि पुल के उपकरण लगाए जा सकें एवं इन्फैन्ट्री ट्रूप आगे बढ़ सकें, का सफलतापूर्वक विकास किया जा चका है एवं थलसेना द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है। 240 सेटों की आपूर्ति हेतु थलसेना से मांग प्राप्त हो चुकी है।

8.11 प्रथम सीमित श्रेणी उत्पादन (एल एस पी) वाहन आर्म्ड इंजीनियर रेकी वेहिकल (ए ई आर वी) का बी एम पी II पर पूरा किया जा चुका है एवं प्रयोक्ताओं को सुपुर्द करने हेतु तैयार है। एक दूसरा सीमित श्रेणी उत्पादन (एल एल पी) मांग आठ और ए ई आर वी एस की थलसेना द्वारा की जा चुकी है।

8.12 सीमित श्रेणी उत्पादन के अंतर्गत 6 संख्या की मांग आर्म्ड एम्फिबियस डोजर (ए ए डी) बी एम पी II के ऊपर थलसेना द्वारा की जा चुकी है।

8.13 चल संदूषण प्रणाली (एम डी एस) वृहद् परीक्षणों के उपरांत प्रयोक्ताओं द्वारा स्वीकृति प्राप्त कर चुकी है। थलसेना द्वारा 12 प्रणालियों के लिए मांग की जा चुकी है।

8.14 सीमित श्रेणी उत्पादन मांग 12 ब्रिज लेयर टैंक टी-72 (बी एल टी) के लिए थलसेना द्वारा की जा चुकी है। इनमें से 6 ब्रिज लेयर टैंक (बी एल टी एस) थलसेना को वितरण करने हेतु तैयार किये जा रहे हैं। ब्रिज लेयर टैंक में कुछ अति आधुनिकतम एवं नवीनतम प्रौद्योगिकी की विशेषताएं हैं एवं अति उच्च श्रेणी की भारतीय थलसेना की वर्तमान टैंक फ्लीट से समानताएं हैं।

8.15 अचर बट 5.56 मिलीमीटर इनसास (आई एन एस ए एस) राइफल और एल एम जी ऑर्डनैंस फैक्ट्रियों द्वारा नियमित उत्पादन के अंतर्गत है एवं भारतीय थलसेना के जवानों द्वारा प्रयोग की जा रही है। वर्ष में थोड उत्पादन हेतु 5.56 मिलीमीटर इनसास (आई एन एस ए एस) राइफलों तथा एल एम जी हेतु निकासी प्रदान की जा चुकी है।

8.16 संग्रह कार्यक्रम के अंतर्गत, 15 काइट (के आई टी ई), एक वायुवाहित इलेक्ट्रॉनिकी युद्ध पद्धति प्रणाली, का उत्पादन किया गया और प्लेटफार्मों पर प्रयोग हेतु स्थापित किया गया।

8.17 सूजाव (एस यू जे ए वी) एक संचार इलेक्ट्रॉनिकी युद्ध पद्धति प्रणाली जो कि संयुक्त कार्यक्रम के अंतर्गत प्रौद्योगिकियों पर आधारित की गई का उत्पादन किया गया। दो यूनिटों का थलसेना तथा नौसेना द्वारा मूल्यांकन किया गया है।

8.18 एक आतंकवाद विरोधी उपकरण सफारी जो कि 'दूरस्थ नियंत्रित कामचलाऊ विस्फोट प्रणालियों (आर सी आई ई डी)' को जब थलसेना/सिविल संरक्षक चलते हैं तब मूक कर देता है, विकसित किया गया है। ऐसी कुल 71 प्रणालियों का उत्पादन किया गया है तथा इनकी सुपुर्दगी थलसेना को कर दी गई है। बदलते खतरे के परिप्रेक्ष्य में, सफारी (एस ए एफ ए आर आई) के अन्य विन्यासों को विकसित तथा क्षेत्र परीक्षण किया जा रहा है।

8.19 गश्ती नौकाओं के लिए 'संग्रह' कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित प्रौद्योगिकी पर आधारित इलेक्ट्रानिक सहायता उपाय प्रणाली 'संकेत' का उत्पादनीकरण किया गया है। नौसेना द्वारा क्रयादेशित प्रणालियों की सुपुर्दगी शीघ्र शुरू कर दी जाएगी।

8.20 अग्नि-I, एक चरण, ठोस नोदक प्रक्षेपास्त्र जिसकी परास 800 किलोमीटर है, का परीक्षण 25 जनवरी, 2002 और 9 जनवरी, 2003 को किया गया। इसका प्रमोचन रेल/रोड अस्थिर प्रमोचित्रों से किया जा सकता है।

8.21 उन्नत संख्यात्मक अनुसंधान तथा विश्लेषण समूह (अनुराग) ने एक पैरेरल प्रोसेसिंग सुपर कम्प्यूटर पेस ++ (वायुगतिकी संगणन एवं मूल्यांकन हेतु प्रोसेसर) का अभिकल्पन, विकास तथा वितरण किया है। इसको संगठक तरल गतिकी (सी एफ डी) अनुप्रयोगों को हल करने के लिए जिनका उपयोग प्रक्षेपास्त्र तथा विमान के अभिकल्पन में किया जाता है। अनुराग ने दो माइक्रोचिप का अभिकल्पन किया है जिनका उपयोग एल सी ए के उड़ान नियंत्रण कम्प्यूटर में किया जाता है।

8.22 कृत्रिम आसूचना और रोबोट विज्ञान केन्द्र (सी ए आई आर) थलसेना के सामरिक संचार प्रणाली ए आई ई एन ने प्रमुख योगदान किया है। आंकड़ा सांद्रक की 40 प्रणालियां, जिनका बी ई एल, बंगलौर ने उत्पादन किया है, प्रयोक्ता को वितरित की जा चुकी हैं।

8.23 सी ए आई आर ने टेलीफोन प्रयोक्ताओं के उच्च ग्रेड गुप्तता प्रदान करने हेतु 'सिक्युर टेलीफोन' (एस ई सी टी ई एल) का विकास किया है। रक्षा और बिना रक्षा एस ई सी टी ई एल के विन्यासों को विकसित किया गया है। लगभग 500 संख्या में एस ई सी टी ई एल एस का उत्पादन हुआ है और तीनों सेनाओं एवं विभिन्न सरकारी एजेंसियों/विभागों को इस वर्ष वितरित किया गया है।

प्रमुख अनुसंधान तथा विकास कार्यक्रमों परियोजनाओं में वर्ष के दौरान प्रगति

8.24 जून, 2002 तक हल्का युद्धक विमान (प्रौद्योगिकी प्रदर्शन-1) (एल सी ए) (टी डी 1) ने प्रथम ब्लॉक की 12 परीक्षण उड़ानें सफलतापूर्वक पूर्ण कीं जो कि पुख्ता अभिकल्पन को दर्शाती हैं। उड़ान परीक्षणों के प्रथम ब्लॉक में नम्र परिचालन 2.5 ग्राम तक, दाएं और बाएं लोटन, हैण्डलिंग गुणवत्ता (एच क्यू) परीक्षण, 8 किलोमीटर तक चढ़ना, विरचना उड़ानें, टोवर-फ्लाई-बाई परीक्षण, पैरामीट्रिक पहचान हेतु परिचालन, उदासीन बिन्दु का आंकलन, उड़ान डेटा का अंशांकन, ब्रैट पैराशूट सहित/बिना ब्रैट पैराशूट के जमीन पर उतरना एवं प्रणाली से संबंधित कई परीक्षण शामिल थे। उड़ान परीक्षण परिणामों के विश्लेषण ने उड़ान परीक्षणों एवं अभिकल्पन उद्देश्यों में अच्छा मेल दर्शाया है।

8.25 द्वितीय प्रौद्योगिकी प्रदर्शक (टी डी 1) ने 6 जून, 2002 को प्रथम उड़ान भरी एवं तब से 20 उड़ान पूर्ण कर लीं। तृतीय विमान का सज्जाकरण, कम भार मानक एल सी ए प्रोटोटाइप वाहन (पी वी 1) में भी प्रगति की जा रही है। एल सी ए (पी वी 1) के प्रणाली समाकलन परीक्षण हेतु तैयारी कार्य जारी है। चतुर्थ विमान - एल सी ए (पी पी 2) उत्पादन

प्रदर्शनी में एलसीए

स्तर एल सी ए है एवं इसका सज्जाकरण किया जा रहा है। ए सी ए प्रशिक्षक रूपांतरण - एल सी ए (पी वी 5) जो कि एल सी ए (नौसेना) जैसा ही सुनिश्चित करता है, के अभिकल्पन क्रिया-कलापों को शुरू कर दिया गया है। टी डी 2 ने 0.8 मैक की गति तथा 12 किलोमीटर की उत्तंगता हासिल की है।

8.26 एल सी ए के लिए कावेरी इंजन के विकास परीक्षण जारी हैं। आज तक दो कैबिनी प्रोटोटाइपर (सी 1, सी 2) और पांच कावेरी इंजन प्रोटोटाइपों (के 1, के 2, के 3, के 4, और के 5) के निर्माण इंजन परीक्षण हेतु किए गए हैं एवं इसके अतिरिक्त कई माड्यूलों एवं घटकों का उत्पादन रिंगों में परीक्षण हेतु उनका वायुगतिकी निष्पादन एवं संरचना समाकलन का मूल्यांकन करने किया गया है। कावेरी इंजन ने अब तक 1200 घंटों के विकास परीक्षण इकट्ठे कर लिए हैं। के 5 इंजन संशोधित कम्प्रेसर के साथ 50 घंटों का ग्राउंड परीक्षण बेड़ में मैसर्स सियाम रूस को एक्सप्लोरेटरी उतंगता परीक्षण (ई ए टी) को फरवरी, 2003 में भेजने से पूर्व पूर्ण कर चुका है।

8.27 स्पिन-ऑफ परियोजना ''कावेरी मेरिनाइजेशन'' शुरू की गई है एवं उप प्रणालियों का अभिकल्पन पूर्ण कर लिया गया है। निर्माण एवं उत्पादन कार्य प्रगति पर है।

8.28 मिग-27 के लिए ''एवियॉनिक्स'' एवं इलेक्ट्रॉनिकी युद्ध पद्धति सूट को उन्नत करना ''रक्षा एवियॉनिक्स अनुसंधान स्थापना (डी ए आर ई)'' से एवं हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के निकट सामंजस्य से शुरू किया गया है।

8.29 वर्ष 2002 में त्रिशूल की चार विकास परीक्षण उड़ानें की गईं। दो उड़ान परीक्षण समुद्र स्कीमिंग मोड में इलैक्ट्रॉनिकी एवं स्थिर लक्ष्यों के विरुद्ध भारतीय नौसेना पोत द्रोणाचार्य से पूर्ण कर लिए गए। तट आधारित निगरानी अनुसरण एवं प्रमोचन प्रणालियां भारतीय नौसेना पोत द्रोणाचार्य पर स्थापित की गई हैं। पिछले दो उड़ान परीक्षण थलसेना के लिए त्रिशूल लड़ाकू वाहन से एक उड़ने वाले लक्ष्य के विरुद्ध सितम्बर, 2002 में किए गए थे।

8.30 पृथ्वी के लिए तीन प्रकार के ध्वंसाग्रों जिसमें कि खंडन से पूर्व बॉम्बलेट एवं दाहक शामिल है, पूर्ण कर लिए हैं एवं उत्पादन लाइन स्थापित कर ली गई है। थलसेना ने दाहक ध्वंसाग्रों के विकास हेतु क्लीयरेंस प्रदान कर दी है। रेल ट्रैक्ड रॉकेट स्लेज (आर टी आर एस) परीक्षणों को आयातित इम्पैक्ट डिले फ्यूज पर रन-वे डिनायल पेनेट्रेशन प्रणाली ध्वंसाग्रों (आर डी पी एस) को दो बार किया गया है। आर डी पी एस का डिटोनिक्स मोड में एवं स्वत: नष्ट करने हेतु मोड में अंतिम मूल्यांकन नवम्बर, 2002 में सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया है। हार्डवेयर को प्राप्त करना एवं दो ध्वंसाग्र परीक्षण वाहनों (डब्ल्यू एच टी वी) परीक्षणों को आर डी पी एस ध्वंसाग्र पर पूर्ण कर लिया गया है।

8.31 आकाश की दो विकास परीक्षण उड़ानें वर्ष 2002 में की गई हैं एवं अंतिम उड़ान परीक्षण 4 अक्टूबर, 2002 को संशोधित प्रमोचन प्रणाली पर किया गया है। बैटरी लेवर राडार-II की सारी उप प्रणालियां प्राप्त कर ली गई हैं एवं समाकलन तथा परीक्षण पूर्ण कर लिया गया है। बैटरी कंट्रोल सेंटर-II के लिए ए टी पी भी पूर्ण कर लिए गए हैं। त्रि-आयामी सेंट्रल एक्विजीशन राडार प्रयोक्ताओं को प्रदर्शित कर दिया है एवं प्रणाली समाकलन मूल्यांकन परीक्षणों हेतु तैयार हैं।

8.32 तीन निर्देशित उड़ान परीक्षण ''नाग'' के लिए वर्ष 2002 में पूर्ण कर लिए गए हैं। अंतिम निर्देशित उड़ान जो कि 17 सितम्बर, 2002 को दिन और रात में सीकर पर की गई थी, ने सीकर की निष्पादन क्षमता को सिद्ध कर दिया है। तीन स्थित परीक्षण ध्वंसाग्रों के लिए मेन चार्ज सहित वैमानिकी अनुसंधान एवं विकास स्थापना में किए गए थे। तापीय दृष्टि, चार्ज्ड कपल्ड डिवाइसिस और लेसर रेंज फाइंडर का संयोजन पूर्ण कर लिया गया है। ए एल एच रूपांतर के लिए फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड/ चार्ज्ड कपल्ड डिवाइसिस और थर्मल साइट/लेसर रेंज फाइंडर में से प्रत्येक का एक सेट प्राप्त कर लिया गया है।

8.33 ब्रह्मोस एक पराध्वनिक क्रूज प्रक्षेपास्त्र है एवं जलपोत एवं थल लक्ष्यों के विरुद्ध प्रयोग किया जाता है। इसकी परास 300 किलोमीटर तक है। प्रक्षेपास्त्र का जलपोतों, पनडुब्बी एवं विमानों पर लगाने हेतु और थल वाहनों पर लगाने हेतु बेजोड़ विन्यास है।

8.34 मल्टी बैरेल रॉकेट लांचर प्रणाली ने सफल सिद्ध करने वाले प्रयोक्ता परीक्षणों द्वारा प्रत्येक मुख्य मील पत्थर पूरा कर लिया है। प्रणाली ने प्रयोक्ता की सारी आवश्यकताओं को पूर्ण कर लिया है जिनमें शुद्धता, सामंजस्य तथा क्षेत्र विन्यास सम्मिलित है। थलसेना द्वारा इसको सेवाओं में सम्मिलित करने पर विचार किया जा रहा है।

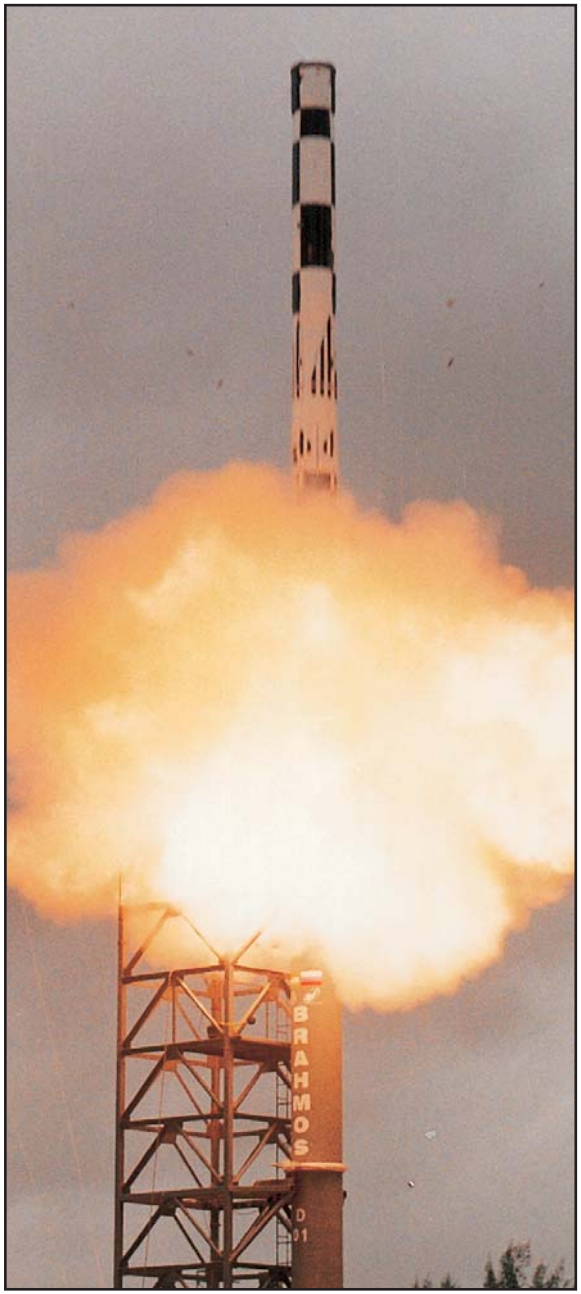

लांच के दौरान ब्रह्मोस प्रक्षेपास्त्र

8.35 वर्तमान विध्वंस प्रणालियां जो सेनाओं में उपलब्ध हैं, के स्थान पर कई विध्वंस प्रणालियां विकसित कर ली गई हैं। इन प्रणालियों में मॉड्यूलर तथा इन्टेन्डिड चार्जिज शेप्ड चार्जिज, फ्लेक्सिबल लिनीयर शेप्ड चार्जिज, कटिंग चार्जिज आदि सम्मिलित हैं। ये प्रणालियां वर्तमान में उपभोक्ता परीक्षणों से गुजर रही हैं।

8.36 रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन द्वारा विकसित प्रभाव सुरंग (टैंक प्रतिरोधी) एम के-I का उत्पादन ऑर्डनैंस फैक्ट्री बोर्ड (ओ एफ बी) द्वारा किया जा चुका है और थलसेना को वितरण किया जा चुका है। प्रभाव सुरंग (टैंक प्रतिरोधी) का सुधारात्मक रूपांतर जिसे एम के-II कहते हैं, विकास के उन्नत चरण में है। एक सक्रिय संवेदक प्रेरण संतुलन सिद्धांत पर आधारित है, विकसित किया गया है तथा सिद्ध किया गया है।

8.37 सम्युक्ता, एक इलेक्ट्रॉनिकी युद्ध प्रणाली (ई डब्ल्यू) थलसेना के लिए प्रणाली विकास तथा परीक्षण के उन्नत चरण में है। एक अलग रहने वाला संबाधक (एस ए जे) फैक्टरी में मूल्यांकन के उपरांत प्रयोक्ताओं द्वारा क्षेत्र में मूल्यांकित कर लिया गया है एवं इस मूल्यांकन के निवेशों अ-संचार खंड के इलेक्ट्रॉनिकी प्रत्युक्ति (ई सी एम) में, तीन आवृत्ति बैंडों जो कि निम्न, मध्यम तथा उच्च बैंडों में सम्मिलित किया जा रहा है। इस विकास से अ-संचार खंड के लिए ई सी एम पूर्ण कर लिया गया है एवं घटकों का मूल्यांकन किया जा रहा है।

8.38 परियोजना संग्रहव, (एक स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिकी युद्ध पद्धति कार्यक्रम नौसेना के लिए) के अंतर्गत पांच प्रकार के इलेक्ट्रॉनिकी युद्ध पद्धति (ई डब्ल्यू) प्रणालियों का विकास पूर्ण कर लिया गया है एवं प्रयोक्ताओं को प्रदर्शित कर दिया गया है। प्रणालियों का क्षेत्र मूल्यांकन विमानवाहित प्लेटफॉर्मों के लिए मूल्यांकन के विभिन्न चरणों में है और पनडुब्बी प्लेटफॉर्म के लिए सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया है। नौसेना को उनकी पनडुब्बियों के लिए दो प्रणालियों की आवश्यकता थी - एक विकसित कर दिया गया है और दूसरा पूर्णता के निकट है।

8.39 रात्रि दृष्टि युक्तियों (एन वी डी) जो कि प्रतिबिम्ब तीव्रीकरण नली (आई आई टी एस) पर आधारित हैं, के विकास की स्थिति उच्च परिपक्वता स्तर पर पहुंच चुकी है और युक्तियों/प्रणालियों का नियमित उत्पादन हो रहा है। द्वितीय जेनरेशन प्रतिबिम्ब तीव्रीकरण नलियों (आई आई टी एस) नियमित उत्पादन के अंतर्गत है और सुपर जेनरेशन प्रतिबिम्ब तीव्रीकरण नलियों (आई आई टी एस) के विकास के प्रयास किए जा रहे हैं। रात्रि दृष्टि युक्तियों (एन वी डी) के लिए संवेदकों का तापीय प्रतिबिम्बकों पर आधारित विकास में अधिक प्रगति नहीं हुई है एवं प्रौद्योगिकी के साथ चलने के प्रयास किए जा रहे हैं।

8.40 वैद्युत प्रकाशिक डाइरेक्टर (टरेट) का सभी तीनों वैद्युत प्रकाशिक (ईओ) संसूचकों, तापीय प्रतिबिम्बक, दिन के समय में टेलीविजन कैमरा एवं लेजर परास सूचक और अन्य उप-प्रणालियों से समाकलन/इंटरफेस पूर्ण कर लिया गया है। समाकलिक प्रणाली के स्वीकृति परीक्षण पूर्ण कर लिए गए हैं। नौसेना पोत के लिए वैद्युत प्रकाशिक अग्नि नियंत्रक प्रणाली (ई ओ एफ सी एस) प्रयोक्ता परीक्षण के लिए पोत पर संस्थापित कर दी गई है।

8.41 संवाहक कार्यक्रम वितरित युद्धक्षेत्र सूचना प्रणाली जिसमें कि सामरिक जोनों से कॉर्पोरेट मुख्यालय एवं नीचे बटालियन स्तर तक सम्मिलित हैं, कमांडरों को शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता हेतु है। स्वदेशी विकसित अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर (आरबैट एवं स्थल निर्देश स्टेट) को कार्पस जोन के परीक्षण एवं बेड हार्डवयर पर पहुंचा दिया गया है। आसूचना एवं संक्रियात्मक संभारिती उप-प्रणाली का विकास प्रगति पर है।

8.42 स्वदेशी शस्त्र स्थान निर्धारक रेडार (डब्ल्यू एल आर) का विकास शुरू किया गया है। यह पहला नवीनतम स्वदेशी रेडार युद्ध क्षेत्र में बल गुणक के रूप में शस्त्र स्थान निर्धारक एवं अग्नि सूचक हेतु होगा।

8.43 सक्रिय द्वारक व्यूह के लिए ट्रांस-रिसीवर मॉड्यूल के विकास हेतु प्रौद्योगिकी स्थापित की जा चुकी है। एल-बैण्ड सॉलिड स्टेट सक्रिय द्वारक समूल रेडार (एल एस टी ए आर) के विकास में इस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाएगा।

8.44 नवीनतम पोत पर सोनार हंसा का अभिकल्पन तथा विकास नौसेना भौतिक और समुद्र-विज्ञान प्रयोगशाला एन पी ओ एल, कोच्चि द्वारा किया गया है एवं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बंगलौर द्वारा उत्पादन किया गया है। नौसेना पोतों के लिए यह मानक फिट है। बारह प्रणालियों का उत्पादन किया जा चुका है।

8.45 वायुवाहित डंकिंग सोनार, मिहिर के तकनीकी मूल्यांकन परीक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिए गए हैं। एडवांस लाइट हेलिकॉप्टर पर स्थापित करने हेतु सोनार को अनापत्ति प्राप्त हो चुकी है। इस सोनार के नौसेना पोत पर स्थापित करने हेतु विन्यासों पर भारतीय नौसेना द्वारा विचार किया जा रहा है।

8.46 प्रथम स्वदेशी सक्रिय और निष्क्रिय कर्षित द्वारक सोनार 'नागन' के कर्षण परीक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिए गए हैं।

8.47 पनडुब्बी सेनार परियोजना यू एस एच यू एस जो कि कन्करैन्ट अभियांत्रिकी पद्धति से एन पी ओ एल,

कोच्चि द्वारा प्रौद्योगिकी स्थानांतरण से उत्पादित की जा रही है, बी ई एल (बेल), बंगलौर में तीव्र प्रगति कर रही है। उत्पादन एजेंसी को मांग नौसेना ने प्रदान की है और एन पी ओ एल, कोच्चि तकनीकी परामर्श तथा सहायता प्रदान कर रही है। एक प्रणाली को रूस में स्थापित तथा समायोजित किया जा रहा है और दूसरी प्रणाली भारतीय पनडुब्बियों पर स्थापित की जा चुकी है।

8.48 एक मनुष्य के साथ ले जाने वाला कम परास ''युद्ध क्षेत्र निगरानी रेडार'' (बी एफ एस आर - एस आर) घूमने वाले सतही लक्ष्य को पहचानने, गिनरानी करने और वर्गीकरण करने हेतु जैसे कि रेंगने वाले तथा घूमने वाले मनुष्यों, हल्की और भारी वाहनों एवं

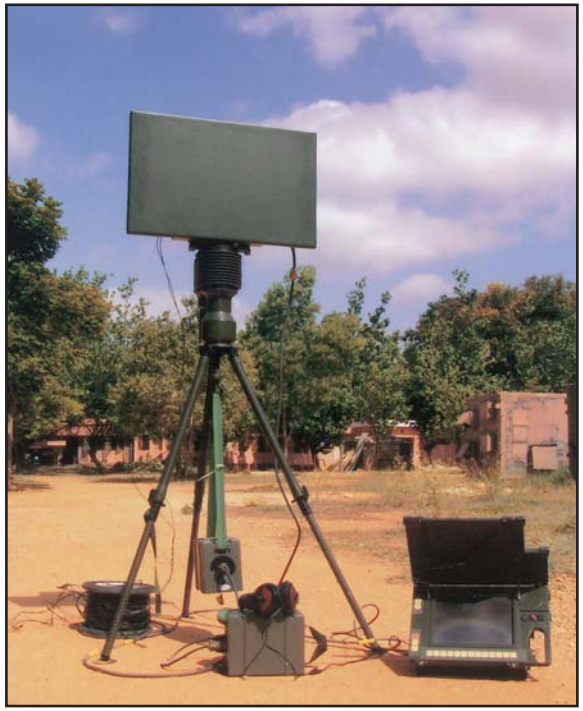

निम्न दूरी युद्ध भूमि निगरानी राडार

नीचे उड़ने वाले हेलिकाप्टर को थलसेना के प्रयोग हेतु विकसित किया गया है। मैदानों, पर्वतों और मरुस्थलों में प्रयोक्ता परीक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिए गए हैं। रेडार ने थलसेना द्वारा दी गई सामान्य स्टॉफ गुणात्मक आवश्यकताओं को पूर्ण कर लिया है। प्रणाली को सशस्त्र सेनाओं में प्रवेश हेतु कुछ रद्दोबदल के उपरांत अनुशंसा की जा चुकी है।

8.49 एक त्रि-आयामी केन्द्रीय प्राप्ति रेडार (3-डी सी ए आर) को मधयम परास शीघ्र चेतावनी देने वाले संसूचक की भांति विकसित कर लिया गया है। इस नवीनतम रेडार में कई लक्ष्यों को पहचानने तथा निगरानी करने हेतु इलेक्ट्रॉनिकी युद्ध प्रणाली वातावरण में क्षमता है। वास्तविक उड़ानें जो वायुसेना ने प्रदान की थी, में सशस्त्र सेनाओं को यह रेडार प्रदर्शित किया जा चुका है। रेडार का बृहद अंत: गृह मूल्यांकन एवं क्षेत्र में भारतीय वायु सेना द्वारा तीन महीने तक प्रयोग किया जा चुका है। इस रेडार के विन्यास थलसेना, नौसेना और वायुसेना के लिए उपयोगी रहेंगे।

8.50 एक समुद्री रेडार नौसेना के प्रयोग हेतु समुद्री सतहों और वायुवाहित लक्ष्यों जैसे कि नावों, पोतों, फ्रिगेट, समुद्री स्कीमिंग प्रक्षेपास्त्रों एवं निम्न उड़ने वाले विमानों एवं समुद्री क्लस्टर और वर्षा के नीचे पनडुब्बियों को पहचानने हेतु अभिकल्पित तथा विकसित किया गया है। समुद्री सतह लक्ष्यों के विरुद्ध अभी हाल ही में बहुत उत्साहवर्द्धक परिणाम मिले हैं। रेडार को हेलिकॉप्टर पर लगाया गया है एवं मूल्यांकन में प्रगति की जा रही है।

8.51 संजीवनी, एक सुवाहन जीवन को पहचानने हेतु युक्ति जिसका उपयोग आपात बचाव मिशन में जिंदा मनुष्यों अथवा पशुओं के पहचानने हेतु है जो कि गिरे हुए भवनों/भूस्खलन के मलबे में फंसे हुए हैं, विकसित कर ली गई है।

8.52 124 मुख्य युद्धक टैंक - अर्जुन के हैवी वेहिकल फैक्टरी (एच वी एफ) में उत्पादन हेतु प्रौद्योगिकी के स्थानान्तरण में प्रगति की जा रही है। बीच में ही उत्पादन पूर्व टैंकों जो कि थलसेना को दिए गए हैं, का पूर्ण उपयोग किया जा रहा है जिसके लिए उत्पाद तथा तकनीकी सहायता रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन द्वारा प्रदान की जा रही है। यह आशा की जा रही है कि प्रथम दो उत्पादित टैंक हैवी वेहिकल फैक्ट्री (एच वी एफ) अवाड़ी से शीघ्र बाहर निकल आएंगे। प्रथम 15 टैंकों का मार्च, 2004 तक उत्पादन पूर्ण करने हेतु सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

8.53 रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन द्वारा विकसित युद्ध सुधार अजेय (सी आई ए) का उत्पादन हैवी वेहिकल फैक्टरी (एच वी एफ) में शुरू किया जा चुका है। मुख्य उप-प्रणलियां युद्ध के सुधार हेतु सामान्य टैंक पर जो समायोजित की जा रही हैं - तापीय प्रतिबिम्ब अग्नि नियंत्रण प्रणाली (टी आई एफ सी एस), मजल संदर्भ प्रणाली (एम आर एस), विस्फोटक प्रतिघाती आर्मर (ई आर ए), समायोजिक अग्नि पहचानने वाली एवं दबाने वाली प्रणाली (आई एफ डी एस एस) और ग्लोबल पोजिशनिंग प्रणाली (जीपीएस) है।

8.54 बी एम पी-II की चैसिस पर विकसित कैरियर मोर्टार ट्रैक्ड (सीएमटी) 198 की संख्या में ऑर्डनैंस फैक्टरी, मेडक (ओएफएम) में प्रगति की जा रही है। 75 सी एम टी वाहन का अब तक उत्पादन किया जा चुका है एवं इन्हें प्रयोक्ताओं को वितरित किया जा रहा है।

8.55 155 मिलीमीटर ट्रैक्ड सैल्फ प्रोपेल्ड गन (भीम टी-6) जिसे कि सी वी आर डी ई, अवाड़ी ने मैसर्स एल आर डब्ल्यू, दक्षिणी अफ्रीका से एम बी टी अर्जुन व्युत्पन्न चैसिस पर समायोजित करके विकसित किया है, थल सेना द्वारा क्षेत्र/फायरिंग परीक्षणों के सफलतापूर्वक पूर्ण होने के उपरांत उत्पादन हेतु अनुशंसित किया जा चुका है। मैसर्स भारत अर्थ मूविंग लिमिटेड (बी ई एम एल) को 100 संख्या में भीम टी-6 के उत्पादन हेतु नोडल उत्पादन एजेंसी नामित किया गया है।

8.56 रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन भविष्य के लिए पैदल सेना युद्ध वाहन (आईसीवी) ''अभय'' का प्रौद्योगिकी प्रदर्शक के रूप में विकास कर रहा है जो कि बी एम पी II वाहनों जो कि सेना में हैं, का स्थान लेगी। प्रथम माइल्ड स्टील प्रोटोटाइप का विकास पूर्ण कर लिया है। यह वर्तमान में ऑटोमोटिव प्रणाली को सिद्ध करने हेतु वृहद् परीक्षण के अंतर्गत है। प्रथम आर्मड प्रोटोटाइप का विकास भी प्रगति पर है।

8.57 एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शक एमफिबियस फलोटिंग ब्रिज एण्ड फैरी सिस्टम (ए एफ एफ एस) में प्रगति की जा रही है। परियोजना का उद्देश्य ऐसी प्रणालियों के विकास में क्षमता स्थापित करनी जिनमें जमीन तथा जल पर चलने की और एम एल सी 30 श्रेणी के बहते पुल की जल बाधाओं पर चलने की दोहरी क्षमता है। यह एम एल सी 70 श्रेणी के ए एफ एफ एस जिन्हें थलसेना की आवश्यकता है, के पूर्व चलने वाले होंगे।

8.58 एवलान्च अनुमान चेतावनियां जम्मू तथा कश्मीर के क्षेत्रों में जिसमें ओप - मेघदूत (सियाचिन), कारगिल, मशकोह घाटी, शाम्शबारी रेंज एवं पीर-पंजन रेंजों और हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र मनाली-रोहतांग-पटसिवो शामिल हैं, नियमित तौर पर तीन दिन पहले ही 2001-2002 के शीत में थलसेना तथा सिविल जनसंख्या हेतु अच्छी शुद्धतापूर्वक प्रदान की गई है। इसके लिए 35 सतही वेधशाला नेटवर्क जो कि जम्मू तथा कश्मीर, सियाचिन तथा हिमाचल के कुछ हिस्सों तक है, मूल्य गुणात्मक आंकड़े 16 स्वचालित मौसम स्टेशनों (ए डब्ल्यू एस), शीघ्र ही चलाया गया मेटसैट से जोड़ा गया है, का एवलान्च अनुमान हेतु किया है। इससे सशस्त्र सेनाओं को टूपों के संचालन तथा तैनाती हेतु हिम-आच्छादित क्षेत्र में एवलान्च से पूर्व योजना बनाने में सहायता मिली है, जिससे कि कई बहुमूल्य जानें बचाई जा सकी हैं।

8.59 फ्लाई-थ्रू मॉडलों, प्रकाशीय प्रतिबिम्बों और भारत के सर्वे मानचित्रों द्वारा विकसित किए गए हैं और प्रयोक्ताओं को प्रदर्शित किए गए हैं जिससे कि शीत माह में निरापद चलने हेतु सैन्य दल को जानकारी मिल सके।

8.60 बिना ज्वाला के राशन तापक (तापीय प्रणाली) भोजन पाउचिज के लिए एक्सोथर्मिक प्रतिक्रिया पर है, का विकास नौसेना सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला (एन एम आर एल)ने किया है। क्षेत्र परीक्षण मई, 2002 में किए गए हैं। परीक्षण सफल रहे हैं और उनमें और सुधार जारी है।

8.61 बिना ज्वाला के कमरा तापक (भूकारी) का विकास तथा परीक्षण किया जा चुका है। यह मेथेनाल पर आधारित है एवं विषाक्त फ्यूम या सूट पैदा नहीं करता है। यह 1.5 किलोवॉट तक उत्पादन कर सकता है और उच्च भूकारी 10 किलोवॉट तक कार्य प्रगति पर है।

8.62 फ्यूल सैल वर्तमान ऊर्जा स्रोतों के एक प्रदूषण रहित हो सकने वाला विकल्प फॉसिल फ्यूल पर प्रदान करते हैं। 5 किलोवॉट फॉस्फोरिक एसिड फ्यूल सैल (पी ए एफ सी) के विकास हेतु प्रौद्योगिकी विकसित की जा चुकी है। 25 किलोवॉट फ्यूल सैल पर कार्य प्रगति पर है। प्रयोगशाला ने मिथेनॉल रिफार्मर हाइड्रोजन को फ्यूल सैल के लिए पैदा करने हेतु विकसित किया है। छोटे फ्यूल सैल 100 वॉटों के एवं 2 से 5 वॉटों तक निम्न ऊर्जा आवश्यकताओं हेतु प्रयोगशाला ने विकसित किया है।

8.63 प्लैटिनीकृत टाइटेनियम अनोड आधारित बेस्ड इम्प्रैस्ड करेन्ट कैथोडिक प्रोटेक्शन (आई सी सी पी) प्रणाली को हल को अंतर्जल से बचाने हेतु विकसित किया गया है। प्रणाली में स्वत: नियंत्रण एकक, संदर्भ इलेक्ट्रोड और एनोड हैं। सिल्वर-सिल्वर क्लोराइड (ए जी - ए जी सी एल) संदर्भ इलेक्ट्रोडों को विकसित किया है जिससे कि नौसेना पोतों पर जो अभी आर सी सी पी प्रणाली की आवश्यकताएं हैं, की पूर्ति की जा सके। पूर्ण प्रणाली को भारतीय नौसेना पोत विद्युत पर स्थापित किया गया है।

8.64 प्रोसेसर आधारित ग्राउंड सुरंग और प्रोसेसर आधारित सुरंग को उत्पादन हेतु स्वीकृति मिल चुकी है। ये आसूचना सुरंगें हैं एवं ध्वानिक, चुम्बकीय एवं दबाव हस्ताक्षरों से क्रियाशील हो जाती हैं। आठ सुरंगों के लिए मांग प्रदान की जा रही है।

8.65 हल्का भार टारपिडो जिसे कि नौसेना पोत एवं हेलिकाप्टर से प्रति पनडुब्बी युद्ध पद्धति हेतु प्रमोचित किया जा सकता है, को उत्पादन हेतु स्वीकृति मिल चुकी है। इन टारपिडो पर अभी और परीक्षण किए जाएंगे। 25 संख्या के लिए मांग प्रदान की जा रही है।

8.66 उच्च भार ताप निर्देशित टारपिडो पर परीक्षणों में प्रगति की जा रही है।

8.67 बीएमपी II आधारित एन बी सी टोह लेने वाले वाहन को विकिरण संसूचकों जैसे कि रोएजो मापी, रासायनिक संसूचक जैसे कि एम-90, गैस क्रोमेटोग्राफ, मौसम विज्ञान संसूचक और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम को फिट करके विकसित किया गया है। थलसेना मुख्यालय द्वारा जारी परीक्षण निर्देशों के अनुसार चार चरणों में प्रयोक्ता परीक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिए गये हैं और मदों को मामूली रद्दोबदल के उपरांत सेनाओं में शामिल कर लिया जाएगा।

8.68 एक अल्ट्रा नवीनतम अग्नि पहचानने तथा दबाने वाली प्रणाली विकसित की जा चुकी है और भारतीय नौसेना पोत (आईएनएस), द्रोणाचार्य फोर्ट, कोच्चि में त्रिशूल प्रमोचक बारबेट पर स्थापित की जा चुकी है। प्रणाली ने जो कि बारबेट के अंदर अग्नि पैदा करके की गई थी, जिसको कि प्रणाली ने दो सैकण्ड के अंदर ही बुझा दिया, प्रयोक्ता परीक्षणों से सफलतापूर्वक निकासी प्राप्त कर चुकी है।

8.69 टेन्ट ग्लेसियर (10-12 आदमी) सक्रिय कार्बन गोला, ऑयल ओ एक्स-320, ऑयल एम3 एस3 और स्वत: जंग और स्केल को रोकने वाली प्रौद्योगिकियां उद्योगपतियों को वर्ष 2002 में स्थानांतरित कर दी गई हैं। अति ठंडा मौसम कपड़े की मदें हेतु जैसे कि कैप ग्लेशियर, गेटर ग्लेशियर, पोंचों ग्लेशियर, ग्लोवस ग्लेशियर, ओवर गारमैण्ट ब्लाउज, ओवर गारमैण्ट ट्राउजरों, कॉम्बिनेशन हारनेस, रोप क्लाइम्बिंग, कॉर्ड एवलान्च, वॉटरप्रूफ बैग एवं मैट्रेस ग्लेशियर हेतु पैरामिलिटरी बलों से मांग प्राप्त हुई।

8.70 रक्षा अनुसंधान तथा विकास स्थापना (डी आर डी ई) ने लिफाफों, जो कि देश के विभिन्न भागों से प्राप्त हुए, का परीक्षण किया और संदेहास्पद एन्थ्रैक्स स्पोरों की न होने की पुष्टि की। इसने वरिष्ठ आई ए एस और आई पी एस अधिकारियों के लिए रासायनिक युद्ध तथा जैविक युद्ध के विरुद्ध रक्षा हेतु कई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। हाईब्रिडोमा प्रौद्योगिकी में एक नये आयाम की डी आर डी ई ने प्राप्ति की जिससे कि वांछित प्रकार के उच्च मोनोक्लोनल एंटीबॉडियों को उत्पन्न किया जा सके तथा इसका परामर्श विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू एच ओ) के प्रतिनिधियों को प्रदान किया गया।

प्रौद्योगिकी विकास/नवीनतम प्रौद्योगिकी

8.71 दहनशील कैट्रिज केस (सी सी सी) रेजिन को बाइन्डर की तरह नाइट्रो सैलूलोज मैट्रिक में मिलाकर उत्पादन हेतु उन्नत प्रौद्योगिकी के विकास की संभाव्यता सिद्ध की जा चुकी है। नव-विकसित सी सी सी की उत्कृष्ट तनान सामर्थ्य है एवं दहनशीलता में कोई कमी नहीं है। ये सी सी सी विभीय स्थिर है जब अति पर्यावरणीय परिस्थितियों में भंडारण/प्रयोग किया जाता है।

8.72 गैलियस आर्सेनाइड एनेबलिंग प्रौद्योगिकी केन्द्र (जीएईसीटीसी) ने मोनोलिथिक सूक्ष्मतरंग अंकीय परिपथों (एमएमआईसी) प्रवर्धक मोड्यूल्स का उत्पादन विभिन्न आवृत्ति बैंडों में विभिन्न रक्षा तथा अंतरिक्ष अनुप्रयोगों हेतु किया तथा पहुंचाया। केन्द्र ने एस-बैंड रिसीव बीम फार्मर एवं अंकीय क्षीणकारी एवं सिंगल पोड डबल थ्रो (एसपीडीटी) स्विच, एमएमआईसी चिपों का एल बैंड ट्रांस - रिसीव मॉड्यूल जो कि नवीनतम रेडार प्रणालियों में इस्तेमाल हेतु उत्पादन किया।

मूल अनुसंधान

8.73 मूल अनुसंधान जो कि सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, को जोर देने के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने चार अनुसंधान बोर्डों का गठन किया है, जो कि वैमानिकी अनुसंधान तथा विकास बोर्ड (एआर एण्ड डीडीबी), आयुध अनुसंधान बोर्ड (एआरएमआरईबी), नौसेना अनुसंधान बोर्ड (एनआरबी) एवं जैव विज्ञान अनुसंधान बोर्ड (एनएसआरबी) का गठन किया है। ये बोर्ड शैक्षिक संस्थानों एवं अन्य राष्ट्रीय अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशालाओं के साथ पारस्परिक मोड़ में मंजूरी, वित्तीय सहायता एवं ग्रांट-इन-एड परियोजनाओं की मॉनीटरिंग द्वारा अनुसंधान को बढ़ावा देते हैं।

8.74 वैमानिकी अनुसंधान तथा विकास बोर्ड हाल ही में वैमानिकी अनुसंधान तथा विकास के उभरने वाले क्षेत्रों में जो कि 25 शैक्षिक तथा अनुसंधान संस्थान हैं, में 150 परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। ये उत्कृष्टता के केन्द्र भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई आई टी), राष्ट्रीय वैमानिकी प्रयोगशाला (एन ए एल) और भारतीय विज्ञान संस्थान (आई आई एस सी) को प्रणाली अभिकल्पन एवं अभियांत्रिकी, संगठक दव्य यांत्रिकी (सीएफडी) एवं कम्पोजिट ढांचों को क्षेत्रों में अन्य विशेषज्ञता के संगठनों से संबंध रखते हुए स्थापित किए गये हैं।

8.75 आयुध अनुसंधान बोर्ड (ए आर एम आर ई बी) 31 परियोजनाओं, विभिन्न शैक्षिक संस्थानों एवं अन्य अनुसंधान तथा विकास संगठनों को मंजूरी दी गई है जो कि विभिन्न क्षेत्रों जैसे ऊर्जा पदार्थ, संवेदक, बैलिस्टिक्स, कम्बसचन एवं डेटोनिक्स एवं आयुध के अन्य संबंधित क्षेत्रों में से हैं। इनमें से दो परियोजनाएं सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली गई हैं एवं शेष में अभी कार्य जारी है।

8.76 जैव विज्ञान अनुसंधान बोर्ड (एलएसआरबी) एक पंजीकृत सोसाइटी है जो कि जैव विज्ञान में ज्ञान को बढ़ाने तथा ज्ञान के ढांचे की जो कि ज्ञान के प्राकृतिक स्रोतों को सुदृढ़ करके, विशेषज्ञता, सुविधाएं एवं आधारभूत ढांचे को देश में सुदृढ़ बनाने हेतु है। एल एस आर बी का यह प्रयास है कि ऐसी परिस्थितियां पैदा की जाएं जो कि समुद्र पार के स्थानों से प्रतिभा एवं अनुभव को आकर्षित करने, पारस्परिक शोध एवं अन्य शैक्षिक आदान-प्रदान के जरिये है। अब तक एल एस आर बी ने 38 परियोजनाओं को जो कि जैव विज्ञान के विभिन्न क्षेत्र में हैं, स्वीकृति दी है जिनमें से 5 परियोजनाओं को अप्रैल, 2001 से मार्च, 2002 के वर्ष में स्वीकृति दी है।

8.77 नौसेना अनुसंधान बोर्ड (एनआरबी) नौसेना प्रौद्योगिकियों में मूलभूत अनुसंधान को सहायता पहुंचाने में प्रयास जारी रख रहा है। पांच नये सहायता अनुदान को शैक्षिक संस्थानों के मूल मूल्य 1.4 करोड़ रुपये पर स्वीकृति प्रदान की गई जिससे कि स्वीकृत परियोजनाओं की कुल संख्या 39 पहुंच गई एवं कुल पूंजी 6.9 करोड़ रुपए हो गई थी। 39 में से 17 परियोजनाएं अभी तक पूर्ण की जा चुकी हैं।

सशस्त्र सेनाओं को सहायता

8.78 रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन ने थल कार्मिकों के लिए वायु रक्षा युद्ध एवं शत्रु विमानों तथा प्रक्षेपास्त्रों को रिपोर्ट करने हेतु सिमूलेटर प्रशिक्षण हेतु कई सॉफ्टवेयर विकसित किए।

8.79 एमबीटी चालक के लिए संक्रियात्मक राशन पैक को विकसित किया गया। तीन दिनों के राशन हेतु (एक पैक में) जो मिनू है उसको प्रयोक्ता से मशविरा करके बनाया गया है। इन राशन हेतु उपभोक्ता परीक्षण नामित यूनिटों जो कि पटियाला तथा जैसलमेर में हैं, पूरे कर लिए गए। थलसेना यूनिटों के चालकों द्वारा इन राशनों के विषय में बहुत अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है।

8.80 रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन की कृषि प्रयोगशालाएं केन्द्रीय हिमालय के दूर-दराज इलाकों तथा लद्दाख के ठण्डे रेगिस्तानों में जो कुछ समय तक चल सके, पर्यावरणीय-मित्र कृषि प्रौद्योगिकियों के विकास में प्रयासरत हैं जिससे कि सशस्त्र सेनाओं की ताजी कृषि उत्पादों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एवं इसके अतिरिक्त क्षेत्र के निवासियों का सामाजिक-आर्थिक विकास का कई विशेषज्ञताओं के समेकृत अनुसंधान तथा विकास नेटवर्क के जरिये हो सके। रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन ने अपनी क्षेत्रीय प्रयोगशाला, लेह के द्वारा 32 टन ताजी सब्जियां, एक लाख लीटर से अधिक दूध और 22 टन मुर्गी के मांस की आपूर्ति 1 अप्रैल, 2002 से 31 अक्टूबर, 2002 के छः माह की अवधि के दौरान की है।

8.81 सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों हेतु नियमित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन की विभिन्न कृषि प्रयोगशालाओं द्वारा किया जाता है। प्रशिक्षण में विभिन्न क्षेत्र जैसे कि ग्लास/पोलिगृह में सब्जी उगाना, मशरूम उगाना, अंगौरा खरगोश, मुर्गीपालन, डेरी, मछली उद्यान आदि शामिल हैं। कई थलसेना विरचनाओं को इस क्रिया-कलाप से लाभ हुआ है। इस प्रशिक्षण से सेवानिवृत्ति के उपरांत थलसेना कार्मिकों को पुनर्वास में सहायता मिलती है।

8.82 रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन की तेजपुर प्रयोगशाला द्वारा असम में मलेरिया की रोकथाम हेतु विकसित प्रोटोकॉल से लाभ है। प्रतिमाह मॉनीटरिंग एवं मलेरिया की लामा कैम्प छावनी में निगरानी से मलेरिया का कोई भी मामला नहीं मिला है। मच्छरों को भगाने वाली जड़ी-बूटी जिसे कि रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन ने विकसित किया है, क्षेत्रीय परीक्षणों से गुजर रही है।

8.83 रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन एवं उच्च तुंगता चिकित्सा अनुसंधान केन्द्र, लेह ने मिलकर एक नई उपचार प्रणाली का अभिकल्पन तथा विकास किया है जिसमें एक गैस मिश्रण जो नाइट्रिक-ऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का है, का सूंघना उच्च तुंगता फुफ्फुस शोध (एचएपीई) मरीजों के लिए है। इसमें एक स्वदेशी नाइट्रिक ऑक्साइड (एनओ) संप्रेषण प्रणाली का भी विकास है जो कि सुदूर एवं उच्च तुंगता क्षेत्रों में प्रयोग की जा सकती है, जो कि हाल में मानव सुरक्षा नियंत्रित उपायों के परीक्षणों से गुजर रही है, भी सम्मिलित है।

8.84 रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन के वैज्ञानिकों ने बुद्धि परीक्षणों को विकसित तथा मानकीकृत किया है जिसमें मौखिक तथा बिना मौखिक परीक्षण भर्ती निदेशालय, थलसेना मुख्यालय के मानक भी हैं, सेवारत कार्मिकों को कमीशन रैंकों के चयन हेतु हैं।

8.85 रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन ने चिकित्सकीय नाभिकीय चिकित्सा, विकिरण, जैव विज्ञान, जैव साइबरनेटिक्स, रेडियो भेषजों एवं दंत रोग अनुसंधान के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान किये हैं। बहु केन्द्रीय चिकित्सकीय परीक्षण उन रोगियों में जिनमें दिमागीय अर्बुद है, का तीन अग्रणी कैंसर अस्पतालों एवं अनुसंधान संस्थानों में 2-डीऑक्सी-डी-ग्लूकोज

चिकित्सा द्वारा किया जा रहा है। कई रेडियो भेषज किट भी विकसित की गई हैं जिनका वृहद् चिकित्सकीय परीक्षण प्रौद्योगिकी हस्तांतरण से पूर्व किया जा रहा है।

8.86 नाभिकीय चिकित्सा प्रयोगशाला ने स्वदेशी टाइटेनियम डेंटल इम्प्लांटों को शल्य चिकित्सा किटों सहित विकसित किया है एवं चिकित्सकीय परीक्षण लगभग पूर्ण होने वाले हैं। महानिदेशक, सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवाएं (डीजीएएफएमएस) एवं अपर महानिदेशक, दंत रोग से स्वीकृति प्राप्त हो गई है कि रक्षा सेवाओं के 7 केन्द्रों में डेंटल इम्पलांट्स वितरित किए जाएं। ये इम्प्लांट जो कि आयातित इम्प्लांटों की तुलना में बहुत कम मूल्य के हैं, कार्मिकों के शारीरिक तथा मानसिक पुनर्वास जिन्हें कि सुरंग के उड़ने तथा इम्प्रोवाइज़ विस्फोटक युक्तियां जो कि विद्रोही व्यक्तियों को प्रतिरोध में हुई मुंह-नाक की क्षतियां हुई हैं, हेतु हैं।

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का उद्योगों एवं राज्य सरकारों से मेलजोल

8.87 मैसूर की रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन की प्रयोगशाला ने फल के पेयों के शीत सुखाने की एवं अन्नानास को परिरक्षण में अटकलों हेतु प्रौद्योगिकी को मैसर्स ट्रांसइंडिया,कोलकाता को स्थानान्तरित किया है। फर्म एक बहु फल संसाधन एकक बोधजुंगनगर, अगरतला में स्थापित कर रही है।

8.88 रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने जर्मन अंगोरा खरगोश का जर्मप्लाज्म केन्द्र गांव मुनिसीयारी, पिथौरागढ़ में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम एवं उत्तरांचल की राज्य सरकार की छत्रछाया में चल रहा है। जर्मप्लाज्म का रख-रखाव एवं वृद्धिकरण किसानों द्वारा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के तकनीकी मार्गदर्शन में किया जाता है। किसानों को चारा देना, उपज प्रबंधन, अभिलेख रखने, ऊन को कतरने एवं स्वास्थ्य के सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक पहलुओं पर प्रशिक्षण दिया जाता है। जर्मप्लाज्म केन्द्र पर खरगोशों की बढ़ोत्तरी एवं प्रौढ़ खरगोशों एवं अंगोरा ऊनी वस्त्रों के विपणन में अच्छी प्रगति हुई है।

8.89 रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन ने आहम गांव को एक मॉडल गांव के रूप में सामाजिक-आर्थिक विकास के मनोवैज्ञानिक असर अध्ययन हेतु चुना गया है। सामाजिक-आर्थिक संबल सामग्री जैसे कि कंप्यूटरों, सिलाई की मशीनों, पानी के पंपों एवं पुस्तकालय तथा मनोरंजन केन्द्र के लिए उपकरण प्रदान करके किया गया। इस संबल से गांव वालों के रूख में अच्छा बदलाव आया।

मानव संसाधन विकास

8.90 रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन में जनशक्ति योजना बोर्ड का वैज्ञानिक, तकनीकी तथा अन्य प्रशासनिक जनशक्ति के प्रबंधन को देखने हेतु बोर्ड का गठन किया गया है। रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन की विभिन्न परियोजनाओं के लिए विभिन्न श्रेणियों में जनशक्ति की समीक्षा की गई है। कई प्रक्रियाओं जैसे कि कैडर ढांचे का यौक्तिकीकरण, प्रोत्साहन योजनाओं, प्रशिक्षण नीतियां, बढ़े हुए प्रोन्नति हेतु अवसरों, बाहर निकलने पर साक्षात्कारों, द्वारा संगठन ने मानव संसाधन के सर्वोत्तम उपयोग हेतु, इसके सिवाय कि सर्वोत्तम प्रतिभाओं को आकृष्ट करने एवं उन्हें रखने में सतत प्रयत्नशील रहा है। रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन के दो प्रशिक्षण संस्थानों-आयुध प्रौद्योगिकी संस्थान (आईएटी) एवं प्रौद्योगिकी प्रबंधन संस्थान (आईटीएम) - विशेषज्ञ पाठ्यक्रमों के संचालन में कार्यरत है। इस क्रिया को अधिक प्रभावी एवं परिणामोन्मुख बनाने हेतु मानव संसाधन विकास (एचआरडी) प्रकोष्ठों को रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन की सभी प्रयोगशालाओं/प्रतिष्ठानों में गठित किया गया है। कॉर्पोरेट समीक्षा टीमों का एक उद्देश्य विशेष तौर पर मानव संसाधन विकास पहलुओं/मार्गदर्शियों जो कि संगठन ने बनाई हैं, की समीक्षा का कार्य है।

8.91 वर्तमान एवं भविष्य में वैज्ञानिक तथा तकनीकी जानकारी की विभिन्न परियोजनाओं की पूर्ति हेतु कई तकनीकी एवं गैर-तकनीकी कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों को चलाया जाता है। शोध एवं प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत, कुल 85 कार्मिकों को विभिन्न विशेषज्ञताओं के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थापनाओं एवं अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों के लिए प्रायोजित किया गया है। विभिन्न विशेषज्ञताओं के उत्कृष्ट केन्द्रों से संकाय सदस्य प्राप्त करके विभिन्न अनुवर्ती शिक्षा कार्यक्रम चलाये गये।

9

अंतर-सेवा संगठन

भाषा प्रयोगशाला में विदेशी भाषा सीखते हुए

9.1 निम्नलिखित अंतर-सेवा संगठन सीधे रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं :-

(i) सेना इंजीनियर सेवा
(ii) सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा
(iii) रक्षा संपदा महानिदेशालय
(iv) मुख्य प्रशासन अधिकारी का कार्यालय
(v) जनसंपर्क निदेशालय
(vi) सेना क्रय संगठन
(vii) सेना खेल-कूद नियंत्रण बोर्ड
(viii) सशस्त्र सेना फिल्म एवं फोटो प्रभाग
(ix) विदेशी भाषा विद्यालय
(x) इतिहास प्रभाग
(xi) राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय
(xii) रक्षा प्रबंधन कालेज
(xiii) रक्षा सेवा स्टाफ कालेज
(xiv) रक्षा मंत्रालय पुस्तकालय

सेना इंजीनियर सेवा

9.2 सेना इंजीनियर सेवा देश की सबसे बड़ी निर्माण एजेंसी है तथा यह देश भर में फैले सामान्य क्षेत्रों तथा अग्रवर्ती क्षेत्रों के 450 स्टेशनों को निर्माण-कार्य संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराती है। सेना इंजीनियर सेवा रक्षा मंत्रालय की प्रमुख इंजीनियरी शाखा है जो तीनों सेनाओं तथा अन्य सम्बद्ध विभागों को निर्माण-कार्य सुविधा उपलब्ध करवाती है। आज यह 3300 करोड़ रुपए से भी अधिक के वार्षिक कार्यभार का निपटान करती है।

9.3 सेना इंजीनियर सेवा, इंजीनियर-इन-चीफ के समग्र नियंत्रण में संचालित होती है जो कि निर्माण इंजीनियरी के विषय में रक्षा मंत्रालय तथा तीनों सेनाओं के सलाहकार हैं। यह अपना कार्य-निष्पादन इंजीनियरी कोर के सिविलियन तथा योधी कार्मिकों में से लिए गए अधिकारियों और कर्मचारियों के पर्यवेक्षण में करती है। योजना निर्माण, डिजाइनिंग और कार्य के पर्यवेक्षण के लिए वास्तुविदों, सिविल, विद्युत और यांत्रिक इंजीनियरों, संरचना डिजाइनरों, मात्रा सर्वेक्षकों और संविदा विशेषज्ञों की एक समन्वित बहुविधा टीम होती है।

9.4 सेना इंजीनियर सेवा को बहुत से सिविल कार्यों जैसे परंपरागत भवन और फैक्टरी से लेकर अत्याधुनिक जटिल प्रयोगशालाओं, समुद्री निर्माण कार्यों, जेटी निर्माण, गोदी निर्माण, घाटों, कर्मशालाओं, स्लिपवे, हवाई पट्टियों, सड़कों, ब्लास्ट पेनों आदि के निर्माण में विशेषज्ञता प्राप्त है। यह तीनों सेनाओं के लिए वातानुकूलन, शीत भंडारण, जल-आपूर्ति, संपीडित वायु, मल-जल उपचार संयंत्र, लिफ्ट, क्रेन आदि जैसी आधुनिक अवसंरचनात्मक सेवाएं भी मुहैया करवाती है।

9.5 सेना इंजीनियर सेवा द्वारा वर्ष के दौरान निम्नलिखित महत्वपूर्ण समयबद्ध परियोजनाओं का निष्पादन किया जा रहा है :-

i) **एझीमाला स्थित नौसेना अकादमी परियोजना:** इस परियोजना के लिए 166.94 करोड़ रुपए संस्वीकृत किए गए थे। इस परियोजना का कार्य निष्पादन शुरू हो चुका है और उसे अक्तूबर, 2005 तक पूरा किए जाने की संभावना है।

ii) **सी.ए.डी. पुलगांव : 32 स्थापना शेडों 48 X 15.25 X 4.9 मीटर (प्रत्येक 300 मीट्रिक टन) का निर्माण :** चक्रमों सहित 27 शेडों और मौजूदा चक्रमों के भीतर पांच शेडों वाली यह परियोजना एफटीपी प्रक्रिया के तहत 30 जनवरी, 2002 को 25.46 करोड़ रुपए के लिए संस्वीकृत की गई थी। यह कार्य 24 माह में पूरा किया जाना है।

9.6 **विवाहितों के लिए आवास परियोजना :** शांत और कठिन इलाकों में स्थित अधिकांश सेना स्टेशनों पर विवाहित अफसरों, जूनियर कमीशन-प्राप्त अफसरों और अन्य रैंकों के लिए 4 वर्ष की अवधि में लगभग 17350 करोड़ रुपए की लागत से 1.98 लाख परिवार क्वार्टरों के निर्माण का एक बड़ा कार्य शुरू किया गया है। इस परियोजना का निष्पादन महानिदेशक, विवाहितों के लिए आवास परियोजना के पर्यवेक्षण में किया जाएगा.

सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा

9.7 सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा के संक्षिप्त क्रियाकलाप सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा (ए.एफ.एम.एस.) सेना दंत चिकित्सा (एडीसी) तथा सैन्य नर्सिंग सेवा (एम एन एस) आते हैं। यह सशस्त्र सेना में सेवारत लगभग 66 लाख कार्मिकों, उनके परिवारों एवं आश्रितों को व्यापक स्वास्थ्य सेवा एवं सुविधाएं मुहैया कराती है। इसके अतिरिक्त सेवानिवृत्त सैनिक तथा उनके परिवार भी नि:शुल्क उपचार के हकदार हैं। इसी प्रकार पैरा मिलिट्री आर्गेनाइजेशन जैसे असम राइफल, राष्ट्रीय राइफल की तरह डी आर डी ओ, तटरक्षक तथा सीमा सड़क संगठन के कार्मिक भी फील्ड में तैनाती के दौरान नि:शुल्क उपचार के हकदार होते हैं। सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा महामारियों, प्राकृतिक आपदाओं के दौरान तथा आंतरिक सुरक्षा कार्यों में, विशेष रूप से अगम्य तथा दु:साध्य क्षेत्रों में सिविल प्राधिकारियों को मदद

पहुंचाने में भी सक्रिय है। इसके अलावा, सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा की यूनिटों द्वारा सभी सिविलियनों को आपातकालीन जीवन रक्षक स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं।

9.8 **अवसंरचना :** स्वास्थ्य संबंधी चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के क्षेत्र में सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा देश का सबसे बड़ा एवं सुव्यवस्थित संगठन है। यहां डाक्टरों द्वारा संचालित रेजीमेंटल ऐड पोस्ट नेटवर्क प्रणाली कार्यरत है। इन्हें 89 फील्ड एंबुलेंसों द्वारा संचालित किया जाता है जोकि 45 बिस्तरों वाले चलते-फिरते अस्पताल हैं। समाघात जोन में उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के अतिरिक्त समूचे देश में विभिन्न आकार के सभी संगठन सुविधाओं से युक्त 127 अस्पताल भी हैं। दूरस्थ अस्पतालों में बुनियादी विशेषज्ञ सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ-साथ आठ कमान/सेना अस्पतालों में अति आधुनिक उपकरणों एवं सुविधाओं से युक्त सुपर स्पेशलिटी सेंटर भी है।

9.9 **चिकित्सा अनुसंधान :** सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा महानिदेशक, सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा (सेना, नौसेना और वायुसेना) के अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों की देख-रेख करते हैं। सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा समिति की फरवरी माह में सशस्त्र सेना चिकित्सा कालेज, पुणे में वार्षिक बैठक आयोजित की जाती है ताकि नए अनुसंधान प्रस्तावों का चयन और उन पर विचार-विमर्श किया जा सके और चल रही परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जा सके। चालू वित्त वर्ष के दौरान अनुसंधान और विकास के लिए 1.5 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं ताकि सशस्त्र सेना चिकित्सा अनुसंधान समिति की 108 परियोजनाओं की पूर्ति की जा सके।

9.10 **सम्मेलन और सतत् चिकित्सा शिक्षा :**

(क) सैन्य औषधि हेतु अंतर्राष्ट्रीय समिति के दक्षिण अफ्रीका में आयोजित सम्मेलन में अन्य चार विशेषज्ञ अफसरों सहित महानिदेशक (सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा) द्वारा भाग लिया गया था।

ख) महानिदेशक (सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा) ने दो अन्य चिकित्सा अफसरों के साथ अप्रैल, 2002 में क्वालालाम्पुर, मलेशिया में एशिया प्रशांत सैन्य चिकित्सा औषधि संबंधी वार्षिक सम्मेलन में भाग लिया।

ग) पेरिफैरल यूनिटों सहित सशस्त्र सेनाओं के विभिन्न प्रमुख अस्पतालों में 42 इन-हाउस सी एम ई, अप्डेट्स, कार्यशालाएं, सम्मेलन आदि आयोजित किए गए।

घ) सशस्त्र सेनाओं के लगभग 1287 चिकित्सा अफसरों ने सरकारी और सदस्य प्रतिनिधियों की हैसियत से देश भर में 127 अनुमोदित सिविल निकायों के विभिन्न सम्मेलनों और कार्यशालाओं में भाग लिया।

ङ) अत्यधिक ऊंचाई पर सैनिकों की चिकित्सा संबंधी समस्याओं के बारे में विभिन्न अनुसंधान परियोजनाओं पर विचार करने के लिए महानिदेशक सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा की अध्यक्षता में रक्षा शरीर क्रिया और प्रायोगिक विज्ञान संस्थान में उच्च तुंगता चिकित्सा अनुसंधान केन्द्र, अनुसंधान सलाहकार समिति की 21 जून, 2002 को एक बैठक हुई थी।

च) पूर्वी सेक्टर में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन कमांडर्स इंटरएक्टिव कांफ्रेंस मुख्यालय 4 कोर में 27 सितंबर, 2002 को आयोजित की गई।

छ) तकनीकी पुस्तकालय - वर्ष 2002-2003 में सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा महानिदेशालय को तकनीकी पुस्तकालय के लिए क्रमशः 2.05 लाख रुपए और 2.95 लाख की रुपए की लागत से चिकित्सा जर्नल और चिकित्सा पाठ्य-पुस्तकें खरीदी गई थीं।

9.11 **सशस्त्र सेना चिकित्सा कालेज, पुणे में एम बी बी एस पाठ्यक्रम में प्रवेश :** सशस्त्र सेना चिकित्सा कालेज पुणे में वर्ष 2002 के सत्र में प्रवेश के लिए लिखित परीक्षा में 83684 उम्मीदवारों ने भाग लिया। उनकी मैरिट के आधार पर 917 उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था जिसमें से 638 उम्मीदवार साक्षात्कार के लिए उपस्थित हुए। आखिर में 130 उम्मीदवारों (105 लड़के और 25 लड़कियों) को वर्ष 2002 के एम बी बी एस पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया गया है। सभी उम्मीदवारों का यह दायित्व है कि वे पाठ्यक्रम समाप्त होने पर सेना चिकित्सा कोर में कमीशन प्राप्त अफसर के रूप में कार्य करेंगे। इसके अलावा, पड़ोसी मित्र देशों के पांच प्रायोजित उम्मीदवारों को भी बिना किसी सेवा दायित्व के प्रवेश दिया गया।

9.12 **उन्नत पाठ्यक्रम :** एक प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा के चिकित्सा अफसर उन्नत पाठ्यक्रम के लिए चुने जाते हैं, जिसके दौरान वे पुणे और अन्य विश्वविद्यालयों से स्नातकोत्तर अर्हता प्राप्त करते हैं। वर्ष 2002 के दौरान 95 अफसर उक्त पाठ्यक्रम के लिए भेजे गए थे।

रक्षा संपदा महानिदेशालय

9.13 रक्षा संपदा महानिदेशालय, रक्षा संपदा संगठन का शीर्षस्थ निकाय है और इसके कार्यालय देश के विभिन्न भागों में स्थित हैं। यह भूमि और छावनी बोर्ड संबंधी मामलों में, रक्षा मंत्रालय के सलाहकार के रूप में कार्य करता है।

9.14 रक्षा संपदा महानिदेशालय रक्षा प्रयोजनों के लिए अधिग्रहण, अंतरण, अर्जन, किराए और भूमि संबंधी अभिलेखों के रखरखाव के माध्यम से अचल सम्पत्ति की अधिप्राप्ति के वास्ते रक्षा मंत्रालय की प्रमुख कार्यकारी एजेंसी है। चालू वर्ष के दौरान इस संगठन द्वारा रक्षा सेनाओं के रिहायशी और कार्यालय आवास के लिए 7.6 करोड़ रुपए के परिव्यय से 1684 इमारते किराए पर ली गई हैं। रक्षा उपयोग के लिए किराए पर ली गई तथा अधिग्रहित भूमि का कुल क्षेत्र क्रमशः 76,463 एकड़ और 23,683 एकड़ है। जिसके किराए/आवर्ती मुआवजे के व्यय के रूप में लगभग 12.60 करोड़ रुपए का वार्षिक परिव्यय होना है। 17.31 लाख एकड़ भूमि में से 0.68 लाख एकड़ भूमि रक्षा संपदा महानिदेशालय के प्रबंधन के अंतर्गत है।

9.15 पिछले वित्त वर्ष से सीमा क्षेत्रों में रक्षा तैयारियों के प्रारंभिक चरण में लोगों/किसानों की फसलों को हुई क्षति के लिए उन्हें अनुग्रपूर्वक मुआवजे का भुगतान किए जाने का प्रावधान किया गया है। अब तक 166 करोड़ रुपए की धनराशि पहले ही मंजूर करके प्रभावित किसानों को संवितरित किए जाने के लिए राजस्थान, पंजाब, जम्मू तथा कश्मीर राज्य सरकारों को दे दी गई है।

9.16 भारत में 62 छावनियां हैं। ये छावनियां 19 राज्यों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में स्थित हैं। छावनी बोर्ड स्वायत्तशासी निकाय है जो छावनी अधिनियम, 1924 के प्रावधानों के तहत केन्द्रीय सरकार के रक्षा मंत्रालय के समग्र नियंत्रण में कार्य कर रहे हैं। एक नया अधिनियम बनाए जाने की दृष्टि से उपर्युक्त अधिनियम फिलहाल सरकार के समीक्षाधीन है। छावनी बोर्डों में पदेन तथा नामित सदस्यों के अलावा निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। निर्वाचित तथा सरकारी सदस्यों के बीच समानता बनाई रखी जाती है। स्टेशन कमांडर छावनी बोर्ड का अध्यक्ष होता है। इन निकायों के कार्यों का पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण मध्यम स्तर पर प्रधान निदेशक, रक्षा संपदा और कमानों के जनरल अफसर कमांडिंग-इन-चीफ के माध्यम से और शीर्षस्थ स्तर पर रक्षा संपदा महानिदेशालय/रक्षा मंत्रालय के माध्यम से केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है।

9.17 केन्द्रीय सरकार छावनी बोर्डों के बजट को संतुलित करने के लिए उन्हें सम्पत्ति कर की एवज में सहायता अनुदान और सेवा-प्रभार के रूप में वित्तीय सहायता मुहैया कराती है।

9.18 छावनी बोर्डों द्वारा उपलब्ध करवाई गई सेवाओं के स्तर पर बोर्डों के वित्तीय संसाधनों में सुधार लाने के लिए रक्षा संपदा महानिदेशालय द्वारा विभिन्न सेमिनार आयोजित किए गए, जैसे :-

(i) लैंसडाउन और जबलपुर छावनियों में जल संरक्षण और गैर-परंपरागत ऊर्जा संसाधनों की पायलट परियोजनाएं शुरू की गई हैं।

(ii) देहू रोड, पुणे, जबलपुर, सिकन्दराबाद, खड़की, अहमदनगर आदि जैसी छावनियों में कर की दरों को अद्यतन बनाया गया है और संसाधनों की कमी वाले छावनी बोर्डों के वास्ते संसाधन जुटाने के प्रयोजन से यथानुमेय नए कर लगाए गए हैं। बरेली छावनी में अस्पताल का पुनर्निर्माण और पब्लिक पुस्कालयों की स्थापना, रामगढ़ में जलापूर्ति प्रणाली, वाराणसी में जल-मल-निकास प्रणाली, मेरठ, लखनऊ, दिल्ली आदि में सार्वजनिक पार्क देश के छावनी बोर्डों के विकास-कार्यों के कुछेक उदाहरण हैं।

9.19 छावनी और उसके आसपास के क्षेत्रों की सिविल आबादी की चिकित्सा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न छावनी बोर्डों द्वारा कुल 69 अस्पताल/औषधालय चलाए जा रहे हैं।

9.20 स्थानीय आवश्यकता के अनुसार छावनी बोर्डों द्वारा बहुत से प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल तथा कालेज चलाए जा रहे हैं। छावनी बोर्डों द्वारा चलाए जा रहे ऐसे स्कूलों तथा कालेजों की संख्या 189 है।

मुख्य प्रशासन अधिकारी का कार्यालय

9.21 मुख्य प्रशासन अधिकारी का कार्यालय रक्षा मंत्रालय के तहत सेना मुख्यालयों और अंतर-सेवा संगठनों के मुख्यालयों को सिविलियन जनशक्ति तथा आधारभूत सहायता प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण) मुख्य, प्रशासन अधिकारी और निदेशक (सुरक्षा) के कार्यों का भी निर्वहन करते हैं। सुरक्षा के संबंध में वे मुख्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य भी देखते हैं।

9.22 मुख्य प्रशासन अधिकारी के कार्यालय का कार्य निम्नलिखित छह प्रभागों द्वारा किया जाता है :-

(i) प्रशासन प्रभाग

(ii) कार्मिक प्रभाग

(iii) जनशक्ति नियोजन तथा भर्ती प्रभाग

(iv) प्रशिक्षण, समन्वय तथा कल्याण प्रभाग

(v) वित्त तथा सामग्री प्रभाग

(vi) संपदा तथा निर्माण प्रभाग

9.23 प्रशासन प्रभाग सेना मुख्यालयों में और 26 अंतर-सेवा संगठनों में नियुक्त लगभग 10,000 सिविलियन कर्मचारियों को प्रशासनिक सुविधा मुहैया कराता है।

सशस्त्र सेना मुख्यालयों के सेवारत/सेवानिवृत्त सिविलियन कर्मचारियों की शिकायतों की जांच करने और उनका शीघ्र समाधान करने के लिए प्रशासन प्रभाग के अधीन एक शिकायत एकक कार्यरत है।

9.24 कार्मिक प्रभाग सेना मुख्यालयों और अन्तर-सेवा संगठनों को सिविलियन जनशक्ति मुहैया करता है और इस जनशक्ति का प्रबंधन भी करता है।

9.25 मुख्य प्रशासन अधिकारी के कार्यालय के प्रशिक्षण, समन्वय और कल्याण प्रभाग के अंतर्गत कार्य कर रहा रक्षा मुख्यालय प्रशिक्षण संस्थान सेवा मुख्यालयों और अंतर-सेवा संगठनों में तैनात सिविलियन कार्मिकों की प्रशिक्षण संबंधी जरूरतों को पूरा करता है।

9.26 संपदा और निर्माण प्रभाग सशस्त्र सेना मुख्यालय में तैनात सैन्य अफसरों के रिहायशी आवास के संबंध में संपदा से संबंधित कार्य करता है।

9.27 सेना मुख्यालय और रक्षा मंत्रालय में कार्यरत सिविलियन कार्मिकों के कल्याण संबंधी कार्य यह कार्यालय देखता है। सशस्त्र सेना मुख्यालय/अंतर-सेवा संगठन कल्याण निधि तथा रक्षा सिविलियन चिकित्सा सहायता निधि अत्यधिक दयनीय स्थिति के दौरान कर्मचारियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

9.28 खेल-कूद तथा सांस्कृतिक कार्यकलापों को भी महत्व दिया जाता है। सिविलियन कर्मचारियों को खेलकूद और संस्कृति से संबंधित विभिन्न क्रियाकलापों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। प्रत्येक वर्ष इस संगठन के कर्मचारी अलग-अलग स्तरों पर विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं और अपने संगठन के लिए पुरस्कार जीतते हैं। सशस्त्र सेना मुख्यालय दिवस हर वर्ष पहली अगस्त को मनाया जाता है।

9.29 मुख्य सुरक्षा अधिकारी तथा उनके कमान में आने वाले कार्मिक, संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण) एवं मुख्य प्रशासन अधिकारी की देख-रेख में सुरक्षा क्षेत्र में कार्यालय भवनों की भौतिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। इस क्षेत्र में भौतिक सुरक्षा के उल्लंघन को रोकने के लिए भवनों की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी होती है। सूचना की सुरक्षा बनाए रखने के लिए अधिकारियों तथा कार्मिकों को ब्रीफिंग के जरिए भी जानकारी देने के लिए प्रयास किए जाते हैं।

जनसंपर्क निदेशालय

9.30 हमारी जैसी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में प्रचार माध्यम जनता को सूचना के प्रचार-प्रसार में प्रधान भूमिका निभाता है। जनसंपर्क निदेशालय, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और जिसके सारे देश में 24 कार्यालय हैं, रक्षा मंत्रालय और इसके अंतर्गत आने वाली तीनों सेनाओं तथा अंतर-सेवा संगठनों को मीडिया सहायता एवं सेवाएं उपलब्ध कराने में सहायताकर्त्ता एवं शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करता है। जनसंपर्क निदेशालय का एक फोटो सेक्शन भी है जो रक्षा संबंधी महत्वपूर्ण घटनाओं के फोटोग्राफ प्रिंट-मीडिया को उपलब्ध कराता है। यह निदेशालय 'सैनिकों के लिए' 40 मिनट की अवधि के दैनिक लोकप्रिय कार्यक्रम को तैयार करने में समन्वय-कार्य भी करता है, जो सशस्त्र सेना कार्मिकों के लाभ के लिए आल इंडिया रेडियो पर प्रसारित किया जाता है।

9.31 यह निदेशालय सशस्त्र बलों के लिए 'सैनिक समाचार' नामक एक पाक्षिक पत्रिका 13 भाषाओं यथा असमी, बंगाली, अंग्रेजी, गोरखाली, हिन्दी, कन्नड़, मलयालयम, मराठा, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू में प्रकाशित करता है।

सेना क्रय संगठन

9.32 रक्षा मंत्रालय के सेना क्रय संगठन को संघ की रक्षा सेनाओं के उपयोग हेतु शुष्क राशन वस्तुओं की खरीद तथा समय पर आपूर्ति की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सेना क्रय संगठन चावल तथा गेहूं भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से अधिप्राप्त करता है; चीनी का आबंटन शर्करा निदेशालय द्वारा लेवी कोटे से किया जाता है। दालों, पशु-राशन, खाद्य तेलों, वनस्पति, चाय और दुग्ध उत्पादों जैसी अन्य मदें केन्द्र और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, और विभिन्न राष्ट्रीय/राज्य स्तर के सहकारी उपभोक्ता संघों/सहकारी समितियों से खरीदे जाते हैं। संपूर्ण दुग्ध पाउडर, स्किम्ड दुग्ध पाउडर, मक्खन और घी खरीद की बातचीत द्वारा तय संविदाओं के जरिए भारत के राष्ट्रीय सहकारी डेयरी संघ से खरीदे जाते हैं। डिब्बाबंद वस्तुएं, जैसे सब्जियां, फल, जैली तथा जैम, डिब्बाबंद दूध, मांस तथा मछली उत्पाद, काफी तथा अंडे का चूर्ण आदि खुली निविदा के माध्यम से निजी पार्टियों/डीलरों सहित सभी पंजीकृत आपूर्तिकर्त्ताओं से खरीदी जाती हैं। मांगी गई मात्राओं की सेना विनिर्देशन के अनुसार लागत प्रभावी अधिप्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए मदों की प्रचुरता के मौसम को ध्यान में रखते हुए खरीद की जाती है।

9.33 वर्ष 2002-2003 के दौरान सेना मुख्यालय को इस संगठन से उपर्युक्त मदों की अधिप्राप्ति के लिए 804 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान मुहैया करवाया गया था। इसके लिए सेना क्रय संगठन द्वारा 31 मार्च, 2003 तक 714 करोड़ रुपए मूल्य के आपूर्ति आदेश/संविदाएं की गई हैं।

9.34 संविदागत मदों की गुणवत्ता नियंत्रण सेना मुख्यालय के अधीन कंपोजिट फूड लेबोरेट्रीज द्वारा सुनिश्चित

की जाती है जो निविदागत उपभोग की वस्तुओं की जांच तथा स्वीकृति के बाद सेना मुख्यालय द्वारा जारी प्रेषण निर्देशों के अनुसार विभिन्न आपूर्ति डिपुओं को भेजे जाने पर भी नजर रखती है। आपूर्ति डिपुओं/कमान अधिकारी, कंपोजिट फूड लेबोरेट्रीज द्वारा रसीदी वाउचर के सत्यापन के बाद प्रधान रक्षा लेखा नियंत्रक मुख्यालय द्वारा आपूर्तियों के वास्ते भुगतान किया जाता है।

सेना खेलकूद नियंत्रण बोर्ड

9.35 **सैन्य चैम्पियनशिप :** सेना खेलकूद नियंत्रण बोर्ड तीनों रक्षा सेवाओं में खेलकूद से संबंधित विभिन्न कार्यकलापों का आयोजन और समन्वय करता है। कुल चार टीमों (आर्मी रैड, आर्मी ग्रीन, नौसेना तथा वायुसेना) ने सेना खेलकूद नियंत्रण बोर्ड के तत्वावधान में संचालित 19 सैन्य चैम्पियनशिपों में भाग लिया। वर्ष 2001-2002 के दौरान आर्मी रैड 19 खेलकूद प्रतियोगिताओं में से 12 प्रतियोगिताएं जीतकर ओवर आल चैम्पियन रहे।

9.36 **राष्ट्रीय चैम्पियनशिप :** सेना खेलकूद नियंत्रण बोर्ड 26 राष्ट्रीय खेलकूद फेडरेशनों से संबद्ध है और यह 10 जूनियर सेक्शन चैम्पियनशिपों सहित 36 नेशनल चैम्पियनशिपों में भाग लेता है। समग्र निष्पादन काफी अच्छा रहा है क्योंकि हमारी टीम ने 10 खेलों में चैम्पियनशिपें जीती हैं और 4 अन्य खेलों में दूसरे स्थान पर रही हैं। राष्ट्रीय स्तर पर 4 खेल आयोजित नहीं किए गए थे।

9.37 **अंतर्राष्ट्रीय चैम्पियनशिप :** इस अवधि के दौरान खिलाड़ियों, कोचों और पदाधिकारियों द्वारा लगभग 85 अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लिया गया। इसके अलावा 55 खिलाड़ियों और अधिकारियों का बुसान में आयोजित 14वें एशियाई खेलों के लिए चयन किया गया। परिणाम निम्नवत रहे :-

क्रम सं.	खेल प्रतियोगिता	चयनित खिलाड़ी	पदक विजेता	उप खेल प्रतियोगिता
1	2	3	4	5
1.	**एथलेटिक्स**	नायक/सूबेदार पी अनिल कुमार हवलदार संजय घोष हवलदार सतबीर सिंह	- - रजत	 4 X 400 मीटर रिले
2.	**मुक्केबाजी**	सी पी ओ एन जी डिंग्को सिंह नायब/सूबेदार रामानंद हवलदार एस बी पुन हवलदार बी जोगन्सन	- - -	
3.	**घुड़सवारी**	मेजर दीप अहलावत कैप्टन राजेश पत्तू दफेदार आर एल माल्ही कैप्टन एन सी संधू मेजर संदीप दीवान नायब/रिसालदार जे पी मासीह लेफ्टि. कर्नल एस एस अहलाव लेफ्टि. कर्नल एस एस दास दफेदार रघुनाथ सिंह नायक हरफूल सिंह एस डब्ल्यू आर देवेन्द्र सिंह आर एफ एन देवेन्द्र सिंह दफेदार राजपाल सिंह	कांस्य	टीम इवेंट
4.	**कबड्डी**	वारंट अफसर राम मेहर सिंह हवलदार जगदीश के.के.	स्वर्ण	टीम इवेंट
5.	**नौकायन**	नायब/सूबेदार कासम खान नायब/सूबेदार इंदरपाल सिंह नायब/सूबेदार रोशन लाल हवलदार जेनिल के हवलदार पोलौस पी.टी. हवलदार सुनी काकड़े नायब/सूबेदार मुजीब रहमान हवलदार कुदरत अली हवलदार सजी थोमस हवलदार रथीश डी बी हवलदार उदयबीर सिंह नायब/सूबेदार आर के पिल्लै	कांस्य	टीम इवेंट (कोक्सलैस चार 2000 मीटर 200 मीटर)
6.	**हॉकी**	नायब/सूबेदार इग्नेस तिरकी	रजत	टीम इवेंट

9.38 17वें कामनवैल्थ खेल अगस्त, 2002 में मानचैस्टर यू.के. में आयोजित किए गए थे, जहां सेना खेलकूद नियंत्रण बोर्ड से 11 खिलाड़ियों ने भारतीय दल के हिस्से के रूप में भाग लिया। सेना, खिलाड़ियों द्वारा कुल 8 पदक (5 स्वर्ण, 1 रजत, 2 कांस्य) जीते गए। परिणाम निम्नवत रहे :-

क्र.सं.	इवेंट	खिलाड़ी का नाम	पदक	सब इवेंट
1.	**शूटिंग**	मेजर आर वी एस राठौर	स्वर्ण	डबल ट्रेप (इंडिविज्युवल)
		मेजर आर वी एस राठौर	स्वर्ण	डबल ट्रेप (टीम)
		सूबेदार बी एल ढाका और एम सी पी ओ-II मुकेश कुमार	स्वर्ण	रेपिड फायर पिस्टल (टीम)
		सूबेदार ए.पी. सुबैय्या	कांस्य	फ्री राइफल 3 पी ओ एस एन (टीम)
		नायब/सूबेदार चरण सिंह	स्वर्ण	फ्री राईफल 3 पी ओ एस एन (इंडिविजुअल)
		नायब/सूबेदार महाबीर सिंह	स्वर्ण	सेंटर फायर पिस्टल (टीम)
2.	**मुक्केबाजी**	हवलदार एस बी पुन	रजत	
3.	**भारोत्तोलन**	पी ओ, सी.पी.आर. सुधीर कुमार	कांस्य	69 कि.ग्रा.

9.39 **सी आई एस एम प्रतियोगिता :** सेना खेलकूद नियंत्रण बोर्ड अंतर्राष्ट्रीय सैन्य खेलकूद परिसर का संबद्ध सदस्य है। इस परिसर द्वारा प्रतिवर्ष विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं और प्रत्येक सदस्य देश की सशस्त्र सेनाओं से खिलाड़ी बुलाए जाते हैं। तदनुसार, 6-16 सितंबर, 2002 के दौरान आयोजित 46वीं विश्व सैन्य मुक्केबाजी चैम्पियनशिप में 12 मुक्केबाजों ने भाग लिया।

9.40 **32वें राष्ट्रीय खेल :** ये खेल 13 से 22 दिसम्बर, 2002 के दौरान हैदराबाद में आयोजित हुए थे। सेना खेलकूद नियंत्रण बोर्ड ने इसमें 19 खेलकूद प्रतियोगिताओं में टीम भेजीं। सेनाओं ने कुल 117 पदक (48 स्वर्ण, 34 रजत, 35 कांस्य) जीतकर तीसरा स्थान प्राप्त किया। मेजबान आंध्र प्रदेश ने कुल मिलाकर चैम्पियनशिप जीती जबकि पंजाब दूसरे स्थान पर रहा।

9.41 **सर्वोत्तम सेना खिलाड़ी :** सेनाओं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चैम्पियनशिप्स में प्रदर्शन के आधार पर तीनों सेनाओं में से एक सर्वोत्तम खिलाड़ी चुना जाता है। नायब/सूबेदार रामानन्द, जो एक मुक्केबाज हैं, को वर्ष 2001-02 के लिए 'सर्वोत्तम सेना खिलाड़ी' चुना गया था। उक्त मुक्केबाजी ने फिनलैंड में आयोजित 22वीं अंतर्राष्ट्रीय टैमर बॉक्सिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था और उसे उस्तिनाद लाबेम (चैक गणराज्य) में आयोजित ग्रैंड प्रिक्स बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2001 के दौरान सर्वोत्तम बॉक्सर घोषित किया गया था। 26 अक्तूबर, 2002 को संयुक्त कमांडर सम्मेलन के दौरान सेनाध्यक्षों की समिति के प्रमुख द्वारा सर्वोत्तम सेना खिलाड़ी के रूप में उसे ए वी एम जसवंत सिंह ट्राफी प्रदान की गई थी।

सशस्त्र सेना फिल्म व फोटो प्रभाग

9.42 सशस्त्र सेना फिल्म व फोटो प्रभाग को प्रशिक्षण फिल्मों के उत्पादन, खरीद तथा वितरण, फोटोग्राफ तथा कलाकृतियों आदि के उत्पादन के संबंध में सैन्य मुख्यालयों तथा अन्य रक्षा संगठनों की जरूरतों को पूरा करने का कार्य सौंपा गया है।

9.43 इस प्रभाग की केन्द्रीय रक्षा फिल्म लाइब्रेरी भारतीय सेनाओं से संबंधित फिल्मों और फोटोग्राफों के दुर्लभ संग्रह का रखरखाव करती है। इस समय इस लाइब्रेरी में 35 मि.मी. आकार के 570 टाइटल, 16 मि.मी. आकार के 1290 टाइटल और वीडियो फार्मेटों के 300 टाइटल हैं। वर्ष के दौरान, 3039 प्रशिक्षण फिल्में/वीडियो कैसट वितरित की गई।

9.44 इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सेनाओं की जवाबी कार्रवाई सूचना और आदेशों के संप्रेषण की गति पर निर्भर होती है। इस वर्ष के दौरान नवीनतम संचार प्रौद्योगिकी, अर्थात संचार तकनीकों, लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क, इंटीग्रेटिड सर्विस डिजिटल नेटवर्क तथा वैरी स्माल अपर्चर टर्मिनल पर चार फिल्में विशेष रूप से बनाई गई हैं। इसके अलावा 11 फिल्मों का कार्य पूरा कर लिया गया है, 4 फिल्में पूरे किए जाने के अंतिम चरणों में हैं और 15 फिल्मों का कार्य अभी चल रहा है। आज की तारीख तक 14,105 रंगीन/श्वेत-श्याम फोटोग्राफ/स्लाइडें बनाई गई हैं और 5477 कलाकृतियां तैयार की गई हैं।

9.45 सशस्त्र सेना फिल्म एवं फोटोग्राफ की सचल सिनेमा यूनिट अग्रवर्ती क्षेत्रों में तैनात सैनिकों के लिए सूचना, संस्कृति एवं परिवार कल्याण संबंधी महत्व के वृत्तचित्रों/समाचार मैगजीनों की खरीद/वितरण करती है।

विदेशी भाषा विद्यालय

9.46 विदेशी भाषा विद्यालय (एस एफ एल) रक्षा मंत्रालय

के अधीन एक अंतर-सेवा संगठन है। यह हमारे देश का एक अद्वितीय संस्थान है क्योंकि इसके अलावा अन्य किसी संस्थान में इतनी अधिक विदेशी भाषाएं नहीं पढ़ाई जाती हैं। यह 1948 से भारत में विदेशी भाषा शिक्षण में अग्रणी रहा है। इस समय यह विद्यालय भारतीय सशस्त्र सेनाओं की तीनों सेनाओं के कार्मिकों को 16 विदेशी भाषाओं में प्रशिक्षण दे रहा है। यह भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों जैसे विदेश मंत्रालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, केन्द्रीय पुलिस संगठन आदि की जरूरतों को भी पूरा करता है।

9.47 **पाठ्यक्रम :** विदेशी भाषा विद्यालय में अरबी, भाषा इंडोनेशिया, बर्मी, चीनी, फ्रैंच, जर्मन, फारसी, पस्तो, रूसी, स्पेनी, सिंहली, तथा तिब्बती भाषाएं नियमित आधार पर पढ़ाई जाती हैं। इसमें निम्नलिखित पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं:-

(क) दुभाषिया पाठ्यक्रम

(ख) प्रवीणता प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम

(ग) उच्चतर डिप्लोमा पाठ्यक्रम

(घ) अल्पावधि पाठ्यक्रम/तदर्थ पाठ्यक्रम

9.48 दुभाषिया पाठ्यक्रम पूर्णकालिक पाठ्यक्रम है। छात्र रक्षा मंत्रालय, मंत्रिमंडल सचिवालय तथा अन्य सरकारी विभागों द्वारा प्रायोजित किए जाते हैं। यह पाठ्यक्रम छात्रों को भाषांतर तथा अनुवाद के अत्यंत कुशल कार्य में विशेषज्ञ बनने के लिए प्रशिक्षण देता है। इसके अतिरिक्त, उन्हें लक्षित भाषा में अत्यधिक प्रवाह के साथ लिखने और बोलने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। यह पाठ्यक्रम जरूरत पर आधारित है तथा इसे केवल सशस्त्र सेनाओं की विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने के लिए अभिकल्पित तथा तैयार किया गया है। यह एक अत्यधिक विशेषज्ञतापूर्ण पाठ्यक्रम है जिसके समान पाठ्यक्रम भारत में अन्यत्र कहीं नहीं है। केवल विदेशी भाषा विद्यालय में ही सिंहली, भाषा इंडोनेशिया, बर्मी, पस्तो तथा तिब्बती जैसी सामरिक महत्व की भाषाएं पढ़ाई जाती हैं।

9.49 प्रवीणता प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम के बाद उच्चतर डिप्लोमा गहन पाठ्यक्रम होता है। दोनों पाठ्यक्रम अंशकालिक हैं तथा एक-एक वर्ष की अवधि हैं। ये दोनों पाठ्यक्रम मिलकर विश्वविद्यालय के तीन वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम के समकक्ष हैं।

9.50 अल्पावधि पाठ्यक्रम पूर्णत: आवश्यकता पर आधारित कार्यक्रम हैं। ये पाठ्यक्रम आवश्यकता होने पर विशेषकर मिलिटरी अताशे पदाधिकारियों तथा संयुक्त राष्ट्र मिशन पर भेजे जाने वाले अधिकारियों के लिए आयोजित किए जाते हैं।

9.51 विदेशी भाषा विद्यालय अन्य रक्षा संस्थानों जैसे राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, पुणे तथा सेना शिक्षा केन्द्र तथा प्रशिक्षण कालेज, पंचमढ़ी, जहां विदेशी भाषाएं पढ़ाई जाती हैं का नियंत्रक संगठन है। यह उनकी परीक्षाएं आयोजित करता है तथा सफल उम्मीदवारों को डिप्लोमा भी जारी करता है। भारतीय विदेश सेवा के परिविक्षार्थियों के लिए इस संस्थान की उच्चतर डिप्लोमा परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है।

9.52 10 जुलाई, 2002 से फारसी में एक नियमित पाठ्यक्रम शुरू किया गया है जो रक्षा कर्मियों की फारसी भाषा के प्रशिक्षण की महत्वपूर्ण आवश्यकता को पूरा करेगा।

इतिहास प्रभाग

9.53 इतिहास अनुभाग की स्थापना द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति के बाद की गई थी। इसकी स्थापना अविभाजित भारत की सशस्त्र सेनाओं द्वारा की गई कार्रवाइयों की विशेष जानकारी सहित युद्ध का विस्तृत अधिकारिक इतिहास तैयार करने के प्रयोजन से की गई थी। देश के विभाजन के बाद इसने संयुक्त अंतर-सेवा ऐतिहासिक अनुभाग (भारत और पाकिस्तान) के रूप में कार्य किया। संयुक्त अंतर सेवा ऐतिहासिक अनुभाग (भारत और पाकिस्तान) ने द्वितीय विश्व युद्ध (1939-45) में अविभाजित भारत की सशस्त्र सेनाओं का अधिकारिक इतिहास 24 पुस्तक खंडों में प्रस्तुत किया था। कार्य पूरा होने के बाद इसे 1963 में समाप्त कर दिया गया था।

9.54 इस बीच, भारतीय सशस्त्र सेनाओं की आजादी के बाद की सैन्य कार्रवाइयों का अधिकारिक इतिहास लिखने तथा प्रकाशित करने के लिए 26 अक्तूबर, 1953 को इतिहास अनुभाग (भारत) की स्थापना की गई थी। जम्मू तथा कश्मीर में कार्रवाइयों का इतिहास (1947-48) इस अनुभाग का प्रथम कार्य था। अब तक इसने 19 पुस्तक खंड निकाले हैं। ऐतिहासिक अनुभाग का नाम 01 अप्रैल, 1992 से इतिहास प्रभाग कर दिया गया था।

9.55 इतिहास प्रभाग रक्षा मंत्रालय और भारतीय सशस्त्र सेनाओं के सैन्य अभिलेख तथा संदर्भ संगठन के रूप में भी कार्य करता है। यह रक्षा मंत्रालय तथा तीनों सेना मुख्यालयों को कुल-चिह्न तथा समारोहों से संबंधित मामलों पर विशेषज्ञ परामर्श भी प्रदान करता है। इस वर्ष के दौरान इतिहास प्रभाग में स्थायी रूप से रखने के लिए सेना मुख्यालयों, यूनिटों तथा विरचनाओं से लगभग 4500 संक्रियात्मक अभिलेख प्राप्त हुए थे। लगभग 375 सेवा अधिकारियों तथा विद्वानों ने सैन्य इतिहास से संबंधित अनुसंधान कार्यों के संबंध में अभिलेख कक्ष तथा पुस्तकालय का दौरा किया। इस प्रभाग ने सैन्य इतिहास के संबंध में विभिन्न यूनिटों, विरचनाओं तथा देश तथा विदेश के विद्वानों से प्राप्त 300 से अधिक प्रश्नों के संबंध में

सूचना उपलब्ध कराई है।

9.56 यह प्रभाग रक्षा मंत्रालय की अनुसंधान अध्येतावृत्ति योजना के तहत सैन्य इतिहास में अनुसंधान करने के लिए दो अनुसंधान अध्येतावृत्तियां भी प्रदान करता है।

9.57 इतिहास प्रभाग का कुल-चिह्न प्रकोष्ठ नई विरचनाओं के नाम सुझाकर, कलगी तथा बैजों के डिजाइन तैयार करके तथा यूनिटों/विरचनाओं के लिए उपयुक्त ध्येय वाक्य तैयार करके सैन्य मुख्यालयों तथा रक्षा मंत्रालय की सहायता कर रहा है।

राष्ट्रीय रक्षा कालेज

9.58 राष्ट्रीय रक्षा कालेज का उद्घाटन 27 अप्रैल, 1960 को किया गया था। यह देश में एकमात्र संस्थान है जो राष्ट्रीय सुरक्षा तथा रणनीति के सभी पहलुओं पर ज्ञान प्रदान करता है। वरिष्ठ रक्षा तथा सिविल सेवा अधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति पर 47 सप्ताह की अवधि के विस्तृत कार्यक्रम में भाग लेते हैं। राष्ट्रीय रक्षा कालेज का प्रशिक्षण प्रतिभागियों को विश्व राजनीति के संदर्भ में भावी राष्ट्रीय रणनीति तैयार करने में समर्थ बनाने के लिए अत्यंत विशिष्टतायुक्त है। राष्ट्रीय रक्षा कालेज के पूर्व छात्रों ने देश और विदेश में उच्चतम सैन्य पद प्राप्त किए हैं तथा इनमें से कुछ अपने देशों के शीर्ष पद पर भी पहुंचे हैं।

रक्षा प्रबंधन कालेज

9.59 रक्षा प्रबंधन संस्थान, सिकंदराबाद की स्थापना जून, 1970 में की गई थी। 1980 में इसक नाम रक्षा प्रबंधन कालेज कर दिया गया था। रक्षा प्रबंधन कालेज रक्षा परिवेश के सभी पहलुओं जैसे-संक्रियाओं, संभार-तंत्र, आसूचना तथा प्रशिक्षण में प्रबंधन संकल्पनाओं तथा तकनीकों के प्रयोग की ओर उन्मुख प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता है। रक्षा प्रबंधन कालेज द्वारा चलाए जाने वाले प्रमुख कार्यक्रम रक्षा प्रबंधन पाठ्यक्रम, वरिष्ठ रक्षा प्रबंधन पाठ्यक्रम, रक्षा प्रबंधन संगोष्ठी तथा कार्योन्मुखी प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम हैं। यह कालेज प्रबंधन परामर्श अध्ययन भी करता है। यह कालेज नवीन तथा अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं से युक्त हैं।

रक्षा सेवा स्टाफ कालेज

9.60 रक्षा सेवा स्टाफ कालेज (डी एस एस सी) सबसे पुराने सैन्य संस्थानों में से एक है। इसकी स्थापना 1905 में देवलाली में की गई थी तथा 1950 से यह वेलिंगटन में कार्य कर रहा है। रक्षा सेवा स्टाफ कालेज तीनों सेनाओं के मध्यम स्तर के अधिकारियों के अतिरिक्त कुछ सिविल अधिकारियों तथा मित्र राष्ट्रों के अधिकारियों को प्रशिक्षण देता है। यह कालेज प्रत्येक वर्ष जून से अप्रैल तक 45 सप्ताह का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता है। रक्षा सेवा स्टाफ कालेज के स्टाफ पाठ्यक्रम का लक्ष्य अंतर-सेवा एवं संयुक्त सेवा पर्यावरण में संक्रियात्मक तथा स्टाफ कार्यों में प्रशिक्षण देना है। यह प्रशिक्षण अधिकारियों को किसी भी स्टाफ/संक्रियात्मक तैनाती जैसे मेजर/ले. कर्नल तथा अन्य सेनाओं के समकक्ष रैंकों के उत्तरदायित्वों को प्रभावी रूप से निभाने में सक्षम बनाता है।

रक्षा मंत्रालय पुस्तकालय

9.61 रक्षा मंत्रालय पुस्तकालय रक्षा मंत्रालय, तीनों सेना मुख्यालयों, अंतर-सेवा संगठनों तथा दिल्ली में स्थित अन्य संबद्ध रक्षा स्थापनाओं में योजना तथा नीति-निर्माण से संबंधित विषयों पर साहित्य मुहैया करवाता है। आम पाठकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के अलावा यह रक्षा तथा संबद्ध विषयों की विशिष्ट पुस्तकें भी रखता है। इस पुस्तकालय के लिए पाठ्य सामग्री का चयन एक पुस्तक-चयन उप-समिति द्वारा किया जाता है। वर्ष के दौरान पुस्तकालय ने 850 पुस्तकें खरीदीं और 123 जर्नल तथा 23 समाचार-पत्र मंगवाए।

त्रिशूल प्रक्षेपास्त्र प्रहार

10

भर्ती एवं प्रशिक्षण

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रशिक्षण - एक कैडेट युद्ध कला का प्रदर्शन करते हुए

10.1 सशस्त्र सेनाएं सेवा, त्याग, देशभक्ति के आदर्शों और हमारे देश की मिली-जुली संस्कृति का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। सशस्त्र सेना में भर्ती स्वैच्छिक है एवं भारत का प्रत्येक नागरिक चाहे, वह किसी भी जाति, वर्ग, धर्म एवं समुदाय का हो, सशस्त्र सेना में भर्ती के लिए पात्र है, बशर्ते कि वह निर्धारित शारीरिक चिकित्सीय एवं शैक्षिक मानदंडों को पूरा करता हो।

अधिकारियों की भर्ती

10.2 सशस्त्र सेना में कमीशन प्राप्त अधिकारियों की भर्ती मुख्यत: संघ लोक सेवा आयोग (सं.लो.से.आ.) के माध्यम से की जाती है। तकनीकी शाखाओं, महिला विशेष प्रवेश योजना, एन सी सी विशेष प्रवेश योजना तथा सेवा के अंतर्गत सीधी भर्ती सेना, नौसेना तथा वायुसेना के भर्ती निदेशालायों द्वारा की जाती है।

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती

10.3 संघ लोक सेवा आयोग साल में दो बार सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा (सं.र.से.प.) के रूप में अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित करता है। इस परीक्षा में विश्वविद्यालय के स्नातक शामिल हो सकते हैं। इसमें से सफल अभ्यर्थी संबंधित प्रशिक्षण अकादमी में प्रवेश लेते हैं, जैसे सेना के लिए भारतीय सैन्य अकादमी (भा.से.अ.), नौसेना के लिए नौसेना अकादमी एवं वायु सेना के लिए वायुसेना अकादमी में।

10.4 संघ लोक सेवा आयोग, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (रा.र.अ.) में प्रवेश के लिए भी वर्ष में दो बार परीक्षाएं आयोजित करता है। 10+2 की परीक्षा पूर्ण करने अथवा 12वीं कक्षा में पढ़ते हुए अभ्यर्थी इस प्रतियोगिता परीक्षा में बैठ सकते हैं। सफल अभ्यर्थी राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश लेते हैं। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी पाठ्यक्रम पूरा करने पर इन्हें कमीशन पूर्व प्रशिक्षण के लिए संबंधित सेना अकादमियों में भेज दिया जाता है।

चयन बोर्ड द्वारा भर्ती

10.5 सेना चयन बोर्ड/वायु सेना चयन बोर्ड द्वारा सेना, नौसेना एवं वायु सेना की निम्नलिखित शाखाओं में भर्ती की जाती है :

सेना	सेना के सभी सेनांग।
नौसेना	विद्युत इंजीनियरी, इंजीनियरी (नौसेना वास्तुविद) संभारिकी, विधि शिक्षा, वायु यातायात नियंत्रण।
वायुसेना	वैमानिक इंजीनियरी (इलैक्ट्रानिकी), वैमानिक इंजीनियरी (यांत्रिक), शिक्षा, प्रशासन, संभारिकी, लेखा एवं मौसम विज्ञान.

विश्वविद्यालय प्रवेश योजना

10.6 फाइनल /प्री-फाइनल वर्ष की इंजीनियरी प्रशाखाओं के विद्यार्थी सेना की तकनीकी शाखाओं/सेवाओं में कमीशन प्राप्त अधिकारियों के रूप में विश्वविद्यालय प्रवेश योजना के अंतर्गत प्रवेश लेने के पात्र हैं।

अल्पकालिक सेवा कमीशन (तकनीकी) प्रवेश योजना

10.7 अल्पकालिक सेवा कमीशन (तकनीकी) प्रवेश योजना में अर्हता प्राप्त तकनीकी स्नातकों की एस. एस.बी. के माध्यम से भर्ती किया जाना परिकल्पित है जिन्हें चिकित्सा परीक्षणों के उपरांत मद्रास में अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी से 10 महीने का पाठ्यक्रम पूरा करना होता है। अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में प्रशिक्षण पूरा कर लेने पर सफल अभ्यर्थियों को सेना की तकनीकी शाखाओं में अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों के रूप में शामिल किया जाता है।

चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती

10.8 सशस्त्र सेना मेडिकल कॉलेज, पुणे के चिकित्सा स्नातकों को सशस्त्र सेना में स्थायी कमीशन प्राप्त चिकित्सा अधिकारी के रूप में सीधे प्रवेश दे दिया जाता है। सिविल मेडिकल कॉलेजों के स्नातकों/स्नातकोत्तर अभ्यर्थियों को नियमित कमीशन प्राप्त/अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त मेडिकल अधिकारियों के लिए सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा महानिदेशालय, एक अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन करता है।

महिला अधिकारियों की भर्ती

10.9 सशस्त्र सेना की निम्नलिखित शाखाओं में अल्पकालिक सेवा कमीशन के आधार पर पात्र महिलाएं, अधिकारियों के रूप में नियुक्त की जाती हैं :-

सेना	ई एम ई, सिगनल्स, इंजीनियर्स, सेना शिक्षा कोर, सेना आयुध कोर, सेना सेवा कोर, आसूचना एवं जज एडवोकेट जनरल की शाखा।
नौसेना	भारतीय नौसेना की सभी शाखाएं।
वायुसेना	उड्डयन, वैमानिक इंजीनियरी (इलैक्ट्रॉनिकी), वैमानिक इंजीनियरी (यांत्रिक) शिक्षा, प्रशासन, संभारिकी, लेखा एवं मौसम विज्ञान।

राष्ट्रीय कैडेट कोर के माध्यम से भर्ती

10.10 विश्वविद्यालय के ऐसे स्नातकों को, जिन्होंने कम से

कम 'बी' ग्रेड के साथ राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'सी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया है और इसके साथ ही स्नातक परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं, नौसेना एवं वायु सेना में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी तथा सेना में अल्पकालिक सेवा कमीशन अधिकारी के रूप में प्रवेश दिया जाता है। ऐसे स्नातकों को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट प्राप्त होती है तथा इनका चयन एस एस बी द्वारा होता है।

विशिष्ट कमीशन प्राप्त अधिकारी योजना के अंतर्गत प्रवेश

10.11 सरकार ने 6,000 विशेष कमीशन प्राप्त अधिकारियों के सुदृढ़ सहायक संवर्ग के सृजन का अनुमोदन किया था। ये पद पात्र जे.सी.ओ. एवं अन्य रैंकों द्वारा भरे जाते हैं। इस प्रवेश योजना में, सेवारत 30-35 वर्ष आयु वर्ग के ऐसे जे सी ओ/एन सी ओ/अन्य रैंकों के कार्मिक, जिन्होंने सेना वरिष्ठ विद्यालय प्रमाण-पत्र परीक्षा (केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा XI के समकक्ष) उत्तीर्ण की है, सेना चयन बोर्ड तथा चिकित्सा बोर्ड द्वारा जांच/चयन के उपरांत कमीशन प्राप्ति के पात्र हैं। इन्हें छः महीने की अवधि के लिए कमीशन पूर्व प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। इस प्रकार के कमीशन प्राप्त अधिकारी कर्नल के रैंक तक पदोन्नति प्राप्त करते हैं। स्थायी पदोन्नति एवं कार्यकारी पदोन्नतियों के नियम नियमित अधिकारियों की भांति ही हैं। इन अधिकारियों को यूनिटों में मेजर के रैंक तक उप यूनिट संवर्ग/क्यू एम जॉब/ई आर ई नियुक्तियां प्रदान की जाती हैं। ये अधिकारी के रूप में 20-25 वर्ष की सेवा के उपरांत 57 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त होते हैं। इस योजना से वर्तमान जे सी ओ/एन सी ओ/अन्य रैंकों को न केवल कैरियर के बेहतर अवसर प्राप्त होते हैं, बल्कि इससे सेना में अधिकारियों की कमी को भी काफी हद तक पूरा करने में सहायता मिलती है।

10+2 की तकनीकी प्रवेश योजना

10.12 इस योजना के अंतर्गत 10+2 अर्हता वाले अभ्यर्थी एस एस बी द्वारा चयन के उपरांत, आई एम ए तथा मिलिटरी इंजीनियरिंग कॉलेज, पुणे में मिलिटरी तथा इंजीनियरिंग प्रशिक्षण के लिए भेजे जाते हैं। आरंभिक छः महीने के सैन्य प्रशिक्षण के बाद चार वर्ष के लिए डिग्री इंजीनियरिंग प्रशिक्षण दिया जाता है। इस योजना का उद्देश्य तकनीकी सेनांगों/सेवाओं में अधिकारियों की कमी को पूरा करने में मदद करना है।

अन्य रैंकों की भर्ती

10.13 वायु सेना में वायु सैनिकों की भर्ती, नई दिल्ली स्थित केन्द्रीय वायुसैनिक चयन बोर्ड, वायुसेना स्टेशन द्वारा की जाती है। इस बोर्ड के अंतर्गत 13 चयन केन्द्र हैं।

खुली भर्ती रैलियों के माध्यम से जवानों की भर्ती

10.14 01 अप्रैल, 1998 से भर्ती की नई प्रणाली लागू की गई है। इस संशोधित प्रणाली के अंतर्गत सेना में जवानों की भर्ती केवल खुली भर्ती रैलियों द्वारा ही की जाती है। भौगोलिक, जनसंख्या एवं स्थान विशेष को ध्यान में रखते हुए भर्ती रैलियों की योजना काफी पहले से बना ली जाती है। इस प्रकार की कम से कम एक रैली प्रतिमाह आयोजित की जाती है, जिससे कुछ जिलों, क्षेत्रों एवं प्रदेशों को संयुक्त रूप से अभ्यर्थियों की संभावना के आधार पर शामिल कर लिया जाता है, जिससे प्रत्येक प्रार्थी को चाहे, वह किसी भी क्षेत्र का हो, वर्ष में कम से कम एक बार सेना में भर्ती होने का अवसर प्रदान किया जाता है। शाखा भर्ती कार्यालय के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की पुरानी प्रणाली के प्रार्थियों को भर्ती के लिए निकटतम बी आर ओ में पहुंचने के लिए लम्बी यात्रा करनी पड़ती थी जबकि संशोधित प्रणाली में भर्ती को उनके रिहायशी क्षेत्र के निकट ला दिया गया है। किसी क्षेत्र/जिले में आयोजित आगामी रैली के लिए विज्ञापन पट्ट लगाकर दैनिक समाचार-पत्रों, रेडियो इत्यादि में विज्ञापन देकर अग्रिम प्रचार किया जाता है।

भर्ती के लिए प्रचार

10.15 अपने देश के युवाओं को महिला अधिकारियों सहित अधिकारियों और अन्य रैंकों दोनों श्रेणियों में सेना में उपलब्ध अवसरों से परिचित कराने के लिए उपाय किए गए हैं। इस क्षेत्र में बेहतर प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए निम्नलिखित प्रचार-प्रसार के साधन प्रयोग में लाए गए हैं।

(क) **प्रेस विज्ञापन :** एम्प्लॉयमेंट न्यूज/रोजगार समाचार एवं विभिन्न भाषाओं के समाचार पत्रों में विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के माध्यम से विज्ञापन नीचे दी गई विभिन्न भर्तियों के लिए प्रकाशित किए जाते हैं जैसे - राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा, तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम, अल्पकालिक सेवा कमीशन (तकनीकी एवं गैर तकनीकी), विश्वविद्यालय प्रवेश योजना, विधि स्नातक, पुरुषों एवं महिलाओं दोनों के लिए चिकित्सा सेवा में प्रवेश, विशेष प्रवेश योजना (अधिकारी), हवलदार प्रशिक्षक, जूनियर कमीशन प्राप्त अधिकारी (भोजन प्रबंध एवं धार्मिक शिक्षक) इत्यादि। सेना में विभिन्न प्रकार की भर्तियों के लिए समय-समय पर अंग्रेजी तथा हिन्दी दोनों में एक सामूहिक विज्ञापन प्रकाशित किया जाता है। संबंधित आंचलिक

भर्ती कार्यालय/शाखा भर्ती कार्यालय (शा.भ.का.) भी स्थानीय समाचार पत्रों में अन्य रैंकों की भर्ती के लिए विज्ञापन प्रकाशित करते हैं।

(ख) **पत्रिकाओं/जरनलों में विज्ञापन :** ये विज्ञापन सामान्यत: शैक्षिक संस्थाओं के जरनलों में प्रकाशित किए जाते हैं।

(ग) **विज्ञापन पट्ट :** देश भर में तकनीकी प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए जोनल भर्ती कार्यालय/शाखा भर्ती कार्यालयों के परिसरों में और इसके साथ इंजीनियरिंग कॉलेजों के नजदीक विज्ञापन पट्ट लगाए जाते हैं। डी ए वी पी इन स्थलों का अनुमोदन करता है और उसके पश्चात् विस्तृत जानकारी सहित विज्ञापन पट्ट लगाए जाते हैं और उन्हीं द्वारा इसका रख-रखाव किया जाता है।

(घ) **मुद्रित प्रचार :** डी ए वी पी एवं निजी व्यावसायिक एजेंसियों द्वारा निर्मित सूचना फोल्डर, पर्चे, विवरणिका, डाटा कार्ड, पोस्टर एवं बड़े विज्ञापन चित्रों द्वारा इसका व्यापक प्रचार किया जाता है।

(ड.) **प्रदर्शनी तथा मेले :** प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय भारत व्यापार मेला, नई दिल्ली के रक्षा पैविलियन में एक स्टाल लगाया जाता है, जहां आगन्तुकों को भर्ती संबंधी सूचना दी जाती है। यह सूचना ऐसे अन्य आयोजित मेलों में भी दी जाती है, जो आजीविकोन्मुख एवं विद्यार्थियों के लिए होते हैं।

छवि निर्माण अभियान

10.16 सेना में अधिकारियों की कमी को पूरा करने एवं सेना में कमीशन प्राप्ति पर उपलब्ध अवसरों के प्रति देश के युवा वर्ग में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए सितम्बर 1997 में एक व्यावसायिक विज्ञापन एजेंसी की सहायता से एक विज्ञापन अभियान शुरू किया, जिसमें सैन्य अधिकारियों को उपलब्ध परिपूर्ण आजीविका के सकारात्मक पहलुओं को सामने लाया गया। इस अभियान का उद्देश्य मुद्रण, श्रव्य, दृश्य-श्रव्य संचार माध्यमों के द्वारा देश के कोने-कोने में पहुंचना था। इस अभियान के प्रभाव के बारे में जानने के लिए एक स्वतंत्र विपणन अनुसंधान एजेंसी 'मोड' द्वारा किए गए मूल्यांकन जांच से ज्ञात हुआ कि अभियान वांछित दिशा में सफल रहा। इस आधार पर अभियान अभी जारी है।

प्रशिक्षण

10.17 रक्षा क्षेत्र में मानव संसाधन प्रबंधन की अनेक बातें उसे विशिष्ट बना देती हैं। दिए जा रहे प्रशिक्षण का उद्देश्य सिपाहियों को न केवल आवश्यक साधनों से लैस कुशल योद्धा बनाना है, अपितु उन्हें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से पूर्णत: अवगत करवाना है। विशेषज्ञ एवं कठोर भर्ती प्रक्रियाओं और जिस वातावरण में रक्षा अधिकारियों को काम करना पड़ता है, ऐसे प्रशिक्षण के लिए एक सर्वांगीण दृष्टिकोण की आवश्यकता है। नए भर्ती किए गए अधिकारियों तथा उन्नत एवं विशेषज्ञ प्रशिक्षण की आवश्यकता वाले अधिकारियों तथा अन्य रैंकों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार प्रशिक्षण दिए जाते हैं। तदनुसार, रक्षा क्षेत्र में अनेक प्रशिक्षण संस्थान इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक दूसरे के साथ समन्वय करके कार्य करते हैं।

सैनिक स्कूल

10.18 सैनिक स्कूल स्थापित करने की योजना भर्ती के आधार को व्यापक बनाने तथा रक्षा सेनाओं के अधिकारी संवर्ग में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए 1981 में शुरू की गई थी। सैनिक स्कूल केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के संयुक्त उद्यम हैं। सैनिक स्कूल सोसायटी इस समय 18 सैनिक स्कूल चला रही है। सैनिक स्कूल पूर्णत: आवासीय स्कूल हैं तथा इनमें विद्यार्थियों का प्रवेश प्रत्येक वर्ष फरवरी में होने वाली अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा में निर्धारित योग्यताक्रम के अनुसार तथा मेडिकल फिटनेस के अधीन केवल कक्षा VI तथा IX में ही किया जाता है। सैनिक स्कूलों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है हालांकि, स्कूलों में प्रवेश के लिए अंग्रेजी का ज्ञान होना पूर्वापेक्षा नहीं है। स्कूल अपने विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए पाठ्य सहगामी तथा पाठय विषयेतर गतिविधियों पर पर्याप्त ध्यान देते हैं। ये स्कूल केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध हैं तथा केवल विज्ञान शाखा में 10+2 पद्धति का अनुसरण करते हैं।

10.19 वर्ष 2002 के दौरान सैनिक स्कूलों से कुल 108 विद्यार्थी राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में गए, जिसमें प्रत्येक वर्ष लगभग 600 कैडेट लिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, 16 विद्यार्थी वर्ष 2001 के दौरान 10+2 तकनीकी प्रवेश योजना के द्वारा नौसेना तथा सेना में गए। आज की तारीख को रक्षा सेनाओं के लगभग 6000 अधिकारी सैनिक स्कूलों के पूर्व छात्र हैं।

मिलिटरी स्कूल

10.20 देश में पांच मिलिटरी स्कूल हैं जो अजमेर, बेंगलूर, बेलगांव, धौलपुर तथा चैल में स्थित हैं। इन स्कूलों में विद्यार्थियों को दाखिला कक्षा VI में दिया जाता है और वह अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा के आधाार पर दिया जाता है। मिलिटरी स्कूलों में 67 प्रतिशत स्थान जूनियर कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अन्य रैंकों

के वार्डों जिन्हें 'हकदार श्रेणी' कहा जाता है, के लिए आरक्षित हैं। गैर-हकदार श्रेणी के 33% स्थानों में से 20% सैन्य अधिकारियों के वार्डों तथा 13% सिविलियनों के वार्डों के लिए आरक्षित हैं।

10.21 मिलिटरी स्कूलों का लक्ष्य बेहतर शिक्षा प्रदान करना है जिससे ये छात्र अखिल भारतीय माध्यमिक परीक्षा तथा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित सीनियर माध्यमिक प्रमाण-पत्र परीक्षा में शामिल हो सकें और इसके साथ ही राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश पा सकें।

राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कालेज, देहरादून

10.22 राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज की स्थापना 13 मार्च, 1922 को की गई थी। इसका उद्देश्य भारत में जन्मे अथवा भारतीय अधिवासी ऐसे लड़कों को आवश्यक प्रारंभिक प्रशिक्षण देना था जो भारत की सशस्त्र सेनाओं में अधिकारी बनने के इच्छुक हों। यह संस्थान अब राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खडगवासला (पुणे) के लिए फीडर संस्थान के रूप में कार्य करता है जहां सेना, नौसेना तथा वायुसेना के कैडेट अपना प्रारंभिक प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। इस कॉलेज का लक्ष्य राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों को प्रशिक्षण देना है। राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज के विद्यार्थियों का चयन राज्य सरकारों द्वारा आयोजित लिखित एवं मौखिक परीक्षा के जरिए किया जाता है। विभिन्न राज्यों के लिए उनकी जनसंख्या के आधार पर स्थान आरक्षित होते हैं। कैडेटों की राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज में वर्ष में दो बार अर्थात् जनवरी तथा अगस्त में भर्ती की जाती है तथा प्रत्येक सत्र में 25 कैडेट लिए जाते हैं। इस कॉलेज में कैडेटों की अधिकतम संख्या 250 है। इसमें कक्षा VIII में 11-1/2 से 13 वर्ष की आयु वर्ग के लड़के लिए जाते हैं। यह कॉलेज केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 10+2 पैटर्न पर 8वीं-12वीं तक की कक्षाएं चलाता है।

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खडगवासला

10.23 राष्ट्रीय रक्षा अकादमी युवा कैडेटों को रक्षा सेवाओं के भावी अधिकारियों के रूप में प्रशिक्षण देने वाला प्रमुख संयुक्त सेना संस्थान है। इसके चार उद्देश्य हैं :-

क) योधी सेनाओं के अधिकारियों के रूप में कैडेटों के क्रमिक एवं निरंतर विकास हेतु अनिवार्य अपेक्षित शैक्षिक स्तर प्राप्त करना तथा मानसिक, नैतिक एवं शारीरिक योग्यताएं अर्जित करना;

ख) ऐसा बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त करना जो उनके चरित्र, पहल शक्ति, आत्मविश्वास और इन सबसे बढ़कर नेतृत्व की विशेषताओं के विकास में सहायता प्रदान करें;

ग) सशस्त्र बलों के अंतर सेवा पक्ष के मूल्यांकन की योग्यता विकसित करना; और

घ) पाठ्यक्रमोत्तर, विशेषकर बहिरंग किस्म के क्रियाकलापों में रुचि भी विकसित करना है।

10.24 राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर दिया जाता है। तीनों सेनाओं अर्थात् सेना, नौसेना तथा वायुसेना के कैडेट राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में तीन वर्षों के लिए संयुक्त रूप से प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से उत्तीर्ण होने के बाद कैडेट सशस्त्र सेनाओं में कमीशन दिए जाने से पूर्व विशेष प्रशिक्षण के लिए अपनी संबंधित सेना अकादमियों में जाते हैं। यह अकादमी एक अद्वितीय संस्थान है जिसमें एक अधिकारी में आरंभिक चरण से ही अंतर-सेना पहलुओं का विकास होता है तथा इस प्रकार उनमें एक-दूसरे की सेना के प्रति मैत्री-बंधन एवं आदर का विकास होता है।

10.25 राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का शैक्षिक पाठ्यक्रम 10+2+3 के राष्ट्रीय शिक्षा स्वरूप के अनुसार ही है। अकादमी से उत्तीर्ण होने पर बी.ए. अथवा बी.एस.सी. की डिग्री प्रदान करने के लिए इसका पाठ्यक्रम जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित है।

10.26 राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम कैडेटों को सेना एवं अकादमिक प्रशिक्षण देने के लिए बनाया गया है जिसमें पाठ्यक्रमोत्तर तथा आउटडोर कार्यकलापों पर काफी जोर दिया जा रहा है, ताकि एक सम्पूर्ण व्यक्ति की अवधारणा एवं बेहतर संवेदनशीलता के गुणों का विकास हो सके जो रक्षा सेवाओं के अधिकारी संवर्ग की पूर्वापेक्षाएं हैं।

10.27 भूटान, नेपाल, सैशल्स, सिंगापुर, अफगानिस्तान, तंजानिया तथा घाना, मालदीव आदि जैसे विदेशी मित्र देशों के अनेक कैडेटों ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रशिक्षण लिया है। इस समय राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में 1788 कैडेट हैं जिनमें 69 विदेशी कैडेट शामिल हैं। इनमें भूटान के 52, फिलिस्तीन के 7, लेसाथो से एक, किर्गिस्तान से एक तथा मालदीव के 8 कैडेट शामिल हैं।

भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून

10.28 1932 में स्थापित भारतीय सैन्य अकादमी का अपना एक गौरवशाली एवं शानदार इतिहास है। यह अकादमी शिवालिक और हिमालय की पहाड़ियों के बीच देहरादून की सुन्दर घाटी में स्थित है। भारतीय सैन्य अकादमी का उद्देश्य सेना में कमीशन के लिए जेन्टलमेन कैडेटों को प्रशिक्षण देना है। अकादमी के पास सेना में कमीशन के लिए चुने गए सैन्य कैडेटों के प्रशिक्षण के लिए भी एक स्कंध है।

10.29 इस अकादमी का लक्ष्य बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण तथा व्यापक शैक्षिक योग्यता प्रदान करने साथ-साथ बौद्धिक, नैतिक एवं शारीरिक गुणों का पूर्ण विकास करना है।

भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून में दीक्षांत समारोह

यह अकादमी स्फूर्ति, पहलशक्ति तथा बोधशक्ति के गुणों का विकास करती है जो युद्ध तथा शांति में नेतृत्व के लिए ठोस आधार प्रदान करते हैं।

10.30 भारतीय सैन्य अकादमी में प्रवेश के तरीके हैं :-

क) राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से स्नातक होने पर;

ख) सेना कैडेट कॉलेज, जो भारतीय सैन्य अकादमी का ही स्कंध है, से स्नातक होने पर;

ग) सीधी भर्ती के स्नातक कैडेट जो संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा तथा सेना चयन बोर्ड से उत्तीर्ण होकर आते हैं;

घ) तकनीकी स्नातक;

ङ) अंतिम वर्ष/अंतिम वर्ष से पूर्व वर्ष में पढ़ने वाले इंजीनियरिंग कालेज के विद्यार्थियों के लिए विश्वविद्यालय प्रवेश योजना; और

च) भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र और गणित में 70: से अधिक अंकों से 10+2 पास करने वाले उम्मीदवारों के लिए 10+2 तकनीकी प्रवेश योजना।

10.31 भारतीय सैन्य अकादमी कई मित्र देशों के जेंटलमैन कैडेटों को भी प्रशिक्षण देती है। भारतीय सैन्य अकादमी में इस समय 36 विदेशी जेंटलमैन कैडेट सहित कुल 1257 जेंटलमैन कैडेट हैं। इसमें भूटान से 23, फिलिस्तीन से 5, लेसोथो से 2, मारीशस से एक तथा मालदीव के 5 कैडेट शामिल हैं।

सेना कैडेट कॉलेज, देहरादून

10.32 यह भारतीय सैन्य अकादमी का स्कंध है जो कमीशन के लिए चयन किए गए सेना कैडेट को प्रशिक्षण देता है। इसका शैक्षिक स्वरूप राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के समान 10+2+3 की पद्धति पर है। पाठ्यक्रम की समाप्ति पर ये कैडेट जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा मान्यताप्राप्त बी.ए. या बी. एस.सी. डिग्री के लिए अर्हता भी प्राप्त कर लेते हैं।

अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई

10.33 सेना में अधिकारियों की वर्धित मांग को पूरा करने के लिए अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना 1963 में अधिकारी प्रशिक्षण स्कूल के रूप में की गई थी। इसकी स्थापना के 25 वर्ष पूरा होने पर 1 जनवरी, 1988 को इसका नाम अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी कर दिया गया। प्रथमत: इसका मुख्य कार्य आपातकालीन कमीशन के लिए जेंटलमेन कैडेटों को प्रशिक्षण देना था। अकादमी ने 1965 के बाद, अल्पकालिक सेवा कमीशन के लिए कैडेटों को प्रशिक्षण देना प्रारंभ कर दिया जिसके बाद आपतकालीन कमीशन समाप्त कर दिया गया।

10.34 भारतीय सेना ने 21 सितम्बर, 1992 से कमीशन प्राप्त अधिकारियों के रूप में महिलाओं के प्रवेश हेतु अपने द्वार खोल दिए हैं। प्रारंभ में 50 महिला कैडेटों को प्रतिवर्ष कमीशन दिया जाता था जिनका प्रवेश अभी सेना सेवा कोर, सेना आयुध कोर, सेना शिक्षा कोर, जज एडवोकेट जनरल विभाग, इंजीनियरी कोर, सिग्नल तथा विद्युत और यांत्रिकी इंजीनियरों तक सीमित है। अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में प्रतिवर्ष लगभग 100 महिला अधिकारियों को कमीशन दिया जाता है।

10.35 अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी का उद्देश्य पुरुष/महिला

कैडेटों को ऐसा प्रशिक्षण देना है जिससे वे सेना में अल्पकालिक सेवा कमीशन के लिए उपयुक्त बनाए जा सकें। प्रशिक्षण के लक्ष्य इस प्रकार हैं :

क) बुनियादी सैन्य ज्ञान प्रदान करना;

ख) व्यावसायिक अध्ययनों में रुचि बढ़ाने तथा सामान्य जागरूकता उत्पन्न करने के लिए विस्तृत आधार पर सामान्य शिक्षा प्रदान करना;

ग) नेतृत्व के उच्चतम गुण, नैतिक एवं शारीरिक साहस और शारीरिक फिटनेस विकसित करना; और

घ) देशभक्ति, कर्त्तव्यनिष्ठा, अनुशासन, सत्यनिष्ठा, वफादारी और आदर के उच्च गुणों से युक्त करना।

10.36 अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी निम्नलिखित पाठ्यक्रमों के लिए कमीशन पूर्व प्रशिक्षण प्रदान करती है :-

क्रम संख्या	पाठ्यक्रम	शैक्षणिक योग्यता
क)	अल्पकालिक सेवा कमीशन (गैर-तकनीकी)	स्नातक
ख)	अल्पकालिक सेवा कमीशन (तकनीकी)	इंजीनियरिंग में विश्वविद्यालय स्नातक
ग)	महिलाओं की विशेष प्रवेश योजना	स्नातक/ स्नातकोत्तर

10.37 अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी की 500 कैडेटों की अभिकल्पित क्षमता के प्रति इस समय इसमें 466 जेंटलमेन कैडेट प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं जिसमें 59 महिला कैडेट शामिल हैं। अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी की 500 कैडेटों की क्षमता को बढ़ाकर 750 करने की योजना है।

बहुमीडिया प्रयोगशाला, अफसर प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई में अफसर प्रशिक्षण

समाघात महाविद्यालय, महु

10.38 इन्फेंट्री स्कूल से अलग करके समाघात महाविद्यालय की स्थापना एक स्वतंत्र संस्थान के रूप में 1 अप्रैल, 1971 में की गई थी। यह अधिकारियों के लिए सर्व-सेनांग-सामरिक प्रशिक्षण देने का एक अग्रिम संस्थान है और यह रणकुशलता एवं रणनीतियों के क्षेत्र में नई अवधारणाओं और सिद्धांतों के मूल्यांकन करने का महत्वपूर्ण कार्य करता है। इस महाविद्यालय में प्रतिवर्ष सशस्त्र सेनाओं तथा अर्ध-सैन्य बलों के 1200 से अधिक अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। मित्र देशों के लगभग 100 अधिकारियों को भी प्रतिवर्ष प्रशिक्षित किया जाता है। इस महाविद्यालय को वर्ष 1988 में अपने नए परिसर में ले जाया गया। यह परिसर 533.5 एकड़ से अधिक भूमि में फैला हुआ है और इसका विकास सुरुचिपूर्ण तरीके से किया गया है। इस वर्ष इस कॉलेज का नाम बदलकर सेना युद्ध कॉलेज रखा गया है।

10.39 महाविद्यालय की भावी योजनाओं में सशस्त्र सेनाओं की तीनों विंगों में प्रशिक्षण में सामंजस्य बिठाना तथा उसे समकालिक करना और मौजूदा संक्रियात्मक परिवेश की वास्तविकताओं तथा सेना के प्रस्तावित आधुनिकीकरण के आधार पर समकालीन प्रशिक्षण प्रदान करना शामिल है। इसमें शिक्षण संकल्पनात्मक अध्ययन, वार-गेम, विचार-विमर्श एवं संगोष्ठियों के जरिए नई संक्रियात्मक तथा संभारिकीय अवधारणाओं की अभिपुष्टि करने का प्रयास करता है। शिक्षण संकाय प्रशिक्षण से जुड़े सभी पहलुओं पर भारत तथा विदेशों में होने वाले सभी सामरिक संभारिकी तथा तकनीकी गतिविधियों से पूर्णत: अवगत रहता है। यह शिक्षण-संकाय विभिन्न कार्यकलापों को अनुकूल बनाने में शिक्षकीय समादेशों और जमीनी वास्तविकताओं के बीच सेतु के रूप में कार्य करता है। वे सभी प्रशिक्षण सामग्रियों को संशोधित तथा अद्यतन करते हैं और पाठ्यक्रमों के लिए व्याख्यान तथा प्रदर्शन आयोजित करते हैं।

10.40 **पाठ्यक्रम :** उच्च कमान पाठ्यक्रम वरिष्ठ कमान पाठ्यक्रम, कनिष्ठ कमान पाठ्यक्रम, एम.फिल. कार्यक्रम, जो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से सम्बद्ध है (उच्च कमान पाठ्यक्रम के विद्यार्थी रक्षा एवं प्रबंधन में एम.फिल. डिग्री प्रदान किए जाने के पात्र हैं) और रक्षा प्रबंधन पाठ्यक्रम। रक्षा संवाददाताओं को सेना के बुनियादी संगठन और कार्यकरण तथा विभिन्न आपरेशनों में सेना की भूमिका से अवगत कराने के लिए रक्षा संवाददाता पाठ्यक्रम भी चलाया जाता है।

कनिष्ठ नेतृत्व स्कंध, बेलगांव

10.41 कनिष्ठ नेतृत्व स्कंध, बेलगांव का कार्य जूनियर कमीशन प्राप्त अधिकारियों तथा गैर कमीशन प्राप्त अधिकारियों को सामरिक तथा विशेष मिशन तकनीकों में प्रशिक्षित करना है ताकि वे उन्हें सौंपे गए संक्रियात्मक मिशनों को विविध भू-भागीय परिस्थितियों में अत्यधिक

दबाव तथा तनाव की स्थिति में पूरा करने में सक्षम बन सकें और युद्ध तथा शांति के समय अपनी सब-यूनिटों की प्रभावी रूप से कमान तथा प्रशासन करने में सक्षम बन सकें।

10.42 कनिष्ठ नेतृत्व स्कंध के कर्त्तव्यों में ये शामिल हैं :-

(क) सेना, अर्ध सैन्य बल तथा विदेशी मित्र देशों के अधिकारियों तथा गैर कमीशन प्राप्त अधिकारियों को कमाण्डो प्रकार की संक्रियाओं में प्रशिक्षित करना तथा उन्हें उप-इकाई के सामरिक एवं प्रशासनिक संचालन में सक्षम बनाना, विशेष मिशन ग्रुपों का एक भाग के रूप में काम करने हेतु तैयार करना तथा सभी प्रकार की भू-भागीय परिस्थितियों एवं संक्रियात्मक परिवेशों में स्वतंत्र मिशन के नेतृत्व करने में सक्षम बनाना;

(ख) हमारी सीमाओं की विभिन्न प्रकार की भू-भागीय परिस्थितियों से अफसरों को अवगत कराना तथा सामरिक मिशनों को पूरा करने के लिए आवश्यक स्फूर्ति एवं गतिशीलता का ज्ञान कराना तथा विभिन्न प्रकार की संक्रियात्मक परिस्थितियों का सामना करने के लिए उनमें आत्मविश्वास भरना; और

(ग) गैर-परम्परागत संक्रियात्मक परिस्थितियों से निपटने के लिए छात्रों में विश्लेषणात्मक, तार्किक एवं बुद्धिसंगत सोच को सुदृढ़ करना।

कनिष्ठ नेतृत्व अकादमी, बरेली

10.43 कनिष्ठ नेतृत्व अकादमी एक 'ए' श्रेणी का संस्थान है जो भारतीय सेना के कनिष्ठ नेतृत्व में नेतृत्व के गुणों का विकास करती है। यह हमारे कनिष्ठ नेतृत्व अर्थात् जूनियर कमीशन प्राप्त अधिकारी और गैर-कमीशन प्राप्त अधिकारियों को संस्थागत नेतृत्व प्रशिक्षण प्रदान करती है। कनिष्ठ नेतृत्व अकादमी की स्थापना बेलगांव में प्रशिक्षण वर्ष 1998-99 में की गई थी। पायलट परियोजना पाठ्यक्रमों की सफलतापूर्वक समाप्ति के परिणामस्वरूप मडगांव (गोवा) में एक अंतरिम कनिष्ठ नेतृत्व अकादमी की स्थापना की गई थी। 11 जुलाई, 1999 को अकादमी को अपनी स्थायी जगह बरेली ले जाया गया। कनिष्ठ नेतृत्व अकादमी प्रतिवर्ष 3888 छात्रों को प्रशिक्षित करती है।

10.44 सभी सेनांगों तथा सेनाओं के जूनियर कमीशन प्राप्त अधिकारियों/गैर कमीशन प्राप्त अधिकारियों के लिए निम्नलिखित दो प्रकार के जे एल पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं :-

(क) **कनिष्ठ नेतृत्व पाठ्यक्रम :** यह हाल ही में प्रोन्नत हुए जूनियर कमीशन प्राप्त अधिकारियों तथा गैर कमीशन प्राप्त अधिकारियों तथा जूनियर कमीशन प्राप्त अधिकारियों के रैंक पर पदोन्नति के लिए अनुमोदन प्राप्त अधिकारियों के लिए छः सप्ताह की अवधि का पाठ्यक्रम है। 3240 छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रति वर्ष छः पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं।

(ख) **संभाव्य सूबेदार मेजर पाठ्यक्रम :** हाल ही में प्रोन्नत सूबेदार मेजर अथवा सूबेदार मेजर पद के लिए पदोन्नति हेतु अनुमोदित वरिष्ठ सूबेदारों को मिलाकर 108 के छात्रों के लिए चार सप्ताह की अवधि का पाठ्यक्रम। 640 छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रतिवर्ष छह पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं।

10.45 **सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति :** सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति के मद्देनजर कनिष्ठ नेतृत्व अकादमी की कार्य प्रणाली को व्यापक तौर पर स्वचालित कर दिया गया है। कम्प्यूटरों तथा उसकी सहायक प्रणालियों के अलावा कनिष्ठ नेतृत्व अकादमी के पास उपलब्ध उपस्करों में अत्याधुनिक फोटोकापी मशीन, डिजिटल कैमरा, वैब कैमरा, एनिमेशन साफ्टवेयर, स्कैनर तथा वीडियो कैमरा शामिल हैं।

कनिष्ठ नेतृत्व अकादमी, रामगढ़

10.46 हमारी सेना के विशाल स्वरूप को देखते हुए, कनिष्ठ नेतृत्व अकादमी, बरेली की स्थापना से जूनियर नेतृत्व के प्रशिक्षण की मांग को आंशिक तौर पर ही पूरा किया जा सकता था। अतः बिहार में स्थित रामगढ़ में वर्ष 2001 से एक अंतरिम कनिष्ठ नेतृत्व अकादमी स्थापित की गई है।

10.47 कनिष्ठ नेतृत्व अकादमी, रामगढ़ को कनिष्ठ नेतृत्व अकादमी, बरेली के नक्शे-कदमों पर संगठित किया गया है। यह एक अंतरिम स्थान होने के कारण, केवल मौजूदा अवसंरचना एवं सुविधाओं का उपयोग किया गया है और उनमें सुधार लाया गया है। यह संस्थान भी प्रतिवर्ष 3888 छात्रों को प्रशिक्षित करेगा तथा सेना के संभाव्य कनिष्ठ नेतृत्व को गुणतायुक्त प्रशिक्षण प्रदान करने की वर्धित मांग को पूरा करेगा।

रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज, वेलिंगटन

10.48 रक्षा सेवा स्टॉफ कॉलेज तीनों सेनाओं की एक प्रमुख प्रशिक्षण स्थापना है जो कि भारतीय सशस्त्र सेवाओं के तीनों स्कंधों, अन्य मित्र राष्ट्रों तथा विभिन्न भारतीय सिविल सेवाओं के मध्य स्तर के अफसरों को प्रशिक्षण प्रदान करती है। इस कॉलेज के प्रशिक्षणार्थी देश और विदेश में अत्यंत उच्च पदों तक पहुंचे हैं।

10.49 इस कॉलेज की 1905 में देवालाली में स्थापना की गई थी तथा 1950 से यह वेलिंगटन में कार्य

कर रहा है। 50 अफसरों के साधारण प्रशिक्षण के साथ शुरू यह कॉलेज इस समय 25 मित्र राष्ट्रों के 34 अफसरों तथा विभिन्न भारतीय सिविल सेवाओं के छह अफसरों सहित 430 छात्र अधिकारियों को प्रशिक्षण दे रहा है। यह कॉलेज प्रतिवर्ष जून से अप्रैल के दौरान 45 सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता है जिसे कि पांच से नौ सप्ताह की छह ट्यूटोरियल अवधियों में उप-विभाजित किया गया है।

10.50 **एम एस सी (रक्षा और सामरिक अध्ययन) की उपाधि प्रदान करना :** डी एस एस सी द्वारा प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक पूरा होने पर पीएससी (स्टाफ उत्तीर्ण पाठ्यक्रम) का प्रतीक प्रदान किया जाता है। डीएसएससी मद्रास विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है जो पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने वाले सभी छात्रों को एमएससी (रक्षा तथा सामरिक अध्ययन) की उपाधि प्रदान करता है। कॉलेज के संकाय के सदस्य अफसर जो शैक्षिक अनुसंधान में अभिरुचि रखते हैं, एम फिल की उपाधि के लिए पंजीकरण करा सकते हैं।

10.51 **उद्देश्य :** स्टॉफ कोर्स का उद्देश्य तीनों सेनाओं के चुनिंदा अफसरों को अंतर सेवा तथा संयुक्त सेवा परिवेश में कमान तथा स्टॉफ दायित्वों को प्रशिक्षण मुहैया कराना है तथा उन्हें संगत शिक्षा भी मुहैया करायी जाती है ताकि वे कमान तथा स्टॉफ नियुक्तियों पर कारगर ढंग से कार्य निष्पादन कर सकें।

10.52 कॉलेज में प्रशिक्षण सिद्धांत का खास पहलू सेवाओं के अंदर 'सहयोगी भाव' के विकास को दिया गया महत्व है। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का लगभग 60 प्रतिशत समय संयुक्त प्रशिक्षण को दिया जाता है जिससे छात्र अफसरों को अन्य सेवाओं के दायित्वों को समझने में सहूलियत होती है। डीएसएससी विश्व की कुछेक ऐसी स्थापनाओं में से एक है जिसमें इस प्रकार तीनों सेवाओं की विशेषता है। अन्य देशों के कई शिष्टमण्डल इस अद्वितीय संस्था में दिए जा रहे प्रशिक्षण की जानकारी लेने के लिए इस कॉलेज का दौरा करते हैं।

10.53 यहां राष्ट्रीय सुरक्षा तथा रणनीति, विविध भूभागों में युद्ध के विभिन्न आयामों, विमान, हेलिकाप्टर, समुद्र तथा जल-थल संक्रियाओं जैसे विशेष आपरेशनों, संयुक्त राष्ट्र की शांति रक्षक कार्रवाइयों सहित कम तीव्रता की झड़पों, रक्षा प्रबंधन नेतृत्व, सैन्य आसूचना तथा युद्ध और शांति में प्रशासन आदि में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। भू-राजनैतिक, सामाजिक-राजनैतिक, भारतीय अर्थव्यवस्था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा अन्तरराष्ट्रीय संबंधों जैसे विभिन्न पहलुओं पर विशिष्ट वक्ताओं के भाषण भी पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं।

हाई एल्टिट्यूट वारफेयर स्कूल, गुलमर्ग

10.54 जनरल के एस थिमय्या ने दिसंबर 1948 में '19 इन्फैंट्री डिवीजन स्की स्कूल' के रूप में इस स्कूल की स्थापना की थी। इस स्कूल ने शीघ्र ही स्कीइंग शीतकालीन युद्ध पद्धति में लोकप्रियता प्राप्त कर ली तथा 1949-50 के शीतकाल के दौरान इसे कमान स्थापना के रूप में उन्नत करके 'शीतकालीन युद्ध पद्धति वारफेयर स्कूल' के रूप में नया नाम दिया गया। 8 अप्रैल, 1962 को इसे श्रेणी 'क' प्रशिक्षण स्थापना के रूप में उन्नत किया गया तथा 'हाई एल्टिट्यूड वारफेयर स्कूल' का नया नाम दिया गया।

10.55 इस स्कूल का उद्देश्य चुनिंदा कार्मिकों को उच्च तुंगता, पर्वतीय युद्ध पद्धति के सभी पहलुओं में प्रशिक्षित करना तथा इस प्रकार के भू-भागों में लड़ने की तकनीक विकसित करना है। यह स्कूल विशेषीकृत प्रशिक्षण तथा उच्च तुंगता, पर्वतीय तथा बर्फीला क्षेत्र युद्ध पद्धति में अनुमोदित सिद्धांतों के प्रचार-प्रसार के लिए सेना की महत्वपूर्ण प्रशिक्षण सुविधा के रूप में कार्य करता है।

10.56 'हाई एल्टिट्यूड वारफेयर स्कूल' क्रमशः सोनमर्ग तथा गुलमर्ग में पर्वतीय युद्ध पद्धति तथा शीतकालीन युद्ध पद्धति नामक दो तरह के पाठ्यक्रम चलाता है। सभी पाठ्यक्रम अफसरों, जूनियर कमीशन प्राप्त अफसरों तथा गैर कमीशन प्राप्त अफसरों के लिए सामूहिक होते हैं। मौटे तौर पर प्रशिक्षण की अवधि जनवरी से अप्रैल (शीतकालीन युद्ध पद्धति) तथा मई से अक्तूबर (पर्वतीय युद्ध पद्धति) की होती हैं।

प्रतिविद्रोही एवं जंगल युद्ध पद्धति स्कूल, वैरांगटे

10.57 'जंगल प्रशिक्षण स्कूल' की स्थापना सन् 1968 में की गई थी। परन्तु स्कूल की वर्तमान स्वरूप में स्थापना 01 मई, 1970 में श्रेणी 'क' स्थापना के रूप में इसे वैरांगटे में स्थापित किया गया था। इसे आमतौर पर सी आई जे डब्ल्यु स्कूल के नाम से जाना जाता है। इस स्कूल का ध्येय वाक्य 'गुरिल्ला के साथ लड़ो गुरिल्ला की तरह' अपने आप में अनोखा है तथा यह सी आई जे डब्ल्यु तकनीकों का प्रतीक है। यह स्कूल इस समय प्रतिविद्रोह एवं जंगल युद्ध पद्धति में अफसरों तथा कार्मिकों को प्रशिक्षण देता है।

10.58 इस स्कूल के दायित्वों में अफसरों, जेसीओ/एनसीओ के लिए प्रतिविद्रोही तकनीक पाठ्यक्रम तथा असमी, बोडो, नागामी तथा मणिपुरी/तंगखुल भाषाओं में भाषा पाठ्यक्रम चलाना तथा विद्रोही क्षेत्रों में जाने से पहले सभी यूनिटों को पूर्व प्रशिक्षण का संचालन करना शामिल है। यह स्कूल प्रति-विद्रोही एवं जंगल युद्ध पद्धति में कार्रवाइयों के लिए रणनीतिक सिद्धांत

तथा तकनीक विकसित करता है, नियमित आधाार पर उनकी समीक्षा करता है तथा विश्व के सभी भागों में विद्रोह से संबंधित सभी रणनीतिक तथा तकनीकी पहलुओं पर अद्यतन सूचनाएं रखता है।

10.59 अर्ध सैनिक बलों के बहुत से छात्र तथा श्रीलंका, नेपाल, सिंगापुर, केन्या, इराक तथा अमरीका जैसे मित्र राष्ट्रों के छात्र भी सी आई जे डब्ल्यु स्कूल द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों में भाग लेते हैं। इस वर्ष सात विदेशी अफसरों ने पाठ्यक्रम में भाग लिया है। इस स्कूल ने प्रतिविद्रोही क्षेत्रों में कार्रवाइयों के लिए यूनिटों को तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है और अभी भी कर रहा है।

10.60 वर्तमान क्षमता में यह स्कूल 120 अफसरों तथा 460 जेसीओ/एनसीओ को प्रशिक्षित कर रहा है। प्रशिक्षण के अलावा, इन्होंने आस-पास के जनजातीय गांवों के हितों के लिए भी अच्छा कार्य किया है।

इन्फैंट्री स्कूल, मऊ

10.61 इन्फैंट्री स्कूल भारतीय सेना का सबसे बड़ा तथा सबसे पुराना सैन्य प्रशिक्षण संस्थान है। इस संस्थान का सूत्रपात वर्ष 1885 में हुआ था। इन्फैंट्री स्कूल दो स्थानों पर स्थापित है। हथियार तथा युवा अफसर शाखा मऊ में स्थित है। कमांडों तथा प्लाटून कमांडर शाखा वाली जूनियर लीडर शाखा बेलगांव में स्थित है।

10.62 यह संस्था अर्ध सैनिक बलों तथा सिविल पुलिस संगठनों के अलावा न केवल इन्फैंट्री बल्कि अन्य सेनांगों तथा सेवाओं के अफसरों, जेसीओ तथा सैनिकों को भी प्रशिक्षण प्रदान करती है। कई मित्र राष्ट्र भी इन सुविधाओं का फायदा उठा रहे हैं। चालू प्रशिक्षण वर्ष के दौरान मित्र राष्ट्रों के 90 अफसरों, 160 जेसीओ/एनसीओ ने पाठ्यक्रमों में भाग लिया है। इस पृष्ठभूमि के साथ यह संस्था वर्तमान में प्रति वर्ष 1195 अफसर, 5900 जेसीओ/एनसीओ को प्रशिक्षण प्रदान कर रही है।

10.63 यह स्कूल निम्नलिखित गतिविधियों के लिए उत्तरदायी है :-

(क) इन्फैंट्री से संबंधित नए रणनीतिक सिद्धांतों, युद्ध तकनीकों तथा युद्ध कवायदों का विकास करना तथा इन्हें लागू करना;

(ख) भारत तथा भारत से बाहर रणनीति तथा तकनीकी प्रगतियों का निरंतर अध्ययन करना तथा अद्यतन जानकारी रखना;

(ग) इन्फैंट्री से संबंधित हथियारों, उपस्करों तथा गोलाबारूद का परीक्षण करना;

(घ) शिक्षण पाठ्यक्रमों का संचालन; और

(ङ) ''अचूक निशानेबाजी'' में सेना शूटिंग टीम तथा राष्ट्रीय शूटिंग टीम को प्रशिक्षित करना।

10.64 **पाठ्यक्रम :** इन्फैंट्री स्कूल (कनिष्ठ लीडर विंग सहित) में युवा अफसर पाठ्यक्रम, घातक पाठ्यक्रम, प्लाटून हथियार पाठ्यक्रम, मोर्टार पाठ्यक्रम, टैंकरोधी एवं निर्देशित मिसाइल पाठ्यक्रम, प्लाटून कमाण्डर पाठ्यक्रम, मीडियम मशीनगन एवं स्वचालित ग्रेनेड लांचर पाठ्यक्रम,, कमांडर पाठ्यक्रम स्वचालित डाटा प्रोसेसिंग पाठ्यक्रम, स्नाइपर पाठ्यक्रम तथा बटालियन सहायता हथियार पाठ्यक्रम नामक ग्यारह पाठ्यक्रमों का संचालन करता है।

10.65 **सेना निशानेबाजी यूनिट :** इस स्कूल की अपनी सेना निशानेबाजी यूनिट भी है जिसने राष्ट्रीय तथा अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ी संख्या में चैम्पियन शूटर तैयार किए हैं।

बैटल स्कूल

10.66 जम्मू-कश्मीर तथा देश के पूर्व में प्रतिविद्रोही समस्या में वृद्धि के कारण प्रतिविद्रोही परिवेश में भेजी जा रही सभी यूनिटों को वहां भेजने से पूर्व प्रशिक्षण दिए जाने की जरूरत महसूस की गई थी। सी आई जे डब्ल्यु स्कूल की क्षमता सीमित थी। इसके अलावा विशिष्ट संक्रियात्मक स्थिति तथा यूनिटों के आवागमन से संबंधित प्रशासनिक समस्याओं के कारण आपरेशन क्षेत्रों के निकट क्षेत्रों में यूनिटों को प्रशिक्षण दिया जाना जरूरी था। इन समस्याओं पर काबू पाने के लिए निम्नलिखित तीन युद्ध क्षेत्र बैटल स्कूल मौजूद हैं :-

(i) कश्मीर घाटी में जाने वाली यूनिटों के लिए खेड़ू स्थित बैटल स्कूल;

(ii) जम्मू के निकट चंबा तथा इससे लगे क्षेत्र में कार्रवाई के लिए जाने वाली यूनिटों के लिए सरोल में स्थित बैटल स्कूल; तथा

(iii) असम तथा मेघालय में जानी वाली यूनिटों के लिए ठाकुरबाड़ी में स्थित बैटल स्कूल।

10.67 इन स्कूलों में दिए जाने वाले भर्ती पूर्व प्रशिक्षण से सभी यूनिटों को लाभ हुआ है, क्योंकि इससे वे अपने क्षेत्रों की विद्रोह संबंधी समस्याओं की पेचिदगियों को समझने में सक्षम होते हैं। प्रतिविद्रोही प्रशिक्षण के अलावा, ये स्कूल विशेषकर उत्तरी कमान में यूनिटों को नियंत्रण रेखा के पास तथा उच्च तुंगता क्षेत्रों में भूमिकाओं के लिए भी प्रशिक्षित करते हैं। इन स्कूलों के कार्यनिष्पादन को सेना द्वारा नियंत्रण रेखा तथा अन्तरराष्ट्रीय सीमा के साथ-साथ आंतरिक विद्रोह तथा घुसपैठ का सामना करने में मिले अनुकूल परिणामों से मापा जा सकता है।

रक्षा प्रबंधन कॉलेज

10.68 वर्ष 1965 के भारत-पाक युद्ध के बाद आधुनिक, वैज्ञानिक प्रबंध प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए समर्पित एक संस्थान स्थापित किए जाने की जरूरत महसूस की गई। भारतीय रक्षा सेनाओं के आकार, दूर-दराज के क्षेत्रों में उनकी तैनाती, उपस्करों की उच्च लागत, सीमित संसाधन, सामाजिक-आर्थिक बदलाव आदि के कारण यह जरूरी हो गया कि सैन्य कमाण्डरों को आधुनिक प्रबंधन संकल्पनाओं तथा तकनीकों की जानकारी हो ताकि वे कारगर तथा इष्टतम कार्रवाई करने में सक्षम हो सके। इस प्रकार के कौशल की शिक्षा न तो सशस्त्र बलों के विद्यमान प्रशिक्षण ढांचे के भीतर से प्रदान की जा सकती थी और न ही इसे सिविलियन प्रबंधन पाठ्यक्रम से लिया जा सकता था। सेनाओं द्वारा महसूस की जा रही इस जरूरत से जून, 1970 में सिकंदराबाद स्थित रक्षा प्रबंधन संस्थान का जन्म हुआ। रक्षा प्रबंधन संस्थान का वर्ष 1980 में नाम बदलकर रक्षा प्रबंधन कॉलेज कर दिया गया।

10.69 यह कॉलेज मई, 2001 में अपने नए परिसर में चला गया। 53.7 एकड़ में फैला यह परिसर आधुनिक तथा अत्याधुनिक प्रशिक्षण उपकरणों से सुसज्जित है। उसमें 100 कंप्यूटरों तथा इतने ही प्रिंटरों से युक्त सुव्यवस्थित सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र, प्रबंधन से संबंधित 27000 पुस्तकों तथा 25 कम्प्यूटर आधारित कार्य स्थलों से युक्त एक तीन मंजिले पुस्तकालय के अलावा अन्य शैक्षिक एवं प्रशिक्षण सहायता उपस्कर और आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं।

सामग्री प्रबंधन कॉलेज, जबलपुर

10.70 इस कॉलेज का सूत्रपात अक्तूबर, 1925 में स्थापित 'भारतीय सेना आयुध कोर शिक्षण स्कूल' से हुआ 1939 में इस स्कूल को पुन: नाम देकर भारतीय सेना आयुध कोर प्रशिक्षण केन्द्र कर दिया गया। जनवरी 1950 में 'सेना आयुध कोर स्कूल' हो गया। प्रशिक्षण के बदलते सिद्धांतों तथा उन्नत संकल्पनाओं के आ जाने से सेना आयुध कोर स्कूल का नाम बदलकर वर्ष 1987 में सामग्री प्रबंधन कॉलेज कर दिया गया।

10.71 वर्ष 1987 में यह कॉलेज जबलपुर विश्वविद्यालय (रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय) से संबद्ध हो गया था तथा इसके शानदार निष्पादन से इसे वर्ष 1990 में स्वायत्त दर्जा प्राप्त हो गया। यह कॉलेज 'राजकीय कॉलेज' के रूप में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में पंजीकृत है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की मंजूरी इस कॉलेज की एक अन्य उपलब्धि थी।

10.72 निम्नवत् संकायों में सुव्यवस्थित प्रशिक्षण दिया जा रहा है :-

(क) **उच्च आयुध प्रबंधन संकाय :** यह सामग्री, मानव संसाधन, वित्त प्रबंध तथा सक्रियात्मक संभारिकी से सम्बद्ध उन्नत प्रबंधकीय कौशल तथा तकनीकों के बारे में शिक्षा प्रदान करता है।

(ख) **शस्त्रास्त्र संकाय :** यह संकाय मिसाइल, शस्त्रास्त्र, गोलाबारूद तथा कामचलाऊ विस्फोटक उपकरण के डिजाइन तथा कार्यप्रणाली के बारे में प्रशिक्षण प्रदान करता है।

(ग) **तकनीकी सामग्री संकाय :** इस संकाय के अंतर्गत कार्मिकों को भंडारण प्रबंधन तथा उड्डयन नियंत्रण शस्त्रास्त्र, ऑप्टो इलैक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग, दूर-संचार, युद्धक वाहन, परिधान और सामान्य सामग्री संबंधी सामग्री नियंत्रण के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है।

(घ) **आयुध संभारिकी सहायता संकाय :** यह संकाय युवा अफसरों को आयुध कार्य संचालन प्रक्रियाओं तथा सिविलियन कार्मिक प्रबंधन के बारे में तथा अफसरों/कनिष्ठ कमीशन प्राप्त अफसरों/अन्य रैंकों को क्वार्टर मास्टर ड्यूटियों के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान करने के प्रति समर्पित है।

(ङ) **कंप्यूटर प्रौद्योगिकी संकाय :** यह संकाय सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में प्रशिक्षण प्रदान करता है।

(च) **प्रबंधन अध्ययन संकाय :** प्रबंधन के क्षेत्र में दशकों के अनुभव के लाभ को ध्यान में रखते हुए इस कॉलेज को सैन्य कार्मिकों के आश्रितों के लिए प्रबंध पाठ्यक्रमों शुरू करने के लिए कहा गया। इस प्रकार वर्ष 1994 में प्रबंध अध्ययन संकाय की स्थापना के साथ ही भारतीय सेना के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हुआ।

राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज

10.73 तीस जनवरी मार्ग, नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज 27 अप्रैल, 1960 में प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा इसके उद्घाटन के समय से ही राष्ट्रीय सुरक्षा तथा रणनीति के बारे में हमारे वरिष्ठ अफसरों के लिए पाठ्यक्रम चला रहा है। गत 42 वर्षों से राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज ने उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में विश्व भर में अपना नाम कमाया है। इस कॉलेज ने बड़ी संख्या में वरिष्ठ रक्षा तथा सिविलियन अफसरों को अत्यधिक विशेषीकृत तथा संवेदनशील विषयों में शिक्षा तथा प्रशिक्षण मुहैया कराया है। इस कॉलेज के कई पूर्व विद्यार्थियों ने भारत तथा विदेशों

में अपने पेशों में बहुत उच्च स्थान प्राप्त किया है तथा कुछ तो अपने देश के राष्ट्राध्यक्ष भी बने हैं।

10.74 राष्ट्रीय सुरक्षा तथा सामरिक अध्ययन संबंधी राष्ट्रीय रक्षा कालेज का पाठ्यक्रम 47 सप्ताहों की अवधि का है। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य भावी नीति निर्माताओं को विभिन्न आर्थिक, राजनैतिक, सैन्य, वैज्ञानिक तथा संगठनात्मक पहलुओं की व्यापक समझ प्रदान करने के लिए आवश्यक पृष्ठभूमि से सुसज्जित करना है। रक्षा सेनाओं के ब्रिगेडियर तथा समकक्ष रैंक के अफसरों तथा केन्द्रीय सरकार के निदेशक तथा उससे ऊपर के रैंक के सिविलियन अफसरों को इस कॉलेज में प्रशिक्षण हेतु नामित किया जाता है। रक्षा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से कुछ अफसर भी इस पाठ्यक्रम में भाग लेते हैं।

10.75 राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज में जनवरी, 2002 में सेना (34), नौसेना (05), वायु सेना (10), सिविल सेवा (14) तथा मित्र राष्ट्रों (21) के 80 अफसरों के साथ 42वां पाठ्यक्रम शुरू हुआ।

10.76 इस पाठ्यक्रम की विषय सामग्री में अध्ययन कैप्सूल, भाषण तथा पेनल चर्चा, फील्ड दौरा, अनुसंधान गतिविधियों-शोध लेखन, संगोष्ठियों, तथा राजनैतिक रणनीतिक खेल अभ्यास आदि शामिल हैं। 42वें राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज पाठ्यक्रम में सात अध्ययन कैप्सूल शामिल किए गए थे। भाषणों तथा पेनल चर्चाओं के लिए 186 विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया था। फील्ड दौरे इस पाठ्यक्रम के अत्यंत महत्वपूर्ण भाग हैं। इनसे कक्षा में प्राप्त किए गए ज्ञान की वास्तविक धरातल पर पुष्टि करने में मदद मिलती है। इस पाठ्यक्रम के दौरान छह घरेलू तथा छह विदेशी दौरे किए गए थे। इसके अलावा पाठ्यक्रम सदस्यों ने पांच अलग दलों में दक्षेस देशों का दौरा किया।

10.77 **शोध कार्य-शोध लेखन :** राष्ट्रीय सुरक्षा से सरोकार रखने वाले राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय हित संबंधी विषय पर मौजूदा ज्ञान में मौलिक बढ़ोतरी करने के लिए पाठ्यक्रम सदस्यों को सक्षम बनाने के लिए प्रत्येक पाठ्यक्रम सदस्य द्वारा शोध लेखन कार्य किया जाना अपेक्षित होता है। इन शोध कार्यों का मूल्यांकन किया जाता है तथा सर्वोत्तम पांच शोध कार्यों को प्यारा लाल स्वर्ण पदक तथा पुस्तक पुरस्कारों के लिए चुना जाता है।

सेना वायु रक्षा कालेज, गोपालपुर

10.78 सेना वायु रक्षा कॉलेज पहले आर्टिलरी स्कूल, देवलाली के एक स्कंध के रूप में कार्य करता था। अक्तूबर, 1989 में तोपखाने की मुख्य शाखा से वायु रक्षा तोपखाने के अलग होने पर यह गोपालपुर चला गया। 'गोपालपुर-एट-सी' में स्थित यह एक प्रमुख श्रेणी 'क' प्रशिक्षण स्थापना है जोकि वायु रक्षा से सम्बद्ध विषय में वायु रक्षा तोपखाना के कार्मिकों को अन्य सेनांगों तथा विदेशी सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों को प्रशिक्षित करती है।

10.79 सेना वायु रक्षा कॉलेज का उद्देश्य निम्नवत् हैं :-

(क) अफसरों, जूनियर कमीशन प्राप्त अफसरों तथा गैर-कमीशन प्राप्त अफसरों को वायु रक्षा तोपखाना तथा रेडारों के सभी पहलुओं के बारे में तकनीकी तथा रणनीतिक प्रशिक्षण प्रदान करना।

(ख) सेना वायु रक्षा से संबंधित रणनीतिक तथा तकनीकी सिद्धांतों का मूल्यांकन करना, वायु रक्षा उपस्करों का परीक्षण करना तथा सेना वायु रक्षा हथियारों के सार-संभाल से संबंधित उचित नोट तथा पैम्पलेट बनाना।

(ग) वायु रक्षा तोपखाना से संबंधित सभी मामलों के लिए उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में कार्य करना।

10.80 सेना वायु रक्षा कॉलेज शिक्षण संबंधी अनेक पाठ्यक्रमों का संचालन करता है। लाँग गनरी स्टाफ पाठ्यक्रम, युवा अफसर पाठ्यक्रम, इलैक्ट्रानिक युद्ध पद्धति पाठ्यक्रम, वरिष्ठ कमान वायु रक्षा पाठ्यक्रम, लाँग गनरी स्टाफ पाठ्यक्रम, जूनियर कमीशन प्राप्त अफसर/गैर कमीशन प्राप्त अफसर, तकनीकी अनुदेशक फायर कंट्रोल पाठ्यक्रम, विमान पहचान पाठ्यक्रम, यूनिट अनुदेशक तथा चालक दल आधारित प्रशिक्षण तथा स्वचालित डाटा प्रोसेसिंग पाठ्यक्रम आदि कुछ महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम हैं।

तोपखाना स्कूल, देवलाली

10.81 महाराष्ट्र के पश्चिमी घाटों के वनाच्छादित प्रदेश में स्थित तोपखाना स्कूल तोपखाना युद्ध पद्धति विज्ञान तथा प्रणाली की विभिन्न उप-विद्याओं के लिए एक शैक्षिक केन्द्र है।

10.82 तोपखाना स्कूल के उत्तरदायित्व कार्य वायु निगरानी पोस्ट डयूटियों के लिए पायलटों को प्रशिक्षित किए जाने सहित तोपखाना हथियार तथा प्रणालियों के बारे में तोपखाना रेजिमेंट के अफसरों, जूनियर कमीशन प्राप्त अफसरों तथा गैर-कमीशन प्राप्त अफसरों को तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करना है। इसके अलावा भारतीय तथा विदेशी तोपखाना उपस्करों के सिद्धांतों की पुनरीक्षा, अध्ययन तथा परीक्षण भी किया जाता है।

10.83 तोपखाना स्कूल के तोपखाना हथियार प्रणालियों के संचालन तथा तैनाती में तकनीकी कौशल तथा विशेषज्ञता प्रदान करने तथा इसका विकास करने के उद्देश्य से वर्ष भर में 356 अफसरों तथा 635 जूनियर कमीशन प्राप्त अफसरों और गैर कमीशन प्राप्त अफसरों को प्रशिक्षित किया गया है। वर्ष के दौरान 8 अन्य देशों के 36 अफसरों तथा 35 कार्मिकों को भी प्रशिक्षण प्रदान किया गया था।

सेना सेवा कोर केन्द्र तथा कॉलेज, बेंगलूर

10.84 सेना सेवा कोर विद्यालय की शुरुआत वर्ष 1908 से होती है जब चकलाला में अब पाकिस्तान में, पूर्ति तथा परिवहन प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना की गई थी। 1947 में यह बरेली आ गया। 1999 में सेना सेवा कोर स्कूल, यांत्रिक परिवहन सेना स्कूल तथा सेना सेवा कोर केंद्र (दक्षिण) के विलय के परिणामस्वरूप बेंगलूर में सेना सेवा कोर केंद्र तथा कॉलेज अस्तित्व में आया और इस प्रकार यह संभारिकी से सम्बद्ध पहलुओं पर प्रशिक्षण प्रदान करने वाली प्रधान संस्था बन गई। छात्र अफसरों को संभारिकी तथा संसाधन प्रबंधन में डिप्लोमा/उपाधि प्रदान करने हेतु सेना सेवा कोर कॉलेज रोहिलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली से मान्यताप्राप्त तथा सम्बद्ध है।

सेना शिक्षा कोर प्रशिक्षण कॉलेज एवं केंद्र, पंचमढ़ी

10.85 इस संस्था का इतिहास प्रथम विश्व युद्ध से शुरू होता है जब शिक्षा के महत्व को सैन्य टुकड़ियों के प्रशिक्षण के अभिन्न अंग के रूप में महसूस किया गया था। बेलगांव में भारतीय स्कंध तथा वेलिंगटन (नीलगिरि) में ब्रिटिश स्कंध के रूप में वर्ष 1920 में सेना शिक्षा स्कूल की स्थापना की गई थी। 1924 में ब्रिटिश स्कंध भी बेलगांव आ गई थी। 1939 में सेना शिक्षा स्कूल बेलगांव से पंचमढ़ी आ गया था।

10.86 सेना शिक्षा कोर प्रशिक्षण कॉलेज तथा केंद्र के उद्देश्य और भूमिका का ब्यौरा निम्नवत् है :-

(क) भारतीय सेना के लिए श्रेणी 'क' प्रशिक्षण स्थापना तथा सेना मुख्यालय और मुख्यालय सेना प्रशिक्षण कमान स्थित लाइन निदेशालय के तहत सेना शिक्षा कोर के कॉलेजों के लिए श्रेणी 'ख' स्थापना के रूप में कार्य करना;

(ख) यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के तहत बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी के एक स्वायत्त कॉलेज के रूप में स्नातकोत्तर, स्नातक, डिप्लोमा तथा प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम तथा परीक्षाएं संचालित करने के लिए कार्य करना;

(ग) अर्ध सैनिक बलों के कार्मिकों तथा बाहरी मित्र देशों के रक्षा कार्मिकों के लिए जरूरत पर आधारित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार करना;

(घ) एन सी टी ई मानदंडों के तहत अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान के रूप में कार्य करना;

(ङ) शिक्षा, मैप रीडिंग, विदेशी भाषाएं, कंप्यूटर अनुप्रयोग तथा सैन्य संगीत के क्षेत्र में संसाधन कार्मिकों की कोर का सृजन करना;

(च) सैन्य संगीत स्कंध में सैन्य बैंडों, पाइप तथा ढोलक, बैंडों तथा सेना, वायुसेना, नौसेना अर्ध-सैनिक बलों और बाहरी मित्र राष्ट्रों के बैंडों तथा संगीतकारों को प्रशिक्षित करना तथा संगीत अनुदेशकों की कोर का सृजन करना;

(छ) छोटी कोरों के एडीपी प्रशिक्षण के लिए एक प्रमुख एजेंसी के रूप में कार्य करना;

(ज) भारतीय सेना में मानव संसाधनों का विकास करने के लिए सेना शिक्षा कोर के कार्मिकों को तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करना; और

(झ) सीमा कार्मिकों की बैठकों के लिए दुभाषियों को प्रशिक्षण देना तथा उन्हें मुहैया कराना।

सैन्य संगीत स्कंध, पंचमढ़ी

10.87 सैन्य संगीत स्कंध की स्थापना अक्तूबर, 1950 में की गई थी। इस स्कंध को न केवल 200 से भी अधिक संगीतों की रचना करने का गौरव प्राप्त हुआ है, अपितु इसने रंगरूट बैंड वादकों, पाइपवादकों अथवा ड्रमवादकों को संगीत के प्रारंभिक ज्ञान से लेकर संगीत-निपुणता के वांछनीय स्तर तक डिजाइन

सैन्य संगीत स्कंध में नगाड़े बजाने वालों का प्रशिक्षण

किए गए अपने विविध प्रकार के पाठ्यक्रमों के माध्यम से भारत में सैन्य संगीत का मानक बनाए रखने में भी विशिष्टता दिखाई है। सैन्य संगीत स्कंध ने अपनी प्रारंभिक निर्धारित क्षमता में व्यापक रूप से विकास करके उसे 132 से बढ़ाकर 264 किया है, यद्यपि कभी-कभी 364 छात्रों को प्रशिक्षण दिए जाने की आवश्यकता होती है।

10.88 तीनों सेनाओं, अर्ध सैन्य बलों एवं मित्र देशों के संगीतकारों के बैंडों के सम्पर्क सैन्य संगीत शाखा से हैं जो दस पाठ्यक्रम चलाता है जिसमें से चार पाठ्यक्रम विशुद्ध रूप से सैन्य बल के लिए तैयार किए गए हैं। इनमें से सर्वाधिक उन्नत पाठ्यक्रम पोटेंशियल बैंड मास्टर का पाठ्यक्रम है और यह तीन वर्ष तक चलता है जो सैन्य बैंड के सभी वाद्य-यंत्रों पर व्यावहारिक दक्षता का विकास करने के अतिरिक्त, 'सैन्य संगीत में लाइसेंसिएट प्रदान करने, संगीत की रचना करने, व्यवस्थित करने तथा आयोजित करने में प्रशिक्षण देता है। छात्रों को भारतीय वाद्य यंत्रों की भी शिक्षा दी जाती है तथा पाठ्यक्रम के अंत तक, वे हिन्दुस्तानी संगीत में डिप्लोमा के लिए पात्र हो जाते हैं।

रिमाउंट तथा पशु-चिकित्सा कोर केंद्र व स्कूल, मेरठ

10.89 मेरठ में स्थित रिमाउंट तथा पशु-चिकित्सा कोर केन्द्र सभी रिमाउंट तथा पशु-चिकित्सा कोर कार्मिकों की मातृ संस्था है। यह केंद्र युद्ध-यंत्र के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले बेजुबान पशुओं की सेवा के विशिष्ट तथा श्रेष्ठ व्यवसाय में दक्ष बनाने के लिए कोर के ड्रेसरों, राइडरों, फ्यूरिअरों, सेना डॉग प्रशिक्षकों, प्रयोगशाला परिचरों और अन्य श्रेणियों के विभिन्न तकनीकी ट्रेडमैनों तथा कमीशन प्राप्त करने पर युवा पशु-चिकित्सा स्नातकों को बुनियादी सैन्य तथा तकनीकी प्रशिक्षण देता है।

सेना शारीरिक प्रशिक्षण स्कूल, पुणे

10.90 सेना शारीरिक प्रशिक्षण स्कूल एक प्रमुख संस्था है, जो यूनिटों और सब-यूनिटों में शारीरिक प्रशिक्षण के संचालन के बारे में सेना के सभी चुनिंदा रैंकों को सुव्यवस्थित तथा व्यापक प्रशिक्षण देता है। यह स्कूल सेना में मानकों में सुधार करने के उद्देश्य से खेल-कूद तथा क्रीड़ाओं में बुनियादी प्रशिक्षण देता है तथा खेलकूद तथा क्रीड़ाओं में मनोरंजन के माध्यम से पूरक शारीरिक प्रशिक्षण देता है। यह स्कूल प्रत्येक प्रशिक्षण वर्ष में कुल 36 शारीरिक प्रशिक्षण तथा खेलकूद कोचिंग का आयोजन करता है, जिनमें सेना, अर्द्ध-सैन्य बलों और श्रीलंका, भूटान, नेपाल, घाना, म्यांमार, मारीशस और मालदीव जैसे मित्र देशों के अफसरों, जे सी ओ अन्य रैंक के भाग लेते हैं।

सेना खेल-कूद संस्थान तथा सेना खेल-कूद केंद्र

10.91 अपने साथी देशवासियों के हृदय में राष्ट्रीय गर्व का पुनः समावेश करने तथा सेना की विजयी छवि प्रस्तुत करने के लिए सेनाध्यक्ष के स्टाफ ने सेना में खेल-कूद के उद्देश्य को पुनः परिभाषित करके ओलंपिक 2004 की चुनौती का सामना करने के लिए अवसर का लाभ उठाया है।

सेना खेलकूद संस्थान, पुणे में प्रशिक्षण के तहत राष्ट्रीय निशानेबाजी चैम्पियन

10.92 इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सिद्धांत रूप में रक्षा मंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया गया था तथा रक्षा बजट में से 60 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत कर दी गई है। सेना ने ऐसे ओलंपिक खेलों के लिए प्रशिक्षण देने तथा तैयार करने के लिए दस खेल-कूदों की पहचान की है, जिसमें उसे महारत हासिल है। तदनुसार, 01 जुलाई, 2001 से पुणे में सेना खेल-कूद

क्रम सं.	खेल-कूद	खेल-कूद संस्थान/केंद्र
(क)	एथेटिक्स (मध्यम तथा लंबी दूरी की दौड़)	सेना खेल-कूद संस्थान, पुणे
(ख)	जलक्रीड़ा (गोताखोरी)	-तदैव-
(ग)	तीरंदाजी	-तदैव-
(घ)	बाक्सिंग	-तदैव-
(ङ)	भारोत्तोलन	-तदैव-
(च)	शूटिंग	इन्फैंट्री स्कूल, मऊ
(छ)	कुश्ती	मराठा लाईट इन्फैंट्री रेजिमेंटल सेंटर, बेलगांव
(ज)	घुड़सवारी	रिमाउंट एवं पशु-चिकित्सा कोर सेंटर, मेरठ तथा सेना सेवा कोर (स्कूल) बैंगलूर
(झ)	सेलिंग	मुख्यालय महाराष्ट्र एवं गोवा एरिया, मुम्बई
(ञ)	रोविंग	धातुकर्मीय इंजीनियरी कालेज, पुणे

संस्थान तथा विभिन्न स्थानों पर सेना खेल-कूद केन्द्रों की परिकल्पना करके स्थापना की गई है। ऐसे खेल-कूदों पर ध्यान दिया जा रहा है, जिनमें हमें अन्य के बराबर प्रदर्शन करने की संभावना है, जो निम्नवत् हैं :-

सेना प्रशिक्षण स्थापनाओं में विदेशी सेना कार्मिकों को प्रशिक्षण

10.93 मित्र देशों, दक्षिण-पूर्वोत्तर एशिया, पड़ोसी देशों, अफ्रीका, सी ए आर और विकसित देशों से सेना कार्मिक हमारी सेना प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। सरकार विदेश मंत्रालय के भारतीय तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत विकासशील तथा विकसित देशों को सहायता प्रदान करती है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, विकासशील देशों से कार्मिक सेवा संस्थाओं में नि:शुल्क अथवा घटी दरों पर प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। विकसित पश्चिमी देश भी हमारी सरकार को प्रशिक्षण-लागत तथा अन्य संबद्ध प्रभारों का भुगतान करके पारस्परिक आधार पर अथवा स्व-वित्तीय व्यवस्था के आधार पर अपने अधिकारियों को प्रशिक्षण के लिए हमारी संस्थाओं में भेजते हैं। प्रशिक्षण वर्ष 2002-2003 के लिए 40 देशों द्वारा 2350 रिक्तियों के लिए अनुरोध किया गया था। इस प्रशिक्षण वर्ष के दौरान अर्द्ध सैन्य बल संगठनों ने 3600 रिक्तियों की मांग की है। चीन सहित कई देशों ने भारतीय सेना की प्रशिक्षण विशेषज्ञता का उपयोग करने में गहन रुचि दिखाई है। रक्षा सहयोग में वृद्धि के कारण भारतीय सेना के व्यावसायिक सूझबूझ की प्रशंसा मिली है।

11

भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास एवं कल्याण

गणतंत्र दिवस परेड में भूतपूर्व सैनिकों का दस्ता

11.1 प्रतिवर्ष लगभग 60,000 सशस्त्र सैनिक, अपेक्षाकृत युवावस्था में सेवावृत्त/सेवामुक्त हो जाते हैं। सेवानिवृत्ति के समय अधिकतर सैन्यकार्मिकों के कंधों पर कई अधूरी जिम्मेदारियां होती हैं, जिनके कारण दूसरा व्यवसाय शुरू करना उनके लिए आवश्यक हो जाता है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 30.6.2002 तक 17,47,637 भूतपूर्व सैनिक तथा 3,54,597 विधवाएं पंजीकृत और जीवित हैं। भूतपूर्व सैनिक मुख्यत: उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, राजस्थान तथा हिमाचल प्रदेश राज्यों में हैं। रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में केन्द्रीय सैनिक बोर्ड, भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के कल्याण, कल्याण कोषों के प्रयोग तथा देश में सैनिक बोर्डों के कार्य के तालमेल के लिए सामान्य नीतियां बनाता है। इसी प्रकार राज्य स्तर पर जिला सैनिक बोर्ड स्थापित किए गए हैं। राज्य सैनिक बोर्डों के संगठनों का 50% खर्च भारत सरकार उठाती है जबकि बाकी खर्च संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उठाया जाता है। रक्षा मंत्रालय के अधीन पुनर्वास महानिदेशालय भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के पुनर्वास एवं कल्याण से संबंधित सभी मामलों की देख-रेख करता है। इण्डियन एक्स सर्विसमैन वैलफेयर आर्गेनाइजेशन ऑफ नेपाल (आई ई डब्ल्यू ओ एन) के मामले में भारत सरकार अनुरक्षण पर होने वाले शत-प्रतिशत व्यय का वहन करती है।

पुनर्वास

11.2 भूतपूर्व सैनिकों के लिए रोजगार के विभिन्न क्षेत्रों में अवसर तलाशने के प्रयास जारी हैं। भूतपूर्व सैनिकों को पुनर्स्थापित/पुनर्रोजगार प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार ने निम्नलिखित व्यवस्थाएं की हैं :-

(क) सेवानिवृत्त हो रहे रक्षाकार्मिकों को सिविल रोजगार के लिए तैयार करने के वास्ते प्रशिक्षण कार्यक्रम;

(ख) सरकारी/अर्ध-सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों में रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए पद का आरक्षण;

(ग) स्व-रोजगार की स्कीमें

प्रशिक्षण कार्यक्रम

11.3 भूतपूर्व सैनिकों तथा सेवानिवृत्त हो रहे सैन्यकार्मिकों को सिविल जीवन में उनके पुनर्वास के लिए तैयार करना पुनर्वास महानिदेशालय को सौंपे गए प्रमुख कार्यों में से एक है। डीजीआर द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों का अधिकतर जोर रोजगार/स्व-रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने पर है, जिससे कि अधिकारियों और अन्य रैंकों के पुनर्वास के नए अवसर पैदा हो सकें। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में कई नए पाठ्यक्रमों और रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण कार्यक्रमों को शामिल किया गया है। प्रशिक्षण में मैनेजिरियल साइंस के साथ टेक्नॉलॉजी और सिविल क्षेत्र के लिए आवश्यक जानकारी को शामिल किया गया है। नौकरी के पश्चात् रक्षाकार्मिकों के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने के लिए प्रशिक्षण के स्तर को सुधारने की लगातार कोशिश की जा रही है और सिविल जीवन में पुनर्वास के लिए प्रत्येक व्यक्ति की दक्षता और अभिरुचि के अनुसार उन्हें आवश्यक योग्यताओं और विशेषताओं से सुसज्जित किया जा रहा है।

अधिकारियों का प्रशिक्षण

11.4 पुनर्वास प्रशिक्षण कार्यक्रमों में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पर्सोनेल मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट एवं पर्यटन, मानव संसाधन प्रशिक्षण जैसे 3 माह की अवधि से लेकर एक से तीन वर्ष की अवधि तक के डिग्री/डिप्लोमा जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रम हैं। 2002-03 (अक्टूबर तक) के दौरान 334 अधिकारियों को विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षित किया गया।

जे सी ओज/अन्य रैंकों तथा उनके समकक्ष प्रशिक्षण

11.5 सेवानिवृत्त हो रहे और सेवानिवृत्त हो चुके जे सी ओज/अन्य रैंकों तथा तीनों सेनाओं में उनके समकक्षों के लिए भी प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इन पाठ्यक्रमों में सुरक्षा प्रबंधन, निर्यात/आयात प्रबंधन, मार्केटिंग/सेल्स प्रबंधन, ट्रेवल एजेंसी प्रबंधन जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रम शामिल हैं। उनकी रोजगार संभाव्यता में और अधिक वृद्धि करने के लिए कंप्यूटर हार्डवेयर, मैटीनेंस डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी एवं एक्स-रे/ई सी जी टेक्नॉलॉजी, सेरेमिक हस्तशिल्प, इलैक्ट्रोप्लेटिंग, मशीनिस्ट एवं लेंस मेकिंग, कंप्यूटर साइंस एवं एप्लीकेशन, ऑफिस आटोमेशन, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग (सी ए डी), मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, फसल निर्माण, डेयरी एवं पशु पालन, सहायक सुरक्षा अधिकारी, औद्योगिक सुरक्षा एवं अग्नि-शमन आदि पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं। पुनर्वास महानिदेशालय (डी जी आर) व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए 400 से अधिक पाठ्यक्रम चला रहा है। इनके अलावा

200 से अधिक आई टी आई में सेवामुक्ति से पूर्व तथा पश्चात् प्रशिक्षण दिया जा रहा है और भूतपूर्व सैनिक पुनर्वास प्रशिक्षण स्कीमों के साथ-साथ 85 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/विभागीय उपक्रमों में ऑन-द-जॉब (ओ जे टी) प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

11.6 अक्टूबर 2002 तक पिछले छः वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षित किए गए कार्मिकों का विवरण निम्नलिखित है :-

स्कीम	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	अक्टूबर 2002 तक
अधिकारियों का प्रशिक्षण अधिकारी रैंक से नीचे	1150	606	431	387	409	209
के कार्मिकों का प्रशिक्षण	5114	5824	4563	5718	3518	1714
ऑन द जॉब प्रशिक्षण	1228	1419	1437	1452	1363	478
आई टी आई प्रशिक्षण	1324	1292	1847	2675	1510	1510
ई एस एम प्रशिक्षण	404	333	385	58	421	-

पुनर्रोजगार

11.7 केन्द्र और राज्य सरकारें भूतपूर्व सैनिकों को केन्द्रीय/राज्य सरकार के पदों में उनके पुनर्रोजगार के लिए कई रियायतें प्रदान करती हैं। इसमें आयु, शैक्षणिक योग्यता, परीक्षा शुल्क में छूट दी जाती है और विकलांग भूतपूर्व सैनिकों को प्राथमिकता के आधार पर और मृतक कार्मिकों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर छूट दी जाती है।

सरकारी नौकरियों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण

11.8 केन्द्र सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों को वर्ग 'ग' में 10% तथा वर्ग 'घ' में 20% आरक्षण प्रदान किया है। केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों में उनके लिए वर्ग 'ग' में 14.5% तथा वर्ग 'घ' में 24.5% आरक्षण है। अर्धसैनिक बलों में सहायक कमांडेंट के 10% पद भी भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित हैं। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू और कश्मीर, केरल एवं मेघालय को छोड़कर अधिकतर राज्य सरकारें, राज्य सरकार की नौकरियों में भूतपूर्व सैनिकों को आरक्षण प्रदान कर रही हैं। हालांकि इसके साथ-साथ ही इन आरक्षणों को संवैधानिक रूप नहीं दिया जा सकता क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने कुल अधिकतम सीमा 50% निर्धारित की है और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्ग को सरकारी नौकरियों में पहले ही 49.5% आरक्षण दिया जा रहा है। इस आरक्षण में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्तियों में चुने गए भूतपूर्व सैनिकों को बाद में उनकी संबंधित श्रेणी अर्थात् अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग अथवा सामान्य में समायोजित किया जाता है - जिस श्रेणी से उनका संबंध हो। इन अप्रत्यक्ष रिक्तियों में खाली पड़े रिक्त पदों को आगे भी नहीं लाया जा सकता।

सुरक्षा एजेंसियां

11.9 पुनर्वास महानिदेशालय (डी जी आर) सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों तथा निजी क्षेत्र में उद्योगों को सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराने के लिए सुरक्षा एजेंसियों को पंजीकृत/प्रायोजित करता है। इस स्कीम में सेवानिवृत्त रक्षा अधिकारियों को स्व-रोजगार का अवसर मिलता है तथा अधिकारी रैंक से नीचे के पूर्व कार्मिकों को रोजगार का अवसर मिलता है। सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डी पी ई) ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को निर्देश जारी किए हैं कि वे डी जी आर द्वारा प्रायोजित एजेंसियों से सुरक्षा कार्मिकों को प्राप्त करें। इस स्कीम के अच्छे परिणाम सामने आए हैं। पुनर्वास महानिदेशालय ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर उन्हें उनके अधिकार क्षेत्र में सभी संबंधित संगठनों को उचित निर्देश जारी करने को कहा है। निर्देशों में कहा गया है कि वे डी जी आर की पैनलबद्ध एजेंसियों से सुरक्षा कवर हासिल करें, जिससे कि भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के अवसरों में वृद्धि हो सके।

जेसीओज/अन्य रैंकों का नियोजन

11.10 डी जी आर तथा राज्यों में जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों द्वारा पिछले छः वर्षों में जिन भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार प्रदान किया गया, उसका विवरण निम्नलिखित है :

जे सी ओज/अन्य रैंकों का नियोजन						
	1997	1998	1999	2000	2001	2002*
केन्द्र सरकार	4023	5188	3992	4035	4982	2844
राज्य सरकार	4815	2825	2540	2219	2136	560
निजी क्षेत्र	5424	3306	3068	2766	3221	120
सुरक्षा एजेंसियां	8873	7140	13810	8717	5650	6798

*** 2002 के आंकड़े अस्थायी हैं।**

अधिकारियों के लिए रोजगार

11.11 वर्ष 2002 (अक्टूबर 2002 तक) के दौरान, रोजगार सहायता के लिए डी जी आर में पंजीकृत 342 अधिकारियों में से रोजगार के लिए 231 अधिकारियों को प्रायोजित किया गया।

स्व-रोजगार स्कीमें

11.12 सेवानिवृत्ति के बाद सभी भूतपूर्व सैनिकों को सरकारी नौकरियां प्रदान करना व्यवहार्य नहीं है, इसलिए सरकार ने कई प्रोत्साहन स्कीमें बनाई हैं और लघु और मध्यम श्रेणी के उद्योग लगाने के इच्छुक भूतपूर्व सैनिक उद्यमियों को कर्ज देकर सरकार वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। प्रमुख स्व-रोजगार स्कीमें हैं-सैम्फेक्स-1, सैम्फेक्स-2, राष्ट्रीय इक्विटी कोष तथा सैम्फेक्स-3। कर्जों की मंजूरी के लिए भूतपूर्व सैनिक आवेदनों को सीधे राज्य के संबंधित जिला सैनिक बोर्डों को जमा कराते हैं। आवेदन-पत्रों की जांच की जाती है तथा जो व्यक्ति अर्हता मानदंड तथा नियम एवं शर्तों को पूरा करते हैं, उन्हें भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) से सहायता प्राप्त राज्य वित्तीय निगमों, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा सहायता प्राप्त अधिसूचित व्यावसायिक बैंकों, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों, राज्य भूमि विकास बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (के वी आई सी) द्वारा सहायता प्राप्त राज्य के वी आई बी/बैंकों के माध्यम से कर्ज की मंजूरी की सिफारिश की जाती है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सीनएनजी स्टेशनों का प्रबंधन

11.3 इन्द्रप्रस्थ गैस कंपनी जुलाई 2001 में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर सीएनजी स्टेशनों को चलाने की योजना शुरू की गई थी। इस योजना के सफल रहने पर इसमें अन्य सेवानिवृत्त अधिकारियों को भी शामिल किया गया। इस समय 35 सेवानिवृत्त अधिकारी 70 सी एन जी स्टेशन चला रहे हैं।

भूतपूर्व सैनिक कोयला परिवहन कंपनियां

11.14 कोल इंडिया लिमिटेड की कोयला कंपनियों में भूतपूर्व सैनिक कोयला परिवहन कंपनियों को प्रायोजित करने के लिए विशेष प्रावधान है। डी जी आर के साथ पंजीकृत बेरोजगार सेवानिवृत्त अधिकारियों तथा जे सी ओज को भूतपूर्व सैनिक कोयला परिवहन कंपनियां बनाने के लिए चुना जाता है तथा उन्हें संबंधित कोयला सहायक कंपनियों में पांच वर्ष के लिए प्रायोजित किया जाता है। इस अवधि को दो वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। भूतपूर्व सैनिकों की ऐसी 97 कंपनियां हैं, जो कोल इंडिया लिमिटेड की विभिन्न कंपनियों के अंतर्गत काम कर रही हैं।

विधवा टिपर अटैचमेंट योजना

11.15 जिन सैन्यकर्मियों की सेवा के दौरान ही मृत्यु हो जाती है उनकी विधवाएं, भूतपूर्व सैनिक कोयला परिवहन कंपनी में अपना एक टिपिंग ट्रक चलवा सकती हैं। इन कंपनियों की कार्य प्रणाली पर पुनर्वास महानिदेशालय नजर रखता है।

रक्षा कोटे के अंतर्गत भूतपूर्व सैनिकों/विधवाओं/आश्रितों को तेल उत्पाद एजेंसियों का आबंटन

11.16 पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सैन्य सेवा के कारण 50% अथवा उससे अधिक अपंगता वाले अपंग सैनिकों, युद्ध/शांति के समय सैन्य सेवा के कारण दिवंगत हुए सैनिकों की विधवाओं तथा आश्रितों के लिए एल पी जी पेट्रोल पंप, केरोसीन डिपो आदि तेल उत्पाद एजेंसियों में 8% आरक्षण प्रदान किया है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा गठित तेल चयन बोर्ड द्वारा चयन के लिए डी जी आर उम्मीदवारों को प्रायोजित करता

है। संबंधित तेल कंपनी ही अंतिम रूप से आबंटन करती है। प्रतिवर्ष लगभग 70-80 'अर्हता प्रमाण-पत्र' जारी किए जाते हैं। 8% आरक्षण के अतिरिक्त पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने ऑपरेशन विजय (कारगिल) में कार्रवाई के दौरान शहीद हुए सैन्यकर्मियों की विधवाओं/निकट संबंधी को रिटेल आउटलेट/एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के सीधे आबंटन की एक विशेष स्कीम की घोषणा की है।

थल सेना के फालतू श्रेणी वी-बी वाहनों का आबंटन

11.17 भूतपूर्व सैनिक तथा 6 महीने के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले सेवारत सैन्यकार्मिक थल सेना के फालतू वी-बी वाहनों के लिए आवेदन कर सकते हैं। थल सेना मुख्यालय नौ वाहन डिपो के माध्यम से आबंटन करता है। इस स्कीम के अंतर्गत प्रतिवर्ष औसतन 500 आवेदकों का पंजीकरण किया जाता है।

भूतपूर्व सैनिक उद्यमियों द्वारा निर्मित निम्न तकनीकी वस्तुओं का सी एस डी मदों में आरक्षण

11.18 रक्षा खरीद कार्यक्रम के अंतर्गत भूतपूर्व सैनिक उद्यमियों द्वारा निर्मित 30 चुनी हुए सी एस डी मदों में भारतीय कैन्टीन भण्डार विभाग (सी एस डी आई) ने 15% आरक्षण प्रदान किया है तथा रक्षा मंत्रालय ने 262 चुनी हुई मदों में 10% आरक्षण प्रदान किया है। रक्षा खरीद कार्यक्रम के लिए केवल भूतपूर्व सैनिक उत्पादन इकाइयां ही पात्र हैं।

मदर डेयरी/डी एम एस दुग्ध बूथों तथा फल एवं सब्जी आउटलेट्स का आबंटन

11.19 यह स्कीम राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एन डी डी बी) से परामर्श के बाद शुरू की गई। इसमें डीप फ्रीजर इलैक्ट्रॉनिक तुला तथा अन्य उपकरणों सहित सुसज्जित बूथ प्रदान किए जाते हैं और लगभग 8 लाख रु. की लागत के इन उपकरणों का भार एन डी डी बी द्वारा वहन किया जाता है। 55 वर्ष से कम आयु के जे सी ओ अथवा उनके समकक्ष रैंक के भूतपूर्व सैनिक 60 वर्ष की आयु तक मदर डेयरी दुग्ध बूथों तथा फल एवं सब्जी आउटलेट्स के आबंटन के पात्र हैं। 1987 से चक्रीय आधार पर 4800 से अधिक भूतपूर्व सैनिक इस स्कीम का लाभ उठा चुके हैं। इस स्कीम की सफलता के बाद भूतपूर्व सैनिकों को ऐसी ही सुविधाएं प्रदान करने के लिए अन्य राज्यों से भी संपर्क किया गया है। तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य स्वचालित दुग्ध बूथों में पहले ही 50% तथा 100% आरक्षण निर्धारित कर चुके हैं।

कल्याण

11.20 केन्द्रीय सैनिक बोर्ड रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में सशस्त्र सेना झंडा दिवस निधि के माध्यम से चलाए जाने वाले विभिन्न कल्याणकारी कार्यकलापों को भी प्रशासित करता है, जिनका वित्त-पोषण इस निधि से प्राप्त होने वाले ब्याज से किया जाता है। इस समय इस निधि में कुल 102 करोड़ रुपए की धनराशि है। अपंग भूतपूर्व सैनिकों तथा उनके आश्रितों की देखभाल करने के लिए किरकी और मोहाली के पैराप्लेजिक होम, रेडक्रास सोसाइटी, चेशायर होम्स, सैन्य अस्पतालों, सैंट

अंधे भूतपूर्व सैनिकों के लिए सैंट डंसटन आफ्टर केयर ऑर्गेनाइजेशन

डस्टन ऑफ्टर केयर संगठन तथा ऐसे ही अन्य होम्स को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। उन भूतपूर्व सैनिकों तथा उनके परिवारों को भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जो तंगहाली के कारण अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हैं।

रक्षा मंत्री के विवेकाधीन कोष से वित्तीय सहायता

11.21 सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में एकत्र की गई राशि के एक भाग को रक्षा मंत्री के विवेकाधीन कोष के रूप में अलग रखा जाता है। इस कोष से चिकित्सा उपचार, पुत्रियों का विवाह, कमानों की मरम्मत, बच्चों की शिक्षा जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए गरीब और जरूरतमंद भूतपूर्व सैनिकों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तंगहाली में रह रहे वृद्ध तथा दुर्बल भूतपूर्व सैनिकों/भूतपूर्व सैनिक की विधवा को दो वर्ष की अवधि के लिए मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

रियायतें एवं सुविधाएं

11.22 अर्हक कार्मिकों के लिए निम्नलिखित रियायतें एवं सुविधाएं उपलब्ध हैं :-

(क) कार्रवाई के दौरान शहीद हुए अथवा अपंग हुए सैन्यकार्मिकों के बच्चों के लिए मुफ्त शैक्षणिक सुविधाएं।

(ख) सैन्यकार्मिकों की कई श्रेणियों के आश्रितों/बच्चों के लिए केन्द्रीय सैनिक बोर्ड के माध्यम से अन्नामलाई विश्वविद्यालय में एम बी बी एस में 28 सीटें, बी डी एस में एक सीट तथा इंजीनियरिंग में दो सीटें उपलब्ध हैं।

(ग) सेवारत सैन्यकार्मिकों तथा भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए सैनिक स्कूलों में 25% सीटें आरक्षित हैं।

(घ) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने सेवारत सैन्यकार्मिकों तथा सेवानिवृत्त सैन्यकार्मिकों के बच्चों के लिए व्यावसायिक कॉलेजों/आई टी आई/पोलिटेक्नीक में सीटें आरक्षित की हैं।

(ड.) युद्ध संतप्त, शांति के समय सैन्य सेवा के कारण तथा सैन्य सेवा के अलावा अपंग हुए सैनिकों के बच्चों को क्रमश: 600/- रु. तथा 300/- रु. प्रतिमाह के दो शैक्षणिक अनुदान दिए जाते हैं। अध्ययन पूरा करने के लिए उन्हें 35 युद्ध स्मारक हॉस्टलों में रखा जाता है।

(च) **भूतपूर्व सैनिकों को मिलने वाली चिकित्सा सुविधाएं -**

(i) वर्तमान में भूतपूर्व सैनिक, उनके परिवार तथा किसी भी प्रकार की पेंशन ले रहे शहीद सैनिकों के परिवार 127 सैनिक अस्पतालों और 1000 चिकित्सा निरीक्षण कक्षों जिनमें से 24 विशेष रूप से भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित हैं, में मुफ्त बाह्य रोगी इलाज कराने के हकदार हैं। तथापि अस्पताल में अनुपलब्ध दवाइयों की स्थानीय खरीद की अनुमति नहीं है। बिस्तर उपलब्ध होने पर अस्पताल में भी इलाज किया जाता है। जो भूतपूर्व सैनिक सैनिक अस्पताल से चिकित्सा सुविधाएं नहीं ले रहे हैं, वे इलाज के खर्च के लिए प्रतिमाह 100 रु. लेने का चुनाव कर सकते हैं। भूतपूर्व सैनिकों/उनके आश्रितों को सशस्त्र सेना झंडा दिवस निधि और सामूहिक बीमा योजना से विनिर्दिष्ट गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए भी वित्तीय सहायता दी जाती है।

(ii) **भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ई सी एच एस) :** युद्ध में शहीद भूतपूर्व सैनिकों की विधवाओं और उनके आश्रितों को चिकित्सा सुविधा देने के लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना (सी जी एच एस) के नमूने पर एक नई चिकित्सा योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया है। योजना का ब्यौरा निम्नलिखित हैं :-

(क) 104 सैनिक स्टेशनों पर मौजूदा सैन्य सुविधाओं को 49 करोड़ रुपए की पूंजीगत लागत और 52 करोड़ रु. के वार्षिक आवर्ती खर्च से बढ़ाया जाएगा।

(ख) पॉलीक्लिनिक/चिकित्सा निरीक्षण कक्षों के रूप में नई चिकित्सा सुविधाएं उन 123 स्टेशनों पर स्थापित की जाएंगी जहां भूतपूर्व सैनिकों की संख्या 2500 से अधिक है। इसमें 69 करोड़ रु. की पूंजीगत लागत और 98 करोड़ रु. की वार्षिक आवर्ती लागत शामिल है।

(ग) जिन स्टेशनों पर भूतपूर्व सैनिकों, शहीदों की विधवाओं और उनके आश्रितों की संख्या 2500 से कम है, उन स्टेशनों को ऊपर 'क' में बताए गए मौजूदा पॉलीक्लिनिकों/चिकित्सा निरीक्षा कक्षों या ऊपर 'ख' में दिए गए 123 स्टेशनों के पॉलीक्लिनिकों/चिकित्सा निरीक्षण कक्षों में संलग्न किया जाएगा।

(iii) भूतपूर्व सैनिकों, शहीदों की विधवाओं और उनके आश्रितों को पॉलीक्लिनिकों/चिकित्सा निरीक्षण कक्षों द्वारा उपलब्ध न कराई गई दवाओं की लागत, संदर्भ के लिए भेजे गए विशेषज्ञों की फीस, पैथालॉजी संबंधी या अन्य नैदानिक जांचों के लिए प्रयोगशालाओं के खर्चों तथा अस्पतालों में भर्ती रखने की लागत की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

(iv) भूतपूर्व सैनिकों और युद्ध में शहीदों की विधवाओं को उसी दर से अंशदान करना होगा जिस दर से केन्द्रीय सरकार ने पेंशनभोगियों को सेवानिवृत्त होने के बाद सी जी एच एस के अंतर्गत चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने के लिए भुगतान करना होता है। इस योजना को चरणबद्ध ढंग से पांच वर्षों में लागू किया जाएगा।

(छ) **यात्रा रियायत :** के एस बी द्वारा जारी पहचान-पत्र दिखाने पर युद्ध विधवाएं/शौर्य

पदक विजेता निम्नलिखित रियायतों का लाभ उठा सकते हैं :-

(i) **रेल यात्रा रियायत :** आई पी के एफ हताहतों सहित युद्ध विधवाओं के लिए II श्रेणी में रेल यात्रा करने में 75% रियायत उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त चक्र शृंखला के शौर्य पदक मरणोपरांत प्राप्त करने वाले तथा विधवाएं एक साथी के साथ श्रेणी I/II ए सी स्लीपर में यात्रा करने के लिए मुफ्त रेल पास प्राप्त करने के हकदार हैं।

(ii) **हवाई यात्रा रियायत :** कार्मिक की कई श्रेणियां इंडियन एयरलाइन्स की घरेलू उड़ानों में वायु यात्रा करने पर किराये में 50% रियायत प्राप्त करने की पात्र हैं। ये श्रेणियां हैं :-

(क) परमवीर चक्र, महावीर चक्र, अशोक चक्र तथा कीर्ति चक्र जैसे स्तर I तथा II के शौर्य पदक विजेता।

(ख) स्थायी रूप से युद्ध में अपंग हुए अधिकारी, जिन्हें अपंगता के कारण सेना से हटा दिया गया तथा उनके परिवारों के आश्रित सदस्य।

(ग) स्वतंत्रता के बाद की युद्ध विधवाएं।

(ज) **गृह स्थलों/मकानों का आरक्षण :** अधिकतर राज्यों ने सेवारत/सेवानिवृत्त सशस्त्र सैन्यकार्मिकों के लिए गृह स्थलों/मकानों में आरक्षण किया है।

(झ) **मकान मरम्मत के लिए अनुदान :** राज्य सरकार के साथ मिलकर 50% लागत हिस्सेदारी पर युद्ध विधवाओं/युद्ध में अपंग हुए सैनिकों को मकान मरम्मत करने के लिए अधिकतम 10,000/- रु. राशि की वित्तीय सहायता दी जाती है।

(ञ) **सैनिक विश्राम घर सुविधाएं :** देश में 252 से अधिक सैनिक विश्राम गृह निर्मित किए गए हैं जो भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को मामूली दरों पर ठहरने की सुविधा प्रदान करते हैं।

(ट) **नकद पुरस्कार/वार्षिक वजीफा/शौर्य/गैर-शौर्य पुरस्कारों/जमीन के बदले नकद पुरस्कार :** राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा नकद पुरस्कार/वार्षिक वजीफा/शौर्य/गैर-शौर्य पुरस्कार विजेताओं को जमीन के बदले नकद पुरस्कार प्रदान करते हैं।

सैन्य कर्मियों के लिए पेंशन

11.23 सशस्त्र सेना कार्मिकों की सेवा-शर्तें सेवा की आवश्यकताओं और विभिन्न भू-जलवायु संबंधी स्थितियों जैसे पश्चिम में रेगिस्तान, उत्तर में ग्लेशियरों, पूर्व में वर्षा वनों और दक्षिण में खुले समुद्र में कार्य करने की आवश्यकता, जिससे उन्हें समय-समय पर परिवार से अलग भी रहना पड़ता है, के कारण सिविलियनों से बहुत भिन्न होती है। आक्रमण होने पर उन्हें अपने देश की सीमा को सुरक्षित रखने के लिए जीवन का सर्वोत्तम बलिदान देने के लिए भी तैयार रहना पड़ता है। सशस्त्र सेनाओं को बेहतरीन युद्ध कौशल के लिए अपनी युवा छवि बनाए रखना जरूरी है। यही कारण है कि सिविलियन कर्मचारियों की तुलना में उन्हें अपेक्षाकृत कम आयु में ही सेना से सेवामुक्त/सेवानिवृत्त कर दिया जाता है और सिविलियन कर्मचारियों की अपेक्षा उन्हें उदारीकृत मानदंडों के अनुसार पेंशन लाभ दिए जाते हैं। सशस्त्र सेना के मामलों में, सेना से सेवानिवृत्ति/सेवामुक्ति की प्रकृति ही उनको प्रदान की जाने वाली पेंशन की किस्म को निश्चित करती है। विभिन्न प्रकार की पेंशन की पात्रता शर्तें, दरों आदि का ब्यौरा अगले पैराग्राफों में दिया गया है।

सेवानिवृत्ति/सेना पेंशन

11.24 अफसरों के मामलों में सैन्यकर्मियों की सेवानिवृत्त/सेना पेंशन की गणना अंतिम 10 माह के औसत वेतन के 50% के आधार पर गणना की जाती है। अधिकारी स्तर से नीचे के रैंकों (पी बी ओ आर) के मामलों में सेवानिवृत्त होने से पूर्व 10 माह तक धारित उच्चतम रैंक के आधार पर इसकी गणना की जाती है। सेवानिवृत्ति/मृत्यु के मामलों में सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तिथि पर प्रदत्त महंगाई भत्ते (डी ए) को भी वेतन में सम्मिलित किया जाता है। सैन्यकर्मियों के मामलों में पेंशन उच्चतम वेतन का अधिकतम 50% या न्यूनतम 1275/- रु प्रतिमाह दी जाती है। संशोधित समानता के लिए बनाए गए फार्मूले के अनुसार पहले के पेंशनरों के लिए 1 जनवरी 1996 से पेंशन 1 जनवरी, 1996 से संशोधित वेतनमान में उनके द्वारा धारित रैंक, रैंक तथा ग्रुप के न्यूनतम वेतन के 50% से कम (अधिकारी रैंक के स्तर से नीचे के सैन्यकर्मियों के लिए) नहीं होगी। जबकि थल सेना, नौसेना तथा वायु सेना के कमीशन प्राप्त अधिकारियों के मामलों में वास्तव में की गई सेवा (बिना रियायत के) तथा पेंशन प्राप्ति के लिए अर्हक सेवा 20 वर्ष (अधिक आयु में भर्त्ती हुए कर्मियों के मामलों में 15 वर्ष), पी बी ओ आर के मामलों में 15 वर्ष (भर्ती किए गए अयोधियों (एनसीज) के मामलों में 20 वर्ष) है। यद्यपि उनकी शीघ्र सेवानिवृत्ति को ध्यान में रखते हुए कैप्टन और उससे नीचे के रैंक में 9 वर्ष, जनरल को 3 वर्ष की सेवावधि जोड़कर रियायत का लाभ

प्रदान किया जाता है। अफसर रैंक से नीचे के कार्मिकों को 5 वर्ष का एक समान लाभ दिया जाता है। ग्रेच्यूटी की गणना करते समय सभी रैंकों के मामलों में 5 वर्ष का लाभ दिया जाता है। सिविलियन कर्मचारियों की पेंशन के 50% भाग का कंप्यूटेशन करने की तुलना में सशस्त्र सेना के कार्मिकों, अधिकारियों को 43%, अधिकारी रैंक के नीचे के स्तर के सैन्यकर्मियों को अपनी पेंशन के 45% भाग का कंप्यूटेशन करने की अनुमति है।

11.25 थल सेना के रिजर्व सैन्य कार्मिक जिन्होंने पेंशन प्राप्ति का कोई विकल्प नहीं दिया तथा सरकार द्वारा दी गई किसी भी पुनर्वास सहायता का कोई लाभ नहीं लिया और जिन्हें किसी भी प्रकार की कोई पेंशन नहीं मिल रही है उन्हें नवम्बर 1997 से महंगाई भत्ते के साथ 600/- रु. प्रतिमाह की अनुग्रह राशि प्रदान की जा रही है, बशर्ते कि उन्होंने सेना में पेंशन पाने के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की हो।

पेंशन लाभ निर्धारित करने के लिए मामलों का वर्गीकरण

11.26 पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर, सैन्य सेवा के कारण, अन्य कारणों से, विभिन्न परिस्थितियों में हुई मृत्यु या अपंगता के पेंशन लाभ निर्धारण के लिए मोटे तौर पर मामलों को 5 वर्गों में निम्नानुसार विभक्त किया गया है :-

वर्ग 'क' प्राकृतिक कारणों से हुई मृत्यु या अपंगता।

वर्ग 'ख' सैन्य सेवा द्वारा या सैन्य सेवा के कारण हुई मृत्यु या अपंगता।

वर्ग 'ग' कर्तव्य निर्वहन करते हुए दुर्घटनाओं में मृत्यु या अपंगता।

वर्ग 'घ' हिंसा/आतंकवादियों द्वारा किए गए हमले के कारण मृत्यु या अपंगता, भले ही वे ड्यूटी पर थे अथवा नहीं।

वर्ग 'ड.' युद्ध या युद्ध जैसी परिस्थितियों के कारण मृत्यु या अपंगता।

अपंगता पेंशन

11.27 एक व्यक्ति जो सेना से सैन्य सेवा पर आरोपित या उसकी वजह से हुई (वर्ग ख एवं ग) बीमारी/चोट/घाव के कारण सेवामुक्त/सेवानिवृत्त कर दिया जाता है, वह अपंगता पेंशन पाने के हकदार है बशर्ते कि चिकित्सा बोर्ड ने उसकी अपंगता 20% या उससे अधिक प्रमाणित की हो। अपंगता पेंशन में सेवा तत्व तथा अपंगता तत्व शामिल होता है। सेवा तत्व कार्मिक द्वारा की गई अवधि से संबंधित तथा अपंगता तत्व उसकी अपंगता की गंभीरता पर आधारित होता है तथा इसी अपंगता की क्षतिपूर्ति के लिए उसे अपंगता पेंशन दी जाती है। सेवा तत्व की राशि सामान्य सेवानिवृत्ति/सेवा पेंशन के बराबर होती है। 1 जनवरी 1996 से सेवा तत्व की न्यूनतम राशि 1275/- रु. प्रतिमाह है, भले ही उसकी पेंशन योग्य सेवा की अवधि न्यूनतम पेंशन योग्य सेवा से कम हो। 100% अपंगता से ग्रस्त सैन्यकर्मियों को चिकित्सा बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर 600/- रु. प्रतिमाह के आधार पर निरंतर देखभाल भत्ता भी प्रदान किया जाता है। शेष उन सभी मामलों में, जहां सैन्यकर्मी अपंगता के कारण सेवामुक्त किया गया हो, भले ही उसकी सैन्य सेवा नहीं थी और न ही उसकी वजह से वह हुई थी, यदि उन्होंने 10 वर्ष या उससे अधिक सेवा की है तो उन्हें भी अपंगता पेंशन प्रदान की जाती है। यदि सेवा अवधि 10 वर्ष से कम है तो सेवा की अवधि को ध्यान में रखकर अपंगता ग्रेच्यूटी प्रदान की जाती है। अपंगता पेंशन/उदारीकृत पेंशन/युद्ध घायल पेंशन आदि से संबंधित पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के फलस्वरूप 1 जनवरी 1996 से अपंगता पेंशन की दरें इस प्रकार संशोधित की गई हैं :-

(क) अशक्तीकरण पर -

जब किसी सैन्यकर्मी को सेवा के कारण या सैन्य सेवा करने के फलस्वरूप कारणों के आधार पर सेना से बाहर कर दिया जाता है तो वह निम्नलिखित अपंगता पेंशन का हकदार होगा :-

(i) **सेवा तत्व :** यह वास्तव में की गई सेवा तथा लागू रियायत को जोड़कर सामान्य सेवानिवृत्ति/सेवा पेंशन के बराबर होगी। 1 जनवरी 1996 से न्यूनतम 1275/- रु. प्रतिमाह की दर से सेवा तत्व को अर्जित करने के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की कोई शर्त नहीं है।

(ii) **अपंगता तत्व :** 1 जनवरी 1996 से लागू विभिन्न रैंकों के लिए 100% अपंगता होने पर अपंगता तत्व की दरें निम्न प्रकार हैं :-

कमीशन प्राप्त अधिकारी	2600/- रु. प्रतिमाह
जे सी ओज तथा समकक्ष	1900/- रु. प्रतिमाह
अन्य रैंक	1550/- रु. प्रतिमाह

(iii) **अपंगता का विस्तृत समूहीकरण :** 1 जनवरी, 1996 या उसके पश्चात हुई अपंगता या गतिमान असमर्थता के फलस्वरूप सेना से निकाले गए कर्मियों के अपंगता तत्व की गणना के उद्देश्य से निम्न प्रकार तय किया गया है :-

50% से कम अपंगता	–	50%
50% तथा 75% के बीच	–	75%
76% तथा 100% के बीच	–	100%

जहां स्थायी अपंगता 60% से कम नहीं है वहां अपंगता पेंशन (सेवा तत्व तथा अपंगता तत्व को जोड़कर) व्यक्ति द्वारा आहरित किए वेतन के 60% से कम नहीं होगी।

(ख) अपंगता तत्व के परिणामस्वरूप कर्मियों को सेना में रखना : जब किसी सैन्यकर्मी को अपंगता के फलस्वरूप सेना में रख लिया जाता है और सेवानिवृत्ति की आयु होने पर या अनुबंध की अवधि पूरी होने पर सेवानिवृत्त/सेवामुक्त हो जाता है तो वह 1 जनवरी, 1996 से निम्नलिखित दरों पर (100% अपंगता) अपंगता तत्व प्राप्त करने का अधिकारी होगा : –

कमीशन प्राप्त अधिकारी	2600/– रु. प्रतिमाह
जे सी ओज तथा समकक्ष	1900/– रु. प्रतिमाह
अन्य रैंक	1550/– रु. प्रतिमाह

- सेवानिवृत्ति/सेवामुक्ति की तिथि से अपंगता तत्व सहित सेवानिवृत्ति पेंशन या सेवा ग्रेच्यूटी का भुगतान भी देय है। अपंगता 100% से कम परंतु 20% से कम नहीं होने के मामलों में उपर्युक्त दरों को घटा दिया जाता है। 20% से कम अपंगता पर कोई अपंगता तत्व देय नहीं है।

- सेवानिवृत्ति/सेवामुक्ति की तिथि से अपंगता तत्व के साथ-साथ सेवानिवृत्ति/सेना पेंशन या सेवानिवृत्ति/सेना ग्रेच्यूटी जो भी लागू हो देय होगी।

5वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर अपंगता से संबंधित आरोपीय कारणों की स्वीकार्यता तथा विशेष पारिवारिक पेंशन तथा अपंगता की गंभीरता की प्रक्रिया में जारी सरकारी निर्देशों के अंतर्गत परिवर्तन किया गया है। संशोधित निर्देशों के अंतर्गत अपंगता पेंशन को जारी रखने तथा पुन: सर्वेक्षण मेडिकल बोर्डों द्वारा दिए जाने वाले आवधिक रिव्यूओं को निरस्त कर दिया गया है। चोटों के मामलों में, इनवालिड/रिलीज मेडिकल बोर्डों द्वारा सिफारिश तथा अगली उच्चतर मेडिकल अथॉरिटी द्वारा अनुमोदित की गई अपंगता की प्रतिशतता को अन्तिम मान लिया जाता है बशर्ते कि व्यक्ति इसकी पुन: समीक्षा का अनुरोध न करे। इसी प्रकार स्थायी प्रकृति की बीमारियों की गंभीरता से हुई अपंगता के मामलों में अपंगता आई एम बी/आर एम बी द्वारा सिफारिश की गई तथा पी बी आर के मामलों में चिकित्सा सलाहकार (पेंशन) एम ए (पी) द्वारा एवं अधिकारियों के मामलों में सेना मुख्यालय द्वारा अनुमोदित सिफारिशों को अंतिम मान लिया जाता है बशर्ते कि व्यक्ति इसकी पुन:समीक्षा के लिए अनुरोध न करे।

(ग) अपंगता तत्व के लिए एक मुश्त क्षतिपूर्ति : यदि किसी व्यक्ति की जीवनपर्यन्त अपंगता 20% या उससे अधिक है लेकिन ऐसी अपंगता के बावजूद उसे सेवा में रख लिया जाता है तो उसे वास्तव में निर्धारित की गई अपंगता के आधारपर अपंगता तत्व की कीमत के बराबर (अपंगता तत्व के बदले) मुआवजा एक मुश्त राशि में अदा किया जाता है। 1 जनवरी 1996 को या उसके बाद हुए हताहतों के मामलों में अपंगता तत्व की राशिगत गणना की दरें 1 जनवरी 1996 से लागू हैं। जब एक बार अपंगता तत्व के बदले मुआवजा दे दिया जाता है तो उसी अपंगता के लिए फिर से मुआवजे के लिए हकदारी नहीं रहेगी।

युद्ध हताहत पेंशन

11.28 युद्ध हताहत पेंशन उस व्यक्ति को प्रदान की जाती है जो युद्ध या युद्ध जैसी कार्रवाई में (वर्ग ड.) घायल/अपंग हो जाता है। सैन्य तत्व की सेवानिवृत्त/सेवा पेंशन के समान ही गणना की जाएगी, जिसके लिए वह अपंगता की तिथि तक पात्र था। लेकिन उसकी सेवा को उसी सेवानिवृत्ति की तारीख तक ही माना जाएगा। इसमें उसको अधिमान्य भत्ते भी शामिल हैं। 100 प्रतिशत अपंगता में युद्ध हताहत तत्व का भुगतान किया जाना जरूरी है। हालांकि किसी भी मामले में सैन्य तत्व और युद्ध हताहत तत्व ली गई पिछली तनख्वाह से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अपंग पेंशन/उदारीकृत पेंशन/युद्ध हताहत पेंशन पर 5वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के फलस्वरूप युद्ध में हुए घायलों के संबंध में अपंगता तत्व की दरें पैरा 11-27 (क) (ii) में दर्शाई गई राशि की दुगुनी हो जाती है। पैरा 11.27 (क) (iii) में निर्धारित किए गए अशक्तता के कारण निकाले गए मामलों में अपंगता या प्रकार्यात्मक अक्षमता के लिए युद्ध हताहत तत्व को ध्यान में रखना।

11.29 1 जनवरी, 1996 से हिंसा/आतंकवादियों द्वारा किए गए हमलों, समाज-विरोधी तत्वों, आम स्थानों में या ट्रांसपोर्ट में हुए बम विस्फोट, अंधाधुंध गोलीबारी आदि में अपंग हुए (वर्ग 'घ') सशस्त्र सैन्यकर्मियों को वे ही लाभ दिए जाते हैं (सेवा तत्व एवं सेवानिवृत्ति ग्रेच्यूटी) जो उपरलिखित अपंगता के

बदले एक मुश्त राशि सहित इनवालिडमेंट/सेवानिवृत्ति/सेवामुक्ति पर युद्ध हताहतों के मामलों में लागू है सिवाय इस के कि वे युद्ध हताहत तत्व के बदले अपंगता तत्व के लिए हकदार होंगे।

पारिवारिक पेंशन

11.30 **साधारण पारिवारिक पेंशन :** उन सैन्यकर्मियों के परिवारों को जो सेवा के दौरान या पेंशन के साथ सेवानिवृत्ति उपरांत दिवंगत हो जाते हैं, अर्हक वेतन के 30% की दरों पर पारिवारिक पेंशन प्रदान की जाती है। पहले पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम राशि 375/- रु. प्रतिमाह थी जिसे 5वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1 जनवरी 1996 से बढ़ाकर 1275/- रु. प्रतिमाह कर दिया गया है। संशोधित समानता के संबंध में जारी किए गए आदेशों के अनुसार पहले के पेंशनर 1 जनवरी 1996 से संशोधित वेतनमान के न्यूनतम 30% पाने के हकदार हैं जो रैंक तथा ग्रुप पेंशनर/दिवंगत सैन्यकर्मी द्वारा अंत में धारण किए हुए थे। यदि दिवंगत सैन्यकर्मी ने 7 वर्ष या उससे अधिक सेवा की थी तो दिवंगत सैन्यकर्मी के परिवार को पहले 7 वर्ष से उस समय तक जब तक कि सैन्यकर्मी 67 वर्ष की आयु पर पहुंच गया होता या इसमें से जो भी पहले हो, दुगुनी दरों पर पेंशन प्रदान की जाएगी। बढ़ी हुई पारिवारिक पेंशन, परिलब्धियों के 50% राशि, या यदि सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु हो जाती है तो सेवानिवृत्ति पर प्राप्त पेंशन लेकिन 67 वर्ष की आयु होने से पहले मिलती है।

11.31 1 जनवरी, 1996 से साधारण पारिवारिक पेंशन (i) उन माता-पिता को जो उस सैन्यकर्मी पर आश्रित थे जब वह जीवित था, बशर्ते कि वह अपने पीछे न तो विधवा पत्नी, न ही कोई बच्चा छोड़ गया हो। (ii) विधवा/तलाक शुदा पुत्रियां जब तक वे 25 वर्ष की आयु की नहीं हो जाती या उनके पुनर्विवाह की तिथि, इनमें से जो भी पहले हो। माता-पिता या विधवा/तलाक शुदा पुत्रियों की आमदनी 2550/- रु. प्रतिमाह से अधिक नहीं होनी चाहिए। उपर्युक्त बनाए गए पेंशन लाभों को पात्र निकट-संबंधियों को 1 जनवरी, 1998 से लागू किया गया है और पिछले सभी मामलों पर गुण-दोष के आधार पर 1 जनवरी, 1998 से लागू पारिवारिक पेंशन दी जाती है।

11.32 27 जुलाई 2001 से कर्मचारी पेंशन योजना 1995 तथा पारिवारिक पेंशन स्कीम 1971 के अंतर्गत देय पारिवारिक पेंशन, संबंधित पेंशन विनियम के अंतर्गत सैन्यकर्मियों को देय पारिवारिक पेंशन के साथ-साथ देय होगी।

विशेष पारिवारिक पेंशन

11.33 यदि यह स्वीकार कर लिया जाता है कि सैन्यकर्मी की मृत्यु सैन्य सेवा के फलस्वरूप या उसके कारण (वर्ग ख एवं ग) हुई है तो उसके परिवार को विशेष पारिवारिक पेंशन प्रदान की जाती है। विशेष पारिवारिक पेंशन प्रदान करने के लिए मृत्यु की तिथि पर न्यूनतम सेवा की कोई शर्त नहीं है। कमीशन प्राप्त अधिकारियों के मामले में यह उसकी विधवा पत्नी को प्रदान की जाती है। अल्पकालीन सेवा के कमीशन प्राप्त अधिकारी एवं आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारी के परिवार भी विशेष पारिवारिक पेंशन के हकदार हैं। अफसर रैंक के नीचे के रैंकों के सैन्यकर्मियों के मामलों में नियमानुसार परिवार के किसी एक सदस्य को (सिवाय आश्रित भाइयों व बहनों के) जीवनपर्यन्त और माता-पिता की मृत्यु होने पर (जिन्हें मूल लाभार्थी होने के रूप में नामित किया गया था) उसे पूर्णरूप से विधवा को स्थानान्तरित किया जाता है, भले ही उसकी वित्तीय स्थिति कैसी भी हो।

11.34 1 जनवरी, 1996 से विशेष पारिवारिक पेंशन, दिवंगत सैन्यकर्मी द्वारा आहरित परिलब्धियों का 60% न्यूनतम 2550/- रु. प्रतिमाह उस विधवा पत्नी को दी जाती है जिसकी चाहे संतान हो अथवा न हो। विशेष पारिवारिक पेंशन की कोई अधिकतम सीमा नहीं है। उन मामलों में जहां बच्चे लाभार्थी हैं सबसे बड़े बच्चे को समान दर पर विशेष पारिवारिक पेंशन 25 वर्ष की आयु या उसकी शादी होने तक मिलेगी। इसके पश्चात् अगले पात्र बच्चे को विशेष पारिवारिक पेंशन मिलेगी। उस मामले में जहां पात्र बच्चा शारीरिक या मानसिक विकलांग है और अपनी जीविका अर्जित करने में अयोग्य है, तो उसे विशेष पारिवारिक पेंशन जीवन पर्यन्त मिलेगी। पत्नी तथा बच्चे न होने की स्थिति में दिवंगत सैन्यकर्मियों के माता-पिता निर्धारित दरों पर पेंशन पाने के हकदार होंगे। वे विधवाएं जिन्होंने 1 जनवरी, 1996 को या उसके पश्चात पुनर्विवाह किया है उन्हें भी कुछ शर्तों पर विशेष पारिवारिक पेंशन दी जाती है।

उदारीकृत पारिवारिक पेंशन

11.35 युद्ध या युद्ध जैसी कार्रवाई, आतंकविरोधी कार्रवाई या आतंकवादी/या सशस्त्र झड़पों या घटनाओं, समाजविरोधी तत्वों आदि (श्रेणी घ एवं ड.) के दौरान हुई सैन्यकार्मिकों अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अफसर तथा आपातकालिक कमीशन प्राप्त अफसर (एस एस सी ओज एवं ई सी ओज सहित) की मृत्यु होने पर उनके परिवारों को दिवंगत सैनिक द्वारा मृत्यु के समय प्राप्त परिलब्धियों के बराबर उदारीकृत

पारिवारिक पेंशन प्रदान की जाती है। अफसरों के मामलों में भी उनकी विधवाओं तथा पी बी आर द्वारा नामित किए गए उत्तराधिकारी की मृत्यु या अयोग्यता सिद्ध होने तक इसी दर पर पेंशन प्रदान की जाती है। यदि सैन्यकर्मी की विधवा जिंदा नहीं है बल्कि उसके बच्चे जीवित हैं तो सभी बच्चों को दिवंगत कार्मिक द्वारा अंत में आहरित परिलब्धियों के 60% के बराबर पेंशन प्रदान की जाएगी। उदारीकृत पेंशन सबसे बड़े बच्चे को देय होगी जब तक कि वह 25 वर्ष की आयु का नहीं हो जाता या उसके विवाह की तारीख इनमें से जो भी पहले हो, उसके बाद पेंशन अगले पात्र बच्चे को प्रदान की जाएगी। विधवा/तलाकशुदा लड़कियां जिनकी आयु 25 वर्ष की हो अथवा विवाह हो गया हो, इनमें से जो भी पहले हो, वे भी उदारीकृत पारिवारिक पेंशन के पात्र हैं। यदि पात्र बच्चा शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग है और अपनी जीविका स्वयं अर्जित नहीं कर सकता तो उसे भी जीवनपर्यन्त उदारीकृत पारिवारिक पेंशन प्रदान की जाती है।

11.36 चाहे वह विधवा हो या अफसर रैंक के नीचे के सैन्यकार्मिक की विधवा के पुनर्विवाह होने की स्थिति में, विधवा को पहले जीवनपर्यन्त तक उदारीकृत पारिवारिक पेंशन मंजूर की जाएगी, विधवा को पूरी उदारीकृत पारिवारिक पेंशन जारी रखी जाएगी यदि वह पुनर्विवाह के पश्चात् भी बच्चों के देखभाल करती है या उसके कोई संतान नहीं है। यदि पुनर्विवाह के पश्चात् विधवा बच्चों की देखभाल नहीं करती है, तो विधवा को 30% साधारण पारिवारिक पेंशन ही मिलेगी। बच्चे तथा विधवा पत्नी न होने की स्थिति में आश्रित पेंशन (उदारीकृत) दिवंगत सैन्यकर्मी के माता-पिता को उनकी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर प्रदान की जाएगी।

सैन्य ड्यूटी का निर्वाह करते हुए शहीद सैन्यकर्मी को अनुग्रह राशि

11.37 5वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर रक्षा मंत्रालय ने विशेष पारिवारिक पेंशन/उदारीकृत पारिवारिक पेंशन के साथ-साथ 1 अगस्त, 1997 या उसके पश्चात् दिवंगत हुए सैन्यकर्मी के परिवार को निम्नानुसार अनुग्रह राशि भी प्रदान की जाएगी :-

(क)	कर्त्तव्य का निर्वहन करते हुए दुर्घटनाओं में मृत्यु	5.00 लाख रु.
(ख)	आतंकवादियों, समाज-विरोधी तत्वों आदि द्वारा किए गए हमलों के कारण कर्तव्य का निर्वहन करते हुए मृत्यु	5.00 लाख रु.
(ग)	(i) सीमा पर हुई झड़पों एवं (ii) आतंकवादियों, अतिवादियों के विरुद्ध कार्रवाई के दौरान हुई मृत्यु	7.50 लाख रु.
(घ)	अंतरराष्ट्रीय युद्ध या रक्षा मंत्रालय द्वारा आख्यापित शत्रु के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए मृत्यु	1 अगस्त 97 से 7.50 लाख रु. 1 मई 1999 से 10.00 लाख रु.

सशस्त्र सेना के 1996 के पूर्व के पेंशनभोगियों की अपंगता पेंशन/विशेष पारिवारिक पेंशन/उदारीकृत पारिवारिक पेंशन/युद्ध में घायल पेंशन का संशोधन

11.38 1 जनवरी, 1996 से पहले के सभी पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनरों को 1 जनवरी, 1996 से नियमित/समेकित करने के लिए आवश्यक आदेश दिए गए। इसके पश्चात् पेंशन में समानता लाने के उद्देश्य से 5वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर पेंशन एवं पेंशनर कल्याण विभाग यानि नोडल विभाग द्वारा सिविलियनों से संबंधित आदेश जारी किए गए। रक्षा मंत्रालय द्वारा अपंगता पेंशन/विशेष पारिवारिक पेंशन/उदारीकृत पारिवारिक पेंशन/वार इंज्यूरी पेंशन आदि से संबंधित 1 जनवरी 1996 से पहले के 16 सैन्य पेंशनरों के आदेश भी दिनांक 16 मई 2001 के पत्र सं. पीसी 1(2)/97/डी(पेन सी) के अंतर्गत जारी किए गए हैं। जबकि उन विधवाओं के मामलों में जो उदारीकृत पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रही थीं, चाहे उनकी पेंशन शुरू होने की कोई भी तिथि हो, मृत्यु के समय सैन्य कर्मी के लिए 1 जनवरी 1996 लागू किए गए संशोधित वेतनमान में उसके रैंक, रैंक तथा ग्रुप (पी बी ओ आर के मामलों में) में प्राप्त परिलब्धियों के 60% से कम या न्यूनतम 2550/- होगी। जिस दर पर पेंशनर 1 जनवरी 1996 से अपंगता पेंशन, वार इंज्यूरी पेंशन, सतत् देखभाल भत्ता ले रहे हैं,

वही दरें 1 जनवरी, 1996 से पहले के अपंगता पेंशनरों, वार इंज्यूरी पेंशनरों (सिवाय अशक्तीकरण के मामलों के), सतत् देख-रेख भत्ता प्राप्त करने वालों के लिए भी लागू होंगी।

सैन्य मुख्यालयों को शक्तियों का प्रत्यायोजन

11.39 सरकार ने 14.8.2001 से पेंशन के कुछ मामलों जिसमें मुख्य रूप से पारिवारिक पेंशन को बांटने, अफसरों के मामले में विशेष पारिवारिक पेंशन, अनुग्रहपूर्वक, अपंगता पेंशन दिए जाने, प्रथम अपील मामलों, 12 महीने से ज्यादा समय हो जाने पर अपील करने पर, समय बार होने, सेवा मामलों में बर्खास्त किए जाने, विभिन्न अदालतों द्वारा दिए गए निर्णयों को लागू करने जैसी प्रशासनिक शक्तियां सैन्य मुख्यालयों को प्रदान की हैं।

11.40 रक्षा पेंशनों की औसतन संख्या 20.45 लाख है। औसतन 55,000 सैन्यकर्मी प्रतिवर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। रक्षा पेंशनरों को देशभर में फैले 35,000 पब्लिक सेक्टर बैंक की शाखाओं, 600 खजानों, 62 रक्षा पेंशन वितरण कार्यालयों एवं 5 पी ए ओज के माध्यम से पेंशन वितरित की जाती है। पिछले छः वर्षों में रक्षा पेंशनरों पर वार्षिक खर्चा इस प्रकार हुआ :-

वर्ष	**वितरित पेंशन (करोड़ रु. में)**
1997-1998	4947.42
1998-1999	7270.28
1999-2000	11024.65
2000-2001	10538.93
2001-2002	10487.92
2002-2003 (आर ई)	10092.07
2003-2004 (बी ई)	11,000.00

12

सशस्त्र सेनाओं तथा सिविल प्राधिकारियों के बीच सहयोग

असम में बाढ़ - मोरीगांव जिले में सेना द्वारा बचाव कार्य

12.1 यह सुनिश्चित करने के अतिरिक्त कि कोई हमारे देश की सीमाओं का उल्लंघन न कर सके, सशस्त्र सेनाओं को कानून-व्यवस्था तथा/अथवा आवश्यक सेवाएं बनाए रखने तथा प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत और बचाव कार्यों में सिविल प्राधिकारियों की सहायता करने का भी आदेश दिया जाता है। सशस्त्र सेनाएं वास्तविक राहत पहुंचाने के अतिरिक्त, आपात योजना को बेहतर बनाने तथा समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए सिविल प्राधिकारियों से लगातार संपर्क बनाए रखती हैं। सशस्त्र सेनाओं द्वारा इस वर्ष प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा निम्नलिखित पैराओं में दिया गया है।

सेना

कानून-व्यवस्था बनाए रखना

12.2 **संक्रिया अमन (गुजरात) :** 27 फरवरी, 2002 को गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस को जलाए जाने के बाद अहमदाबाद, वड़ोदरा, गोधरा तथा राजकोट शहरों में स्थिति बहुत तनावपूर्ण हो गई थी। इनमें से अधिकांश शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया था। 28 फरवरी, 2002 को सेना की सहायता मांगी गई थी। तदनुसार, एक इन्फैन्ट्री डिवीजन के सैन्य दल को कूटनाम 'संक्रिया अमन' के तहत गुजरात में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उनके संक्रियात्मक स्थान से विमान द्वारा गुजरात लाया गया।

सैन्य नागरिक कार्रवाई कार्यक्रम

12.3 **संक्रिया सद्भावना :** सेना द्वारा जम्मू एवं कश्मीर में संक्रिया सद्भावना चलाए जाने का उद्देश्य सेना की छद्म युद्धरोधी संक्रियाओं, जिनमें कभी-कभी असावधानी से नागरिकों की जान व माल की क्षति हो जाती है, के परिणामस्वरूप स्थानीय लोगों में अलगाव की भावना को समाप्त करना है। यह संक्रिया उन दूर-दराज के दुर्गम क्षेत्रों में जहां सिविल प्रशासन जारी सुरक्षा/छद्म युद्ध की स्थिति के कारण कार्य करने में असमर्थ है, में विकासात्मक कार्यों को शुरू करने और उन्हें जारी रखने में भी सहायता करती है। संक्रिया सद्भावना के तहत् सिविल प्राधिकारियों की सहायता करने के लिए पूर्वी तथा उत्तरी कमान की कई इंजीनियरी इकाइयों को लगाया गया था। इंजीनियर रेजीमेंट द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं :-

(क) स्कूलों का निर्माण तथा उन्नयन।

(ख) जल आपूर्ति योजनाओं/जल प्वाइंटों का प्रतिष्ठापन।

(ग) गांवों में बिजली की व्यवस्था।

(घ) कम्प्यूटर प्रशिक्षण स्कूलों की स्थापना।

(ड.) पैदल पुलों का निर्माण।

(च) उचित दर की दुकानें, एस टी डी बूथों तथा पुस्तकालयों की स्थापना।

12.4 **पूर्वोत्तर में सैन्य नागरिक कार्रवाई परियोजनाएं:** स्थानीय नागरिकों को आतंकवादियों से अलग रखने के लिए उनका दिल और मन जीतना और यह सुनिश्चित करने के लिए कि विकास का लाभ आम आदमी तक पहुंचे, सिविल प्रशासन की सहायता करना सेना की प्रतिविद्रोहिता रणनीति का एक महत्वपूर्ण अंग रहा है। सेना के इन प्रयासों की व्यापक प्रशंसा हुई है। सेना द्वारा चलाए गए कुछ प्रमुख नागरिक कार्रवाई कार्यक्रम इस प्रकार हैं :-

(क) स्कूल भवनों का जीर्णोद्धार।

(ख) कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्रों तथा विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना।

(ग) स्कूली बच्चों को भारत के ऐतिहासिक महत्व के स्थानों की सैर करना।

(घ) स्थानीय लोगों के लिए रोमांचक खेलों का आयोजन।

(ड.) उप मार्गों का निर्माण।

(च) पेयजल योजनाओं का कार्यन्वयन।

(छ) पुलों का निर्माण।

(ज) रोजगार पैदा करने वाली योजनाएं जैसे प्रशिक्षु संवर्ग, व्यावसायिक प्रशिक्षण, हथकरघा एवं बुनाई तथा सूअर-बाड़ों की स्थापना।

(झ) दूर-दराज के क्षेत्रों में चिकित्सा कैंप आयोजित करना, महिलाओं के लिए नर्सिंग पाठ्यक्रम चलाना तथा दवाइयां वितरित करना।

(ञ) दूर-दराज के क्षेत्रों में पशु-चिकित्सा कैंपों का आयोजन।

(ट) युवाओं के लिए भर्ती-पूर्व प्रशिक्षण का आयोजन।

राहत और बचाव कार्य

12.5 **बिहार में बाढ़ :** बिहार के विभिन्न हिस्सों में निरंतर आने वाली बाढ़ों से प्रतिवर्ष तबाही और जान-माल का नुकसान होता है। जुलाई-अगस्त, 2002 में सेना ने बिहार के मधुबनी, गोपालगंज, समस्तीपुर, दरभंगा तथा खगड़िया जिलों में बाढ़ राहत कार्यों में तुरंत सहायता मुहैया कराई। 25 जुलाई से 18 अगस्त, 2002 के दौरान बाढ़ राहत एवं बचाव कार्यों में सेना के पांच दस्ते लगाए गए। 3980 फंसे हुए नागरिकों को निकाला गया तथा 6716 व्यक्तियों को चिकित्सा सहायता मुहैया

कराई गई। इसके अलावा, 837 क्विंटल खाद्य सामग्री तथा 46463 खाने के पैकेट बांटे गए।

12.6 **असम में बाढ़ :** लगातार बारिश होने के कारण असम में बाढ़ आई जिससे मोरीगांव, ढुबरी, कामरूप तथा गोलपारा जिलों में तबाही हुई। 23 जुलाई से 15 अगस्त, 2002 तक यहां पांच सैन्य टुकड़ियां लगाई गईं। 139 क्विंटल खाद्य सामग्री तथा 1000 खाने के पैकेट वितरित किए गए तथा 2530 व्यक्तियों को चिकित्सा सहायता मुहैया कराई गई।

12.7 **मणिपुर में बाढ़ :** मणिपुर में अगस्त, 2002 में लगातार बारिश होने के कारण इम्फाल जिले के बुरी तरह प्रभावित इलाकों लिलांग तथा नाहरूप में सेना की सहायता मांगी गई थी। 17 असम राइफल्स के सैन्य दल ने 14 अगस्त से 20 अगस्त, 2002 तक राहत एवं बचाव कार्य किए। बड़ी संख्या में प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया, खाने के पैकेट तथा चिकित्सा मदें वितरित की गईं तथा कीमती सामान/कागजातों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया।

अन्य प्रकार की सहायता

12.8 उपर्युक्त सहायता के अलावा सेना ने विभिन्न अवसरों पर सहायता भी मुहैया कराई है। इस प्रकार की सहायता की मुख्य बातें निम्नवत् हैं:-

(क) **बिहार में रेल दुर्घटना :** 9 सितंबर, 2002 को रफीगंज रेलवे स्टेशन के पास नई दिल्ली-राजधानी एक्सप्रेस के पटरी से उतर जाने पर जिला मजिस्ट्रेट गया ने सेना की सहायता का अनुरोध किया था। पांच चिकित्सा दलों के साथ सेना की दो टुकड़ियों ने बचाव तथा राहत अभियान शुरू किया। कुल 70 यात्रियों को बचाया गया था, 50 घायल व्यक्तियों को प्राथमिक चिकित्सा सहायता मुहैया कराई गई थी। इसके अलावा, सेना सेवा कोर केन्द्र (उत्तर) के 113 रंगरूटों को आकस्मिक स्थिति हेतु रक्तदान के लिए तैयार रखा गया था।

(ख) **विविध कार्य :** सेना के इंजीनियरों को सिविल प्राधिकारियों की सहायतार्थ जिन अन्य कार्यों हेतु तैनात किया गया है उनमें सोनभद्र जिले के ओबरा तथा अनपरा थर्मल पावर स्टेशन में यूपीएसईबी की हड़ताल तथा मुंबई पोर्ट ट्रस्ट और चंडीगढ़ में जल-आपूर्ति स्टाफ की हड़ताल के दौरान आवश्यक सेवाओं की बहाली शामिल हैं।

नौसेना

12.9 **आपदा प्रबंधन कैप्सूल कोर्स :** 29 अप्रैल से 1 मई, 2002 तक परमाणु जैविकीय एवं रासायनिक क्षति नियंत्रण स्कूल द्वारा आपदा प्रबंधन पर कैप्सूल कोर्स आयोजित किया गया था। विभिन्न संगठनों से आए 19 प्रतिभागियों ने इस पाठ्यक्रम में भाग लिया। इस पाठ्यक्रम में आपदा-प्रबंधन, विभिन्न प्रकार के खतरों, परमाणु आक्रमण के बाद सिविल डिफेंस, ताप विस्फोट और विकिरण में संरचनात्मक संरक्षक, विसंदूषण, विकास और क्षति आकलन, आपदा तैयारी और प्रशमन, भेद्यता और जोखिम निर्धारण के बारे में जानकारी दी गई।

12.10 **लोनावाला में चिकित्सा शिविर :** लोनावाला में एक चिकित्सा शिविर लगाया गया था जिसमें नौसेना अस्पताल कस्तूरी के विशेषज्ञों ने सभी आयु के 450 मरीजों की जांच की। भारतीय नौसेना पोत राजालि और चिल्का में भी स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया गया ताकि निकटवर्ती गांवों के निवासियों को नि:शुल्क चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जा सके।

12.11 **दुर्घटनाग्रस्त नाव का बचाव :** 31 अगस्त, 2002 को जाजपुर कस्बे के निकट बालतरणी नदी में 60-70 यात्रियों को ले जा रही एक नाव उलट गई थी जिसको बचाने के लिए उड़ीसा राज्य प्रशासन की ओर से अनुरोध करने पर चिल्का स्थित नौसेना बेस ने सिविल प्राधिकारियों को तुरंत सहायता मुहैया कराई। नौसेना गोताखोर मृत यात्रियों के सात शव बरामद करने में कामयाब रहे।

12.12 **सिविल प्राधिकारियों की सहायता :** लोनावाला स्थित भारतीय नौसेना पोत शिवाजी ने मार्च 2002 से मई, 2002 के बीच 4 अवसरों पर नागरिक प्रशासन को अग्निशमन सहायता मुहैया कराई थी। इस यूनिट ने 22 सितंबर, 2002 को खंडाला में एक चट्टान से गिरे सिविलयन हताहतों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में बहुमूल्य सहायता मुहैया कराई थी। रेमण्ड कंपनी का एक हेलिकॉप्टर पेठ शाहपुर से दूर घने वन प्रदेश में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। भारतीय नौसेना पोत शिवाजी तथा कस्तूरी के एक बचाव दल ने दुर्घटना स्थल पर सहायता मुहैया कराई थी।

12.13 **समुद्री लुटेरों को पकड़ना :** अपने नियमित दौरे पर एक कारवेट, भारतीय नौसेना पोत, कृपाण ने अवैध रूप से एम वी अल्बर्ट इक्का पर सवार समुद्री लुटेरों को देखा जो मछली पकड़ने वाली नौकाओं में पोत से भाग रहे थे। सभी लुटेरों को पकड़ कर सिविल पुलिस को सौंप दिया गया।

12.14 **पनडुब्बी संग्रहालय :** सेनाओं में अपना कैरियर शुरू करने के लिए युवाओं को प्रेरित करने के

उद्देश्य से 27 फरवरी, 2001 को विशाखापट्टनम में एक पनडुब्बी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया था और उसे 9 अगस्त, 2002 को आंध्र प्रदेश राज्य सरकार (विशाखापट्टनम शहरी विकास प्राधिकरण) के सुपुर्द किया गया।

वायुसेना

12.15 **आपदा राहत :** भारतीय वायुसेना ने बिहार और महाराष्ट्र में बाढ़ राहत कार्य किए। सरसावा, दिल्ली और पटना से वायुयानों द्वारा कुल मिलाकर 250 टन भार और राहत सामग्री भेजी गई और 137 यात्रियों को भेजा गया।

12.16 **हताहतों को हटाना :** उत्तरी क्षेत्र (अमरनाथ तीर्थ यात्रियों के लिए) के साथ-साथ पूर्वी क्षेत्र (पैरा अर्द्ध सैन्य कार्मिकों के लिए) में हताहत हुए लोगों को अन्यत्र पहुंचाने का कार्य किया गया। कुल मिलाकर 572 व्यक्तियों को विमान से लाया गया। इसमें चार विदेशी राष्ट्रिक भी शामिल थे, जिन्हें ऐसे ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों से विमान से लाया गया जो दुर्गम स्थानों पर थे।

12.17 **विविध :** जम्मू और कश्मीर में चुनाव ड्यूटियों के वास्ते कुल मिलाकर 4664 कार्मिकों को विमान से ले जाया गया। इसके अतिरिक्त, जम्मू व कश्मीर के अग्रिम क्षेत्रों में बहुत से मीडिया कार्मिकों को भी विमान से पहुंचाया गया। अक्षरधाम में आतंकवादी घटना के पश्चात् 2272 कार्मिकों और लगभग 75 टन सामान को अहमदाबाद में विमान से पहुंचाया गया। सितंबर, 2002 में भारतीय वायुसेना ने राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के 220 कार्मिकों को दिल्ली से बेंगलूर तक विमान सेवा उपलब्ध कराई। एक एम आई-26 हेलिकाप्टर ने छोटे जेट ट्रांसपोर्ट वायुयान को सफलतापूर्वक उठाया जो कि गागल (कांगड़ा हिमाचल प्रदेश) के निकट दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस वायुयान को दुर्घटनास्थल से चंडीगढ़ तक लटका कर ले जाया गया था। मांगकर्ता एजेंसी द्वारा इस संक्रिया की बहुत प्रशंसा की गई थी।

सिविल प्रशासन को मदद

13

राष्ट्रीय कैडेट कोर

गणतंत्र दिवस परेड में एनसीसी कैडेट

13.1 एनसीसी का उद्गम 'यूनिवर्सिटी कोर' नाम से हुआ जिसकी शुरुआत सन् 1917 में हुई थी और 24 नवम्बर, 2002 को इसने पच्चासी वर्ष पूर कर लिए हैं। स्वतन्त्रता के पश्चात् 1948 में संसद के अधिनियम के द्वारा एनसीसी अपने वर्तमान रूप में आई और इस प्रकार इसने 54 वर्ष पूरे कर लिए हैं। सन् 1948 में एनसीसी की कुल नफरी 1.6 लाख थी और आज यह नफरी लगभग 13 लाख है। ये कैडेट पूरे देश के 6985 स्कूलों और 5159 कॉलेजों से नामांकित हैं और इन्हें 773 एनसीसी यूनिटों द्वारा संचालित किया जाता है।

13.2 एनसीसी का लक्ष्य है-**'एकता और अनुशासन'**-देश की एकता और आत्म अनुशासन एनसीसी का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है-एनसीसी द्वारा कैडेटों में राष्ट्र के प्रति नि:स्वार्थ सेवा की भावना को विकसित करना।

13.3 एनसीसी, प्रत्येक क्षेत्र में युवाओं में वचनबद्धता, समर्पण, नि:स्वार्थ सेवा और साहसिक एवं नैतिक मूल्यों को एक साथ विकसित करने में प्रयासरत है। एनसीसी का एक अति महत्वपूर्ण पहलू है कि देश के प्रत्येक स्तर के युवाओं को इसमें आने का अवसर प्राप्त हो और अधिक संख्या में विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने का अवसर मिले।

कैडेटों का प्रशिक्षण

13.4 **प्रशिक्षण शिविर :** शिविर प्रशिक्षण, एनसीसी पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण भाग है। ये शिविर साहचर्य, मिलकर काम करना, मेहनत, आत्म विश्वास तथा महत्वपूर्ण पहलू एकता और अनुशासन की भावना को विकसित करने में मददगार होते हैं। आयोजित किए गए विभिन्न प्रकार के शिविर इस प्रकार हैं :-

(क) **वार्षिक प्रशिक्षण शिविर (एटीसी) :** प्रशिक्षण वर्ष 2002-2003 के प्रथम अर्ध वर्ष में 678 शिविर आयोजित किए गए और 3,26,475 कैडेटों ने इनमें भाग लिया।

(ख) **राष्ट्रीय एकीकरण शिविर :** लगभग 69 राष्ट्रीय एकीकरण शिविर आयोजित किए गए जिनमें 50,000 कैडेटों ने भाग लिया। माननीय रक्षा मंत्री ने निर्देश दिए कि इन शिविरों को देश के दू:रस्थ क्षेत्रों में एकता और अनुशासन की भावना को प्रेरित करने के लिए दू:रस्थ क्षेत्रों में आयोजित किया जाए। निर्देशानुसार 1999 से तीन राष्ट्रीय एकीकरण शिविर प्रत्येक वर्ष में एक बार-लेह में आयोजित किए गए। इनके अतिरिक्त निम्नलिखित स्थानों पर विशेष राष्ट्रीय एकीकरण शिविर आयोजित किए गए:-

(i) **एनआईसी अहमदाबाद :** 17 से 28 जून, 2002 तक अहमदाबाद में एक विशेष राष्ट्रीय एकीकरण शिविर (एनआईसी) आयोजित किया गया जिसका उद्देश्य था गुजरात में हुए साम्प्रदायिक दंगों से हुई तनाव स्थिति में सहायता प्रदान करना। देश के सभी क्षेत्रों से 550 कैडेटों ने इस एनआईसी में भाग लिया था।

(ii) **एनआईसी श्रीनगर :** कुछ वर्षों के पश्चात 1 से 12 अगस्त, 2002 तक घाटी में राष्ट्रीय एकीकरण शिविर आयोजित किया गया। माननीय रक्षा मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री और जम्मू व कश्मीर के मुख्य मंत्री ने शिविर का दौरा किया और कैडेटों से बातचीत की।

(iii) **एनआईसी मिस्सामेरी :** 15 से 27 नवम्बर, 2002 तक उत्तर-पूर्व में मिस्सामेरी (असम) से एक विशेष एनआईसी आयोजित किया गया जिसमें उत्तर-पूर्व क्षेत्र के 200 कैडेटों तथा शेष भारत से 600 कैडेटों ने भाग लिया।

(iv) **एनआईसी नगरोटा (जम्मू) :** 17 से 28 नवम्बर, 2002 तक नगरोटा (जम्मू) में एक विशेष एनआईसी आयोजित किया गया। इस शिविर में पूरे देश से 400 कैडेटों ने भाग लिया।

(v) **एनआईसी पोर्ट ब्लेयर :** 17 से 28 फरवरी, 2003 तक पोर्ट ब्लेयर अंडमान व निकोबार में एक विशेष एनआईसी आयोजित किया गया। इसमें यहां के 80 कैडेटों सहित 130 कैडेटों ने भाग लिया।

(ग) **वायु सैनिक शिविर (वीएससी) :** वर्ष में एक बार 12 दिन के लिए वायु सैनिक शिविर आयोजित किया जाता है। इस वर्ष 21 अक्टूबर से 01 नवम्बर, 2002 तक वायुसेना स्टेशन जलाहली (बंगलूर) में आयोजित किए गए इस शिविर में 419 वरिष्ठ प्रभाग कैडेटों और 180 वरिष्ठ स्कंध कैडेटों ने भाग लिया।

(घ) **नौसैनिक शिविर (एनएससी) :** इसे भी वर्ष में एक बार 12 दिन के लिए आयोजित किया जाता है। 08 नवम्बर से 19 नवम्बर, 2002 तक विशाखापट्टनम में आयोजित किए गए इस शिविर में 400 वरिष्ठ प्रभाग कैडेटों और 160 वरिष्ठ स्कंध कैडेटों ने भाग लिया।

(च) **केन्द्रीय संगठित शिविर :** प्रत्येक वर्ष आयोजित किए जाने वाले केन्द्रीय संगठित शिविर में 6,982 कैडेट भाग लेते हैं।

(छ) **छात्रों के लिए अखिल भारतीय थल सैनिक**

शिविर : 17 से 28 सितम्बर, 2002 तक नई दिल्ली में आयोजित किए गए इस शिविर में 640 कैडेटों ने भाग लिया।

(ज) **छात्राओं के लिए अखिल भारतीय थल सैनिक शिविर :** यह शिविर नई दिल्ली में 30 सितम्बर से 11 अक्टूबर, 2002 तक आयोजित किया गया जिसमें 640 कैडेटों ने भाग लिया।

(झ) **गणतंत्र दिवस शिविर-2003 :** गणतंत्र दिवस शिविर-2003 दिल्ली में 01 से 29 जनवरी, 2003 तक आयोजित किया गया। इस शिविर में पूरे भारत से 1800 कैडेटों ने भाग लिया। इस एक माह के शिविर में सांस्थानिक प्रशिक्षण से संबंधित अन्तर्निदेशालीय प्रतियोगिताएं, सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं और राष्ट्रीय एकीकरण जागरूकता निरूपण आयोजित किए गए। गणमान्य व्यक्तियों ने इस शिविर के क्रियाकलापों को देखने तथा कैडेटों का उत्साहवर्द्धन करने के लिए इसका दौरा किया। इस शिविर का उद्घाटन 08 जनवरी, 2003 को भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा किया गया। शिविर के दौरान 27 जनवरी, 2003 को प्रधान मंत्री रैली आयोजित की गई। राष्ट्रपति भवन में कुछ चयनित कैडेटों के साथ चाय के साथ इस शिविर का समापन हुआ।

13.5 **अटैचमेंट प्रशिक्षण**-मैत्रीभाव की दृष्टि से (ऑन ग्राउण्ड फैमिलियराइज़ेशन) एनसीसी कैडेटों को विभिन्न सेवा यूनिटों/पोतों के साथ लघु अटैचमेंट पर भेजा जाता है। इस वर्ष आयोजित किए गए अटैचमेंट प्रशिक्षण इस प्रकार हैं :-

(क) इस वर्ष विभिन्न सैनिकों अस्पतालों के साथ 1,000 छात्रा कैडेटों को अटैच किया गया।

(ख) 121 कैडेटों को भारतीय मिलिट्री अकादमी, देहरादून और 34 छात्राओं को, अफसर प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई में दो सप्ताह के लिए अटैच किया गया।

(ग) 38 वरिष्ठ प्रभाग कैडेट और 12 वरिष्ठ स्कंध कैडेटों को 18 से 30 अक्टूबर, 2002 तक डुंडीगल (आन्ध्र प्रदेश) में वायु सेना अकादमी के साथ अटैच किया गया।

(घ) जनवरी 2002 में गोवा में नौसेना अकादमी के साथ 25 कैडेटों को अटैच किया गया।

(ड.) मई/जून, 2002 में पश्चिमी नौसेना कमाण्ड के साथ 90 कैडेटों और दक्षिण नौसेना कमाण्ड पोत के साथ 60 कैडेटों को अटैच किया गया।

(च) मई-जून, 2002 में तमिलनाडु निदेशालय से 125 कैडेटों को आईएनएस शिवाजी के साथ 8 दिन के लिए और नौसेना डॉकयार्ड विज़ाग के साथ चार दिन के लिए अटैच किया गया।

(छ) जनवरी, 2002 में 96 कैडेटों को एनसीसी रेगाटा के लिए आईएनएस चिल्का के साथ अटैच किया गया।

13.6 **ग्लाइडिंग और माइक्रोलाइट फ्लाइंग**-34 वायु स्कवॉड्रन में ग्लाइडिंग सुविधाओं की व्यवस्था है। वर्ष के प्रथम छः माह की अवधि के दौरान एनसीसी वायु स्कवॉड्रन में 388.6 लांच और 36 घंटे की माइक्रोलाइट उड़ानें भरी गईं। वायु स्कंध कैडेटों में विमानन जानकारी को प्रोत्साहित करने के लिए एनसीसी 39 ज़ेन एयर और 06 'एक्स' एयर माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट सम्मिलित किए गए हैं।

13.7 **समुद्री प्रशिक्षण** - समुद्री प्रशिक्षण के अतिरिक्त नौसेना, विदेशी बंदरगाहों पर 16 कैडेटों को अपनी पोत में ले गई। कोस्ट गार्ड द्वारा भी प्रति वर्ष एक सप्ताह के लिए 12 कैडेटों को समुद्री यात्रा और 12 कैडेटों को समुद्री हमले (सी सॉर्टी) के लिए ले जाया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रति वर्ष सात से दस दिन के लिए 65 कैडेटों को पूर्व नौसेना कमाण्ड की पोतों के साथ और 80 कैडेटों को पश्चिम नौसेना कमाण्ड के साथ अटैच किया जाता है।

13.8 **साहसिक प्रशिक्षण**-कैडेटों में साहस, नेतृत्व, टीम वर्क और साहसिक भावना आदि विशेष गुणों को विकसित करने के लिए साहसिक गतिविधियां आयोजित की जाती हैं।

(क) **पर्वतारोहण पाठ्यक्रम :** इस वर्ष कैडेटों के लिए बेसिक और एडवांस पाठ्यक्रमों के लिए 178 रिक्तियां आबंटित की गईं।

(ख) **साहसिक पाठ्यक्रम :** प्रति वर्ष एनसीसी, कनिष्ठ प्रभाग स्कंध के 53 छात्र और 30 छात्रा कैडेटों को, हिमालयी पर्वतारोहण संस्थान, दार्जीलिंग और नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिरिंग उत्तरकाशी में, साहसिक पाठ्यक्रमों के लिए सिफारिश करती है और छात्र व छात्राओं दोनों के लिए आवश्यक रिक्तियां आबंटित की जाती हैं।

(ग) **पर्वतारोहण अभियान :** प्रत्येक वर्ष छात्रों और छात्राओं के लिए एक-एक पर्वतारोहण अभियान आयोजित किए जाते हैं जिसमें प्रत्येक में 20 कैडेट होते हैं। इस वर्ष छात्र कैडेटों ने बन्दरपुंछ चोटी (21851 फुट) के लिए तथा छात्रा कैडेटों ने रूद्रगौरा चोटी (19091 फुट) के लिए पर्वतारोहण अभियान में भाग लिया। अभी तक जितने भी छात्रा पर्वतारोहण अभियान हुए हैं उनकी ऊंचाई 23360 फुट रिकार्ड की गई, जो छात्र कैडेटों द्वारा पर्वतारोहण अभियान से 1,015 फुट अधिक है।

(घ) **साईकिल और मोटर साईकिल अभियान :** ये अभियान राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तर पर आयोजित किए गए।

(च) **ट्रेकिंग अभियान :** प्रति वर्ष 10 अखिल भारतीय ट्रेकिंग अभियान (छात्रों के लिए 7 और छात्राओं के लिए 3) आयोजित किए जाते हैं। प्रत्येक ट्रेक में 1,000 कैडेट भाग लेते हैं।

(छ) **पैरा सेलिंग :** सरकार द्वारा वर्ष 1999 से लागू होकर छह वर्षों के लिए एक पैरा सेल प्रति ग्रुप मुख्यालय के हिसाब से 546 पैरा सेल स्वीकृत किए गए हैं। निदेशालयों द्वारा नियमित लांच आयोजित किए जाते हैं। जून, 2002 तक 8348 कैडेटों को पैरा सेलिंग में प्रशिक्षित किया गया।

(ज) **पैरा जम्प :** प्रति वर्ष पैरा ट्रेनिंग स्कूल, आगरा में 20 छात्र व 20 छात्रा एनसीसी कैडेटों को प्रशिक्षित किया जाता है। यह पाठ्यक्रम 05 नवम्बर से 24 नवम्बर, 2002 तक आयोजित किया गया है।

(झ) **स्लिदरिंग :** वरिष्ठ प्रभाग के 10 कैडेटों तथा वरिष्ठ स्कंध के 10 कैडेटों को स्लिदरिंग में प्रशिक्षित किया गया।

(ट) **स्कूबा डाइविंग :** महाराष्ट्र/आन्ध्र प्रदेश निदेशालयों से 35 कैडेटों ने स्कूबा डाइविंग प्रशिक्षण लिया और प्रशिक्षण प्रतियोगिताओं में भाग लिया। इसके साथ-साथ केरल निदेशालय से 10 कैडेटों ने लक्षद्वीप में स्कूबा डाइविंग की।

(ठ) **मरुस्थल ऊंट सफ़ारी :** जैसलमेर, राजस्थान में 08 से 18 नवम्बर, 2002 तक मरुस्थल ऊंट सफारी का आयोजन किया गया जिसमें 20 एनसीसी कैडेटों तथा वियतनाम से आए पांच कैडेटों ने भाग लिया।

13.9 निम्नलिखित क्रूज़ आयोजित किए गए :

(क) **तटरक्षक क्रूज :** कोच्चि से सेशल्स तक तथा वापसी यात्रा में छह नौसैनिक वरिष्ठ प्रभाग कैडेट (01 से 17 अक्टूबर, 2002)।

(ख) **नौसेना क्रूज :** आठ नौसेना वरिष्ठ प्रभाग कैडेटों ने कोच्चि से कुवैत, बहरीन तथा वापसी की यात्रा की (06 से 31 अक्टूबर, 2002)।

युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम

13.10 यूनाइटेड किंग्डम, सिंगापुर, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, वियतनाम, भूटान तथा रूस के साथ पारस्परिक आधार पर तथा मालदीव और त्रिनिदाद व टोबैगो के साथ अपारस्परिक आधार पर राष्ट्रीय कैडेट कोर का युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम है। 130 से अधिक कैडेट इन कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। इस वर्ष युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम के अन्तर्गत पहली बार हमारे कैडेट रूस तथा वियतनाम की यात्रा पर गए। अन्य मित्र देशों को भी इसमें सम्मिलित करने के प्रयास जारी हैं।

13.11 वर्ष के दौरान वाई ई पी के अधीन निम्नलिखित यात्राएं की गईं/की जाएंगी :

(क) रूस के साथ युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम आरंभ करने के लिए 25 जून से 29 जून, 2002 तक एनसीसी महानिदेशक तथा अपर महानिदेशक (ए) की रूस यात्रा।

(ख) वायु स्कंध तथा नौसेना स्कंध से एक-एक अफसर तथा चार-चार कैडेटों की 01 जून से 15 जून, 2002 तक सिंगापुर यात्रा।

(ग) 16 जुलाई से 31 जुलाई, 2002 तक एक अफसर व बारह कैडेटों की युनाइटेड किंगडम यात्रा।

(घ) 03 सितम्बर से 22 सितम्बर, 2002 तक एक अफसर व बीस कैडेटों की वियतनाम यात्रा।

(च) 23 सितम्बर से 02 अक्टूबर, 2002 तक पहली बार दो अफसरों तथा दस कैडेटों की रूस यात्रा।

(छ) 14 अक्टूबर से 22 अक्टूबर, 2002 तक दो कैडेटों की श्रीलंका यात्रा।

(ज) नवम्बर, 2002 के दौरान दो अफसरों तथा बारह कैडेटों की भूटान यात्रा।

(झ) दिसम्बर, 2002 के दौरान शिविर पिनाकल में भाग लेने के लिए दो अफसरों तथा आठ कैडेटों की सिंगापुर यात्रा।

(ट) फरवरी 2003 में नेपाली एनसीसी शिविर तथा सेना दिवस परेड में भाग लेने के लिए एक अफसर तथा दो कैडेटों की नेपाल यात्रा।

(ठ) मार्च, 2003 में एक अफसर तथा बारह कैडेटों की बांग्लादेश यात्रा।

सामुदायिक विकास

13.12 इन गतिविधियों का आयोजन हमारे युवाओं को अपने देशवासियों की आवश्यकताओं के प्रति जागरूक तथा संवदेनशील बनाने के लिए और सामुदायिक जीवन में सार्थक योगदान हेतु प्रेरित करने के लिए किया जाता है। समाज की बदलती आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर इस महत्वपूर्ण पहलू की समीक्षा की जाती है। इस क्षेत्र में रक्तदान, वृक्षारोपण, दहेज विरोधी शपथ ग्रहण तथा पोलियो-मुक्त आन्दोलन जैसी पारस्परिक गतिविधियों के साथ-साथ एनसीसी ने एड्स जागरूकता कार्यक्रम, भ्रष्टाचार विरोध, सतर्कता जागरूकता तथा कुष्ठ विरोध जैसे आन्दोलनों को भी सम्मिलित किया है। इसके साथ-साथ साईकिल अभियान जैसी नई व्यवस्थाओं को भी सम्मिलित किया गया है जिनके ज़रिए यातायात के विभिन्न माध्यमों द्वारा नए संदेश और विषयों को प्रतिपादित किया गया है। हमेशा आगे रहने वाले एनसीसी कैडेटों द्वारा गुजरात भूकम्प, उड़ीसा चक्रवात, गुजरात में हुए

सांप्रदायिक दंगों तथा बिहार रेल दुर्घटना के समय प्रदान की गई सहायता की सभी ने प्रशंसा की है। एक

राहत कार्यों में एनसीसी कैडेटों द्वारा सहायता

कैडेट के विकास के भाग के रूप में एनसीसी ने कई सामुदायिक विकास कार्यक्रम आरंभ किए हैं जो इस प्रकार हैं :

(क) **रक्तदान :** 1,65,693 कैडेटों ने इस वर्ष अभी तक 1,97,41,242 क्यूबिक सेंटीमीटर रक्त दान किया है।

(ख) **वृक्षारोपण :** इस वर्ष 8,52,680 पौधों को रोपित किया गया है जिनमें से 8,01,454 पौधे अभी भी जीवित हैं।

(ग) **प्रौढ़ शिक्षा :** 31,28,442 कैडेटों ने इस अभियान में भाग लिया जिसमें 4,45,716 प्रौढ़ व्यक्तियों को शिक्षित किया गया।

(घ) **एड्स के प्रति जागरूकता कार्यक्रम :** एनसीसी ने यू एन एड्स, एन ए सी ओ तथा सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा महानिदेशालय के साथ संयुक्त रूप से बड़े पैमाने पर एड्स के प्रति जागरूकता कार्यक्रम आरंभ किया है।

(च) **भ्रष्टाचार विरोध तथा जागरूकता कार्यक्रम।**

(छ) **अन्य कार्यक्रम :** उपर्युक्त के अतिरिक्त 3,87,196 कैडेटों ने कुष्ठ-विरोधी तथा दहेज-विरोधी अभियानों में भाग लिया तथा नेत्रदान की प्रतिज्ञा भी की। कैडेट नियमित रूप से वृद्धाश्रमों में भी सहायता करते हैं।

कार्मिक

13.13 **ऑपरेशन पराक्रम :** एनसीसी की विभिन्न यूनिटों में नियुक्त 449 सेना तथा 32 वायुसेना अफसर एटैचमेंट पर ऑपरेशन पराक्रम पर भेजे गए। ऑपरेशन पराक्रम में संवर्धन के अधिकतर अफसर एनसीसी से भेजे गए हैं।

13.14 **पूर्णकालिक महिला अफसर (डब्ल्यू टी एल ओ):** लेफ्टिनेंट की रैंक में पूर्णकालिक महिला अफसरों को 17 वर्ष के अंतराल के पश्चात एनसीसी में नियुक्त किया गया। 22 जुलाई, 2002 को कुल 19 पूर्णकालिक महिला अफसरों ने एनसीसी अफसर प्रशिक्षण अकादमी, ग्वालियर में प्री-कमीशन प्रशिक्षण प्रारंभ किया।

संभार तंत्र

13.15 कैडेटों के निशानेबाजी कौशल को बढ़ाने के लिए नए .22 राइफ़ल आयात किए गए हैं। वायुसेना का अनुभव प्राप्त करने के लिए और अधिक माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट प्रदान किए गए हैं तथा मोटरयुक्त ग्लाइडर खरीदने का मामला विचाराधीन है। जल सम्बन्धी गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए व्हाइट वॉटर राफ्टिंग संबंधी उपकरण तथा सर्फिंग बोर्ड खरीदे जा रहे हैं।

खेल

13.16 एनसीसी कैडेटों ने राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की गई निम्नलिखित गतिविधियों में भाग लिया :-

(क) **अखिल भारतीय जी.वी. मावलंकर शूटिंग चैम्पियनशिप :** 12वीं अखिल भारतीय जी. वी. मावलंकर शूटिंग चैम्पियनशिप 24 अगस्त से 08 सितम्बर, 2002 तक कोयंबटूर तमिलनाडु में आयोजित की गई। एनसीसी की टीम ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में तीन रजत तथा एक कांस्य पदक जीता।

(ख) **सुब्रोतो कप :** पूर्वोत्तर क्षेत्र की टीम ने 20 नवम्बर से 18 दिसम्बर, 2002 तक आयोजित हुई सुब्रोतो कप की सब-जूनियर प्रतियोगिता में भाग लिया।

(ग) **जवाहरलाल नेहरू हॉकी टूर्नामेंट :** 11 अक्टूबर से 01 नवम्बर, 2002 तक आयोजित हुए टूर्नामेंट में पहली बार एनसीसी की तीन टीमों ने प्रतिभागिता की। कर्नाटक से छात्राओं की टीम क्वार्टर फ़ाइनल में पहुंची। कर्नाटक की छात्र टीम इस टूर्नामेंट में रनर-अप रही।

(घ) **राष्ट्रीय शूटिंग चैम्पियनशिप :** पांच एनसीसी कैडेटों ने 11 से 22 नवम्बर, 2002 तक बंगलौर में आयोजित हुई राष्ट्रीय शूटिंग चैम्पियनशिप में भाग लिया।

(च) **राष्ट्रमण्डल खेल :** एनसीसी में शूटिंग प्रशिक्षण प्राप्त एक भूतपूर्व एनसीसी कैडेट अंजलि वेदपाठक ने राष्ट्रमण्डल खेलों में चार स्वर्ण पदक जीत कर देश को गौरवान्वित किया है।

कैडेट कल्याण संस्था

13.17 कैडेट कल्याण संस्था की स्थापना 1985 में की गई थी जिसका उद्देश्य कैडेटों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना था। धीरे-धीरे संस्थान के उद्देश्यों को बढ़ाकर इसमें कैडेटों के लिए लाभकारी अन्य योजनाओं को भी सम्मिलित किया गया। एनसीसी

गतिविधियों के दौरान आहत हुए अथवा हताहत हुए एनसीसी कैडेटों को यह संस्था वित्तीय सहायता/अनुदान उपलब्ध करवाती है।

13.18 उपर्युक्त के अतिरिक्त, यह संस्था अध्ययन में मेधावी छात्रों/कैडेटों को 5000/- रु. प्रत्येक की 500 छात्रवृत्तियां देती है। यह प्रति ग्रुप वरिष्ठ प्रभाग/वरिष्ठ स्कंध/कनिष्ठ प्रभाग/कनिष्ठ स्कंध, प्रत्येक वर्ग में एक सर्वोत्तम तथा एक उत्तम कैडेट को अवॉर्ड देती है जिसका मूल्य 3,000/- रु. तथा 2,000/- रु. क्रमशः आता है। यह खेल/रोमांचक गतिविधियों के लिए भी फंड उपलब्ध करवाती है जिसके लिए किसी अन्य सार्वजनिक फंड से धनराशि उपलब्ध नहीं हो पाती है।

13.19 1948 में अपनी छोटी-सी शुरुआत के पश्चात एनसीसी ने एक लंबा सफर तय किया है जैसाकि 2002 की उपलब्धियों से जाहिर है। 'एकता और अनुशासन' के अपने आदर्श वाक्य से सुसज्जित राष्ट्रीय कैडेट कोर कल के भावी नेतृत्व के निर्माण की ओर अग्रसर है।

रक्षा मंत्री एनसीसी दिवस समारोह में

14

सामान्य

गणतंत्र दिवस परेड में जांबाज दल

14.1 रक्षा मंत्रालय स्वायत्त संसाधनों को नियमित रूप से आर्थिक सहायता देकर शैक्षिक तथा साहसिक दोनों प्रकार के कार्यकलापों को प्रोत्साहन देता है। ये संस्थाएं हैं :-

(i) रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान, नई दिल्ली

(ii) दार्जिलिंग और उत्तरकाशी के पर्वतारोहण संस्थान; और

(iii) अरू, कश्मीर में जवाहर पर्वतारोहण एवं शीत क्रीड़ा संस्थान।

14.2 समीक्षाधीन अवधि के दौरान इन संस्थानों के महत्वपूर्ण कार्यकलाप नीचे दिए गए हैं :-

रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान

14.3 रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान की स्थापना राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित समस्याओं और रक्षा उपायों के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों पर पड़ने वाले प्रभाव के अध्ययन एवं अनुसंधान कार्य के लिए नवंबर, 1965 में की गई थी। पिछले वर्षों में इस संस्थान ने राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों पर नीति से संबंधित आधिकारिक अध्ययन करवाकर एक प्रमुख अनुसंधान संस्था के रूप में विकास किया है। यह संस्थान समय-समय पर यथासंशोधित सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम III, 1860 (पंजाब संशोधन अधिनियम 1957) के अंतर्गत एक पंजीकृत निकाय है तथा संस्थान के सदस्यों द्वारा चुनी गई एक कार्यकारी परिषद द्वारा संचालित किया जाता है। यह संस्थान राष्ट्रीय सुरक्षा की समस्याओं में रुचि रखने वाले राजनीतिक नेताओं, शोध अध्येताओं, मीडिया, जनता तथा सैन्य अफसरों तथा और अन्य के लिए खुला है।

14.4 **कार्य-कलाप :** ''अनिश्चितता के युग में एशियाई सुरक्षा रणनीतियां'' विषय पर मार्च, 2002 में चौथी वार्षिक एशियाई सुरक्षा संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। यह संगोष्ठी पहले की तीनों संगोष्ठियों की श्रृंखला में की गई थी तथा उन्हीं की तरह इसमें एशियाई देशों और प्रमुख शक्तिशाली देशों से नीति-निर्माताओं तथा विचारकों के रूप में विदेशी सहभागियों ने भाग लिया था। अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता उच्च स्तरीय तथा प्रोत्साहक थी। 5वां एशियाई सुरक्षा सम्मेलन जनवरी, 2003 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन की विषय-वस्तु ''2000-2010 में एशियाई सुरक्षा और चीन'' थी। इस सम्मेलन में 35 देशों के अध्येताओं ने भाग लिया था और उसमें 45 पेपर प्रस्तुत किए गए थे।

14.5 जनवरी, 2002 से संस्थान की पत्रिका ''स्ट्रैटेजिक एनालिसिस'' तिमाही पत्रिका बन गई है। इसके अतिरिक्त, रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान ''स्ट्रैटेजिक डाइजेस्ट'' भी निकालता है जो व्यापक विध्वंस करने वाले हथियारों, सैन्य सिद्धांतों, शस्त्रास्त्रों के हस्तांतरण तथा सम्बद्ध प्रौद्योगिकी-विकास पर प्रकाश डालने वाली तथा खुले स्रोतों से प्राप्त सूचना का मासिक संकलन है। इस पत्रिका में महत्वपूर्ण व्याख्यान, घोषणाएं और करार भी शामिल होते हैं।

14.6 वर्ष के दौरान संस्थान ने आगंतुक विद्वानों, राजनयिकों और विदेशी शिष्ट मंडलों/दलों के साथ कई गोल-मेज चर्चाएं आयोजित की हैं।

14.7 **प्रशिक्षण कार्यक्रम :** यह संस्थान शोध कार्य-कलापों के अलावा प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाता है तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा, सशस्त्र सेनाओं तथा अर्द्ध-सैन्य बलों के सरकारी अधिकारियों को प्रशिक्षण देता है। इसके संकाय सदस्यों को देश भर की विभिन्न प्रशिक्षण स्थापनाओं तथा विश्वविद्यालयों में अतिथि वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया।

14.8 **शोध अवस्थिति :** शोध संकाय सदस्यों की शोध-परियोजनाओं और रुचि के क्षेत्रों के आधार पर इसे दस समूहों में बांटा गया है। इन समूहों के कुछ महत्वपूर्ण कार्यों में विषय/क्षेत्र पर सामूहिक तथा केन्द्रित ध्यान देगा; संयुक्त आलेखों/शोध-कार्यकलापों के लिए प्रयास करना; आंतरिक मध्यस्थता सुनिश्चित करना तथा समूह के भीतर अन्य शोधकर्ताओं की सहायता करना तथा कनिष्ठ साथियों को सुधार की सलाह देना शामिल है। ये समूह सप्ताह में एक बार मिलते हैं तथा अन्य समूहों के सदस्य इन प्रक्रियाओं में शामिल हो सकते हैं। इस समय, आतंकवाद के विरुद्ध चल रहे युद्ध के संबंध में सैन्य समूह की अद्यतन जानकारी अधिकांश शोध संकाय द्वारा उपयोग की जा रही है।

14.9 **सूचना संसाधन :** इस संस्थान के पास राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा रणनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंधों, आतंकवाद, संघर्ष तथा शांतिकालीन अध्ययन और सम्बद्ध क्षेत्रों में उत्कृष्ट सूचना संसाधन आधार उपलब्ध है। इन क्षेत्रों में पुस्तकालय में 45,000 पुस्तकों का संकलन है तथा कई सीडी रोम डाटाबेस हैं। इसके अलावा, कई मुद्रित इलेक्ट्रानिक/आनलाइन जर्नल खरीदी जाती हैं।

14.10 **सूचना सेवाएं :** संस्थान के पुस्तकालय में प्राप्त सामयिक पत्रिका में प्रकाशित आलेखों, समाचारों और रिपोर्टों के ब्यौरों के प्रचार-प्रसार करने के प्रयास में ''करंट जर्नल कंटेंट्स'' के नाम से एक मासिक सामयिक सूचना सेवा शुरू कर दी गई है। यह मासिक बुलेटिन लगभग 70 महत्वपूर्ण जर्नलों की विषय सूची मुहैया कराती है। यह बुलेटिन अनुरोध पर शोधकर्त्ताओं तथा संस्थान के बाहरी सदस्यों को वितरित किया जाता है। अनुरोध करने

पर पूर्ण आलेखों की प्रतियां नाममात्र के प्रभार पर बाहरी सदस्यों को दी जाती हैं। यह बुलेटिन पाठकों द्वारा बहुत सराहा गया है।

14.11 **संस्थान की वेबसाइट :** यह संस्थान **www.idsa.india.org** नामक एक वेबसाइट चलाता है। इस वेबसाइट पर विभिन्न नए कार्यकलापों और कार्यकलापों में प्रगति दर्शाई जाती है। संस्थान की पत्रिका ''स्ट्रैटेजिक एनालिसिस'' का पूर्ण पाठ भी वेबसाइट पर उपलब्ध रहता है। वर्ष के दौरान लगभग 40,000 प्रयोक्ताओं ने वेबसाइट का उपयोग किया था।

पर्वतारोहण संस्थान

14.12 रक्षा मंत्रालय संबंधित राज्य सरकारों के साथ मिलकर तीन पर्वतारोहण संस्थान-पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग स्थित हिमालयी पर्वतारोहण संस्थान, उत्तरांचल में उत्तरकाशी स्थित नेहरू पर्वतारोहण संस्थान तथा जम्मू-कश्मीर में अरू स्थित जवाहर पर्वतारोहण एवं शीत क्रीड़ा संस्थान, जिसका अस्थायी मुख्यालय बरोट में है, चलाता है। ये संस्थान निजी पंजीकृत सोसाइटियों के रूप में चलाए जाते हैं तथा इन्हें स्वायत्त निकायों का दर्जा दिया गया है। रक्षा मंत्री इन संस्थानों के अध्यक्ष हैं, संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री संस्थान के उपाध्यक्ष हैं। इन संस्थानों का प्रशासन पृथक् कार्यकारी परिषद द्वारा चलाया जाता है जिनमें आम सभा द्वारा चुने गए सदस्य, दान-दाताओं और/या संस्थान के उद्देश्य को बढ़ावा देने वाले व्यक्तियों में से नामित सदस्य तथा केन्द्र व राज्य सरकारों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। रक्षा मंत्रालय और राज्य सरकार का एक-एक प्रतिनिधि इन संस्थानों के सचिव के रूप में कार्य करता है।

14.13 हिमायल पर्वतारोहण संस्थान, दार्जिलिंग की स्थापना 14 नवंबर, 1954 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा सर एडमंड हिलेरी के साथ स्वर्गीय तेनजिंग नोर्गे के 29 मई, 1953 को माउंट एवरेस्ट के प्रथम आरोहण की स्मृति में की गई थी। इस संस्थान की स्थापना से भारत में एक खेल के रूप में पर्वतारोहण को बढ़ावा मिला। पर्वतारोहण को और अधिक बढ़ावा देने तथा युवाओं में साहसिक भावना उत्पन्न करने के लिए अक्टूबर, 1966 में उत्तरकाशी में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान और अक्टूबर, 1983 में अरू, जम्मू-कश्मीर में जवाहर लाल पर्वतारोहण व शीत क्रीड़ा संस्थान की स्थापना की गई थी। घाटी में फैली अशांति के कारण, विद्यार्थी प्रशिक्षण के लिए अरू नहीं आना चाहते थे। तदनुसार, इस संस्थान को अगस्त, 1990 से अस्थायी रूप से बनिहाल के जम्मू की तरफ बरोट में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया था। तथापि, कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में कुल-प्रतिकूल रिपोर्टों को ध्यान में रखते हुए, इस संस्थान द्वारा आयोजित नियमित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को अप्रैल, 1996 से अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। यह संस्थान इस समय तदर्थ आधार पर कुछ पाठ्यक्रम आयोजित कर रहा है।

14.14 पर्वतारोहण संस्थानों के उद्देश्य निम्नलिखित हैं :-

(क) पर्वतारोहण तथा चट्टानों पर चढ़ने की तकनीकों के विषय में सैद्धांतिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण देना;

(ख) पर्वतों तथा अन्वेषण में रुचि के प्रति प्रेम उत्पन्न करना; और

(ग) शीत क्रीड़ाओं के प्रति प्रोत्साहित करना तथा उनका प्रशिक्षण देना।

14.15 ये संस्थान आधारभूत और उन्नत पर्वतारोहण पाठ्यक्रम, अनुदेश पद्धति पाठ्यक्रम, खोज व बचाव पाठ्यक्रम और साहसिक क्रियाकलाप संबंधी पाठ्यक्रम आयोजित करते हैं। सभी संस्थानों में विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों के पाठ्य विवरण, उनकी अवधि, सहभागियों की आयु सीमा और ग्रेडिंग पद्धति एक जैसी है। जिस समय संस्थानों में प्रशिक्षणार्थियों की संख्या कम होती है उस समय संस्थान देश में फैले पर्वतारोहण क्लबों/संगठनों के अनुरोध पर चट्टानों पर चढ़ाई करने संबंधी पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए अपने अनुदेशकों को वहां भेजते हैं। अनुदेशक विभिन्न अभियानों में भी भाग लेते हैं।

14.16 इन पाठ्यक्रमों के लिए देश के सभी भागों से प्रशिक्षणार्थी आते हैं। इनमें सेना, वायुसेना, नौसेना, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस तथा सीमा सुरक्षा बल के कार्मिक, राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेट और प्राइवेट विद्यार्थी शामिल होते हैं। इन पाठ्यक्रमों में विदेशियों को भी शामिल होने की अनुमति दी जाती है। इस वर्ष दिसम्बर, 2002 तक इन संस्थानों ने निम्नलिखित पाठ्यक्रम आयोजित किए हैं :-

संस्थान	आधारभूत	उन्नत	साहसिक	अनुदेश पद्धति पाठ्यक्रम	खोज व बचाव
हिमालय पर्वतारोहण संस्थान	05	02	08	01	-
नेहरू पर्वतारोहण संस्थान	06	03	03	1	1
जवाहर पर्वतारोहण संस्थान	03	02	03+10*	02	-

* अल्पकालिक साहसिक पाठ्यक्रम

नेहरू पर्वतारोहण संस्थान ने ओ एन जी सी के लिए एक विशेष पाठ्यक्रम तथा आई एम एफ, नई दिल्ली के संपर्क अधिकारियों के वास्ते एक पाठ्यक्रम भी चलाया।

14.17 इन पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित छात्रों की संख्या इस प्रकार है :-

संस्थान (हिमालय पर्वतारोहण संस्थान/ नेहरू पर्वतारोहण संस्थान)	आधारभूत	उन्नत	साहसिक	अनुदेश पद्धति पाठ्यक्रम	खोज व बचाव
पुरुष	538	104	357	15	21
महिला	125	33	165	09	02

वर्ष के दौरान जवाहर पर्वतारोहण संस्थान द्वारा आयोजित विभिन्न तदर्थ प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में कुल 1480 लड़के और 983 लड़कियों को प्रशिक्षित किया गया।

14.18 दार्जिलिंग और उत्तरकाशी संस्थानों के पास भारतीय पर्वतारोही अभियानों को नाममात्र के भाड़े पर देने के लिए पर्वतारोहण उपस्करों के अलग भंडार उपलब्ध हैं।

14.19 हिमालय पर्वतारोहण संस्थान, दार्जिलिंग में एक म्यूजियम परियोजना का निर्माण-कार्य उन्नत चरण में है और इसके शीघ्र पूरा हो जाने की आशा है। हिमालय पर्वतारोहण संस्थान, दार्जिलिंग वर्ष 1953 में माउंट एवरेस्ट पर प्रथम सफल आरोहण की स्वर्ण जयंती मनाने के लिए अप्रैल-मई, 2003 के दौरान नार्थ रिज (तिब्बत) की ओर से माउंट एवरेस्ट के लिए एक अभियान की योजना बना रहा है। इस अभियान का नेतृत्व हिमालय पर्वतारोहण संस्थान के प्रधानाचार्य द्वारा किया जा रहा है।

समारोह, सम्मान व पुरस्कार

14.20 रक्षा मंत्रालय गणतंत्र दिवस परेड, समापन समारोह, शहीद दिवस कार्यक्रम और स्वतंत्रता दिवस समारोह जैसे राष्ट्रीय समारोहों का आयोजन करता है। वीरता तथा विशिष्ट सेवा पुरस्कार प्रदान किए जाने के लिए राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोहों का आयोजन भी रक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रपति सचिवालय के साथ मिलकर किया जाता है। वर्ष 2002-2003 में आयोजित किए गए समारोह कार्यक्रम निम्नवत् हैं:-

स्वतंत्रता दिवस - 15 अगस्त, 2002

14.21 15 अगस्त, 2002 को प्रधानमंत्री ने तीनों सेनाओं तथा दिल्ली पुलिस द्वारा दिए गए सम्मान गारद का निरीक्षण करने के पश्चात् सेना बैंड द्वारा बजाए गए राष्ट्रीय गान के साथ लाल किला के परकोटे पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर 21 तोपों की सलामी भी दी गई। इसके उपरांत प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित किया। स्कूली बच्चों द्वारा विभिन्न भारतीय भाषाओं में गाये गए देशभक्ति समूह गानों के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ तथा दिल्ली के स्कूली बच्चों और एन सी सी के कैडेटों के राष्ट्रगान के साथ इस कार्यक्रम का समापन हुआ।

14.22 स्वतंत्रता दिवस, 2002 के अवसर पर निम्नलिखित वीरता पुरस्कारों की घोषणा की गई :-

अशोक चक्र	01 (मरणोपरांत)
वीर चक्र	03 (2 मरणोपरांत)
शौर्य चक्र	33 (10 मरणोपरांत)
सेना मेडल (वीरता) बार	04
सेना मेडल (वीरता)	221 (35 मरणोपरांत)
नौसेना मेडल (वीरता)	07
वायुसेना मेडल (वीरता)	05
विशेषोल्लेख-पत्र	04

रक्षा अलंकरण समारोह-2002

14.23 रक्षा अलंकरण समारोह 29 अक्तूबर तथा 2 नवंबर, 2002 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया गया जहां स्वतंत्रता दिवस, 2001 और गणतंत्र दिवस, 2002 पर घोषित निम्नलिखित पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कार विजेताओं को प्रदान किए गए :-

वीरता पुरस्कार

कीर्ति चक्र	11 (8 मरणोपरांत)
वीर चक्र	03
शौर्य चक्र-बार	01
शौर्य-चक्र	76 (22 मरणोपरांत)
कुल	91

विशिष्ट सेवा पुरस्कार

परम विशिष्ट सेवा मेडल	21
अति विशिष्ट सेवा मेडल-बार	02
अति विशिष्ट सेवा मेडल	45
कुल	68

14.24 युद्ध सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल-बार, विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल-बार, सेना मेडल, नौसेना मेडल तथा वायु सेना मेडल विभिन्न सेनाओं के सेनाध्यक्षों तथा वरिष्ठ कमांडरों द्वारा अलग-अलग आयोजित अलंकरण समारोह में प्रदान किए गए।

अमर जवान समारोह-2003

14.25 प्रधानमंत्री द्वारा उन वीरों के बलिदान की स्मृति में श्रद्धांजलि प्रदान करने के लिए 26 जनवरी, 2003 को इंडिया गेट की गुंबद के नीचे स्थित अमर जवान स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की गई जिन्होंने राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए अपनी जान कुर्बान की।

गणतंत्र दिवस परेड-2003

14.26 राजपथ पर हुए संक्षिप्त अलंकरण समारोह में राष्ट्रपति ने शहीदों के निकटतम संबंधियों को मरणोपरांत 2 अशोक चक्र प्रदान किए। अलंकरण समारोह के उपरांत राष्ट्रपति ने 26 जनवरी, 2003 को गणतंत्र दिवस परेड की सलामी ली। इस अवसर पर ईरान इस्लामिक गणराज्य के महामहिम श्री सैयद मोहम्मद खातिमी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस परेड में सेना की 61 कैवलरी की अश्वारोही टुकड़ी, टी-90 मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन, पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र, उन्नत हल्के हेलीकाप्टर, ध्रुव आदि जैसे यांत्रिक दस्तों, अर्द्ध सैन्य बलों, दिल्ली पुलिस, होम गार्ड्स, एन सी सी आदि के दस्तों ने भाग लिया। राकेट पॉड और अग्रवर्ती तोपयुक्त एम आई-17 हेलीकाप्टर, एम आई-35 हेलीकाप्टर, इन्द्र-2 पी सी रेडार आदि वायुसेना के वाहन दस्तों में शामिल थे और पिनाक एम बी आर, सेतु बिछावन टैंक टी-72, ब्रह्मोस और अग्नि-1 प्रक्षेपास्त्र, मानव रहित हवाई यान निशांत (चालक रहित वायुयान) रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के उपस्कर दस्तों में शामिल थे। राष्ट्रीय बहादुरी पुरस्कार से सम्मानित हाथियों पर सवार 21 बच्चे, 29 झांकियां और 10 सांस्कृतिक प्रस्तुतियां परेड के अन्य आकर्षण थे। इन झांकियों और बच्चों की प्रस्तुतियों में राष्ट्र की सांस्कृतिक विविधता और भिन्न-भिन्न क्षेत्र में देश की प्रगति की झलक भी प्रस्तुत की गई। राष्ट्रीय बहादुरी पुरस्कार से सम्मानित सेना सिगनल कोर के मोटर साइकिल प्रदर्शन तथा भारतीय वायु सेना के वायुयानों की सलामी (फ्लाईपास्ट) से परेड का भव्य समापन हुआ।

सम्मान और पुरस्कार

14.27 गणतंत्र दिवस, 2003 के अवसर पर वीरता व विशिष्ट सेवा के लिए निम्नलिखित पुरस्कारों की घोषणा की गई :-

अशोक चक्र	1 (1 मरणोपरांत)
कीर्ति चक्र	3 (1 मरणोपरांत)
शौर्य चक्र का बार	1
शौर्य चक्र	21 (7 मरणोपरांत)
परम विशिष्ट सेवा मेडल	28
अति विशिष्ट सेवा मेडल का बार	5
अति विशिष्ट सेवा मेडल	42
युद्ध सेवा मेडल	11
विशिष्ट सेवा मेडल का बार	5
विशिष्ट सेवा मेडल	118 (1 मरणोपरांत)
सेना मेडल (वीरता) का बार	5
सेना मेडल/नौसेना मेडल/ वायुसेना मेडल वीरता	180 (20 मरणोपरांत)
सेना मेडल/नौसेना मेडल/ वायुसेना मेडल (कर्त्तव्यपरायणता) का बार	3
सेना मेडल/नौसेना मेडल/ वायुसेना मेडल (कर्त्तव्यपरायणता)।	71

समापन समारोह-2003

14.28 29 जनवरी, 2003 को विजय चौक पर आयोजित समापन समारोह के साथ ही गणतंत्र दिवस समारोह संपन्न हुआ। इस समारोह में तीनों सेनाओं के बैंडों ने भाग लिया। इस समारोह के समापन पर राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ ब्लाक, साउथ ब्लाक और संसद भवन रोशनी से जगमगा उठे।

शहीदी दिवस समारोह-2003

14.29 30 जनवरी, 2003 को राष्ट्रपति ने राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री ने भी अपने मंत्रिमंडल के कुछ सहयोगियों के साथ राष्ट्रपिता को पुष्पांजलि अर्पित की। इसके उपरांत, राष्ट्रपिता की स्मृति में 1100 बजे दो मिनट का मौन रखा गया।

रक्षा अलंकरण समारोह, 2003

14.30 रक्षा अलंकरण समारोह-2003 दिनांक 11 और 26 मार्च, 2003 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया गया, जिसमें स्वतंत्रता दिवस, 2002 और गणतंत्र दिवस, 2003 को घोषित किए गए अलंकरण, राष्ट्रपति द्वारा प्राप्तकर्त्ताओं को प्रदान किए गए।

वीरता पुरस्कार

कीर्ति चक्र	6 (3 मरणोपरांत)
शौर्य चक्र बार	1
शौर्य चक्र	54 (17 मरणोपरांत)
योग	61

विशिष्ट सेवा पुरस्कार

परम विशिष्ट सेवा मेडल	28
अति विशिष्ट सेवा मेडल का बार	5
अति विशिष्ट सेवा मेडल	42
योग	75

राजभाषा प्रभाग

14.31 रक्षा मंत्रालय का राजभाषा प्रभाग मंत्रालय, इसके अधीनस्थ कार्यालयों, रक्षा उपक्रमों आदि में सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है। राजभाषा प्रभाग सरकारी कार्य में हिन्दी के प्रयोग के बारे में आदेशों/अनुदेशों पर तिमाही प्रगति रिपोर्टों, वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्टों, विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समितियों और हिंदी सलाहकार समितियों की तिमाही बैठकों और देश भर में स्थित विभिन्न कार्यालयों के निरीक्षण जैसे विभिन्न माध्यमों से नजर रखता है। इस प्रभाग के अन्य मुख्य कार्य इस प्रकार हैं :-

(i) मंत्रालय के विभिन्न कार्यालयों, प्रभागों तथा अनुभागों से प्राप्त सामग्री का अनुवाद करना;

(ii) गृह मंत्रालय की हिन्दी शिक्षण योजना के जरिए कर्मचारियों को मुख्यत: हिंदी, हिंदी आशुलिपि और हिंदी टंकण का प्रशिक्षण देना;

(iii) हिंदी कार्यशालाएं, संगोष्ठियां, सम्मेलन आदि आयोजित करके और मंत्रालय में चलाई गई विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएं लागू करके सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग बढ़ाना।

14.32 पिछले वर्षों की तरह राजभाषा प्रभाग ने इस वर्ष भी अपने लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित किए हैं जैसे हिंदी कार्यशाला आयोजित करना, मंत्रालय के भिन्न-भिन्न अनुभागों के निरीक्षण करना, हिंदी, हिन्दी आशुलिपि और हिंदी टंकण पाठ्यक्रमों के लिए 56 पदाधिकारियों को नामित करना, दो राजभाषा कार्यान्वयन समितियों आदि की प्रत्येक की चार बैठकें आयोजित करना आदि। ये सभी लक्ष्य पूरी तरह प्राप्त कर लिए गए हैं। वर्ष के दौरान नकद पुरस्कार आदि देने के लिए विभिन्न रक्षा संगठनों द्वारा प्रकाशित श्रेष्ठ गृह पत्रिकाओं का चयन करने संबंधी कार्य जारी है।

14.33 राजभाषा विभाग पूरे साल अनुवाद कार्य में जुटा रहता है। ऐसे अनुवाद के लिए प्राप्त सामग्री में सामान्य आदेश, अधिसूचनाएं, संकल्प, मंत्रिमंडल प्रस्ताव, प्रशासनिक और अन्य प्रतिवेदन, संसद प्रश्न आदि शामिल हैं। इसके अलावा वर्ष के दौरान लोक लेखा समिति मामलों, लेखापरीक्षा पैराओं, परामर्शदात्री समिति, स्थाई समिति, वार्षिक रिपोर्ट, संसद में रखे जाने वाले कागजात, अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों से संबंधित पत्र, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और अलंकरण समारोह से संबंधित सामग्री का भी हिन्दी में अनुवाद किया गया है।

14.34 कर्मचारियों को हिन्दी, हिन्दी आशुलिपि और हिन्दी टंकण में प्रशिक्षण देने के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्यों के अनुसार इन पाठ्यक्रमों में अधिकाधिक कर्मचारियों को नामित करने के प्रयास किए गए। वर्ष के दौरान हिन्दी कक्षाओं के लिए 41 कर्मचारियों को नामित किया गया जिनमें हिन्दी (प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ) के लिए 19, हिंदी आशुलिपि के लिए 12 और हिंदी टंकण के लिए 10 थे।

14.35 अधिकाधिक कर्मचारियों को हिंदी में काम करने के लिए प्रोत्साहित करने के वास्ते नवंबर, 2002 तक दो हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की गईं जिनमें 33 पदाधिकारियों ने भाग लिया। इन कार्यशालाओं का प्रयोजन पदाधिकारियों को अपना सरकारी काजकाज हिन्दी में करने के लिए प्रेरित करना था। इनमें भाग लेने वाले पदाधिकारियों से इसके लिए संबद्ध विषयों में अभ्यास कार्य दिया गया था और उन्हें राजभाषा अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बने नियमों की जानकारी भी दी गई ताकि वे अधिक विश्वास के साथ हिंदी में कार्य कर सकें। अधीनस्थ कार्यालयों, अंतर सेवा संगठनों और रक्षा मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को भी अपने-अपने संबद्ध कार्यालयों में हिन्दी में ऐसी हिन्दी कार्यशालाएं आयोजित करने की सलाह दी गई थी ताकि वे अपने कर्मचारियों को अपना सरकारी कामकाज हिन्दी में करने के लिए प्रोत्साहित कर सकें। राजभाषा प्रभाग के अधिकारियों ने हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन कराने में उनकी सहायता की तथा इस संबंध में उनका आवश्यक मार्गदर्शन किया।

14.36 **निगरानी :** रक्षा मंत्रालय सचिवालय, तीनों सेना मुख्यालयों, अंतर-सेवा संगठनों और रक्षा उपक्रमों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के बारे में समग्र निगरानी दो पृथक् विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समितियों द्वारा की जाती है जिनकी बैठकें नियमित रूप से हर तीसरे महीने होती हैं। ये समितियां संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए अधीनस्थ कार्यालयों में की गई प्रगति की अधिक प्रभावी ढंग से समीक्षा करती हैं। संसदीय राजभाषा समिति ने राजभाषायी निरीक्षण करने के लिए दिल्ली, फरीदाबाद, कोयंबतूर, जोधपुर, हैदराबाद और मुंबई आदि सहित संपूर्ण देश में स्थित विभिन्न रक्षा संगठनों का दौरा किया।

14.37 **हिन्दी पखवाड़ा :** मंत्रालय के साथ-साथ इसके अधीनस्थ कार्यालयों और रक्षा उपक्रमों में 1 से 14 सितंबर, 2002 के दौरान हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया था। इस अवसर पर गृहमंत्री, रक्षा मंत्री और मंत्रिमंडल सचिव द्वारा जारी किए गए संदेश मंत्रालय

के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों तथा तीनों सेना मुख्यालयों और सारे देश में फैले रक्षा संगठनों के बीच भी परिचालित किए गए। अधिकारियों और कर्मचारियों को अपना सरकारी काजकाज हिन्दी में करने के लिए प्रेरित किया गया। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पखवाड़े के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिनमें 224 पदाधिकारियों ने भाग लिया और उनमें से 107 पदाधिकारियों को 43,700/- रुपए के पुरस्कार दिए गए। पखवाड़े के बाद वर्ष के अंत में पुरस्कार वितरण समारोह, हिन्दी कार्यशालाओं, राजभाषायी निरीक्षण, वैयक्तिक संपर्क कार्यक्रम, राजभाषा कार्यान्वयन समितियों आदि की बैठकों का आयोजन किया गया।

14.38 **सलाहकार समितियां :** रक्षा मंत्रालय में दो सलाहकार समितियां हैं जिनमें से एक रक्षा विभाग और रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग तथा दूसरी रक्षा उत्पादन एवं पूर्ति विभाग की है। इन समितियों की बैठकें समय-समय पर आयोजित की जाती हैं।

विदेशों के साथ रक्षा सहयोग

14.39 मित्र राष्ट्रों के साथ रक्षा सहयोग का सुदृढ़ीकरण हमारी समग्र विदेश तथा रक्षा नीतियों का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य तथा अंग है। वैश्विक तथा सीमापार के आतंकवाद से उत्पन्न खतरों तथा इनके कारण अंतरराष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय राजनीतिक-सामरिक परिवेश में आए बदलावों से सुरक्षा अवधारणाओं की ओर अधिक ध्यान आकृष्ट हुआ है तथा इससे कई देशों के साथ गहन रक्षा संबंध, आदान-प्रदान कार्यक्रम तथा सहयोग में तेजी आई है।

14.40 वर्ष 2002-03 में शुरू हुए भारत के द्विपक्षीय रक्षा संबंधों का संक्षिप्त अवलोकन आगामी पैराग्राफों में दर्शाया गया है।

14.41 भारत से सटे पड़ोसियों के साथ रक्षा संबंधों को पहले ही 'सुरक्षा परिवेश' से संबंधित अध्याय-1 के संदर्भ में शामिल किया जा चुका है। वर्ष के दौरान रक्षा, सैन्य तथा सुरक्षा संबंधी आदान-प्रदान कार्यक्रमों का संक्षिप्त सार निम्नवत् है।

14.42 चीन के साथ अन्य क्षेत्रों सहित राजनीतिक, आर्थिक तथा रक्षा क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों में सुधार के प्रयास जारी हैं। वर्ष 1988 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री की चीन यात्रा के बाद चीन से फिर से आरंभ किया गया रक्षा संबंधी आदान-प्रदान कार्यक्रम मई, 1998 में भारत के परमाणु परीक्षण के बाद स्थगित कर दिया गया था। ये संबंध सितंबर, 2000 में भारतीय नौसेना पोत की शंघाई यात्रा के बाद पुनः शुरू हो गए। वर्ष 2002 में, चीन तथा भारत के 2 सैन्य प्रतिनिधि मण्डलों के पारस्परिक दौरे हुए। भारतीय अफसरों ने भी एन डी यू बीजिंग स्थित राष्ट्रीय सुरक्षा तथा सैन्य कमान पाठ्यक्रम में भाग लिया।

14.43 जहां तक भारत के पूर्वी पड़ोसी देशों का संबंध है, सेनाध्यक्ष ने मई, 2002 में नेपाल तथा सितंबर, 2002 में भूटान का दौरा किया। नेपाल के सेना अध्यक्ष ने दिसंबर, 2002 में भारत का दौरा किया। इन दौरों से भारत तथा दोनों पड़ोसी देशों के साथ परंपरागत मैत्री और सद्भावपूर्ण संबंधों तथा भारत की नेपाल की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने में मदद करने की वचनबद्धता की पुष्टि हुई। बांग्लादेश के सेना अध्यक्ष दोनों देशों की सशस्त्र सेनाओं के बीच सद्भावनापूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने के लिए मार्च, 2003 में भारत आए। भारत के एक रक्षा शिष्टमंडल ने भारत और म्यांमार के बीच सहयोग के नए क्षेत्रों का पता लगाने के लिए सितंबर, 2002 में म्यांमार की यात्रा की।

14.44 भारत के वायुसेनाध्यक्ष ने फरवरी, 2003 में श्रीलंका का दौरा किया। इस यात्रा से दोनों देशों के सामरिक तथा सुरक्षा परिवेश में पारस्परिक चिंता के क्षेत्रों की पुनरीक्षा करने में मदद मिली। रक्षा सहयोग के संबंध में संभावित नई पहलों पर भी चर्चा की गई थी।

14.45 मालदीव के राष्ट्रीय सुरक्षा तथा रक्षा राज्यमंत्री ने दिसंबर, 2002 में भारत की यात्रा की। सुरक्षा तथा रक्षा प्रशिक्षण और रक्षा उपस्करों से संबंधित मामलों में मालदीव के साथ जारी भारत के रक्षा सहयोग की औपचारिक पुनरीक्षा की गई। जलसर्वेक्षण जैसे क्षेत्रों में रक्षा सहयोग की संभावना पर भी चर्चा की गई थी।

14.46 मध्य एशिया के गणराज्य भारत के वृहद सामरिक संबंधों वाले देशों में महत्वपूर्ण देश हैं। इस क्षेत्र के घटनाक्रमों का हमारे सुरक्षा हितों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इन देशों के साथ भारत के गहरे ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक संबंध हैं तथा इनके और विकास के लिए भारत प्रयासरत् है। भारत ने सबसे पहले सभी मध्य एशियाई राष्ट्रों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए।

14.47 रक्षा मंत्री ने अप्रैल, 2002 में तजाकिस्तान का दौरा किया जिसके दौरान भारत तथा तजाकिस्तान के मध्य रक्षा सहयोग करार पर हस्ताक्षर किए गए। तजाकिस्तान के उप रक्षामंत्री ने दिसंबर, 2002 में भारत की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान प्रशिक्षण,

रक्षा आपूर्ति तथा उद्योग से संबंधित जारी रक्षा सहयोग कार्यक्रमों की पुनरीक्षा की गई तथा इन्हें आगे बढ़ाया गया।

14.48 भारत तथा उज्बेकिस्तान की सुरक्षा चिंताएं एक जैसी हैं तथा इनके पास रक्षा सहयोग हेतु बेहतर संभावनाएं हैं। भारत के वायुसेनाध्यक्ष ने सितंबर, 2002 में उज्बेकिस्तान की यात्रा की। इसके बाद, भारत के रक्षा मंत्री ने फरवरी, 2003 में उज्बेकिस्तान का दौरा किया। यह किसी भारतीय रक्षा मंत्री की उज्बेकिस्तान की प्रथम यात्रा थी, जिससे पहले से जारी पारस्परिक रूप से लाभप्रद संबंधों में प्रगाढ़ता आयी तथा सुरक्षा तथा रक्षा के क्षेत्र में भावी सहयोग के बिंदुओं की पहचान की गई।

14.49 भारत के उन्नत रक्षा उद्योग को देखते हुए, रक्षा उद्योग तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कजाकिस्तान के साथ सहयोग की पर्याप्त संभावनाएं हैं। भारत के प्रधानमंत्री की कजाकिस्तान की यात्रा के दौरान जून, 2002 में कजाकिस्तान के साथ एक रक्षा सहयोग करार पर हस्ताक्षर किए गए जिससे दोनों देशों के बीच इस प्रकार के सहयोग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

14.50 फारस की खाड़ी तथा पश्चिमी एशिया क्षेत्र, विशेषकर भारत की ऊर्जा सुरक्षा के संदर्भ में, भारत के महत्वपूर्ण सामरिक पड़ोस के एक अंग हैं। इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी भी रहते हैं। इसलिए इस क्षेत्र की शांति तथा स्थिरता में भारत का महत्वपूर्ण हित निहित है।

14.51 भारत के ओमान के साथ अद्वितीय ऐतिहासिक संबंध हैं जिसके फलस्वरूप दोनों पक्षों की ओर से गहन रक्षा संबंध कायम करने हेतु इच्छा व्यक्त की गई है। विगत में, ओमान की सशस्त्र सेनाओं की चिकित्सा संबंधी कुछ जरूरतों को भारतीय सशस्त्र सेना के चिकित्सा स्टाफ द्वारा पूरा किया जाता था। ओमान अन्य देशों के साथ अपने संयुक्त सैन्य अभ्यासों में पर्यवेक्षक के रूप में भारतीय अधिकारियों को भी आमंत्रित करता रहा है। रक्षा मंत्री ने अक्टूबर, 2002 में ओमान की यात्रा की तथा रक्षा सहयोग संबंधी मुद्दों तथा पारस्परिक सुरक्षा हितों के अन्य मामलों पर बातचीत की।

14.52 भारत तथा इजरायल के बीच रक्षा संबंध लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे रक्षा सहयोग को संस्थागत रूप देने के लिए रक्षा सहयोग संबंधी भारत-इजराल संयुक्त कार्यकारी दल की प्रथम बैठक सितंबर, 2002 में इजराइल में हुई थी।

14.53 ईरान के राष्ट्रपति 26 जनवरी, 2003 को भारत के गणतंत्र दिवस के समारोह में मुख्य अतिथि थे। राष्ट्रपति के शिष्टमंडल में ईरान के रक्षामंत्री भी थे। इस यात्रा के दौरान द्विपक्षीय रक्षा सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की गई थी। भारत के नौसेना अध्यक्ष ने भी जनवरी, 2003 में ईरान की सद्भावना यात्रा की थी।

14.54 भारत की ''पूर्व की ओर दृष्टि'' विदेश नीति के भाग के रूप में दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों के साथ रक्षा सहयोग हमारे संबंधों का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसकी सामरिक अवस्थिति तथा इस क्षेत्र में अस्थिरता तथा आतंकवाद से उत्पन्न चुनौतियों के कारण यह क्षेत्र भारत के लिए एक सहयोगी सुरक्षा हित वाला क्षेत्र बन गया है। आशियान देशों के साथ भारत के बढ़ते मेल-मिलाप से भी रक्षा क्षेत्र में सहयोग में बढ़ोतरी हुई है। इस क्षेत्र के सिंगापुर, लाओस, वियतनाम, थाईलैण्ड, मलेशिया, इण्डोनेशिया तथा फिलीपीन्स जैसे कई देशों के साथ इस प्रकार के संबंधों में पारस्परिक पूरक सहयोग की तलाश की जा रही है।

14.55 रक्षा मंत्री ने जून, 2002 में सिंगापुर में एशियाई सुरक्षा सम्मेलन द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान में भाग लिया, जिसमें अन्य लोगों के साथ-साथ अमरीका, ब्रिटेन, जापान, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड, सिंगापुर, इण्डोनेशिया, मलेशिया तथा फिलीपीन्स के रक्षा मंत्रियों तथा वरिष्ठ रक्षा अधिकारियों ने भी भाग लिया था। भारत और सिंगापुर ने अपने रक्षा सहयोग के स्तर में वृद्धि करने के लिए गहन पारस्परिक रुचि भी जाहिर की। 10वां भारत-सिंगापुर संयुक्त नौसेना अभ्यास मार्च, 2003 में कोच्चि में किया गया था। सिंगापुर के नौसेना अध्यक्ष ने भी इस मौके पर भारत यात्रा की थी।

14.56 भारत के प्रधानमंत्री की नवंबर, 2002 में लाओस यात्रा के दौरान भारत और लाओस के बीच एक रक्षा सहयोग संबंधी करार पर हस्ताक्षर किए गए। इस करार में भावी द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के लिए संस्थागत ढांचे का प्रावधान है। लाओस के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री ने भारत और लाओस के बीच मुख्य रूप से लाओस रक्षा सेना के लिए सैन्य प्रशिक्षण के क्षेत्र में रक्षा संबंधों को बढ़ावा देने के लिए जनवरी, 2003 में भारत की यात्रा की थी।

14.57 भारत और मलेशिया के पास रक्षा सहयोग के लिए संभावनाओं पर चर्चा करने और उनका पता लगाने के लिए लंबे समय से एक स्थायी तंत्र है। मलेशिया-भारत रक्षा समिति की चौथी बैठक 12-13

सितंबर, 2002 के दौरान दिल्ली में हुई थी। इस समिति ने अन्य मामलों के साथ-साथ रक्षा उत्पादन तथा अनुरक्षण, प्रशिक्षण तथा सामान्य रक्षा उपस्करों के संबंध में सूचनाओं के आदान-प्रदान की संभावनाओं पर विचार-विमर्श किया था।

14.58 फिलीपीन्स के राष्ट्रीय रक्षामंत्री के गत फरवरी में भारत की यात्रा के दौरान डिफेंस-एक्सपो में दोनों देशों ने रक्षा सहयोग में वृद्धि करने की इच्छा जाहिर की थी ताकि भविष्य में आदान-प्रदान कार्यक्रमों को गति मिल सके। फिलीपीन्स के सेनाध्यक्ष ने अगस्त, 2002 में भारत की यात्रा की थी। इण्डोनेशियाई समुद्र में जलसर्वेक्षण, भारतीय नौसेना पोतों द्वारा इण्डोनेशिया, फिलीपीन्स तथा थाई बंदरगाहों की सद्भावना यात्राओं सहित आशियान देशों के साथ रक्षा से संबंधी संविदाएं की गईं।

14.59 भारत के द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के क्षेत्र में पूर्व एशिया/प्रशांत क्षेत्र का मुद्दा किसी विशेष उल्लेख के साथ नहीं उठाया गया। तथापि वर्ष 2002-03 में इस क्षेत्र में जापान, कोरिया गणराज्य, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैण्ड जैसे देशों के साथ कई संविदाएं की गईं।

14.60 हिन्द महासागर में समुद्री तटों की रक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने में, विशेषकर समुद्री डकैती और पारगमन संबंधी अपराधों और भारत और जापान के साझा हितों के कारण उनके संबंधित नौसेना और तटरक्षक बल संगठनों को आपस में व्यापक विचार-विमर्श करना पड़ा। रक्षामंत्री ने जुलाई, 2002 में जापान का दौरा किया और जापान के रक्षामंत्री के साथ पारस्परिक, सामरिक हित के क्षेत्रों के संबंध में व्यापक रूप से चर्चा की। जापान के वायुसेनाध्यक्ष ने दिसंबर, 2002 में भारत का दौरा किया। दोनों देश ए आर एफ के संदर्भ में गहन बातचीत करते रहे हैं। ऐसी वार्ताओं तथा अन्य संविदाओं से सुरक्षा और रक्षा क्षेत्रों में एक-दूसरे के साथ जान-पहचान और सद्भावना का स्तर बढ़ा है।

14.61 भारत और आस्ट्रेलिया ने रक्षा और सुरक्षा संबंधी अपनी बातचीत और संविदाओं को वर्ष 2001 में पुनः शुरू किया है। रक्षा मंत्री ने जून, 2002 में सिंगापुर में आयोजित एशिया सुरक्षा सम्मेलन के दौरान आस्ट्रेलिया के रक्षामंत्री से मुलाकात की थी। आस्ट्रेलिया के रक्षा सचिव ने अगस्त, 2002 में भारत का दौरा किया था। नौसेना अध्यक्ष ने नवंबर 2002 में आस्ट्रेलिया का दौरा किया। रक्षा प्रतिनिधियों ने मार्च, 2003 में कैनबरा में आयोजित भारत-आस्ट्रेलिया सामरिक बातचीत के दूसरे दौर में भाग लिया। ऐसी यात्राओं से एक-दूसरे की सुरक्षा चिंताओं को बेहतर ढंग से समझने और सहयोग के संभावित क्षेत्रों की पहचान करने में सहायता मिलती है।

14.62 रूस का भारत के साथ गहन ऐतिहासिक संबंध रहा है। राजनैतिक और रक्षा दोनों स्तरों पर रूस के साथ भारत का संबंध, विश्वास और आपसी समझ सदैव बनी रही है। सेना, नौसेना और वायुसेना के अधिकांश प्लेटफार्म सोवियत/रूसी मूल के हैं। रूस से कई नई अधिप्राप्तियां किए जाने की योजना बनाई जा रही है।

14.63 रक्षा मंत्री ने अप्रैल, 2002 में रूस का दौरा किया। इस यात्रा के दौरान चल रहे रक्षा सहयोग से संबंधित मुद्दों पर रूसी नेतृत्व के साथ व्यापक बातचीत हुई थी। नौसेना अध्यक्ष ने भी नौसेना से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने और उसे आगे बढ़ाने के लिए अगस्त, 2002 में रूस का दौरा किया था।

14.64 सैन्य-तकनीकी सहयोग संबंधी भारत-रूस अंतर-सरकारी आयोग की तीसरी बैठक रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में 15-17 जनवरी, 2003 के दौरान मास्को में हुई थी, जिसमें इस समय जारी तथा भावी रक्षा सहयोग संबंधी कार्यक्रमों की समीक्षा की गई तथा उन पर चर्चा हुई थी। इन मुद्दों को शामिल करते हुए भारत तथा रूसी पक्ष के बीच विभिन्न स्तरों पर नयाचार पर भी हस्ताक्षर भी किये गये थे।

14.65 पूर्व सोवियत संघ तथा अपने नये सहयोगियों के साथ मध्य तथा पूर्वी यूरोप के कुछ राष्ट्रों के गहन सैन्य संबंधों से रक्षा सहयोग के लिए महत्वपूर्ण अवसर मिले हैं। भारत ने भी इस क्षेत्र में यूक्रेन, बेलारूस, पोलैण्ड, बुल्गारिया तथा चैक गणराज्य तथा अन्य देशों के साथ रक्षा मामलों में सक्रिय सहयोग का प्रयास किया है।

14.66 यूक्रेन के पास काफी वृहद आकार का रक्षा उद्योग है, जिसमें भारतीय सशस्त्र बलों की रुचि के भी कई क्षेत्र शामिल हैं। हमारे वायुसेनाध्यक्ष ने सितंबर, 2002 में यूक्रेन का दौरा किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति यूक्रेन के रक्षा मंत्री के साथ अक्टूबर, 2002 में भारत आए थे। रक्षा मंत्री ने दोनों देशों के रक्षा प्रतिष्ठानों के बीच के संबंधों को बढ़ाने के बारे में यूक्रेन के रक्षा मंत्री से चर्चा की थी।

14.67 बेलारूस के प्रधानमंत्री की सितंबर, 2002 में भारत की सरकारी यात्रा के दौरान उनके साथ

एक शिष्टमंडल आया था जिन्होंने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के संभावित क्षेत्रों पर रक्षा मंत्री से चर्चा की थी।

14.68 इसी प्रकार भारत और पोलैण्ड के बीच रक्षा सहयोग के काफी अवसर हैं। पोलैण्ड के प्रधानमंत्री के फरवरी, 2003 के दौरान भारत के दौरे में उनके साथ वहां के राष्ट्रीय सुरक्षा राज्य मंत्री के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल आया था। इस दौरे के समय भारत और पोलैण्ड के बीच रक्षा क्षेत्र में सहयोग संबंधी एक करार पर हस्ताक्षर हुए थे।

14.69 भारत द्वारा पश्चिम यूरोप में अपने प्रमुख वार्ताकारों के साथ सक्रिय सामरिक परिचर्चा की जाती है तथा प्रशिक्षण आदान-प्रदान, संयुक्त अभ्यास तथा रक्षा अधिप्राप्ति, उत्पादन तथा अनुसंधान एवं विकास जैसी बहुत सी गतिविधियों में आपस में लाभप्रद रक्षा संबंध मौजूद है। नई दिल्ली में 6 जनवरी, 2003 को आयोजित भारत-फ्रांस सामरिक वार्ता के नौवें दौर में रक्षा सहयोग तथा आपसी हित के विभिन्न मामलों पर विचार किया गया था। नवंबर, 2002 में पेरिस में आयोजित भारत-फ्रांस उच्च समिति के पांचवें दौर में आपसी सहयोग तथा रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने और उसका विविधीकरण करने संबंधी उपायों की गहन समीक्षा की गई। फ्रांस के प्रधानमंत्री श्री जीन पियरे रैफरिन की 6-7 फरवरी, 2003 की भारत यात्रा के दौरान उनका बेंगलूर में पहुंच कर ''एयरो इण्डिया 2003'' में उपस्थित होने से दोनों देशों द्वारा रक्षा के क्षेत्र में सहयोग को दिये जाने वाले महत्व का पता चलता है। इस अवसर पर फ्रांस और भारतीय रक्षा उद्योग के बीच चार संयुक्त सहयोग संबंधी करारों पर हस्ताक्षर हुए थे। मई, 2002 में गोवा के समुद्र में ''वरूण'' एक संयुक्त नौसेना अभ्यास का आयोजन किया गया था, जिसे फ्रांस के नौसेनाध्यक्ष द्वारा देखा गया था। इसके अलावा, ''गरूड़'' नामक एक बड़े पैमाने का संयुक्त वायुसेना अभ्यास फरवरी, 2003 में ग्वालियर में आयोजित हुआ था, जिसमें फ्रांस के वायु सेनाध्यक्ष भी उपस्थित थे।

14.70 इस वर्ष के दौरान यूनाइटेड किंग्डम के साथ रक्षा सहयोग की प्रगाढ़ता जारी रही। यूनाइटेड किंग्डम के रक्षा मंत्री श्री ज्यौफ हून ने जुलाई, 2002 में भारत का दौरा किया तथा रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ बहुत से विषयों पर चर्चा की। अधिकारी स्तर पर चर्चा का केन्द्र द्विपक्षीय रक्षा परामर्शदात्री समूह रहा है जोकि प्रतिवर्ष बैठकें करता रहा। इस समूह में संयुक्त प्रयासों के लिए कुछ क्षेत्रों का चयन किया। इस वर्ष यूनाटेड किंगडम के एकीकृत रक्षा स्टाफ के संयुक्त प्रमुख ने अप्रैल, 2002 में तथा यूनाइटेड किंग्डम के अधिप्राप्ति मंत्री ने भी एयरो इण्डिया 2003 में भाग लेने के लिए फरवरी, 2003 में भारत का दौरा किया।

14.71 रक्षा मंत्री ने 18-22 सितंबर, 2002 के दौरान इटली का दौरा किया। इसी क्रम में इटली के रक्षा मंत्री श्री एन्टोनिया मार्टिनो ने 2-5 फरवरी, 2003 के दौरान भारत का दौरा किया। इस दौरान रक्षा सहयोग स्थापित करने संबंधी एक रक्षा सहयोग करार पर हस्ताक्षर किए गए। इटली के साथ सैन्य स्तरीय संस्थागत संपर्क नियमित बना रहा, इस समिति की पिछली बैठक जून, 2002 में हुई। सेनाध्यक्ष जनरल एस. पद्मनाभन ने अक्टूबर, 2002 के दौरान इटली तथा फ्रांस का दौरा किया।

14.72 इस वर्ष जर्मनी के साथ भी रक्षा संबंधों में वृद्धि हुई। जर्मनी के वायुसेनाध्यक्ष श्री गैरहार्ड बैक ने अक्टूबर, 2002 के दौरान भारत का दौरा किया जोकि किसी जर्मन सेनाध्यक्ष का 1992 के बाद पहला दौरा था। अगस्त, 2002 में बर्लिन में द्विपक्षीय सैन्य स्टाफ वार्ता का दूसरा दौरा आयोजित हुआ।

14.73 अमरीका-भारत के रक्षा संबंधों में 1998 के मध्य में गतिरोध आने के बाद पिछले कुछ वर्षों से उनमें सुधार आ रहा है। इस सहयोग में वर्ष 2002-03 के दौरान तब और वृद्धि हुई जब दोनों पक्षों के द्वारा काफी उच्च स्तर के दौरों का आदान-प्रदान हुआ। अमरीकी ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के प्रमुख ने फरवरी, 2002 में भारत का दौरा किया। भारतीय सेनाध्यक्ष अप्रैल, 2002 में, वायुसेनाध्यक्ष ने जून, 2002 में तथा नौसेनाध्यक्ष ने सितंबर, 2002 में अमरीका का दौरा किया। अमरीका के सेनाध्यक्ष फरवरी, 2003 में भारत आए।

14.74 भारत-अमरीका रक्षा नीति समूह की चौथी बैठक मई, 2002 में आयोजित हुई थी। इस बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण पहल की गई थीं। इनमें उच्च सघनता वाले समुद्री मार्गों में संयुक्त गश्त, आतंकवाद का सामना, अमरीका से हथियार तथा उपस्करों की आपूर्ति, पर्यावरण संरक्षा, रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग, मानवीय राहत तथा आपदा प्रबंध, खोज तथा बचाव कार्रवाइयां, साइबर सुरक्षा आदि सहित संयुक्त सैन्य अभ्यास शामिल हैं। अमरीका के साथ संयुक्त वायु अभ्यास मई-अक्टूबर, 2002 के दौरान आगरा में किए गए थे। भारतीय सेना तथ वायुसेना यूनिटों का अमरीका एआरपीएसी यूनिटों के साथ वायु

अभ्यास अलास्का में अक्टूबर, 2002 के दौरान आयोजित किया गया था। चौथा भारत-अमरीकी द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास कोच्चि के समुद्र में सितंबर-अक्टूबर, 2002 के दौरान आयोजित किया गया। मई, 2002 की डीपीजी बैठक के अनुसरण में दोनों देशों की वायुसेना, सेना तथा नौसेना के कार्यकारी संचालन समूहों की बैठक क्रमशः नवंबर, 2002, दिसंबर, 2002 तथा जनवरी, 2003 में हुई थी तथा इनमें विभिन्न आपसी कार्रवाई योजना बनाई गयी थी और इन्हें दोनों देशों के सैन्य सहयोग समूह द्वारा फरवरी, 2003 में आयोजित बैठक में अनुमोदित किया गया था।

14.75 अफ्रीकी महाद्वीप में ऐसे बहुत से देश हैं जिनके साथ भारत के प्रगाढ़ ऐतिहासिक तथा राजनैतिक रिश्ते हैं, जिनमें उपनिवेशवाद तथा नस्लवाद के विरुद्ध भारत के रुख तथा गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका के समर्थन देने वाले देश भी शामिल हैं। भारत-दक्षिण अफ्रीका रक्षा समिति की तीसरी बैठक दक्षिण अफ्रीका में नवंबर, 2002 में हुई थी। इस बैठक में सुरक्षा संबंधी विचारधाराओं का आदान-प्रदान हुआ था तथा उपस्करों की प्राप्ति, संयुक्त उत्पादन, प्रशिक्षण इत्यादि के अवसरों पर चर्चा हुई थी। भारत के नौसेनाध्यक्ष ने फरवरी, 2003 के दौरान दक्षिण अफ्रीका का दौरा किया था, जिसके बाद दक्षिण अफ्रीका के सेनाध्यक्ष ने भारत तथा दक्षिणी अफ्रीकी सशस्त्र बलों के बीच रक्षा सहयोग संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए भारत का दौरा किया।

भारत-अमरीकी संयुक्त अभ्यास

14.76 मारीशस गणतंत्र की हिन्दमहासागर में सामरिक अवस्थिति है। भारत और मारीशस रक्षा उपस्करों की भारत द्वारा आपूर्ति, मारीशस की नौसेना के पोतों को तकनीकी सहयोग, तटरक्षक बल से संबंधित सहयोग, प्रशिक्षण कार्यक्रमों इत्यादि जैसे रक्षा संबंधी कार्यक्रमों में सहयोग करते रहे हैं। जनवरी, 2003 में मारीशस के प्रधानमंत्री ने भारत की अपनी यात्रा के दौरान पश्चिमी नौसेना कमान का विशिष्ट दौरा किया।

14.77 जैसाकि उपर्युक्त से स्पष्ट है वर्ष 2002-03 के दौरान विश्व के अन्य देशों के साथ भारत के रक्षा सहयोग में अच्छी खासी वृद्धि हुई है। रक्षा सहयोगियों के साथ सहयोग का आधार सामरिक, सुरक्षा, राजनैतिक तथा वाणिज्यिक जरूरतें रहा है। इसके अलावा यह विभिन्न राष्ट्रों द्वारा भारत के एक शांतिपूर्ण, मध्यममार्गीय तथा इस क्षेत्र और अन्यत्र स्थायित्व लाने वाली ताकत होने की राय का भी प्रतीक है।

15

सतर्कता यूनिटों के कार्यकलाप और उपलब्धियां

15.1 रक्षा मंत्रालय में सतर्कता प्रभाग इस मंत्रालय में कार्यरत सभी समूह 'क' सिविलियन अधिकारियों से संबद्ध सतर्कता मामलों पर कार्रवाई करता है। प्रशासकीय सुविधा के नजरिए से रक्षा विभाग और रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन से संबद्ध सतर्कता कार्य एक मुख्य सतर्कता अधिकारी और रक्षा उत्पादन तथा पूर्ति विभाग से संबद्ध सतर्कता कार्य एक अन्य मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा किए जाते हैं। सतर्कता प्रभाग सतर्कता संबंधी सभी मामलों पर कार्य करता है और मंत्रालय/विभाग एवं केन्द्रीय सतर्कता आयोग के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। सतर्कता प्रभाग संवेदनशील स्थानों का नियमित और आकस्मिक निरीक्षण करने, प्रक्रिया की पुनरीक्षा और सुचारू संचालन करने तथा भ्रष्टाचार रोकने के प्रत्युपाय करने के लिए उत्तरदायी है। प्रधानमंत्री के कार्यालय और रक्षा मंत्री के शिकायत बाक्स के माध्यम से प्राप्त हुई शिकायतों पर भी सतर्कता प्रभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है।

लोक शिकायतों का निवारण

15.2 रक्षा मंत्रालय से संबद्ध सभी लोक शिकायतें प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के माधयम से रक्षा मंत्रालय के सतर्कता प्रभाग में प्राप्त होती हैं। प्रार्थी से शिकायतें सीधे भी ली जा सकती हैं। इन शिकायतों की पाक्षिक आधार पर नियमित रूप से पुनरीक्षा की जाती है। रक्षा मंत्रालय के विभिन्न अधीनस्थ संगठनों के सतर्कता अधिकारियों के नाम रक्षा मंत्रालय की वेबसाईट पर भी उपलब्ध हैं।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह का अनुपालन

15.3 केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन में 31 अक्टूबर से 6 नवंबर 2002 तक रक्षा मंत्रालय, सरकारी क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों, संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में नीचे दिए गए कार्यक्रमों के अनुसार सतर्कता सप्ताह का अनुपालन किया गया :

(क) शपथ

अफसरों तथा सभी कर्मचारियों ने साउथ ब्लॉक में रक्षा सचिव द्वारा दिलाई गई शपथ ली। शपथ ग्रहण के तुरंत पश्चात् मुख्य सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्त से प्राप्त संदेश पढ़े गए।

(ख) बैनर और पोस्टर

सरकारी कार्मिकों और जन-सामान्य को सतर्कता के प्रति जागरूक करने के लिए प्रमुख स्थानों पर बैनर और पोस्टर लगाए गए।

(ग) सतर्कता जागरूकता पर कार्यक्रम

रक्षा मंत्रालय के नियंत्रण में सभी कार्यालयों में सतर्कता जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और विभिन्न स्थानों पर विख्यात व्यक्तियों ने जनसमूह को संबोधित किया।

(घ) भ्रष्टाचार की रोकथाम पर निबंध/नारा लेखन

इस सप्ताह में सतर्कता और भ्रष्टाचार-रोधी निबंध और नारे लिखने की प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। सरकारी क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों और रक्षा विभागों द्वारा चलाए जा रहे विद्यालयों और कालेजों में से कुछ में इसी तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।

(ङ) पुरस्कार

सतर्कता जागरूकता कार्यक्रम का समापन विजेताओं को पुरस्कार वितरण के साथ किया गया।

16

महिलाओं का सशक्तिकरण एवं कल्याण

अफसर प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई में दीक्षांत समारोह में महिला कैडेट

16.1 रक्षा क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका में क्रमिक रूप से वृद्धि हो रही है। रक्षा उत्पादन यूनिटों, रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं और सशस्त्र सेनाओं में डाक्टर एवं नर्सिंग अफसर के रूप में भी महिलाओं की उपस्थिति पहले भी विद्यमान थी। सशस्त्र सेनाओं की विभिन्न गैर-योधी शाखाओं जैसे कि संभारिकी, न्यायिक आदि में महिलाओं के प्रवेशारंभ से रक्षा क्षेत्र में महिलाओं के लिए भूमिका बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है।

16.2 सशस्त्र सेनाओं की गैर-योधी शाखाओं में अफसरों के रूप में महिलाओं के शामिल होने के वास्ते महिला विशेष भर्ती योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना में कार्रवाई में मारे गए सैन्य अफसरों की पत्नियों को भी शामिल किया गया है। पात्रता प्राप्त महिलाओं को सेना, नौसेना और वायुसेना की विभिन्न शाखाओं में अल्प सेवा कमीशन पर अफसर के रूप में भर्ती किया जाता है।

16.3 रक्षा अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में भी महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। योग्य महिला वैज्ञानिक तथा तकनीकी अधिकारी एवं स्टाफ विविध अनुसंधान परियोजनाओं में सक्रिय रूप से कार्य कर रही हैं। कई वरिष्ठ महिला वैज्ञानिक विभिन्न रक्षा प्रयोगशालाओं/स्थापनाओं में महत्वपूर्ण रक्षा डिवीजनों के प्रमुख के रूप में कार्य कर रही हैं।

महिला वायुसेना अफसर प्रशिक्षण लेते हुए

16.4 लोक उद्यम स्थायी समिति (स्कोप) के तत्वावधान में सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाओं के एक पृथक् फोरम (डब्ल्यु आई पी एस) की स्थापना की गई है ताकि महिला कर्मचारियों की क्षमता का पूर्ण उपयोग करने में सरकारी क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों की सहायता की जा सके और सरकारी क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों में और उसके आस-पास महिलाओं की अवस्था में सुधार करने में उत्प्रेरक भूमिका निभाई जा सके। सरकारी क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों ने कामकाजी महिलाओं के वास्ते कुछ सुविधाओं जैसे कि कामकाजी महिलाओं की संतान के वास्ते शिशु-गृहों (क्रेच), उनके वास्ते दोपहर के भोजन और विश्राम कक्षों तथा कामकाजी महिलाओं के कल्याण हेतु शिकायत एककों का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त, उत्पादन यूनिटों में कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए मैकेनिज्म की स्थापना की गई है।

16.5 रक्षा क्षेत्र में महिलाओं की अधिकाधिक सहभागिता के लिए अवसरों का सृजन करना ही पर्याप्त नहीं है यह भी महत्वपूर्ण है कि उनको उपयुक्त कार्य का माहौल और कार्य करने की समुचित परिस्थितियां मुहैया करवाई जाएं। यद्यपि सशस्त्र बलों की सेवा शर्तें अलग हैं तथापि, रक्षा मंत्रालय ने इस संबंध में कई उपाय किए हैं। रक्षा मंत्रालय में कार्मिक शक्ति/मानव संसाधन विकास से संबंधित नीतियों में लिंग के आधार पर कोई अंतर/भेदभाव नहीं किया जाता।

16.6 कामकाजी महिलाएं अपने कर्तव्यों का सम्मानपूर्वक और निर्भय होकर निष्पादन कर सकें इसलिए कार्य-स्थल पर उन्हें यौन उत्पीड़न से बचाए जाने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों को सशस्त्र सेनाओं, अंतर-सेवा संगठनों, सरकारी क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों और रक्षा प्रयोगशालाओं/स्थापनाओं में कार्यान्वित किया जा रहा है।

16.7 इन निर्देशों के अनुसरण में महिला कर्मचारियों से प्राप्त शिकायतों के निवारण और महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित मामलों की समीक्षा के लिए मुख्यालय और यूनिट स्तर पर शिकायत समितियों का गठन किया गया है। उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार विभिन्न नियमों और विनियमों के प्रावधानों में संशोधन किया गया है।

16.8 राष्ट्रीय महिला आयोग के दिशा-निर्देश भी लागू किए जा रहे हैं और रक्षा मंत्रालय में महिला एकक, समस्त देश में फैले 23 नोडल महिला एककों की सहायता से कारगर रूप से कार्य कर रहा है। महिला एकक विशिष्ट रूप से महिला कर्मचारियों की शिकायतों पर विचार करते हैं।

महिला अफसर कार्य करते हुए

मानचित्र निरीक्षण

16.9 यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाते हैं कि महिलाओं को कार्य करने के लिए उचित स्थितियां मुहैया करवाई जाएं। प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों/प्रयोगशालाओं ने महिला कर्मचारियों के लिए शिशु-गृहों और विश्राम कक्षों की व्यवस्था की है। सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों में अपने कार्य स्थल से 5 कि.मी. के दायरे में रहने वाली महिला कर्मचारियों को परिवहन सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है।

16.10 कानूनी अधिकारों, कामकाजी महिलाओं के मनोविज्ञान, परिवार परामर्श, जीवनयापन की कला और तनाव प्रबंधन जैसे विषयों पर सरकारी क्षेत्र में महिलाओं के मंच (डब्ल्यू आई पी एस) के माध्यम से भाषण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। महिला कर्मचारियों के विकास और अनुषंगी कार्यकलापों से संबंधित मामले उठाए जाने के वास्ते ट्रेड यूनियनों, उपभोक्ता सहकारी संस्थाओं, गृह निर्माण संस्थाओं, खेलकूद कैंटीन आदि समितियों जैसे विभिन्न मंचों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में काफी वृद्धि हुई है।

16.11 रक्षा मंत्रालय में सैन्य कार्मिकों की विधवाओं के लिए कुछ विशेष पेंशन योजनाएं हैं जिनके माध्यम से युद्ध/युद्ध समान संक्रियाओं/प्रतिविद्रोही संक्रियाओं/सशस्त्र शत्रुओं के साथ हुई घटनाओं अथवा सैन्य सेवा परिस्थितियों की वजह से हुई या बढ़ी परिस्थितियों की स्थिति में मारे जाने की स्थिति में उदारीकृत परिवार पेंशन/सामान्य परिवार पेंशन/विशेष परिवार पेंशन उनका पुनर्विवाह होने के बावजूद दी जाती है बशर्ते कुछ शर्तें पूरी की जाएं।

परिशिष्ट-1

रक्षा मंत्रालय के विभागों के कार्यों की सूची

क. रक्षा विभाग

1. भारत और उसके प्रत्येक भाग की रक्षा करना, इसमें रक्षात्मक तैयारियां तथा ऐसे सभी काम आते हैं जो युद्ध के समय युद्ध को ठीक ढंग से चलाने तथा युद्ध के बाद सेना को कारगर ढंग से विसंघटित करने के लिए आवश्यक हैं।
2. संघ की सशस्त्र सेनाएं अर्थात् सेना, नौसेना, वायुसेना।
3. रक्षा मंत्रालय के समेकित मुख्यालय जिनमें सेना मुख्यालय, नौसेना मुख्यालय, वायुसेना मुख्यालय और रक्षा सेवा मुख्यालय भी शामिल हैं।
4. सेना, नौसेना और वायुसेना के रिजर्व।
5. प्रादेशिक सेना
6. राष्ट्रीय कैडेट कोर
7. सेना, नौसेना, वायुसेना और आयुध निर्माणियों से संबंधित कार्य।
8. रिमाउंट, वेटरनरी और फार्म संगठन।
9. कैंटीन स्टोर विभाग
10. रक्षा प्राक्कलनों से वेतन भोगी सिविलियन सेवाएं।
11. हाईड्रोग्राफिक सर्वेक्षण और नेवीगेशनल चार्ट बनाना।
12. छावनियों के निर्माण, छावनी क्षेत्रों की हदबंदी और कुछ क्षेत्रों को उसकी सीमा से बाहर निकालना, ऐसे क्षेत्रों के स्थानीय स्वायत्त शासन, ऐसे क्षेत्रों से छावनी बोर्डों का गठन तथा प्राधिकारियों और उनका अधिकार क्षेत्र तथा उनमें आवास संबंधी विनियमन (इसमें किराया नियंत्रण भी शामिल है।)
13. रक्षा प्रयोजनों के लिए भूमि और संपत्ति का अर्जन, अधिग्रहण, अभिरक्षा और उसकी वापसी, अनधिकृत कब्जा करने वालों को रक्षा भूमि और संपत्ति से बेदखल करना।
14. भूतपूर्व सैनिकों से संबंधित मामले, इनमें पेंशनभोगी भी शामिल हैं।
15. रक्षा लेखा विभाग।
16. (i) सेना के वास्ते पेंशन विनियम, 1961 (भाग 1 और 2)
    (ii) वायुसेना के वास्ते पेंशन विनियम, 1961 (भाग 1 और 2)
    (iii) नौसेना (पेंशन) विनियम, 1964; और
    (iv) सशस्त्र सैन्य कार्मिकों को हताहत पेंशनरी अवार्डों के हकदारी विनियम, 1982 का प्रशासन करना।
17. खाद्य एवं सिविल आपूर्ति मंत्रालय खाद्य विभाग को सौंपे गए के सिवाए सेना की जरूरतों की पूर्ति के लिए खाद्य सामग्री की खरीद और उसका निपटान।
18. तटरक्षक संगठन से संबंधित सभी मामले, जिनमें निम्नांकित भी शामिल हैं -
    (i) तेल बिखराव के खिलाफ समुद्री क्षेत्रों की निगरानी,
    (ii) बंदरगाहों के पानी और अपतटीय पर्यवेक्षण और उत्पादन प्लेटफार्मों, तटीय रिफाइनरियों और अनुषंगी सुविधाओं जैसे कि सिंगल बॉय मूरिंग (एस बी एम), क्रूड तेल टर्मिनलों (सी ओ टी) और पाइपलाइनों के 500 मीटर के भीतर के सिवाए विभिन्न समुद्री क्षेत्रों में तेल बिखरने से बचाना।
    (iii) केन्द्रीय, तटीय क्षेत्रों में तेल प्रदूषण के खिलाफ और विभिन्न समुद्रों के समुद्री परिवेश के मद्दे समन्वय एजेंसी,
    (iv) तेल बिखराव विनाश हेतु राष्ट्रीय आनुषंगिकता योजना का कार्यान्वयन और
    (v) तेल बिखराव संरक्षण और नियंत्रण, देश में जलपोतों और अपतटीय प्लेटफार्मों का निरीक्षण कार्य करना, इसमें वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 द्वारा शक्तिप्राप्त किए अनुसार बंदरगाहों की सीमाओं के भीतर का क्षेत्र शामिल नहीं है।
19. देश में गोताखोरी और संबंधित कार्य-कलापों से संबद्ध मामले।

20. रक्षा मंत्रालय के अधीन निम्नलिखित अंतर सेवा संगठन कार्य करते हैं :-

(i) सेना इंजीनियर सेवा

(ii) सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा

(iii) रक्षा संपदा महानिदेशालय

(iv) मुख्य प्रशासन अधिकारी का कार्यालय

(v) जन संपर्क निदेशालय

(vi) सेना क्रय संगठन

(vii) सेना खेलकूद नियंत्रण बोर्ड

(viii) सैन्य खेलकूद नियंत्रण बोर्ड

(ix) सेना चित्र प्रभाग

(x) विदेशी भाषा विद्यालय

(xi) इतिहास प्रभाग

(xii) राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय

(xiii) रक्षा प्रबंध महाविद्यालय

(xiv) रक्षा मंत्रालय पुस्तकालय

ख. रक्षा उत्पादन तथा पूर्ति विभाग

1. आयुध निर्माणी बोर्ड और आयुध निर्माणियां
2. हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड
3. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
4. माझगांव डॉक लिमिटेड
5. गार्डनरीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड
6. गोवा शिपयार्ड लिमिटेड
7. भारत डायनामिक्स लिमिटेड
8. मिश्र धातु निगम लिमिटेड
9. भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड
10. तकनीकी विकास और उत्पादन (वायु) निदेशालय सहित गुणता आश्वासन महानिदेशालय।
11. मानकीकरण निदेशालय सहित रक्षा उपस्करों और भंडारों का मानकीकरण।
12. वैमानिक उद्योग का विकास और नागर विमानन विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग से संबंधित प्रयोक्ताओं को छोड़कर अन्य प्रयोक्ताओं के कामकाज में समन्वय।
13. रक्षा प्रयोजन के लिए आवश्यक वस्तुओं का देशीकरण, विकास और उत्पादन।
14. मात्र रक्षा सेवाओं के लिए सामान की खरीद।
15. रक्षा उत्पादन में रक्षा निर्यात और अंतरराष्ट्रीय सहयोग।

ग. रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग

1. विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हो रही प्रगति का राष्ट्रीय सुरक्षा पर होने वाले प्रभाव का जायजा लेकर रक्षा मंत्री को उसकी जानकारी और सलाह देना।
2. हथियारों, हथियार-प्लेटफार्मों, सैन्य संक्रियाओं, निगरानी, सहायता, संभारिकी आदि से संबंधित सभी वैज्ञानिक पहलुओं के संबंध में और संघर्ष के सभी संभावित क्षेत्रों में रक्षा मंत्री, तीनों सेनाओं और अंतरसेवा संगठनों को सलाह देना।
3. विदेशी सरकारों से इस प्रकार की प्रौद्योगिकियों के अर्जन से संबंधित मामले, जिनका भारत को निर्यात किया जाना उस देश की राष्ट्रीय सुरक्षा नियंत्रण के तहत ही समझौता लिखित से संबद्ध सभी मामलों पर रक्षा मंत्रालय की नोडल समन्वय एजेंसी के रूप में विदेश मंत्रालय की सहमति लेकर कार्य करना।
4. राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान तथा डिजाइन, विकास, परीक्षण और मूल्यांकन संबंधी कार्यक्रम तैयार करना और उसे कार्यान्वित करना।
5. विभाग की एजेंसियों, प्रयोगशालाओं, स्थापनाओं, रेंजों, सुविधाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं का निर्देशन और प्रशासन।
6. वैमानिकी विकास एजेंसी।
7. सैन्य विमानों, उनके उपकरणों तथा भंडार की डिजाइन, वैमानन योग्यता के अभिप्रमाणन संबंधी सभी मामले।
8. संसाधन जुटाने के लिए विभाग के कार्यकलापों से तैयार प्रौद्योगिकियों के संरक्षण और हस्तांतरण से संबंधित सभी मामले।
9. रक्षा मंत्रालय द्वारा प्राप्त की जाने वाली सभी शस्त्र प्रणालियों और तत्संबंधी प्रौद्योगिकी के अधिग्रहण और मूल्यांकन के कार्यों में भाग लेना तथा वैज्ञानिक विश्लेषण में सहायता करना।
10. सशस्त्र सेनाओं के लिए उत्पादन इकाई तथा उद्यमों द्वारा विनिर्माण/विनिर्माण के लिए प्रस्तावों/उपस्कर और भंडार के आयात के प्रौद्योगिकीय और बौद्धिक संपदा के पहलुओं पर सलाह देना।
11. पेटेंट अधिनियम 1970 (1970 का 39) की धारा 35 के अंतर्गत प्राप्त मामलों पर कार्रवाई करना।
12. राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले विभिन्न पहलुओं पर विज्ञान तथा टेक्नॉलॉजी संबंधी अध्ययन और जनशक्ति को प्रशिक्षण देने के लिए व्यक्तियों, संस्थानों तथा निगमित निकायों को वित्तीय तथा अन्य सामग्री संबंधी सहायता देना।

13. अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर विदेश मंत्रालय के परामर्श से निम्नलिखित मामलों सहित राष्ट्रीय सुरक्षा में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की भूमिका से संबद्ध मामले :-

(i) अन्य देशों और अंत: सरकारी एजेंसियों के अनुसंधान संगठनों से संबंधित मामले, विशेष रूप से जो अन्य कार्यों के साथ-साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकीय पहलुओं से संबंधित हैं।

(ii) इस विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्यरत भारतीय वैज्ञानिकों और टेक्नॉलॉजिस्टों को प्रशिक्षण तथा विदेशी छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने के लिए अनुसंधान उन्मुख संस्थानों या निगमित निकायों के लिए विदेश में स्थित विश्वविद्यालयों के साथ व्यवस्था करना।

14. विभाग के बजट से निर्माण कार्य करना तथा भूमि खरीदना।

15. विभाग के नियंत्रणाधीन कार्मिकों से संबंधित सभी मामले।

16. इस विभाग के बजट में डेबिट योग्य सभी प्रकार के भंडारों, उपकरणों और सेवाओं का अर्जन।

17. विभाग से संबंधित वित्तीय मंजूरियां।

18. राष्ट्रीय सुरक्षा के वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय पहलुओं को प्रभावित करने वाले कार्यकलापों से संबंधित भारत सरकार अन्य मंत्रालय, विभाग, एजेंसी के साथ समझौता अथवा व्यवस्था करके इस विभाग को सौंपे गए, इस विभाग द्वारा स्वीकार किए गए कोई भी अन्य कार्य।

घ. रक्षा (वित्त) प्रभाग

1. सभी रक्षा मामलों की वित्त संबंधी जांच करना।

2. रक्षा मंत्रालय और सेना मुख्यालयों की विभिन्न समितियों को वित्तीय सलाह देना।

3. रक्षा मंत्रालय के एकीकृत वित्त प्रभाग के रूप में कार्य करना।

4. व्यय संबंधी सभी योजनाओं/प्रस्तावों को तैयार करना और उनके कार्यान्वयन में सहायता करना।

5. रक्षा योजनाएं तैयार करके उनके कार्यान्वयन में सहायता करना।

6. रक्षा बजट और रक्षा सेवाओं के लिए अन्य प्राक्कलन तैयार करना और बजट के अनुरूप योजनाओं की प्रगति पर निगरानी रखना।

7. बजट बनाने के बाद यह सुनिश्चित करना कि व्यय न तो बहुत कम हो और न ही अनपेक्षित रूप से अधिक हो।

8. सशस्त्र सेना मुख्यालयों की शाखाओं के अध्यक्षों को अपने वित्तीय दायित्व का निर्वाह करने के लिए सलाह देना।

9. रक्षा सेवाओं के लिए लेखा प्राधिकारी के रूप में कार्य करना।

10. रक्षा सेवाओं के लिए विनियोजन लेखा तैयार करना।

11. रक्षा लेखा महानियंत्रक के माध्यम से रक्षा व्यय के भुगतानों और आंतरिक लेखापरीक्षा के दायित्व का निर्वाह करना।

परिशिष्ट-2

1 अप्रैल, 2002 से रक्षा मंत्रालय में मंत्री, सेनाध्यक्ष और सचिव

रक्षा मंत्री

श्री जॉर्ज फर्नांडिस

15 अक्टूबर, 2001 से आगे

रक्षा राज्य मंत्री

श्री यू.वी. कृष्णमराजू
23 जुलाई, 2001 से 1 जुलाई, 2002 तक

श्री चमन लाल गुप्ता
1 जुलाई, 2002 से आगे

रक्षा उत्पादन राज्य मंत्री

श्री हरिन पाठक
15 अक्टूबर, 2001 से 29 जनवरी, 2003 तक

प्रो. ओ. राजगोपाल
29 जनवरी, 2003 से आगे

रक्षा सचिव
श्री योगेन्द्र नारायण
20 अक्टूबर, 2000 से 30 जून, 2002 तक
श्री सुबीर दत्ता
30 जून, 2002 से आगे

सचिव, रक्षा उत्पादन एवं पूर्ति
श्री सुबीर दत्ता
1 दिसंबर, 2002 से 30 जून, 2002 तक
श्री पी.एम. नायर
1 जुलाई, 2002 से 24 जुलाई, 2002 तक
श्री ए.एम. निम्बलकर
1 अगस्त, 2002 से 30 सितंबर, 2002 तक
श्री एन.एस. सिसौदिया
1 अक्टूबर, 2002 से आगे

सचिव, रक्षा अनुसंधान एवं विकास तथा रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार
डॉ. वी.के. आत्रे
29 दिसंबर, 1999 से आगे

सचिव, रक्षा (वित्त)
श्री एम. कुमारस्वामी
1 मार्च, 2002 से 31 जुलाई, 2002 तक
श्री बिश्वजीत बैनर्जी
1 अगस्त, 2002 से आगे

सेनाध्यक्ष
जनरल एस. पद्मनाभन
पी.वी.एस.एम., ए.वी.एस.एम, वी.एस.एम., ए.डी.सी.
30 सितंबर, 2000 से 31 दिसंबर, 2002 तक
जनरल एन.सी. विज
पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएसएम, एडीसी
31 दिसंबर, 2002 से आगे

नौसेनाध्यक्ष
एडमिरल माधवेन्द्र सिंह
पीवीएसएम, एवीएसएम, एडीसी
31 दिसंबर, 2001 से आगे

वायुसेनाध्यक्ष
एयर चीफ मार्शल एस. कृष्णास्वामी
पीवीएसएम, एवीएसएम, वीएम एंड बार, एडीसी
31 दिसंबर, 2001 से आगे

रेगिस्तान में सैनिक